SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा

हरियाणा सरकार

2026 की प्रतिवेदन संख्या 3

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा

हरियाणा सरकार

2026 की प्रतिवेदन संख्या 3

विषय सूची

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन		vii
संक्षिप्त अवलोकन		ix-xiv
अध्याय 1		
वित्त विभाग		
ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा		
प्रस्तावना	1.1	1-2
संगठनात्मक संरचना	1.2	2
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.3	2
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली	1.4	3
लेखापरीक्षा के मानदंड	1.5	3
आभारोक्ति	1.6	3
लेखापरीक्षा उपलब्धियां		
परियोजना प्रबंधन	1.7	4
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ करार का निष्पादन न करना	1.7.1	4-5
परियोजना निगरानी इकाई की कार्यप्रणाली में कमियां	1.7.2	5
पोर्टल के कार्यान्वयन की निगरानी का न होना	1.7.3	5-6
मॉड्यूल की अनुपलब्धता	1.7.4	6
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस का अपर्याप्त कार्यान्वयन	1.7.5	7-8
अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण पोर्टल का अक्षम उपयोग	1.7.6	8
परिवर्तन प्रबंधन, व्यवसाय निरंतरता और आपदा वसूली से संबंधित दस्तावेजों का अभाव	1.7.7	8
निविदा प्रक्रिया और नियंत्रण	1.8	9
उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण	1.8.1	9-10
निविदाओं का आमंत्रण	1.8.2	11
'निविदा-सह-नीलामी' कार्यक्षमता का उपयोग न किया जाना	1.8.2.1	11
पुनः आमंत्रित निविदाओं का मूल निविदाओं के साथ लिंक न होना	1.8.2.2	11-13
कुछ महत्वपूर्ण तिथि फील्ड्स हेतु इनपुट नियंत्रणों का अभाव	1.8.2.3	13
बोली प्रस्तुत करने हेतु अपर्याप्त समय	1.8.2.4	13-14
नियम निर्धारित किए बिना सीमित निविदाएं आमंत्रित करना	1.8.2.5	14-15
निविदाएं आमंत्रित करते समय कार्य का विखंडन	1.8.2.6	15-16
शुद्धिपत्र के पश्चात प्रदान की गई सीमित अवधि और समय-सीमा समाप्त होने के बाद बोली विस्तार	1.8.2.7	16-18
निविदा खोलना	1.8.3	18
निविदा खोलने के लिए डुप्लिकेट उपयोगकर्ताओं का नामांकन	1.8.3.1	18
समान पैकेटों की बोलियां लंबे विलंब के साथ खोलना	1.8.3.2	19
बोली के पैकेट खोलते समय क्रमबद्धता सुनिश्चित न करना	1.8.3.3	19-20

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
बोली दस्तावेजों से संबंधित अनियमितताएं	1.8.3.4	20
पात्र बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां न खोलना	1.8.3.5	21
निविदा की मुख्य घटनाओं के लिए ई-मेल/संदेश अलर्ट का अभाव	1.8.3.6	21
पोर्टल पर गलत आवंटन विवरण प्रदर्शित होना	1.8.3.7	22
बोलियों का मूल्यांकन और निविदाओं का आवंटन	1.8.4	22
वित्तीय बोलियां खोलने के बाद तकनीकी आधार पर बोलियों को अनुचित रूप से निरस्त करना	1.8.4.1	22-23
निविदाओं के आवंटन में अनियमितताएं	1.8.4.2	23-25
डेटाबेस में बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत बोली मूल्यों की अनुपलब्धता	1.8.4.3	25-26
मूल्यांकन सारांश को अनिवार्य रूप से अपलोड करने में विसंगति	1.8.4.4	26
वित्तीय बोलियां आमंत्रित करने में अस्पष्टता, जिसके कारण बोलीदाताओं को अस्वीकृत किया गया	1.8.4.5	26
समान बोलियों की स्थिति में एल1 बोलीदाता का निर्धारण न करना	1.8.4.6	27
अभ्यावेदन के लिए अपर्याप्त समय	1.8.4.7	27-28
निविदा प्रक्रिया में मिलीभगतपूर्ण बोली एवं गुटबंदी	1.9	28-29
आई.पी. एड्रेस से बोली प्रस्तुत करने के असंगत पैटर्न पाए गए	1.9.1	29-30
विभागीय उपयोगकर्ता के इंटरनेट प्रोटोकॉल (आई.पी.) एड्रेस से बोलियां प्रस्तुत करना	1.9.2	30
एक ही मोबाइल नंबर, ई-मेल, वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या और पैन से कई बोलियां	1.9.3	30-32
बयाना राशि फीस के भुगतान विवरण से मिलीभगत बोली के संकेत	1.9.4	32-33
डेटा की गुणवत्ता और प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता	1.10	33
स्थिति को अद्यतित करने के लिए पोर्टल का उपयोग	1.10.1	33-36
प्रणाली द्वारा पोर्टल पर निविदा के चरण का अद्यतन न किया जाना	1.10.2	37
निविदाओं की प्रोसेसिंग में अत्यधिक विलंब	1.10.3	37-38
आवंटित उच्च मूल्य के अनुबंधों से संबंधित सूचना का प्रसार	1.10.4	39
उपयोगकर्ता डेटा और प्रोफाइल प्रबंधन में विसंगतियां एवं अनियमिताएं	1.10.5	39-40
प्रतिस्पर्धा का अपर्याप्त स्तर	1.10.6	40-42
आवंटित मूल्य और निविदा स्थिति से संबंधित डेटा विसंगतियां और प्रणालीगत कमियां	1.10.7	42
अनुबंध डेटा में कमियां	1.10.8	43
निविदा दस्तावेजों तक सीमित सार्वजनिक पहुंच	1.10.9	43
प्रणाली में वित्तीय नियमों से संबंधित अनुपालन	1.11	44
पूल खाते का गैर-समाधान	1.11.1	44-45
ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त सेवा फीस का मिलान न किया जाना	1.11.2	45-46
वस्तु एवं सेवा कर के उद्ग्रहण, संग्रहण और प्रेषण से संबंधित अनियमितताएं	1.11.3	46-47

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
पोर्टल के अद्यतित न होने के कारण निधियों का अवरोधन	1.11.4	47-48
बयाना राशि, निविदा दस्तावेज फीस और ई-सेवा फीस का प्रबंधन	1.11.5	48
त्रुटिपूर्ण रिफंड के कारण हुई हानि	1.11.5.1	48-49
ई-सेवा फीस की अवसूली/कम वसूली/अधिक वसूली	1.11.5.2	49-50
प्रभारित निविदा दस्तावेज फीस में विसंगतियां	1.11.5.3	50
बयाना राशि/निविदा फीस की गणना हेतु कार्यक्षमता का अभाव	1.11.5.4	50-51
बयाना राशि की अनियमित जब्ती या प्रतिधारण	1.11.6	51-52
बोलीदाताओं को वापस की गई राशि में विसंगतियां	1.11.7	52
सुरक्षा एवं जोखिम प्रबंधन	1.12	53
दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर की अनुपस्थिति या उनका अनधिकृत उपयोग	1.12.1	53-54
उपयोगकर्ताओं की भूमिकाओं से संबंधित अनधिकृत कार्य और डेटा विश्वसनीयता	1.12.2	54
पासवर्ड नीति का अभाव	1.12.3	55
कर्तव्यों का गैर-पृथक्करण	1.12.4	55-56
बिना लॉगिन के किए गए कार्य और फाइल हैश विश्वसनीयता में विसंगतियां	1.12.5	56-57
लॉगिन टाइमस्टैम्प से संबंधित विसंगति	1.12.6	57-58
ऑटो-लॉगआउट सुविधा का अभाव	1.12.7	58
विभिन्न तालिकाओं में रो आई.डी. की अनुपलब्धता	1.12.8	58-59
निविदाओं के लिए डेटा लॉग की अनुपलब्धता	1.12.9	59
पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई	1.13	59-60
निष्कर्ष	1.14	60-61
सिफारिशें	1.15	61
अध्याय 2		
आबकारी विभाग में लाइसेंस प्रबंधन, शराब उत्पादन एवं वितरण प्रणाली की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा		
प्रस्तावना	2.1	63
संगठनात्मक संरचना	2.2	63
सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की पृष्ठभूमि	2.3	64
लेखापरीक्षा उद्देश्य	2.4	64-65
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं पद्धति	2.5	65
लेखापरीक्षा मानदंड	2.6	65-66
आभारोक्ति एवं बाधाएं	2.7	66
लेखापरीक्षा उपलब्धियां		
लाइसेंस प्रबंधन	2.8	66

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन की प्रोसेसिंग हेतु कार्यात्मकता का अभाव	2.8.1	67
सहभागिता फीस/अर्नेस्ट मनी डिपाजिट को सरकारी खाते में जमा करने हेत कार्यात्मकता का अभाव	2.8.2	67-68
बार लाइसेंसों के लिए संपूर्ण विवरण कैप्चर करने में त्रुटिपूर्ण डिजाइन	2.8.3	68
ब्लैकलिस्ट किए गए विक्रेताओं के लिए रिपोजिटरी बनाने की उपयोगिता का अभाव	2.8.4	68-69
नवीकरणीय लाइसेंस के लिए ऐतिहासिक सूचना	2.8.5	69
खुदरा लाइसेंसधारकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को कैप्चर करने और प्रोसेस करने की कार्यक्षमता का अभाव	2.8.6	69-70
प्रणाली में वेंड/सब-वेंड के भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) निर्देशांक की अनुपलब्धता	2.8.7	70-71
अमान्य/रिक्त स्थाई खाता संख्या को कैप्चर करना	2.8.8	71-72
अस्थायी लाइसेंस (एल-12ए) प्रदान करना	2.8.9	72
सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा का पालन न करना	2.8.9.1	72
वैधता जांच का विद्यमान न होना	2.8.9.2	73-74
मास्टर टेबल में उपयोगकर्ताओं के साख विवरण न होना	2.8.10	74
शराब उत्पादन	2.9	74-75
शराब उत्पादन प्रक्रिया का स्वचालन न होना	2.9.1	75-76
एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल की आपूर्ति के लिए परमिट/पास जारी करने का स्वचालन न होना	2.9.2	76
शराब की रासायनिक जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए कार्यक्षमता का गैर-स्वचालन	2.9.3	76-77
आपूर्ति के लिए अनुमोदित शराब के स्टॉक के साथ मैपिंग हेतु होलोग्राम सीरियल को कैप्चर करने के लिए कार्यक्षमता का अभाव	2.9.4	77-78
एल-1बीएफ लाइसेंसधारकों द्वारा होलोग्राम जारी करने और उपयोग की प्रक्रिया का स्वचालित न किया जाना	2.9.5	78
शराब की बोतलबंदी, प्रेषण और निर्यात	2.9.6	78-83
शराब वितरण	2.10	83
ऐतिहासिक एक्स-डिस्टिलरी मूल्य की मिसिंग सूचना	2.10.1	83-84
अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की कम गणना	2.10.2	84-85
परमिटों में अनुमोदित मात्रा से अधिक मात्रा के लिए पास का अनुमोदन	2.10.3	85
उपलब्ध मात्रा से अधिक निर्गम आपूर्ति	2.10.4	86
आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई मात्रा और लाइसेंसधारक द्वारा स्टॉक में ली गई मात्रा के मध्य भिन्नता	2.10.5	86-87
शराब वितरण के लिए परमिट का निर्माण और प्रबंधन	2.10.6	87

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
मिसिंग परमिट ट्रांजेक्शन	2.10.6.1	87-88
परमिट आवेदनों को अंतिम रूप देने में लगने वाला समय	2.10.6.2	88
परमिटों को प्रदान की गई परिवर्तनीय वैधता अवधि	2.10.6.3	88-89
निरस्त किए गए परमिटों के विरुद्ध पास जारी करना	2.10.6.4	89
परमिट से संबंधित ट्रांजेक्शन निर्धारित प्रक्रिया प्रवाह के अनुरूप नहीं हैं	2.10.6.5	90
पास आवेदन	2.10.7	91
थोक विक्रेताओं को टूट-फूट की अस्वीकार्य अनुमति	2.10.7.1	91
शराब का स्टॉक अद्यतित नहीं किया गया	2.10.7.2	91
नीति वर्ष के अंतिम दिन शराब जारी करना	2.10.7.3	92
कोविड लॉकडाउन के दौरान जारी किए गए पास	2.10.7.4	92-93
पास जारी करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रणाली में वैधता जांच का अभाव	2.10.7.5	93
पास से संबंधित ट्रांजेक्शन निर्धारित प्रक्रिया प्रवाह के अनुरूप नहीं हैं	2.10.7.6	94
कार्यक्षमताओं का गैर-स्वचालन/दोषपूर्ण डिजाइन	2.10.8	94
स्टॉक अंतरण फीस और अंतरीय आबकारी शुल्क की गणना के लिए कार्यक्षमताओं का अभाव	2.10.8.1	95
निर्धारित शराब कोटा कम उठाने पर देय पेनल्टी की गणना करने की कार्यक्षमता का अभाव	2.10.8.2	95-97
ब्याज की गणना के लिए कार्यक्षमता का अभाव	2.10.8.3	97
अपील प्रक्रिया को स्वचालित करने की कार्यक्षमता का अभाव	2.10.8.4	98
निरीक्षण प्रक्रिया को स्वचालित करने की कार्यक्षमता का अभाव	2.10.8.5	98-100
शराबखाने का लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया को कैप्चर करने की कार्यक्षमता का अभाव और अनिवार्य "अनुमत कक्ष" फीस का अनुद्ग्रहण	2.10.8.6	100-101
शराब के विक्रता से उप-विक्रेता तक आवाजाही का स्वचालन न होना	2.10.8.7	101
निर्यातित शराब की आपूर्ति और निर्यात सत्यापन प्रमाण-पत्र को ट्रैक करने की कार्यक्षमता का अभाव	2.10.8.8	101-102
शराब स्टॉक हस्तांतरण विवरण के लिए दोषपूर्ण फॉर्म डिजाइन	2.10.8.9	102
अन्य सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण मामले	2.11	102
सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में अपूर्ण भुगतान मॉड्यूल	2.11.1	102-107
क्षमता निर्माण - प्रशिक्षण आवश्यकताओं का अननुपालन	2.11.2	107
व्यवसाय निरंतरता योजना, आपदा वसूली योजना और सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा	2.11.3	107-108
सुरक्षा लेखापरीक्षा/साइबर सुरक्षा	2.11.4	108
निष्कर्ष	2.12	108-109
सिफारिशें	2.13	109-111

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	परिशिष्ट की पृष्ठ संख्या
1.1	सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा के दौरान चयनित विभागों और निविदा आमंत्रित करने वाली एजेंसियों की सूची	1.4	113
1.2	बोली प्रस्तुत करने के लिए दिए गए कम समय को दर्शाने वाली विवरणी	1.8.2.4	114-115
1.3	निविदाएं जहां बोलीदाताओं को तकनीकी रूप से अस्वीकार कर दिया गया था लेकिन निर्धारित समय से पहले वित्तीय पैकेट खोले गए थे	1.8.4.7	116
1.4	संदिग्ध मिलीभगत दर्शाने वाले मामलों की सूची	1.9.1	117
1.5	पोर्टल के अनुसार प्रक्रियाधीन भौतिक फाइलों के अनुसार निविदाओं की स्थिति	1.10.1 (i)	118
1.6	बोली की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद अनुबंध दिए जाने या पोर्टल पर देरी से जानकारी अपडेट करने को दर्शाने वाली विवरणी	1.10.3	119
1.7	उन बोलीदाताओं का विवरण जिन्होंने बोली जमा करने की अंतिम तिथि के बाद अपनी बोलियां वापस ले ली, परंतु उनकी बयाना जमा राशि (ईएमडी) जब्त नहीं की गई	1.11.6	120
1.8	कई बोलीदाताओं की ईएमडी को बनाए रखने के उदाहरणों को दर्शाने वाली विवरणी	1.11.6	121
2.1	निर्धारित मानदंडों से अधिक अनुमत बोतलबंदी के दौरान नुकसान को दर्शाने वाला वर्ष-वार/ लाइसेंसधारक-वार विवरण	2.9.6 (ग)	122-123
2.2	मास्टर तालिका में निर्धारित वैधता के साथ लाइसेंस का प्रकार	2.10.6.3	124

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन हरियाणा सरकार की ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना तथा आबकारी विभाग में लाइसेंस प्रबंधन, शराब उत्पादन एवं वितरण प्रणाली की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा से प्राप्त परिणामों को प्रस्तुत करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को संबंधित विभागों के साथ प्रारूप अनुच्छेदों और प्रारूप प्रतिवेदनों के माध्यम से साझा किया गया था। सरकार/विभागों द्वारा दिए गए उत्तरों को संबंधित अध्यायों में विधिवत शामिल कर लिया गया है।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं जो 2022-23 की अवधि के दौरान सूचना प्रणाली की लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए और वे जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे परन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे। 2022-23 से अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी, जहां आवश्यक हैं, शामिल किए गए हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की गई है।

संक्षिप्त अवलोकन

संक्षिप्त अवलोकन

इस प्रतिवेदन में ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना और आबकारी विभाग में लाइसेंस प्रबंधन, शराब उत्पादन एवं वितरण प्रणाली की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा शामिल है।

1. अध्याय 1

ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा

यह लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू किया गया था और प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देने के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसका कुशलतापूर्वक उपयोग किया गया था।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ करार को निष्पादित न करने, परियोजना निगरानी इकाई (पी.एम.यू.) के अप्रभावी कामकाज, महत्वपूर्ण कार्यों/मॉड्यूल की अनुपस्थिति, अपर्याप्त निगरानी और उपयोगकर्ताओं को अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण प्रणाली का कार्यान्वयन दोषपूर्ण था, क्योंकि कुछ गतिविधियां या तो नहीं की गई या ऑफलाइन की गई, जिससे ई-प्रोक्योरमेंट के उद्देश्य विफल हो गए।

(अनुच्छेद 1.7.1 से 1.7.4 तथा 1.7.6)

निविदा प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण पाई गई क्योंकि बोली का अपर्याप्त प्रचार-प्रसार, बोली प्रस्तुत करने के लिए अपर्याप्त समय देना, निविदा-सह-नीलामी कार्यक्षमता का उपयोग न करना, पुन:आमंत्रित एवं मूल निविदाओं के बीच संबंध का अभाव तथा निविदा प्रक्रिया के लिए डुप्लिकेट उपयोगकर्ताओं के नामांकन जैसे मामले पाए गए। इसके अतिरिक्त, प्रणाली डिजाइन कमजोर था क्योंकि समय विस्तार, बोली खुली रखने की अवधि, शिकायत निवारण के लिए दिया गया समय, शुद्धिपत्र जारी करने आदि से संबंधित व्यावसायिक नियमों को मैप नहीं किया गया था। प्रणाली में अनियमित प्रथाओं को रोकने के लिए नियंत्रणों का भी अभाव था, जैसे कम अवधि के लिए निविदाओं का विस्तार, विभिन्न तारीखों पर बोलियों को डिक्रिप्ट करना और बोलियों का क्रम से हटकर खोला जाना।

(अनुच्छेद 1.8.2.1, 1.8.2.2, 1.8.2.4, 1.8.2.7, 1.8.3.1 से 1.8.3.3 तथा 1.8.4.7)

निविदा प्रक्रिया में मिलीभगतपूर्ण बोली और बोली में हेरफेर के संकेत देने वाले उदाहरण पाए गए, जिससे निविदा प्रक्रिया की निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हुई। यह पाया गया कि एक ही इंटरनेट प्रोटोकॉल (आई.पी.) एड्रेस/खरीद संस्था के कंप्यूटरों से, बहुत ही कम समयांतरण में अनेक बोलियां प्रस्तुत की गई, जो हेरफेर या अपर्याप्त प्रणाली नियंत्रण की ओर संकेत करती है।

(अनुच्छेद 1.9, 1.9.1 तथा 1.9.3)

महत्वपूर्ण डेटा विश्वसनीयता और प्रबंधन सूचना प्रणाली की कमियों के कारण प्रणाली की प्रभावशीलता कम हो गई थी। देखे गए मुख्य मामलों में–निविदा चरणों का अद्यतन न होना, मूल्यांकन सारांश अपलोड न करना, उपयोगकर्ता डेटा और प्रोफाइल प्रबंधन में विसंगतियां, तथा पोर्टल पर आवंटन मूल्य और निविदा स्थिति आदि में विसंगतियां शामिल थी।

(अनुच्छेद 1.10.1, 1.10.1(iii), 1.10.5 तथा 1.10.7)

फीस एवं बयाना राशि के संबंध में वितीय नियमों का अनुपालन नहीं किया गया क्योंकि राशियों को सही रूप से अंतरित/समायोजित नहीं किया गया था, गलत तरीके से वापस किया गया था या वापस नहीं किया गया/फीस की कम या अधिक वसूली, समाधान न करना और सरकार को वस्तु एवं सेवा कर नहीं लगाने/प्रेषित नहीं करने के संबंध में भी मामले देखे गए।

(अनुच्छेद 1.11.3, 1.11.5.1 से 1.11.5.2)

प्रणाली उपयोगकर्ता गतिविधियों से संबंधित कमजोरियों के प्रति संवेदनशील पाई गई, क्योंकि लेखापरीक्षा में अपूर्ण लॉग, बिना लॉगिन के किए गए कार्य तथा असंगत लॉगिन टाइम स्टेम्प पाए गए जिससे डेटा की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठते हैं। इसके अतिरिक्त, भूमिका सृजन और कर्तव्यों के पृथक्करण में विसंगतियां पाई गई तथा एक निश्चित पासवर्ड नीति का भी अभाव पाया गया।

(अनुच्छेद 1.12.2 से 1.12.4, 1.12.6 तथा 1.12.9)

सिफारिशें

राज्य सरकार निम्नलिखित सुझावों पर विचार करे:

- *राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ एक औपचारिक करार का निष्पादन करना और साथ ही परियोजना प्रबंधन इकाई को सुदृढ़ बनाना।*
- *खरीद की संपूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से कवर करने के लिए पोर्टल में मांग प्रबंधन, कैटलॉग प्रबंधन और अनुबंध प्रबंधन मॉड्यूल को शामिल करना।*
- *निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों को निविदा के चरणों का समय पर अद्यतन करने और पोर्टल पर संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए निर्देशित किया जाए। पोर्टल के कुशल उपयोग के लिए उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा सकता है।*
- *पूल खाते का समय-समय पर मिलान करना और बोलीदाताओं के विफल लेनदेन/लंबित फीस के निपटान की निगरानी करना।*
- *पोर्टल में शिकायत निवारण, प्रणाली के माध्यम से तकनीकी और वितीय मूल्यांकन, चर्चा द्वारा तय करना, बोली वैधता विस्तार, समान दरें प्राप्त होने पर एल-1 का निर्णय लेने, प्रणाली के माध्यम से अनुबंध आवंटन, निविदा/बोली के मूल्यांकन के दौरान संभावित मिलीभगत, गुटबंदी या बोली के हेरफेर के लिए रियल-टाइम अलर्ट जनरेट करना।*
- *अपूर्ण लॉग, अमान्य डेटा, फील्ड के लिए नियंत्रणों के अभाव से संबंधित मामलों के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा की गई कार्रवाई की निगरानी करना और प्रणाली में व्यावसायिक नियमों की मैपिंग सुनिश्चित करना।*

2. अध्याय 2

आबकारी विभाग में लाइसेंस प्रबंधन, शराब उत्पादन एवं वितरण प्रणाली की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा

सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए आयोजित की गई थी कि क्या आबकारी विभाग द्वारा कार्यान्वित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के लाइसेंस प्रबंधन, शराब उत्पादन और वितरण मॉड्यूल आबकारी अधिनियम, आबकारी नीतियों, प्रासंगिक नियमों और प्रणाली आवश्यकता विनिर्देश प्रावधानों के अनुरूप थे; क्या इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट नियंत्रण सहित एप्लिकेशन नियंत्रण प्रणाली में पर्याप्त रूप से अंतर्निहित थे; तथा व्यापार निरंतरता योजना (बी.सी.पी.), आपदा वसूली योजना (डी.आर.पी.) और सूचना प्रणाली (आई.एस.) सुरक्षा के लिए सुदृढ़ व्यवस्था विद्यमान थी। सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा में नीति वर्ष 2015-16 से 2022-23 की अवधि को शामिल किया गया, जिसमें आइडिया और टेबल्यू जैसी कंप्यूटर समर्थित लेखापरीक्षा तकनीकों का उपयोग करते हुए डेटा (दिसंबर 2015 से जून 2023 की अवधि से संबंधित) का विश्लेषण किया गया।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

प्रणाली में सभी प्रकार के लाइसेंसों को संसाधित करने के लिए एंड-टू-एंड कार्यक्षमता के अभाव के कारण, खुदरा बिक्री के अलावा अन्य लाइसेंसों को जारी करने/नवीनीकरण के लिए उपयोगकर्ता द्वारा की गई कार्रवाइयों की पूर्ण लेखापरीक्षा ट्रेल की समीक्षा या निगरानी नहीं की जा सकी। परिणामस्वरूप, कंप्यूटरीकरण परियोजना के तहत सेवा वितरण दक्षता में सुधार की सीमा को मापा नहीं जा सका।

(अनुच्छेद 2.8.1)

सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली को बार लाइसेंस से संबंधित महत्वपूर्ण विवरणों, जैसे होटलों की स्टार रेटिंग, अतिरिक्त परिचालन बिंदु, अनुमति प्राप्त घंटे और विस्तारित समय को दर्ज करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, प्रणाली लागू लाइसेंस फीस का सत्यापन करने या देय और भुगतान की गई राशि के बीच विसंगतियों का पता लगाने में विफल रही, जिसके कारण मैन्युअल रजिस्टरों पर निर्भर रहना पड़ा।

(अनुच्छेद 2.8.3)

प्रणाली में सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अस्थायी लाइसेंस जारी करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक नियंत्रणों का अभाव था, जिसके परिणामस्वरूप आवेदनों के निपटान में देरी हुई, आवेदन लंबित रहे और निर्धारित कार्यक्रमों के समाप्त होने के बाद भी अनुमोदन दिए गए। एस्केलेशन तंत्र की अनुपस्थिति ने कुशल सेवा वितरण को बाधित किया।

(अनुच्छेद 2.8.9.1)

अपर्याप्त सत्यापन जांच के कारण अपंजीकृत वाणिज्यिक स्थलों को अस्थायी लाइसेंस जारी कर दिए गए और साथ ही कार्यक्रमों के संपन्न हो जाने के बाद भी लाइसेंसों को अनुमोदन प्रदान किए गए। प्रणाली की कमियों के कारण लंबित या अस्वीकृत आवेदनों को भी लाइसेंस नंबर आवंटित हो गए, जिससे अनधिकृत शराब परोसने का जोखिम बढ़ गया।

(अनुच्छेद 2.8.9.2)

विनिर्माण इकाइयों में उत्पादन प्रक्रियाएं स्वचालित नहीं थी और एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल के उपयोग, उत्पादन एवं अपशिष्ट से संबंधित महत्वपूर्ण अभिलेख मैन्युअल रूप से रखे गए थे, जिससे त्रुटियों, हेरफेर और गलत रिपोर्टिंग की संभावना बढ़ गई। इसके अतिरिक्त, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल के परिवहन के लिए परमिट और पास सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से बाहर मैन्युअल रूप से जारी किए गए थे। स्वचालित नियंत्रण या लेखापरीक्षा ट्रेल के बिना भारी मात्रा में एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल के रखरखाव ने इसके विचलन, गलत रिपोर्टिंग और परिणामस्वरूप राजस्व हानि के जोखिम को बढ़ा दिया।

(अनुच्छेद 2.9.1 से 2.9.2)

प्रणाली में शराब के बैचों की रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट के विवरण दर्ज करने की सुविधा नहीं थी, जिससे परीक्षण के परिणाम प्राप्त होने से पहले ही शराब का प्रेषण संभव हो गया तथा इसने गुणवत्ता आश्वासन और नियामक निगरानी को कमजोर कर दिया। होलोग्राम के सीरियल नंबर दर्ज करने और उन्हें आबकारी पासों के साथ मैप करने की कोई कार्यक्षमता मौजूद नहीं थी, जिससे प्रवर्तन एजेंसियों की पारगमन के दौरान शराब की प्रामाणिकता को सत्यापित करने की क्षमता सीमित हो गई और शराब के विचलन तथा नकली आपूर्ति का जोखिम बढ़ गया।

(अनुच्छेद 2.9.3 से 2.9.4)

प्रणाली में अपर्याप्त सत्यापन और कमजोर प्रक्रिया नियंत्रणों के कारण बोतलबंदी फीस और निर्यात शुल्क की कम गणना और कम वसूली हुई, जिसके परिणामस्वरूप क्रमशः ₹ 2.41 करोड़ और ₹ 22.26 लाख की राजस्व हानि हुई।

{अनुच्छेद 2.9.6 (क)}

सत्यापन जांच के अभाव और बोतलबंदी अपशिष्ट डेटा दर्ज न होने के कारण, प्रणाली ने आबकारी शुल्क लगाए बिना स्वीकार्य सीमा से अधिक बोतलबंदी अपशिष्ट की अनुमति दे दी।

{अनुच्छेद 2.9.6 (ग)}

प्रभारित आबकारी शुल्क की सटीकता का सत्यापन करने के लिए पूर्ववर्ती नीति वर्षों के एक्स-डिस्टिलरी मूल्यों की ऐतिहासिक जानकारी प्रणाली में सुरक्षित नहीं रखी गई थी।

(अनुच्छेद 2.10.1)

प्रणाली में पर्याप्त प्रक्रिया नियंत्रण के अभाव और लाइसेंसधारकों को शराब आपूर्ति को मूल कोटा या अतिरिक्त कोटा के रूप में स्वयं वर्गीकृत करने की अनुमति देने के परिणामस्वरूप कम उद्ग्रहण हुआ और ₹ 10.37 करोड़ के अतिरिक्त आबकारी शुल्क की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 2.10.2)

मूल/पुनर्वैधित परमिटों के विरुद्ध शराब की समग्र आपूर्ति को प्रतिबंधित करने के लिए प्रणाली में पर्याप्त सत्यापन जांच के अभाव के परिणामस्वरूप 56,87,810 प्रूफ लीटर शराब की अधिक आपूर्ति हुई, जिससे ₹ 6.93 करोड़ के आबकारी शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 2.10.3)

निरस्त या अस्वीकृत किए गए परमिटों के विरुद्ध पास जारी किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 33.19 लाख के आबकारी शुल्क का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

(अनुच्छेद 2.10.6.4)

थोक संचालन में अपर्याप्त नीति प्रवर्तन और कमजोर प्रणाली नियंत्रणों के कारण कई अनियमितताएं हुई, क्योंकि कुछ वर्षों के दौरान नीति प्रावधानों के अभाव के बावजूद थोक लाइसेंसधारकों को टूट-फूट की अमान्य छूट प्रदान की गई जिससे कमी को टूट-फूट के रूप में गलत वर्गीकृत करने और शराब के विचलन का जोखिम उत्पन्न हुआ। थोक लाइसेंसधारकों द्वारा प्राप्त शराब के स्टॉक को प्रणाली में समय पर अद्यतन न किए जाने के परिणामस्वरूप स्टॉक के शेष में गड़बड़ी हुई और आबकारी प्राधिकारियों द्वारा प्रभावी निगरानी नहीं की जा सकी। नीति वर्षों के अंतिम दिन भारी मात्रा में शराब जारी की गई, जिसमें कार्य अवधि के बाद दिए गए अनुमोदन भी शामिल थे, इससे अंतरण फीस के संभावित अपवंचन के संबंध में चिंताएं उत्पन्न हुई।

(अनुच्छेद 2.10.7.1 से 2.10.7.3)

स्टॉक हस्तांतरण फीस और अंतरीय आबकारी शुल्क की स्वचालित गणना का अभाव था, जिसके परिणामस्वरूप मानवीय त्रुटियां हुई और ₹ 0.82 करोड़ के आबकारी शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, प्रणाली ने न तो एल-1बीएफ और एल-2बीएफ लाइसेंसधारकों द्वारा निर्धारित कोटा के कम उठान पर पेनल्टी की गणना की, जिससे ₹ 17.27 करोड़ की पेनल्टी नहीं लगाई जा सकी और न ही इसमें विलंबित भुगतान पर ब्याज की गणना करने की कार्यक्षमता थी, जिससे त्रुटिपूर्ण और असंगत मैन्युअल गणना की स्थिति उत्पन्न हुई।

(अनुच्छेद 2.10.8.1 से 2.10.8.3)

निरीक्षण प्रक्रियाएं भी स्वचालित नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.46 करोड़ की न्यूनतम पेनल्टी का कम उद्ग्रहण हुआ। निर्यात की गई शराब के लिए निर्यात सत्यापन प्रमाण-पत्र दर्ज करने की कोई कार्यक्षमता विद्यमान नहीं थी। निर्यात सत्यापन प्रमाण-पत्र को ट्रैक करने के अभाव के कारण इस बात का आश्वासन सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निर्यात की गई शराब अपने निर्धारित गंतव्य तक पहुंची है या नहीं।

(अनुच्छेद 2.10.8.5 तथा 2.10.8.8)

प्रणाली ने लाइसेंसधारकों के कॉर्पस खाते में उपलब्ध निधियों से अधिक के आबकारी शुल्क के समायोजन की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 38.81 करोड़ का अतिरिक्त उपयोग हुआ। ट्रेजरी चालानों के दोहरे उपयोग की अनुमति दी गई, जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंसधारकों को ₹ 1.54 करोड़ का अतिरिक्त क्रेडिट मिला और इसके कारण राजस्व की हानि हुई। ई-ग्रास में लंबित चालानों के बदले ₹ 2.05 करोड़ का लाभ प्रदान किया गया, जिससे उन राशियों के उपयोग की अनुमति मिल गई जो वास्तव में खजाने में जमा नहीं हुई थी। कमजोर सत्यापन नियंत्रण के कारण, वास्तविक ट्रेजरी प्रेषण से अधिक ₹ 12.19 करोड़ के अतिरिक्त क्रेडिट की अनुमति दी गई, जिससे आबकारी देयताओं का अनुचित समायोजन हुआ। राज्य आबकारी से पृथक अन्य लेखा शीर्षों से संबंधित चालानों को स्वीकार किया गया, जिससे लाइसेंसधारकों के कॉर्पस में ₹ 5.22 करोड़ का गलत क्रेडिट संभव हुआ।

{अनुच्छेद 2.11.1 (घ), (ङ.), (च), (छ) एवं (ज)}

विभागीय तकनीकी कर्मियों का अनिवार्य प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप सिस्टम इंटीग्रेटर' पर निरंतर निर्भरता बनी रही; इसके अतिरिक्त, विभाग राज्य के दिशानिर्देशों के अनुरूप व्यापार निरंतरता योजना और डिजास्टर रिकवरी योजना तैयार करने में विफल रहा, और अनिवार्य सुरक्षा लेखापरीक्षा या साइबर सुरक्षा मूल्यांकन का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जिससे महत्वपूर्ण डेटा और एप्लिकेशन सुरक्षा पर गंभीर परिचालन और साइबर जोखिमों का खतरा उत्पन्न हो गया।

(अनुच्छेद 2.11.2 से 2.11.4)

सिफारिशें

सरकार निम्नलिखित पर विचार करे:

- *निम्नलिखित कार्यों के लिए कार्यक्षमताएं शुरू करना/पूर्ण स्वचालन लागू करना*
  - (i) *विभाग द्वारा जारी की जाने वाली शराब लाइसेंस की सभी श्रेणियों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया;*
  - (ii) *सरकारी खाते में सहभागिता फीस और बयाना राशि का समय पर जमा किया जाना;*
  - (iii) *एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और शराब से संबंधित अन्य परमिट/पास जारी करने के लिए अनुमोदन कार्यप्रवाह;*
  - (iv) *कम मात्रा में स्टॉक उठाने, स्टॉक अंतरण फीस, निरीक्षण अपीलों आदि के लिए जुर्माने की गणना करना।*
- *ब्लैकलिस्ट किए गए शराब लाइसेंसधारकों का एक केंद्रीकृत डिजिटल रिपॉजिटरी विकसित करना ताकि लाइसेंस जारी करते समय उस तक रियल-टाइम पहुंच सुनिश्चित हो सके और नीति अनुपालन की निगरानी तथा क्षेत्रीय स्तर पर ट्रैकिंग को बेहतर बनाने के लिए शराब की दुकानों की जियो-टैगिंग शुरू करना।*
- *अनिवार्य रजिस्टरों के डिजिटल रखरखाव के लिए मॉड्यूल शामिल करना और यह सुनिश्चित करना कि रासायनिक विश्लेषण के परिणाम डिस्पैच की अनुमतियों से जुड़े हों।*
- *राजस्व की हानि से बचने के लिए उद्ग्रहण गणना (जैसे बोतलबंदी फीस, निर्यात शुल्क) में गलतियां उत्पन्न करने वाली तर्क संबंधी त्रुटियों को दूर करना, ऐतिहासिक अभिलेखों को सुरक्षित रखना और ट्रांजेक्शन डेटा के गायब होने या उसमें बदलाव को रोकने के लिए एक सुदृढ़ लॉगिंग प्रणाली स्थापित करना।*
- *सिस्टम दस्तावेजों और मैनुअल की तैयारी एवं रखरखाव, जिसमें प्रशिक्षण मैनुअल शामिल हो, और सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा नीति, आपदा प्रबंधन तथा व्यावसायिक निरंतरता योजना तैयार करना।*

अध्याय 1

ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा

अध्याय 1

वित्त विभाग

ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा

1.1 प्रस्तावना

राज्य सरकार ने खरीद प्रक्रियाओं में एकरूपता बनाए रखने, खरीद प्रणालियों में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र पोर्टल की सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली (जी.ई.पी.एन.आई.सी.) का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट (ई-प्रोक्योरमेंट) परियोजना प्रारंभ की (जून 2009)। राज्य सरकार ने सभी संगठनों के लिए ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली का विस्तार किया (जनवरी 2015)। ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के उपयोग हेतु एक समान सीमा, ₹ एक लाख (बिना क्रय आदेश को परिवर्तित किए) निर्धारित की गई थी (जून 2016)। राज्य सरकार ने (मई 2014 और मई 2019 के मध्य) एक एजेंसी मैसर्स नेक्स्टेंडर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित एक अन्य ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल का भी उपयोग किया। खरीद करने वाले विभागों/एजेंसियों से यह अपेक्षित था कि वे किसी भी पोर्टल का उपयोग करके खरीदारी करें। बाद में, राज्य सरकार ने मैसर्स नेक्स्टेंडर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित पोर्टल को बंद कर दिया (मई 2019) और सभी विभागों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र पोर्टल की सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली का उपयोग करने के निर्देश दिए।

इससे पूर्व, ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा, 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (2019 की प्रतिवेदन संख्या 3) में शामिल की गई थी।

ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल में सात मॉड्यूल हैं (i) मांग-पत्र प्रबंधन (ii) विक्रेता प्रबंधन (iii) ई-निविदा (iv) ई-भुगतान (v) ई-नीलामी (vi) कैटलॉग प्रबंधन और (vii) अनुबंध प्रबंधन।

जी.ई.पी.एन.आई.सी. सॉफ्टवेयर के कार्यप्रवाह को नीचे दर्शाया गया है:

बोली खोलने तक की प्रक्रिया ऑनलाइन आयोजित की जाती है, जबकि बोली मूल्यांकन और दस्तावेज सत्यापन मैन्युअल रूप से किया जाता है। मूल्यांकन के अंतिम परिणाम प्रणाली में अद्यतित किए जाते हैं।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.) ने निदेशालय, आपूर्ति एवं निपटान (डी.एस.डी.) हरियाणा के माध्यम से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र पोर्टल की सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली का डेटा डंप प्रदान किया (जून 2023)। डेटा डंप के अनुसार, वर्ष 2018-23 के दौरान 162 संगठनों[1] ने ₹ 2.12 लाख करोड़ मूल्य की 2.46 लाख निविदाएं प्रकाशित की थी; जिनमें से ₹ 0.51 लाख करोड़ मूल्य की 82,923 निविदाएं प्रदान/आवंटित की गई और 1.05 लाख निविदाएं या तो अधूरी थी या पोर्टल पर अद्यतित नहीं की गई थी। वर्ष-वार निविदाओं का विवरण ***तालिका 1.1*** में दिया गया है।

तालिका 1.1: निविदाओं के वर्ष-वार विवरण और उनकी स्थिति दर्शाने वाला ब्यौरा

वर्ष	निविदाओं का वर्ष-वार विवरण और उनकी स्थिति					(₹ करोड़ में)
	कुल निविदाएं	निविदा राशि (₹ करोड़ में)	निरस्त/पुनः निविदा जारी की गई	प्रकाशित निविदा (विभिन्न चरणों में लंबित)	आवंटित निविदाएं	आवंटित निविदाओं का निविदा मूल्य
2018-19	22,091	10,501	2,663	19,239	189	171
2019-20	56,603	51,270	10,110	35,762	10,731	4,929
2020-21	49,109	32,681	12,590	13,933	22,586	14,365
2021-22	58,659	48,965	14,368	17,238	27,053	19,842
2022-23	59,852	69,189	19,005	18,483	22,364	11,945
कुल	**2,46,314**	**2,12,606**	**58,736**	**1,04,655**	**82,923**	**51,252**

1.2 संगठनात्मक संरचना

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय, हरियाणा, वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अनुपालन और कुशल ई-प्रोक्योरमेंट संचालन सुनिश्चित करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र राज्य में ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना के तकनीकी कार्यान्वयन का प्रबंधन करता है।

1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य थे:

- क्या ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली को प्रभावी तरीके से लागू किया गया है और प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देने के इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुशलतापूर्वक उपयोग किया गया है;
- क्या पर्याप्त नियंत्रण सुनिश्चित करने और प्रणाली में व्यावसायिक नियमों की मैपिंग के साथ-साथ डेटा की पूर्णता, वास्तविकता और विश्वसनीयता बनाए रखी गई थी; तथा
- ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा में उठाए गए मामलों और 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (2019 की प्रतिवेदन संख्या 3) में प्रकाशित लिगेसी डेटा के हस्तांतरण से संबंधित मामलों का अनुवर्तन/अनुपालन।

[1] विभाग, बोर्ड, निगम, कंपनियां, स्वायत्त निकाय आदि।

1.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए 2018 से 2023 तक की अवधि को शामिल करते हुए इसकी सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा की गई थी। यह लेखापरीक्षा 10 संगठनों ***(परिशिष्ट 1.1)*** के 26 चयनित निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों (टी.आई.ए) की 331 निविदाओं को कवर करते हुए, दस्तावेजों की संवीक्षा और संबंधित कंप्यूटर संचालन के साथ आयोजित की गई थी। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के डेटा प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र (सी.डी.एम.ए.) द्वारा तैयार की गई विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर 33 निविदाओं का भी चयन किया गया था। लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मानदंडों और दायरे पर जुलाई 2023 में आयोजित एक एंट्री कॉफ्रेंस में हरियाणा सरकार, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ चर्चा की गई। ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के डेटा का विश्लेषण कंप्यूटर एडेड ऑडिट टूल्स जैसे "पोस्टग्रे एस.क्यू.एल., टैब्लो और इंटरैक्टिव डेटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस" (आईडिया) का उपयोग करके किया गया था। फील्ड लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप प्रारंभिक टिप्पणियां निदेशालय, आपूर्ति एवं निपटान और निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों को जारी की गई थी, और उनके उत्तर, जहां भी प्राप्त हुए, उन्हें प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया। जून 2025 में आयोजित एक एग्जिट कांफ्रेंस में निदेशालय, आपूर्ति एवं निपटान, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और संबंधित विभागों के साथ लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर चर्चा भी की गई थी।

1.5 लेखापरीक्षा के मानदंड

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के संचालन हेतु उपयोग किए गए लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित थे:

- पंजाब वित्तीय नियम (जैसा कि हरियाणा राज्य में लागू हैं) और 30 जून 2015 तक संशोधित;
- आपूर्ति और निपटान निदेशालय का मैनुअल, स्टोर की खरीद पर दिशानिर्देश/निर्देश;
- हरियाणा लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) कोड;
- नियम, दिशानिर्देश, निर्देश और नीतियां अर्थात, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, राष्ट्रीय ई-शासन नीतियां और मानक, आई.एस.ओ. **27001**, आदि।

1.6 आभारोक्ति

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा संचालन के दौरान राज्य सरकार, आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और चयनित निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों द्वारा दिए गए समग्र सहयोग को स्वीकार करती है।

लेखापरीक्षा उपलब्धियां

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को सात भागों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात परियोजना प्रबंधन; निविदा प्रक्रिया और नियंत्रण; दोषपूर्ण बोली; डेटा गुणवत्ता और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) रिपोर्टिंग विश्वसनीयता; वित्तीय नियमों से संबंधित अनुपालन के संबंध में कमियां; सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन और अनुवर्ती अनुच्छेदों में विस्तृत पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई:

1.7. परियोजना प्रबंधन

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ करार को निष्पादित न करने, परियोजना निगरानी इकाई (पी.एम.यू.) के अप्रभावी कामकाज, महत्वपूर्ण कार्यों/मॉड्यूल की अनुपस्थिति, अपर्याप्त निगरानी और उपयोगकर्ताओं के अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण प्रणाली का कार्यान्वयन दोषपूर्ण था, क्योंकि कुछ गतिविधियां या तो नहीं की गई या ऑफलाइन की गई, जिससे ई-प्रोक्योरमेंट के उद्देश्य विफल हो गए।

जोखिमों को कम करने, त्रुटियों और अनियमितताओं को रोकने, संगठनात्मक नीतियों के अनुपालन को बढ़ावा देने, निधियों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक मजबूत शासन ढांचा अनिवार्य है। यह खंड ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के लिए स्थापित शासन ढांचे और निरीक्षण तंत्रों की जांच करता है।

1.7.1 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ करार का निष्पादन न करना

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र वर्ष 2009 से हरियाणा सरकार को सेवाएं प्रदान कर रहा था और राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोर्टल को अनुकूलित करने का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का था। हरियाणा सरकार ने प्रणाली के उपयोग हेतु वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को ₹ 5.09 करोड़ का भुगतान किया, परंतु हरियाणा सरकार और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के बीच कोई औपचारिक करार निष्पादित नहीं किया गया था।

आगे, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि हरियाणा सरकार द्वारा राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप पोर्टल के अनुकूलन के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से कई अनुरोध किए गए थे, लेकिन कुछ प्रमुख अनुकूलन अनुरोधों को लागू नहीं किया गया, जिनका विवरण ***तालिका 1.2*** में उनके प्रभाव के साथ दिया गया है।

तालिका 1.2: प्रमुख अनुकूलन जो लागू नहीं किए गए और उनके प्रभाव

क्र. सं.	संबंधित अनुकूलन	अनुरोध की तिथि	प्रभाव
1.	बोलीदाताओं की निविदा दस्तावेज फीस और सेवा फीस को रिफंड न करना	जनवरी एवं जून 2020	त्रुटिपूर्ण रिफंड ₹ 19.71 करोड़ (अनुच्छेद 7.5.1 देखें)
2.	ई-प्रोक्योरमेंट एप्लिकेशन को क्रॉस ब्राउजर संगत बनाया जाए	मई 2021	उपयोगकर्ताओं द्वारा पोर्टल के एक्सेस में आने वाली कठिनाइयां, जिससे अपर्याप्त प्रतिस्पर्धा का जोखिम बना रहता है।
3.	उपयोगकर्ताओं की जानकारी हेतु सूचना अपलोड करने के लिए पोर्टल पर एक पैनल	मई 2021	उपयोगकर्ताओं तक सूचनाएं/अधिसूचनाएं प्रसारित नहीं की जा सकी
4.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदनों में पिछले पोर्टल (haryanaeprocurement.gov.in) की विभिन्न कमियों को रेखांकित किया गया था	मई 2021	ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल में बोली प्रचार अवधि से संबंधित नियंत्रणों का अभाव, अंतिम समय में शुद्धिपत्र जारी करना, शिकायत निवारण समय, और मिसिंग लॉग जैसी कमियां अभी भी बनी हुई हैं, जैसा कि इस प्रतिवेदन के अनुच्छेद 1.8.2.4, 1.8.2.7, 1.8.4.7, 1.12.8 और 1.12.9 में चर्चा की गई है। 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (2019 की प्रतिवेदन संख्या 3) में प्रकाशित ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा के लिए लोक लेखा समिति को अपना उत्तर प्रस्तुत करते समय विभाग ने इन कमियों को सुधारने पर सहमति व्यक्त की थी। हालांकि, प्रणाली में इन कमियों का बना रहना प्रबंधन की निष्क्रियता को दर्शाता है।

चूंकि कोई औपचारिक करार नहीं किया गया था, इसलिए हरियाणा सरकार ₹ 5.09 करोड़ का व्यय करने के बावजूद इन अनुकूलनों के कार्यान्वयन को लागू नहीं करा सकी। इसके अतिरिक्त, यदि करार होता तो उपर्युक्त वर्णित प्रभावों को रोका जा सकता था।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने एग्जिट मीटिंग में इस अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया था (जून 2025)।

1.7.2 परियोजना निगरानी इकाई की कार्यप्रणाली में कमियां

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने (मार्च 2019) में आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र पोर्टल की सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली के लिए परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें परियोजना के संचालन और सभी मामलों के समाधान हेतु एक परियोजना निगरानी इकाई के गठन का प्रावधान था। इस परियोजना निगरानी इकाई में अधिकारियों का मार्गदर्शन करने के लिए चार से छः सदस्य होने थे, जिनका उत्तरदायित्व विभाग के साथ निष्पादन रिपोर्ट, विफलता रिपोर्ट और अपवाद रिपोर्ट साझा करना तथा मानक सेवा प्रक्रियाओं/शर्तों से किसी भी विचलन की निगरानी करना शामिल था। इसके साथ ही, तकनीकी सहायता हेतु दृश्य-श्रव्य उपकरण प्रदान करने, फोन या ईमेल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को सहायता देने और उपयोगकर्ताओं द्वारा उठाए गए मामलों का रिकॉर्ड रखने व उनकी मासिक स्थिति रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक हेल्पडेस्क स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई थी।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने परियोजना निगरानी इकाई की संरचना निर्धारित करने और कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक चयन समिति का गठन (जून 2020) किया था, लेकिन इस संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। परिणामस्वरूप, परियोजना निगरानी इकाई और हेल्पडेस्क विंग राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की सिफारिशों पर भर्ती किए गए केवल एक कर्मचारी के भरोसे कार्य कर रहे थे। पोर्टल पर कुल 2,038 निविदा आमंत्रण प्राधिकरण और 74,551 उपयोगकर्ता पंजीकृत थे, जिनका प्रबंधन मात्र एक कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था। कर्मचारियों की भारी कमी के कारण, परियोजना निगरानी इकाई और हेल्पडेस्क प्रणाली के निष्पादन की निगरानी करने, विफलता रिपोर्ट व अपवाद रिपोर्ट को ट्रैक करने, दृश्य-श्रव्य उपकरण प्रदान करने और विभागों द्वारा सूचित किए गए मामलों से संबंधित रिकॉर्ड रखने के अपने निर्धारित कार्यों को पूरा करने में असमर्थ थे। उपयोगकर्ताओं द्वारा रिपोर्ट किए गए मामलों से संबंधित रिकॉर्ड के आभाव में, लेखापरीक्षा इन मामलों की प्रकृति और स्थिति का आकलन करने या इनके समाधान की समयबद्धता को मापने में असमर्थ थी।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने इस अभ्युक्ति को स्वीकार किया (जून 2025) और बताया कि चिह्नित कमियों को दूर करने के लिए वह परियोजना निगरानी इकाई का विस्तार करेगा।

1.7.3 पोर्टल के कार्यान्वयन की निगरानी का न होना

यद्यपि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र पोर्टल की सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली के माध्यम से ई-प्रोक्योरमेंट को राज्य की सभी खरीद इकाइयों के लिए लागू (फरवरी 2014) कर दिया गया था और इसके लिए ₹ एक लाख की सीमा निर्धारित (जून 2016) की गई थी, फिर भी आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय या निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों के पास पोर्टल को अपनाए जाने की वास्तविक स्थिति और इसके गैर-अनुपालन के मामलों को ट्रैक करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध नहीं था।

ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली के कार्यान्वयन की सीमा का पता लगाने के लिए, लेखापरीक्षा ने उन खरीद इकाइयों और उपयोगकर्ता विभागों का विवरण मांगा था, जिन्हें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र पोर्टल की सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली पर स्थानांतरित होना अनिवार्य था। हालांकि, नोडल विभाग द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान नहीं की गई। ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के अनुसार, 2,038 पंजीकृत निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों में से 907 ने वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान कोई भी निविदा प्रकाशित नहीं की थी। चयनित निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों में प्रत्येक चयनित वर्ष के मार्च महीने के रिकॉर्ड की नमूना जांच से पता चला कि पांच[2] निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों द्वारा ₹ 2.29 करोड़ की खरीदारी पोर्टल का उपयोग किए बिना की गई थी। यह दर्शाता है कि निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों द्वारा ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल का कड़ाई से उपयोग नहीं किया जा रहा था।

निविदा आमंत्रण प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) प्रांतीय मंडल, रेवाड़ी ने उल्लेख किया (जुलाई 2025) कि कार्यों को प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार कोटेशन के माध्यम से निष्पादित किया गया था। हालांकि, निविदा प्रक्रिया के लिए पोर्टल का उपयोग न करने के मामले पर कोई टिप्पणी नहीं दी गई।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने इस अभ्युक्ति को स्वीकार किया (जून 2025) और बताया कि वह संगठनों/इकाइयों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र पोर्टल की सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली पर स्थानांतरित करने के लिए मई 2019 में जारी किए गए निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।

1.7.4 मॉड्यूल की अनुपलब्धता

डेटा विश्लेषण से यह पता चला है कि मांग-पत्र प्रबंधन, कैटलॉग प्रबंधन और अनुबंध प्रबंधन मॉड्यूल पोर्टल का हिस्सा नहीं थे। इसके कारण, मांग-पत्र प्रबंधन और अनुबंध प्रबंधन मॉड्यूल से संबंधित गतिविधियां ऑफलाइन माध्यम से की गई और कैटलॉग प्रबंधन मॉड्यूल से संबंधित गतिविधियां निष्पादित ही नहीं की गई।

ये कमियां खरीद जांच को कमजोर करती हैं, निर्णय लेने में बाधा डालती हैं, पारदर्शिता और दक्षता को कम करती हैं और समग्र प्रणाली के निष्पादन को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा, प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति/कार्य आदेश जारी करने की कार्यक्षमता न होने के कारण, बयाना जमा राशि (ई.एम.डी.) या तो पूल खाते में पड़ी रही या लंबे समय के बाद वापस की गई, जैसा कि *अनुच्छेद 1.11.4* में चर्चा की गई है। ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली में इन मॉड्यूल को शामिल करने का उल्लेख 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों (गैर-पीएसयू) पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (2019 की प्रतिवेदन संख्या 3 - अनुच्छेद संख्या 3.9.8) में भी किया गया था; हालांकि, छः वर्ष बीत जाने के उपरांत भी वर्तमान प्रणाली में इसे सुनिश्चित नहीं किया गया है।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने इस अभ्युक्ति को स्वीकार किया (जून 2025) और बताया कि इस मामले को उच्च स्तर के साथ-साथ राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अधिकारियों के समक्ष भी उठाया जाएगा।

---

2 हरियाणा पुलिस आवास निगम, पंचकुला: ₹ 58.04 लाख, नगर निगम, करनाल: ₹ 90.48 लाख, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) प्रांतीय मंडल, रेवाड़ी: ₹ 2.2 लाख, अधीक्षण अभियंता संचालन, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, करनाल: ₹ 14.89 लाख, मुख्य अभियंता, एम.एम, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, पंचकुला: ₹ 63.36 लाख।

1.7.5 गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस का अपर्याप्त कार्यान्वयन

हरियाणा सरकार ने राज्य के लिए 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' (जी.ई.एम.) को अपनाया (जुलाई 2017) और सभी खरीद इकाइयों को निर्देश दिया (अप्रैल 2019) कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी मौजूदा विक्रेता/आपूर्तिकर्ता गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पर पंजीकृत हों। इसके अतिरिक्त, ₹ एक करोड़ तक के परिव्यय वाली उन वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, जो गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पर उपलब्ध हैं, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस के माध्यम से ही की जानी थी।

लेखापरीक्षा में राज्य में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस के उपयोग हेतु जारी निर्देशों के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियां पाई गई:

- बिना किसी कारण दर्ज किए ₹ 5.28 करोड़[3] की खरीद गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पोर्टल के बजाय ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से की गई। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र पोर्टल की सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली ऐसी खरीद के कारणों को दर्ज नहीं करती है।
- केवल चार विभागों/एजेंसियों ने गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पर वस्तुओं/स्टोर/सेवाओं की आपूर्ति करने वाले मौजूदा विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं का पंजीकरण सुनिश्चित किया। हालांकि, इन संस्थाओं के अंतर्गत आने वाले 453 विक्रेता/आपूर्तिकर्ता अभी भी अपंजीकृत हैं।
- चार राज्य एजेंसियों[4] ने उन वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बाजार कोटेशन के माध्यम से की, जिन्हें गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस के माध्यम से खरीदा जाना था। हालांकि, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस की अनदेखी करने के लिए फाइलों पर कोई कारण दर्ज नहीं किए गए। इसके अतिरिक्त, राज्य के पास निर्धारित प्रणालियों (etenders.hry.nic.in या गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) के बाहर की गई खरीद का विवरण रखने के लिए कोई केंद्रीकृत तंत्र उपलब्ध नहीं है।
- वर्ष 2021-22 से गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पोर्टल पर वार्षिक खरीद योजना को प्रदर्शित नहीं किया गया है।
- आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने राज्य में सबसे अधिक बिकने वाली 10[5] वस्तुओं की पहचान की थी, जिनकी 50 प्रतिशत खरीद गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस के माध्यम से की जानी थी, भले ही खरीद का परिव्यय ₹ एक करोड़ की निर्धारित सीमा से अधिक क्यों न हो। इस सूची की समय-समय पर समीक्षा की जानी थी। हालांकि, नोडल विभाग होने के नाते आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने न तो इस सूची की समीक्षा की और न ही इसके अनुपालन की निगरानी के लिए कोई तंत्र विकसित किया।

---

3 (i) हरियाणा पुलिस आवास निगम: 11 निविदाएं, ₹ 3.74 करोड़, (ii) विद्युत मंडल, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला: 3 निविदाएं, ₹ 13 लाख और (iii) नगर निगम, करनाल: 27 निविदाएं, ₹ 1.41 करोड़।

4 (i) हरियाणा पुलिस आवास निगम: ₹ 58.04 लाख, (ii) नगर निगम, करनाल: ₹ 90.48 लाख, (iii) अधीक्षण अभियंता संचालन, करनाल: ₹ 14.89 लाख, (iv) लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) मंडल, रेवाड़ी: ₹ 2.2 लाख।

5 एच.डी.पी.ई./पी.पी. बैग, उपयोगिता वाहन, कार, बस, ट्रैक्टर, एम्बुलेंस, डेस्कटॉप/कंप्यूटर/पी.सी./लैपटॉप, बहु-कार्यात्मक मशीनें, कार्यालय फर्नीचर, एयर कंडीशनर/पेयजल कूलर।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने उल्लेख किया (मई 2025) कि मई 2023 से सर्वाधिक बिकने वाली 10 वस्तुओं की ₹ पांच करोड़ तक की खरीद पूरी तरह से गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस के माध्यम से की जा सकती है। हालांकि, आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने सर्वाधिक बिकने वाली 10 वस्तुओं की समय-समय पर समीक्षा न किए जाने के मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं दी।

1.7.6 अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण पोर्टल का अक्षम उपयोग

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र पोर्टल की सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली पर सुचारू स्थानांतरण सुनिश्चित करने के लिए, हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रारंभिक दो से चार चरणों के संचालन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी (मई 2019), साथ ही विभागीय उपयोगकर्ताओं और बोलीदाताओं को आगे का प्रशिक्षण प्रदान करने का उत्तरदायित्व आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय को सौंपा गया था।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि मई 2023 तक पोर्टल पर 74,551 उपयोगकर्ता[6] थे, लेकिन जून 2019 तक केवल 463 (0.62 प्रतिशत) विभागीय उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। उसके बाद किसी भी प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की गई थी। प्रशिक्षण के अभाव के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसे कि निविदा की अपूर्ण स्थिति, बयाना राशि/फीस का समायोजन न होना, निविदाओं के पुनः आमंत्रण का लिंक न होना आदि, जिन्हें इस लेखापरीक्षा में रेखांकित किया गया है। विभागीय उपयोगकर्ताओं के प्रभावी प्रशिक्षण से संभावित बोलीदाताओं को बोली प्रस्तुत करने में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान में सहायता मिल सकती थी और इससे बोलीदाताओं की भागीदारी बढ़ने में प्रोत्साहन मिलता।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने बताया (मई 2025 एवं जून 2025) कि उसने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से विभागीय उपयोगकर्ताओं को समय-समय पर प्रशिक्षण प्रदान करने का अनुरोध किया था और यह आश्वासन दिया कि पहचानी गई कमियों को दूर करने के लिए वह परियोजना निगरानी इकाई का विस्तार करेगा।

1.7.7 परिवर्तन प्रबंधन, व्यवसाय निरंतरता और आपदा वसूली से संबंधित दस्तावेजों का अभाव

प्रणाली में परिवर्तनों को नियंत्रित और सुरक्षित तरीके से सुनिश्चित करने के लिए परिवर्तन प्रबंधन नीति, व्यावसायिक निरंतरता योजना और आपदा प्रबंधन योजना अनिवार्य थे। हालांकि, नोडल विभाग द्वारा उपर्युक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा इस बात की पुष्टि नहीं कर सकी कि क्या परिवर्तन उचित रूप से अधिकृत, जांचे और कार्यान्वित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, प्रणाली परिवर्तनों की पर्याप्तता और परिचालन निरंतरता की तैयारी के संबंध में भी आश्वासन प्राप्त नहीं किया जा सका।

एग्जिट मीटिंग में आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने आश्वासन दिया (जून 2025) कि लेखापरीक्षा को दस्तावेज/अभिलेख उपलब्ध करा दिए जाएंगे। हालांकि ये दस्तावेज प्रतीक्षित थे (दिसंबर 2025)।

---

[6] 6,424 विभागीय उपयोगकर्ता और 68,127 बोलीदाता।

1.8 निविदा प्रक्रिया और नियंत्रण

निविदा प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण पाई गई क्योंकि बोली का अपर्याप्त प्रचार-प्रसार, बोली प्रस्तुत करने के लिए अपर्याप्त समय देना, निविदा-सह-नीलामी कार्यक्षमता का उपयोग न करना, पुन: आमंत्रित और मूल निविदाओं के बीच संबंध का अभाव तथा निविदा प्रक्रिया के लिए डुप्लिकेट उपयोगकर्ताओं के नामांकन जैसे मामले पाए गए। इसके अतिरिक्त, प्रणाली डिजाइन कमजोर था क्योंकि समय विस्तार, बोली खुली रखने की अवधि, शिकायत निवारण के लिए दिया गया समय, शुद्धिपत्र जारी करने आदि से संबंधित व्यावसायिक नियमों को मैप नहीं किया गया था। प्रणाली में अनियमित प्रथाओं को रोकने के लिए नियंत्रणों की भी कमी थी, जैसे कम अवधि के लिए निविदाओं का विस्तार, विभिन्न तिथियों पर बोलियों को डिक्रिप्ट करना और बोलियों का क्रम से हटकर खोला जाना।

1.8.1 उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण

उपयोगकर्ता पंजीकरण मॉड्यूल प्रणाली में सभी हितधारकों के लिए पहला कदम है और निविदा गतिविधियों में भाग लेने वाले उपयोगकर्ताओं की प्रामाणिकता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेखापरीक्षा संवीक्षा में, उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण के संबंध में निम्नलिखित अभ्युक्तियां/कमियां उजागर हुई।

क) उपयोगकर्ता विवरण को कैप्चर न किया जाना

डेटाबेस के विश्लेषण से पता चला कि मई 2023 तक पोर्टल पर 68,127 बोलीदाता और 6,424 विभागीय उपयोगकर्ता पंजीकृत थे, लेकिन अनिवार्य फील्ड्स जैसे कि 7,604 बोलीदाताओं के लिए कंपनी पंजीकरण संख्या, 683 उपयोगकर्ताओं के लिए कंपनी का नाम, 7,662 उपयोगकर्ताओं के लिए राज्य का नाम, 7,604 उपयोगकर्ताओं के लिए पोस्टल कोड और 57 उपयोगकर्ताओं के लिए पैन नंबर पोर्टल पर कैप्चर नहीं किए गए थे। अतः, इन मामलों में अनिवार्य फील्ड्स की जानकारी अनुपलब्ध थी।

ख) एक समान क्रेडेंशियल्स के साथ उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 9,425 मोबाइल नंबरों पर एक से अधिक उपयोगकर्ता (23,711) पंजीकृत थे, जबकि 4,764 ई-मेल पतों पर एक से अधिक उपयोगकर्ता (12,649) पंजीकृत पाए गए। यह भी पाया गया कि 3,138 मोबाइल नंबरों और ई-मेल आई.डी. पर भी एक से अधिक उपयोगकर्ता (7,162) पंजीकृत थे। इसके अतिरिक्त, नौ उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण 10 अंकों से कम मोबाइल नंबरों के साथ किया गया था और 561 उपयोगकर्ता अवैध मोबाइल नंबरों[7] के साथ पंजीकृत थे, जो डेटा सत्यापन में विसंगतियों को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, समान नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आई.डी. वाले 37 डुप्लिकेट विभागीय उपयोगकर्ता पाए गए, इनमें से 23 डुप्लिकेट विभागीय उपयोगकर्ता एक ही इकाई में सृजित किए गए थे, जबकि शेष 14 अलग-अलग इकाइयों में सृजित किए गए थे। इस विसंगति के कारण एक ही उपयोगकर्ता द्वारा दो अलग-अलग आई.डी. के माध्यम से 529 निविदाओं को खोलना संभव हो पाया, जैसा कि *अनुच्छेद 1.8.3.1* में रेखांकित किया गया है।

[7] सभी अंक एक समान थे या अंक बढ़ते क्रम में थे।

ग) एक ही पैन/गलत पैन के साथ उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण

डेटा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 235 उपयोगकर्ताओं ने गलत पैन भरा था, जबकि यह एक अनिवार्य फील्ड थी। इसके अतिरिक्त, 9,512 पैन पर कई उपयोगकर्ता (24,520) पंजीकृत पाए गए जो पहचान के दोहराव को दर्शाता है, तथा एक ही पैन नंबर (AESTG2458A) का उपयोग 577 उपयोगकर्ताओं के लिए किया गया था। दूसरी ओर, 29 उपयोगकर्ताओं को कई पैन के साथ पंजीकृत किया गया था। इन मामलों में, प्रणाली द्वारा इन उपयोगकर्ताओं को आवंटित यूजर आई.डी. तो समान थी, लेकिन उनके पैन अलग-अलग थे।

घ) एक ही वस्तु एवं सेवा कर संख्या (जी.एस.टी.एन.) के साथ उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण

पंजीकृत 68,127 बोलीदाताओं में से केवल 12,575 के लिए ही वस्तु एवं सेवा कर संख्या उपलब्ध थी, जिसके परिणामस्वरूप 55,552 बोलीदाताओं (81.54 प्रतिशत) के वस्तु एवं सेवा कर संख्या का अभाव पाया गया। इसके अतिरिक्त, 494 वस्तु एवं सेवा कर संख्या पर एक से अधिक बोलीदाता (1,043) पंजीकृत थे, जो पहचान के दोहराव को दर्शाता है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने उत्तर दिया (दिसंबर 2024) कि लेखापरीक्षा की सिफारिश के आधार पर, नए पंजीकरण के लिए पैन में पैटर्न सत्यापन लागू कर दिया गया है और जीएसटीएन के साथ पैन/जीएसटीएन एकीकरण की ऑनलाइन जांच का कार्य प्रगति पर था। एकीकरण पूरा होने के बाद पुराने रिकॉर्ड भी सत्यापित किए जाएंगे। इसका परिणाम प्रतीक्षित था (दिसंबर 2025)।

इस प्रकार, उपर्युक्त मामलों के संबंध में प्रणाली में सत्यापन का अभाव था जिसे लागू किया जाना अपेक्षित है। नियंत्रणों की कमी के कारण, एक ही निविदा में एक ही उपयोगकर्ता द्वारा दी गई कई बोलियों को प्रतिबंधित नहीं किया जा सका, साथ ही एक ही मोबाइल नंबर/ईमेल के साथ पंजीकृत अन्य अनपेक्षित उपयोगकर्ताओं के साथ अलर्ट संदेश साझा होने का जोखिम बना रहा।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने आगे बताया (दिसंबर 2024) कि एक ही मोबाइल नंबर या ईमेल के साथ कई लॉगिन खाते बनाना एक व्यावसायिक आवश्यकता थी। उपयोगकर्ता एक ही कंपनी के विभिन्न स्थानों से हो सकते हैं या अलग-अलग विभागों से हो सकते हैं जो विभिन्न निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों की निविदाओं में भाग ले रहे हों।

हालांकि, यह देखा गया कि प्रणाली अलग-अलग कंपनियों के उपयोगकर्ताओं के लिए भी समान विवरण (मोबाइल नंबर, ई-मेल आई.डी., पैन, जीएसटीएन) के साथ कई उपयोगकर्ता सृजित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है। इसके अतिरिक्त, अवैध मोबाइल नंबरों/पैन को कैप्चर करने के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने इस अभ्युक्ति को स्वीकार किया और बताया (मई 2025) कि उसने अनिवार्य फील्ड्स पर आवश्यक सत्यापन लागू करने और उचित कार्रवाई करने हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से अनुरोध किया था। इस संबंध में अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित (दिसंबर 2025) थी।

1.8.2 निविदाओं का आमंत्रण

1.8.2.1 'निविदा-सह-नीलामी' कार्यक्षमता का उपयोग न किया जाना

निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों से पोर्टल पर निविदा बनाते समय ड्रॉप-डाउन में उपलब्ध 21 विभिन्न विकल्पों में से उपयुक्त 'अनुबंध के प्रपत्र' का चयन करना अपेक्षित था। निविदा-सह-नीलामी और 'निविदा और नीलामी' दोनों का एक संयोजन था जिसका उपयोग नीलामी प्रणाली के माध्यम से मूल्य निर्धारण के लिए किया जाना था।

डेटा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि दुकानों/विज्ञापनों के अधिकारों की नीलामी और स्टॉक तथा स्टोर के निपटान हेतु 377 निविदाओं में, निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों ने 'निविदा-सह-नीलामी' के स्थान पर केवल 'नीलामी' विकल्प का चयन किया। चार निविदाओं[8] की नमूना जांच के दौरान भी इसकी पुष्टि हुई। यद्यपि दरों के अधिकतमीकरण के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों द्वारा 'रियल टाइम बिडिंग' के तहत मदों की नीलामी का विकल्प चुना जाना अपेक्षित था, फिर भी निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों ने निश्चित मूल्य का विकल्प चुना और इसे एच1 बोलीदाता को बेच दिया, जिससे उप-इष्टतम मूल्य प्राप्ति का जोखिम था।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने एग्जिट मीटिंग (जून 2025) के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और बताया कि संबंधित निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए।

1.8.2.2 पुनः आमंत्रित निविदाओं का मूल निविदाओं के साथ लिंक न होना

प्रणाली में उन सभी निविदाओं का लिंक रखने की कार्यक्षमता विद्यमान है जिन्हें उनके अंतिम पूर्ववर्ती निविदाओं के साथ पुनः आमंत्रित किया जाता है, ताकि मूल निविदा के साथ पुनः आमंत्रित निविदाओं का एक ट्रेल उपलब्ध रहे। इस प्रकार, प्रणाली पुनः आमंत्रित निविदा को अगली अनुक्रमिक संख्या आवंटित करके मूल निविदा और पुनः निविदा के बीच एक लिंक बनाए रखती है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी निगम (एच.बी.सी.) द्वारा वर्ष 2022 में क्रम संख्या 211548 के साथ एक निविदा निकाली गई और इसे 'तीसरी बार' प्रकाशित किया गया, तो इसकी निविदा आई.डी. 2022_ एच.बी.सी.211548_3 होगी।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 14,750 निविदाएं पुनः आमंत्रित की गई, लेकिन उन्हें नई निविदा के रूप में निकाला गया क्योंकि निविदा आमंत्रण प्राधिकरण पोर्टल पर पुनः आमंत्रित निविदा को उसकी पिछली निविदा के साथ लिंक करने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप, डेटाबेस में ऐसी पुनः आमंत्रित / पुनः निविदाओं के लिंक के संबंध में कोई 'ऑडिट ट्रेल' विद्यमान नहीं था, जिससे निविदा इतिहास को ट्रैक करना कठिन हो गया। इसके अतिरिक्त, पुनः निविदा के स्थान पर नई निविदा प्रकाशित करने में अधिक समय लग रहा था क्योंकि इसमें निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों द्वारा निविदा के सभी विवरणों की पुनः प्रविष्टि करनी पड़ती थी, जबकि पुनः निविदा में केवल सीमित विवरण ही भरने/संलग्न करने होते थे।

26 निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों के रिकॉर्ड की नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 16 निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों द्वारा 61 नमूना जांच की गई निविदाओं को पुनः आमंत्रित

---

[8] (i) 2018_HRY_72907_1, (ii) 2021_HRY_161187_1, (iii) 2022_HBC_209308_1, (iv) 2022_HBC_243291_1

किया गया था, लेकिन पुन: निविदा को पिछली निविदा से लिंक करने की प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया। पांच निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों[9] ने भविष्य में अनुपालन के लिए इस अभ्युक्ति को नोट किया। लोक निर्माण विभाग प्रांतीय मंडल-1, सिरसा का यह उत्तर कि बोली प्रस्तुत करने का समय समाप्त होने के बाद पुन: निविदा नहीं की जा सकती और लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडकें) प्रांतीय मंडल, रेवाड़ी (जुलाई 2025) का यह उत्तर कि निविदाओं को पुनः आमंत्रित के लिए उचित प्रक्रिया अपनाई गई थी, लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं थे। शेष नौ निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों[10] ने कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की। प्रारंभिक निविदा के साथ पुन: निविदा को लिंक न करने का उदाहरणात्मक मामला, जैसा कि लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया है, नीचे चर्चा की गई है:

- नगर निगम, गुरुग्राम ने ट्यूबवेलों और बूस्टिंग स्टेशनों के रखरखाव हेतु एक एजेंसी को ₹ 123.24 लाख के तीन टेंडर[11] आवंटित किए (मई 2020), जबकि इनकी अनुमानित लागत ₹ 54.37 लाख थी, जो कि अनुमानित मूल्य से 119 से 134 प्रतिशत अधिक थी। डेटा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि इन निविदाओं को (अप्रैल 2020) में पुनः आमंत्रित किया गया था, क्योंकि (मार्च 2020) में निविदा आमंत्रण प्राधिकरण द्वारा पिछली निविदाओं[12] को अस्वीकृत कर दिया गया था। यह अस्वीकृति तब की गई जब प्राप्त दरें ₹ 34.47 लाख थी, जो ₹ 54.37 लाख की अनुमानित लागत से 31 से 42 प्रतिशत कम थी। इसके परिणामस्वरूप, पुनः निविदा के दौरान ₹ 88.77 लाख (₹ 123.24 लाख में से ₹ 34.47 लाख घटाकर) अधिक मूल्य पर निविदा स्वीकार की गई। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि आगामी वर्षों में, इसी प्रकार के कार्य विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना (डी.एन.आई.टी.) राशि से 26 प्रतिशत से 50 प्रतिशत कम दर पर आवंटित किए गए (अप्रैल-जुलाई 2022) थे, जो यह दर्शाता है कि पुन: आमंत्रित निविदाओं को आपस में लिंक करने से सक्षम प्राधिकारी को महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती थी। अप्रैल 2020 में की गई पुन: निविदा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनुचित प्रक्रिया अपनाए जाने की संभावना को समाप्त करने के लिए, उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा इसकी जांच किया जाना अपेक्षित है।

मूल निविदाओं के साथ पुनः आमंत्रित निविदाओं के लिंकेज के अभाव में पूर्व प्रयासों में प्राप्त निम्नतम बोलियों की अनदेखी हुई और निविदाओं को उच्च दरों पर स्वीकार कर लिया गया। जवाबदेही और लागत-प्रभावशीलता में सुधार के लिए पुनः आमंत्रित निविदाओं का अनिवार्य लिंकेज सुनिश्चित करने हेतु एक सुदृढ़ तंत्र अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, पुनः आमंत्रित

---

9 1. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, मंडी डबवाली, सिरसा; 2. महाप्रबंधक, हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड, कुरुक्षेत्र; 3. जीडब्ल्यूआई जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, रेवाड़ी; 4. कुलपति, पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक; और 5. हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड।

10 1. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान, हरियाणा, पंचकुला; 2. नगर निगम, गुरुग्राम; 3. नगर निगम, करनाल; 4. नगर परिषद, चरखी दादरी; 5. कार्यकारी अभियंता, मंडल-V, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरुग्राम; 6. कार्यकारी अभियंता, विद्युत मंडल, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला; 7. कार्यकारी अभियंता, मंडल-I, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, फरीदाबाद; 8. कार्यकारी अभियंता, मंडल-III, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, फरीदाबाद; और 9. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल संख्या 1, अंबाला।

11 2020_HRY_125821_1, 2020_HRY_125822_1 एवं 2020_HRY_125823_1

12 2020_HRY_123500_1, 2020_HRY_122943_1 एवं 2020_HRY_123525_1

निविदाओं का अनिवार्य लिंकेज सुनिश्चित करने से निर्णय लेने के उद्देश्य हेतु एक सटीक प्रबंधन सूचना प्रणाली भी सुनिश्चित होगी।

1.8.2.3 कुछ महत्वपूर्ण तिथि फील्ड्स हेतु इनपुट नियंत्रणों का अभाव

निविदा सृजन प्रक्रिया के दौरान प्रणाली में दस्तावेज बिक्री प्रारंभ तिथि, स्पष्टीकरण समाप्ति तिथि, बोली-पूर्व बैठक तिथि, निविदा प्रकाशन तिथि, बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा और बोली खोलने की तिथि सहित कई तिथियों की प्रविष्टि अपेक्षित होती है। ये तिथियां निविदा समयचक्र में विभिन्न गतिविधियों और महत्वपूर्ण चरणों के लिए निर्णायक मानक के रूप में कार्य करती हैं। हालांकि, डेटा विश्लेषण से पता चला है कि इनपुट नियंत्रण के अभाव के कारण तिथि फील्ड्स में छः[13] अलग-अलग प्रकार की विसंगतियां पाई गई। इसके परिणामस्वरूप, कार्यों का निष्पादन निर्धारित क्रम के विपरीत किया गया, जिससे संभावित रूप से निविदा प्रक्रिया बाधित हुई और खरीद प्रक्रिया की निष्पक्षता तथा पारदर्शिता प्रभावित हुई। अतः पर्याप्त इनपुट नियंत्रण की कमी से एक व्यवस्थित निविदा प्रबंधन प्रक्रिया सुनिश्चित करने की प्रणाली की क्षमता से समझौता हुआ।

1.8.2.4 बोली प्रस्तुत करने हेतु अपर्याप्त समय

डेटा डंप के अनुसार, राज्य ने वर्ष 2018-23 के दौरान कुल 2.18 लाख निर्माण कार्य से संबंधित, 15,726 वस्तुओं और 12,930 सेवाओं से संबंधित निविदाएं प्रकाशित की थी। डेटा विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय[14] मैनुअल के नियम 6.5(ii) और लोक निर्माण विभाग के निर्देशों[15] के अनुसार, बोली प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का बड़ी संख्या में मामलों में अनुपालन नहीं किया गया था:

- **वस्तु निविदाएं:** कुल 15,726 निविदाओं में से 13,334 (84.79 प्रतिशत) मामलों में 30 दिनों का निर्धारित समय नहीं दिया गया था।

- **निर्माण कार्य निविदाएं:** कुल 2.18 लाख निविदाओं में से 1.28 लाख (58.83 प्रतिशत) मामलों में सात[16] से 14[17] दिनों का निर्धारित समय नहीं दिया गया था। तीन निविदाओं में, जिनका कुल मूल्य ₹ 81.56 लाख था, उनको प्रदान किया गया समय मात्र 20-25 मिनट से कम था, और इसी अवधि के दौरान सभी बोलियां एक ही आई.पी. एड्रेस से प्रस्तुत की गई थी।

---

13 (i) निविदा दस्तावेज बिक्री प्रारंभ तिथि का स्पष्टीकरण मांगने की प्रारंभ तिथि के बाद– 38 मामले; (ii) दस्तावेज बिक्री प्रारंभ तिथि का स्पष्टीकरण मांगने की अंतिम तिथि के बाद– 3 मामले; (iii) निविदा दस्तावेज बिक्री प्रारंभ तिथि का बोली पूर्व बैठक की तिथि के बाद– 12 मामले; (iv) बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि का बोली खोलने की तिथि के बाद– 6 मामले; (v) बोली खोलने की तिथि का निविदा दस्तावेज बिक्री समाप्ति तिथि से पहले– 6 मामले; (vi) बोली प्रस्तुत करने की तिथि का बोली खोलने की तिथि के बाद– 8 मामले।

14 खुली निविदाओं के लिए न्यूनतम 30 दिन और अल्पकालिक/विशेष निविदाओं के लिए दो सप्ताह की समय-सीमा।

15 ₹ पांच लाख तक के कार्यों के लिए सात दिन और नोटिस के परिचालन हेतु अतिरिक्त दो दिन; तथा ₹ पांच लाख से अधिक के कार्यों के लिए दो सप्ताह और समाचार पत्रों में उपयुक्त विज्ञापन के प्रकाशन हेतु अतिरिक्त सात दिन की समय-सीमा निर्धारित है।

16 ₹ पांच लाख तक के निविदा मूल्य वाली कुल 83,346 निविदाओं में से 29,449 निविदाएं।

17 ₹ पांच लाख से अधिक मूल्य वाली कुल 1,34,312 निविदाओं में से 98,596 निविदाएं।

- **सेवा निविदाएं:** यद्यपि सेवाओं की खरीद से संबंधित निविदाओं के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित नहीं थी, फिर भी कुल 12,930 निविदाओं में से 3,887 (30.06 प्रतिशत) मामलों में सात दिनों से भी कम समय दिया गया था।

चयनित निविदाओं की संवीक्षा से यह भी पता चला कि नौ निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों द्वारा बिना किसी कारण दर्ज किए, ₹ 136.96 करोड़ मूल्य की 57 निविदाओं ***(परिशिष्ट 1.2)*** में बोली प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान नहीं किया गया था।

निर्धारित समय-सीमा के संबंध में प्रणाली में व्यवसायिक नियमों की मैपिंग के अभाव के कारण बोलीदाताओं को अपर्याप्त समय दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धा सीमित हुई और निविदा प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं प्रभावशीलता प्रभावित हुई।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने बताया (मई 2025) कि उसने सभी विभागों को लागू नियमों के अनुसार समय-सीमा प्रदान करने के लिए सामान्य निर्देश जारी (मई 2025) कर दिए थे। हालांकि, उत्तर पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा सकता है कि बोली प्रस्तुत करने से संबंधित नियम पहले से ही प्रभावी/अस्तित्व में थे।

1.8.2.5 नियम निर्धारित किए बिना सीमित निविदाएं आमंत्रित करना

पंजाब वित्तीय नियमावली (पीएफआर) 2015 (जैसा कि हरियाणा पर लागू है) में तत्काल आवश्यकताओं के लिए सीमित निविदा प्रणाली का उपयोग करके स्टोर मदों की खरीद के लिए नियम निर्धारित किए गए थे। इस संबंध में वित्तीय शक्तियां सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जानी थी।

डेटा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि वस्तुओं की कुल 15,726 निविदाओं में से 173 निविदाएं सीमित आधार पर आमंत्रित की गई थी, हालांकि वित्तीय सीमा निर्धारित नहीं थी, जिसके अंतर्गत सीमित माध्यम से माल के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा सकती थी। किसी निर्धारित वित्तीय सीमा के अभाव में, प्रणाली में भी नियम निर्धारित नहीं किए जा सके। इसी प्रकार, किसी भी निर्धारित वित्तीय सीमा की अनदेखी करते हुए निर्माण कार्यों के लिए 61 निविदाएं और सेवाओं के लिए 20 निविदाएं सीमित आधार पर आमंत्रित की गई थी। निविदाओं की नमूना जांच में निम्नलिखित तथ्य सामने आए:

- वस्तुओं के लिए आमंत्रित 152 सीमित निविदाओं में, पांच या पांच से कम आपूर्तिकर्ताओं ने भाग लिया, जो पंजाब वित्तीय नियमावली का उल्लंघन था; क्योंकि उक्त नियमावली के अंतर्गत कम से कम छः बोलीदाताओं से कोटेशन प्राप्त करना अनिवार्य था। इसने प्रणाली में सीमित निविदाओं के लिए मौजूदा प्रावधानों की गैर-मैपिंग का संकेत दिया।

- उपर्युक्त 152 निविदाओं में से 64 मामलों में, पांच या पांच से कम बोलियों के आधार पर अनुबंध आवंटित किए गए।

- 173 निविदाओं के लिए आमंत्रित कुल 2,470 बोलीदाताओं में से केवल 625 ने अपनी बोलियां प्रस्तुत की, जो अत्यंत कम भागीदारी को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों द्वारा आमंत्रित अधिकांश सीमित निविदाएं सामान्य प्रकृति के कार्यों/खरीद के लिए थी, जो उपर्युक्त नियमों के अनुरूप नहीं थी।

आगे, नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि विद्युत मंडल, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा), पंचकुला द्वारा कार्यालय भवन के रखरखाव हेतु ₹ 40.45 लाख मूल्य की एक निविदा, सीमित निविदा के रूप में आमंत्रित की गई थी, जिसमें केवल तीन बोलीदाताओं को आमंत्रित किया गया था। इन तीन आमंत्रित बोलीदाताओं में से केवल दो बोलीदाताओं ने निविदा में भाग लिया। कार्य की तात्कालिकता यदि कोई थी, तो उसे फाइल पर दर्ज नहीं किया गया था।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने बताया (मई 2025) कि राज्य द्वारा सभी खरीद राज्य के नियमों और निर्देशों के अनुसार की गई थी। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि पंजाब वित्तीय नियमावली, 2015 में केवल स्टोर वस्तुओं की खरीद के लिए ही सीमित निविदाओं का प्रावधान था, जबकि निर्माण कार्यों और सामान्य प्रकृति की खरीद के लिए भी सीमित निविदाएं आमंत्रित की गई थी।

1.8.2.6 निविदाएं आमंत्रित करते समय कार्य का विखंडन

राज्य के लोक निर्माण विभाग कोड के पैरा संख्या 13.20.3 में यह निर्धारित है कि निविदाएं आमंत्रित करते समय किसी भी निर्धारित सीमा के अनुपालन से बचने के उद्देश्य से कार्य के विभाजन का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए; ऐसा कोई भी कार्य संबंधित अधिकारी की ओर से वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाएगा।

चयनित इकाइयों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने कार्यों के विभाजन के निम्नलिखित मामलों को देखा:

- मंडलीय वन अधिकारी, नूंह ने एक ही कार्य, अर्थात् अरावली के पुनर्वास के लिए एक ही दिन 11 अलग-अलग निविदाएं प्रकाशित की, जिनमें से प्रत्येक की अनुमानित विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना राशि ₹ 15.1 लाख थी। इन निविदाओं की विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना को मंडलीय वन अधिकारी, नूंह के स्तर पर तकनीकी रूप से अनुमोदित कराया गया था।
- कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज संस्थान (पी.आर.आई.), नूंह ने एक ही दिन समान कार्यों के लिए छः अलग-अलग निविदाएं प्रकाशित की, जिनमें से प्रत्येक मामले में अनुमानित विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना राशि ₹ 9.76 लाख थी।
- नगर निगम, फरीदाबाद ने एक ही दिन समान प्रकृति के कार्य के लिए तीन अलग-अलग निविदाएं प्रकाशित की।
- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, तोशाम ने अपने तीन उपमंडलों के लिए एक ही दिन समान प्रकृति की 31 निविदाएं[18] प्रकाशित की, जिनमें से प्रत्येक की विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना राशि ₹ 10 लाख से कम थी।
- वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान, जिलों में पेड़ों की कटाई का वार्षिक अनुमान हरियाणा वन विकास निगम के पास पहले से ही उपलब्ध था। हरियाणा वन विकास

[18] (i) बवानी खेड़ा: 13 निविदाएं; (ii) कैरू: 10 निविदाएं; (iii) तोशाम: 8 निविदाएं।

निगम ने पहले कुरुक्षेत्र और कैथल के लिए ₹ 80 लाख (अर्थात् मुख्य वन संरक्षक की प्रत्यायोजित शक्तियों की सीमा) की निविदाएं जारी की और कार्य पूरा होने पर, पुनः ₹ 80 लाख की निविदाएं जारी कर दी। तदनुसार, दो वर्षों में कुल चार[19] (कुरुक्षेत्र) और पांच[20] (कैथल) निविदाएं समान कार्यों के लिए दो/तीन भागों में विभाजित करके जारी की गई।

इन निविदाओं को कई अलग-अलग निविदाओं में जारी करने के बजाय एक ही निविदा में समेकित किया जा सकता था। कार्य के विभाजन ने विभाग को निविदा प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्निहित लाभों से वंचित कर दिया, क्योंकि इससे उच्च-मूल्य वाले कार्यों को निष्पादित करने में सक्षम एजेंसियों की भागीदारी हतोत्साहित हुई।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, हरियाणा वन विकास निगम ने बताया (सितंबर 2024) कि भविष्य में समग्र वित्तीय के लिए सक्षम प्राधिकारी से एक बार में ही अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। वर्तमान में ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अनुमान तैयार करने और उनके अनुमोदन की कार्यक्षमता उपलब्ध नहीं है, जिससे कार्यों के विभाजन की पहचान करने और उन्हें रोकने में सहायता मिल सकती थी। हालांकि, निविदा सृजन के समय भरी गई जानकारी, जैसे कि निविदा राशि, प्रकाशन तिथि और कार्य के शीर्षक के आधार पर अलर्ट उत्पन्न करने के लिए पोर्टल में ऐसे मामलों को चिह्नित करने की कार्यक्षमता शामिल की जा सकती है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने बताया (मई 2025) कि यह पोर्टल के बारे में उपयोगकर्ताओं के ज्ञान की कमी के कारण हुआ था। उसने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से उपयोगकर्ताओं के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण आयोजित करने का अनुरोध (मई 2025) किया है।

1.8.2.7 शुद्धिपत्र के पश्चात प्रदान की गई सीमित अवधि और समय-सीमा समाप्त होने के बाद बोली विस्तार

निविदा के लिए बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और बोली खोलने की तिथि तब निर्धारित की जाती है जब निविदा को पोर्टल पर प्रकाशित किया जाता है। प्रकाशन के पश्चात, यदि आवश्यक हो, तो निविदा आमंत्रण प्राधिकरण शुद्धिपत्र अपलोड कर सकते हैं। राज्य सरकार ने (अप्रैल 2019) निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों को निर्देश दिए थे कि वे शुद्धिपत्र पर्याप्त समय रहते अपलोड करें अथवा सही जानकारी के साथ निविदा को पुन: आमंत्रित करें। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि शुद्धिपत्र जारी करने के बाद निविदाओं को खुली रखने की अवधि के संबंध में व्यवसायिक नियमों को न तो निर्धारित किया गया था और न ही प्रणाली में लागू किया गया था। डेटा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि कुल 12,741 निविदाओं के लिए (समय विस्तार को छोड़कर) कुल 15,065 शुद्धिपत्र जारी किए गए थे, जो सभी निर्धारित निविदा खुलने की तिथि से पहले जारी किए गए थे। हालांकि, 898 मामलों में बोली प्रस्तुत करने से एक दिन से कम समय पहले शुद्धिपत्र जारी किए गए थे, जिसमें बोली प्रस्तुत करने के अंतिम घंटे में 58 शुद्धिपत्र जारी किए गए थे, 1-2 दिनों के भीतर 1,182 शुद्धिपत्र, 2-5 दिनों के भीतर

---

[19] (i) 2021_HBC_172898_2, (ii) 2021_HBC_198216_1, (iii) 2022_HBC_214519_1, (iv) 2022_HBC_244523_1

[20] (i) 2021_HBC_159129_1, (ii) 2021_HBC_172931_2, (iii) 2021_HBC_198206_1, (iv) 2022_HBC_214520_1, (v) 2022_HBC_240335_1

3,541 शुद्धिपत्र, और शेष 9,444 शुद्धिपत्र बोली प्रस्तुत करने से पांच दिन से अधिक पहले जारी किए गए थे। 5,621 मामलों (37.31 प्रतिशत) में, बोलीदाताओं को प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय दिए बिना ही शुद्धिपत्र जारी कर दिए गए, जिससे प्रतिस्पर्धा कम हुई और पारदर्शिता के साथ समझौता हुआ। इस प्रकार, शुद्धिपत्र जारी होने के बाद निविदा को खुला रखने की समय अवधि के संबंध में व्यापार नियमों को न तो प्रणाली में निर्धारित किया गया था और न ही उन्हें लागू किया गया था।

इसके अतिरिक्त, डेटा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 31,248 निविदाओं में समय वृद्धि के लिए शुद्धि-पत्र जारी किए गए थे। जिनमें से 943 मामलों में, निविदा प्रस्तुत करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद बोली प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि, वह भी 24 घंटे से कम समय के लिए की गई थी। 7,558 निविदाओं की समय सीमा पांच दिनों तक बढ़ाई गई थी। विशेष रूप से, 3,553 निविदाओं में बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा प्रारंभिक अंतिम तिथि समाप्त होने से पहले बढ़ाई गई थी, जबकि 4,005 निविदाओं में समय सीमा बीतने के बाद विस्तार किया गया, जो कि एक गंभीर विषय है, क्योंकि समय सीमा समाप्त होने के बाद संस्था को बोलियों की दृश्यता प्राप्त हो जाती है। 31,248 निविदाओं में से, 24,590 निविदाओं में बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाने के बाद बोलियां प्राप्त हुई थी।

प्रारंभिक अंतिम तिथि बीतने के बाद अल्पकालिक विस्तार अधिक बार किए गए, जिनमें से कुछ तो केवल दो मिनट जैसे कम अंतराल के लिए थे, अनुचित प्रथाओं का संदेह उत्पन्न करता है।

एक दिन तक बोली प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाने वाले 943 शुद्धिपत्रों में से, 833 (88 प्रतिशत) छः प्रमुख विभागों द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें अकेले शहरी स्थानीय निकाय विभाग की हिस्सेदारी 541 (57 प्रतिशत) शुद्धिपत्रों की थी।

तथ्यों का यह स्वरूप अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच संभावित मिलीभगत की ओर संकेत करता है, जिसके परिणामस्वरूप निविदाएं उच्च दरों पर आवंटित की गई।

- 228 निविदाओं में शुरू में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन समय विस्तार के पश्चात बोलीदाता अचानक सक्रिय हो गए और एक से सात तक बोलियां प्रस्तुत की गई। इनमें से 166 मामलों में बोलियां एक ही आई.पी. एड्रेस से प्रस्तुत की गई।
- 370 निविदाओं में शुरू में केवल एक ही बोली प्राप्त हुई थी, लेकिन समय विस्तार के पश्चात, 329 निविदाओं में एक से छः नई बोलियां प्राप्त हुई, और 172 मामलों में पूर्व बोलीदाताओं ने अपनी बोलियों को संशोधित किया। 76 निविदाओं में सभी बोलियां एक ही आई.पी. एड्रेस से प्रस्तुत की गई।
- 345 निविदाओं में शुरू में कई बोलियां थी, लेकिन 74 मामलों में केवल संशोधन किया गया, और 20 निविदाओं में सभी बोलीदाताओं ने एक ही आई.पी. एड्रेस से अपनी बोलियां पुनः प्रस्तुत की।

तथ्यों के विश्लेषण से संदिग्ध स्वरूप सामने आए, जो निविदा परिणामों में हेरफेर करने के लिए कर्मचारियों और ठेकेदारों के बीच संभावित मिलीभगत की ओर संकेत करते हैं। विशिष्ट रूप से, 228 निविदाओं में शुरू में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन समय विस्तार के बाद

बोलीदाता सक्रिय हो गए, और कई मामलों में एक ही आई.पी. एड्रेस से कई बोलियां प्राप्त हुई। इसी प्रकार, जिन निविदाओं में एक या अधिक प्रारंभिक बोलियां प्राप्त हुई थी, उनमें समय विस्तार के बाद कई नई बोलियां या संशोधित बोलियां प्राप्त हुई, जो प्राय: एक ही आई.पी. एड्रेस से भेजी गई थी। बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद उसे बढ़ाना कर्मचारियों को प्राप्त बोलियों की संख्या देखने की सुविधा देता है, जो प्रक्रिया की निष्पक्षता और इसमें होने वाले हेरफेर के संबंध में गंभीर चिंताएं पैदा करता है।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने (मई 2025) यह अवगत कराया कि जांच के लिए 28 उच्च मूल्य वाली निविदाओं का चयन किया गया था, तथा शहरी स्थानीय निकाय विभाग से संदिग्ध समय विस्तारों की जांच करने का अनुरोध किया गया। हालांकि, एग्जिट मीटिंग (जून 2025) के दौरान, आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने बताया कि यह मामला निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों से संबंधित है और उनके द्वारा ही उत्तर प्रस्तुत किए जाएंगे। इस उत्तर को अस्वीकार्य माना गया क्योंकि आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए आवश्यक नियंत्रण की व्यवस्था कर सकता था। जांच के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा है।

1.8.3 निविदा खोलना

1.8.3.1 निविदा खोलने के लिए डुप्लिकेट उपयोगकर्ताओं का नामांकन

पोर्टल पर निविदा खोलने वाले के रूप में न्यूनतम दो विशिष्ट उपयोगकर्ताओं का होना अनिवार्य था। डेटा विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि 24 विभागीय उपयोगकर्ताओं ने अपने विवरणों में मामूली परिवर्तन करके स्वयं को दो बार पंजीकृत किया और दो अलग-अलग यूजर आई.डी. प्राप्त की। प्रणाली ने एक ही मोबाइल नंबर वाले उपयोगकर्ताओं को अलग-अलग उपयोगकर्ताओं के रूप में स्वीकार कर लिया, जो प्रणाली में सत्यापन नियंत्रणों के अभाव को दर्शाता है।

आगे, यह देखा गया कि डुप्लिकेट आई.डी. वाले इन 24 उपयोगकर्ताओं को ₹ 1,388 करोड़ मूल्य की 2,438 निविदाओं में अपनी दोनों आई.डी. के साथ विशिष्ट बोली खोलने वालों के रूप में नामित किया गया था। इनमें से 2,438 निविदाओं में से 529 निविदाएं इन 24 उपयोगकर्ताओं द्वारा अपनी डुप्लिकेट आई.डी. का उपयोग करके खोली गई, ताकि दो विशिष्ट उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता की शर्त को अनदेखा किया जा सके। निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि एक निविदा आमंत्रण प्राधिकरण, अर्थात जन स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भूजल अन्वेषण, रेवाड़ी में, एक ही उपयोगकर्ता को दो आई.डी. अर्थात 33,570 एवं 51,647 के साथ पंजीकृत किया गया था। इन उपयोगकर्ताओं को 220 निविदाएं खोलने के लिए अलग-अलग नामित भी किया गया था।

उपयोगकर्ता आई.डी. की डुप्लीसिटी निविदा प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को कमजोर करती है, जो प्रभावी रूप से खरीद मानदंडों का उल्लंघन है। इसके परिणामस्वरूप, एक ही उपयोगकर्ता द्वारा एक से अधिक निविदाएं खोली गई। एक ही निविदा के लिए डुप्लीकेट उपयोगकर्ता सृजन और उन्हें नामित करने के संबंध में वैधता नियंत्रण की अनुपस्थिति के कारण निविदाएं एक ही उपयोगकर्ता द्वारा खोली गई और इस संबंध में व्यापार नियम का उल्लंघन हुआ।

एग्जिट मीटिंग (जून 2025) के दौरान, आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया।

1.8.3.2 समान पैकेटों की बोलियां लंबे विलंब के साथ खोलना

निविदा आमंत्रण सूचनाओं (एन.आई.टी.) में निविदा खोलने की निर्दिष्ट तिथियां और समय निर्धारित होते हैं, जो एक निष्पक्ष और कुशल खरीद प्रक्रिया के लिए अनिवार्य हैं। डेटा विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि 2,363 निविदाओं के 2,378 पैकेटों में, एक ही पैकेट (तकनीकी और वित्तीय दोनों) की बोलियों को खोलने में एक दिन से लेकर तीन दिनों से अधिक का विलंब हुआ। इस प्रकार के विलंब निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं और निविदा प्रक्रिया की पारदर्शिता से समझौता कर सकते है।

प्रणाली में पर्याप्त नियंत्रणों का अभाव है क्योंकि यह पैकेट के भीतर की बोलियों को स्वचालित रूप से नहीं खोलती है; इसके बजाय, बोलियां उपयोगकर्ता द्वारा मैनुअल रूप से खोली जाती हैं।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने (मई 2025) यह उल्लेख किया कि पैकेट खोलने में होने वाला विलंब संबंधित अधिकारी की अनुपलब्धता या व्यस्त कार्यसूची के कारण हो सकता है। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निविदा दस्तावेजों की आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट तिथि और समय पर निविदाएं खोलने की अनिवार्यता यह दर्शाती है कि एक बार निविदा खोलने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद, इसे पूर्ण होने तक जारी रखा जाना चाहिए था।

1.8.3.3 बोली के पैकेट खोलते समय क्रमबद्धता सुनिश्चित न करना

निविदाएं खोलते समय, बोलीदाताओं से प्राप्त विभिन्न पैकेटों को निम्नलिखित क्रम में खोला जाना था:

फीस → पूर्व-अर्हता → तकनीकी → वित्तीय

प्रत्येक पैकेट को क्रमिक रूप से खोला जाना था, जिसमें अगले पैकेट पर जाने से पहले एक पैकेट की सभी बोलियों को डिक्रिप्ट करना अनिवार्य था। अत: प्रणाली को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि जब तक पिछले पैकेट की सभी बोलियां नहीं खुल जाती, तब तक अगला पैकेट न खोला जाए।

डेटा विश्लेषण से यह पता चला कि आठ निविदाओं की 10 बोलियों में, एक से अधिक पैकेट वाली निविदाओं के मामले में, पिछले पैकेट के दस्तावेजों को खोले बिना ही अगले पैकेट के दस्तावेज खोल दिए गए। इसके अतिरिक्त, सात निविदाओं में 16 बोलीदाताओं को उनकी वित्तीय बोलियों को खोले बिना ही वित्तीय रूप से अस्वीकृत कर दिया गया और पांच निविदाओं में छ: बोलीदाताओं को उनके तकनीकी पैकेट खोले बिना तकनीकी रूप से अस्वीकृत कर दिया गया। उपर्युक्त सात निविदाओं में से ₹ 42.95 लाख के मूल्य की तीन निविदाएं आवंटित की जा चुकी थी, जबकि शेष चार निविदाओं का आवंटन किया जाना अभी बाकी था।

इस प्रकार, प्रणाली उपयोगकर्ता को उस विशेष पैकेट से संबंधित बोली को अस्वीकृत करने में विफल रही, जिसके लिए अन्य बोलीदाताओं की बोलियां पहले ही खोली जा चुकी थी। इसके अतिरिक्त, यह बोलियों को खोलने के अनुक्रम को सुनिश्चित करने की प्रणाली की क्षमता पर नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने स्वीकार किया (मई 2025) कि इस समस्या के समाधान के लिए प्रणाली में सुधार अपेक्षित है और अवगत कराया कि उन्होंने डेटा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर/इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से अनुरोध (मई 2025) किया है।

1.8.3.4 बोली दस्तावेजों से संबंधित अनियमितताएं

(क) अनिवार्य दस्तावेजों के अपलोड के बिना प्रणाली द्वारा बोलियों की स्वीकृति

डेटा विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि 12 मामलों में "विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार दस्तावेज", 'शुल्क भुगतान विवरण' और 'सूचीबद्धता प्रमाण-पत्र' जैसे एक या अधिक अनिवार्य दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए थे, फिर भी प्रणाली द्वारा इन बोलियों को स्वीकार कर लिया गया। इसके अतिरिक्त, निविदाओं के तकनीकी मूल्यांकन के दौरान इन बोलियों को बाद में पात्र घोषित कर दिया गया। दो निविदाओं[21] से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान इस अनियमितता की पुष्टि हुई थी।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने अवगत कराया (मई 2025) कि उसने पोर्टल पर निविदाएं अपलोड करते समय विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना, फीस भुगतान विवरण आदि अपेक्षित दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से अपलोड करने के लिए सभी विभागों को निर्देश जारी (मई 2025) कर दिए थे। विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह मामला प्रणालीगत कमी से संबंधित था, जिसका समाधान नहीं किया गया।

(ख) दस्तावेजों की भौतिक प्रस्तुति का ई-निविदा की अवधारणा को निष्प्रभावी बनाना

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र पोर्टल की सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली की शुरुआत सार्वजनिक क्षेत्र की खरीद गतिविधि को श्रम-प्रधान कागजी प्रक्रिया से बदलकर एक कुशल ई-प्रोक्योरमेंट (ई-खरीद) प्रक्रिया में परिवर्तित करने के उद्देश्यों के साथ की गई थी।

तथापि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि निविदा दस्तावेजों की भौतिक प्रति प्रस्तुत न करने के कारण 233 बोलियों को निरस्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, एच.एस.वी.पी.[22] के सभी 14 निविदाओं में चार मंडलों की नमूना जांच, बोलीदाताओं के लिए अपने निविदा दस्तावेज ऑनलाइन और भौतिक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य था। परिणामस्वरूप, तीन निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों[23] की निविदाओं से पता चला कि बोलियां इसी आधार पर निरस्त की गई थी। बोलीदाता द्वारा दस्तावेजों की भौतिक प्रस्तुति, ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के उपयोग के उद्देश्य को ही विफल कर देती है।

एग्जिट मीटिंग (जून 2025) के दौरान, आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय द्वारा यह उल्लेख किया गया था कि निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों द्वारा विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत किए जाएंगे। हालांकि, उनके उत्तर की प्रतीक्षा थी (दिसंबर 2025)।

---

[21] (i) 2020_HBC_128882_1 एवं (ii) 2022_HRY_230659_7

[22] हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण।

[23] 1. कार्यकारी अभियंता, विद्युत मंडल, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकूला; 2. कार्यकारी अभियंता, मंडल-V, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरुग्राम; और 3. कार्यकारी अभियंता, मंडल-I, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, फरीदाबाद।

1.8.3.5 पात्र बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां न खोलना

डेटा विश्लेषण से पता चला कि ₹ 22.23 करोड़ मूल्य की 77 निविदाओं में कुल 330 बोलियां तकनीकी रूप से योग्य पाई गई, जहां सभी 77 पैकेटों को डिक्रिप्ट और खोला गया था। इनमें से केवल 167 वित्तीय बोलियां ही डिक्रिप्ट हुई थी, जबकि 163 वित्तीय बोलियां डिक्रिप्ट नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि 32 निविदाएं निरस्त/पुनः निविदा की गई थी, 44 प्रकाशित स्थिति में लंबित थी, और एक निविदा पोर्टल पर आवंटित कर दी गई थी। केवल कुछ वित्तीय बोलियां खोलने के आधार पर निविदाओं को निरस्त करने का निर्णय अनियमित था। ₹ 53.74 लाख मूल्य की तीन निविदाओं की नमूना-जांच से इस तथ्य की पुष्टि हुई कि वित्तीय पैकेट डिक्रिप्शन के बावजूद वित्तीय बोलियां डिक्रिप्ट नहीं की जा रही थी।

यह दर्शाता है कि प्रणाली में उचित नियंत्रणों का अभाव था, जिसके परिणामस्वरूप (क) सभी बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोले बिना अनुबंध आवंटित कर दिए गए, और (ख) चुनिंदा बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोलने के बाद निविदाओं को निरस्त किया गया या प्रक्रियाधीन रखा गया। इस प्रकार, प्रणाली में नियंत्रणों के अभाव के कारण यह एक पैकेट के भीतर सभी पात्र बोलियों को खोलने की प्रक्रिया को स्वचालित करने में विफल रही और पैकेट के भीतर बोलियां खोलते समय यह मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति देती है।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने सूचित किया (मई 2025) कि उन्होंने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को बोलियों के खोलने में तकनीकी एवं वित्तीय सत्यापन नियंत्रण लागू करने के निर्देश (मई 2025) दिए थे।

1.8.3.6 निविदा की मुख्य घटनाओं के लिए ई-मेल/संदेश अलर्ट का अभाव

ई-प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया में पारदर्शिता, समय पर पत्राचार और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निविदा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर उपयोगकर्ताओं को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों और ई-मेल पतों पर ई-मेल/एस.एम.एस. के माध्यम से अलर्ट भेजा जाना अनिवार्य था।

डेटा विश्लेषण से, अधिसूचना प्रणाली में कमियां उजागर हुई, क्योंकि अनिवार्य गतिविधियों के लिए संबंधित उपयोगकर्ताओं को ई-मेल अलर्ट नहीं भेजे गए थे, जैसे उपयोगकर्ता खाते को ब्लॉक करना (95.1 प्रतिशत मामलों में), खाते को अनब्लॉक करना (80.3 प्रतिशत), और निविदा मूल्यांकन की अस्वीकृति (39.8 प्रतिशत)। इसी प्रकार, महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे मूल्यांकन की अस्वीकृति (39.8 प्रतिशत) और अनुबंध का आवंटन (ए.ओ.सी.) आदि के लिए एस.एम.एस अलर्ट भी प्रेषित नहीं हुए थे।

इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि कुछ महत्वपूर्ण मामलों जैसे शुद्धि-पत्र जारी करना, उपयोगकर्ता को ब्लॉक/अनब्लॉक करने की सूचना, निविदा निरस्त करने/पुनः निविदा की सूचना, और अनुबंध आवंटन की अस्वीकृति स्थिति आदि के लिए बोलीदाताओं को कोई भी एस.एम.एस. अलर्ट नहीं भेजे गए थे, हालांकि इन मामलों के लिए ई-मेल भेजे गए थे। इससे विभाग कम भागीदारी के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और बताया (मई 2025) कि उन्होंने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से इस समस्या के समाधान हेतु अनुरोध (मई 2025) किया था।

1.8.3.7 पोर्टल पर गलत आवंटन विवरण प्रदर्शित होना

20 निविदाओं से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि ₹ 1.87 करोड़ मूल्य की 12 निविदाओं में, जिन बोलीदाताओं को पोर्टल पर अनुबंध आवंटित दर्शाया गया था, वे उन बोलीदाताओं से भिन्न थे जिन्हें वास्तव में अनुबंध आवंटित किए गए थे। इससे यह संकेत मिलता है कि विभाग द्वारा अनुबंधों के अनुबंध आवंटन का गलत डेटा/सूचना अपलोड की गई थी, जिससे ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली में पारदर्शिता लाने का उद्देश्य विफल हो गया। यह भी देखा गया कि गलत अपलोडिंग/अपडेशन के कारण, उन सफल बोलीदाताओं की बयाना जमा राशि वापस कर दी गई जिन्हें निविदा आवंटित की गई थी, जबकि अस्वीकृत बोलीदाताओं की बयाना राशि त्रुटिवश विभाग के खाते में अंतरित कर दी गई।

इसके कारण अविश्वसनीय रिपोर्टें भी सृजित हुई, क्योंकि वे सफल बोलीदाताओं के संबंध में गलत जानकारी दर्शाती हैं।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने बताया (मई 2025) कि यह पोर्टल के संबंध में उपयोगकर्ताओं के ज्ञान के अभाव के कारण हुआ था और उन्होंने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से उपयोगकर्ताओं के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण आयोजित करने का अनुरोध (मई 2025) किया था।

1.8.4 बोलियों का मूल्यांकन और निविदाओं का आवंटन

1.8.4.1 वित्तीय बोलियां खोलने के बाद तकनीकी आधार पर बोलियों को अनुचित रूप से निरस्त करना

निविदा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया के दौरान, तकनीकी बोली को पहले खोलना और मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तत्पश्चात, केवल तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोलियां खोली जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि तकनीकी मूल्यांकन के दौरान यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल एक ही बोलीदाता शेष बचा है, तो वित्तीय बोलियां खोलने से पहले उस बोली की स्वीकार्यता निर्धारित की जानी चाहिए। अतः, एक बार वित्तीय बोलियां खुल जाने के बाद, केवल एकल बोली की उपस्थिति निविदा निरस्त करने का कारण नहीं होनी चाहिए।

हालांकि, डेटा विश्लेषण के दौरान निम्नलिखित कमियां पाई गई:

- ₹ 111.58 करोड़ मूल्य की 79 निविदाओं में से 109 बोलियों की वित्तीय बोलियां खोल दी गई थी, हालांकि बाद में इन बोलियों को तकनीकी आधार पर अस्वीकृत घोषित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, इन 109 अस्वीकृत बोलियों में से 22 बोलियां, वित्तीय बोलियां खुलने के बाद एल-1 पाई गई थी।
- इसी प्रकार, 135 निविदाओं की वित्तीय बोलियां खोल दी गई थी, जबकि बाद में इन निविदाओं को केवल एकल बोलीदाता की भागीदारी होने के आधार पर निरस्त कर दिया गया।

वित्तीय बोलियां खोलने के बाद तकनीकी आधार पर या एकल बोली के आधार पर निविदाओं को निरस्त करना उचित नहीं था, क्योंकि तकनीकी उपयुक्तता और भागीदारी का स्तर (एकल बोलीदाता की भागीदारी) वित्तीय बोली खोलने से पहले की प्रक्रिया है। प्रणाली के माध्यम से तकनीकी/वित्तीय मूल्यांकन करने से (मैन्युअल रूप से मूल्यांकन करने और फिर प्रणाली पर कारण अपलोड करने के बजाय), अनुचित आधारों पर बोलियों की अस्वीकृति से बचा जा सकता था।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया और बताया (मई 2025) कि यह पोर्टल के संबंध में उपयोगकर्ताओं के ज्ञान के अभाव के कारण हुआ था और उपयोगकर्ताओं के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से अनुरोध किया गया है (मई 2025)।

इस प्रकार की चूकों का कारण उपयोगकर्ताओं की अनभिज्ञता को दर्शाना, आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय द्वारा की गई अपर्याप्त निगरानी को दर्शाता है। नोडल एजेंसी के रूप में, निविदा प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए उचित प्रशिक्षण और मानक प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय का उत्तरदायित्व था।

1.8.4.2 निविदाओं के आवंटन में अनियमितताएं

(क) ब्लैकलिस्ट में दर्ज फर्मों को अनुबंध आवंटित करना

- डेटा विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि विभिन्न नगर निगम कार्यालयों की 170 निविदाओं में चार ब्लैकलिस्टेड बोलीदाताओं[24] ने भाग लिया था, जिनमें से ₹ 2.06 करोड़ की अनुमानित लागत वाली 19 निविदाएं उक्त में से एक ब्लैकलिस्टेड बोलीदाता को आवंटित कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त, संबंधित कार्यालयों द्वारा पोर्टल पर उन 47 निविदाओं का पूर्ण विवरण अपलोड नहीं किया गया था जिनमें इन ब्लैकलिस्टेड बोलीदाताओं ने भाग लिया था। यह निगरानी और पारदर्शिता में चूक को दर्शाता है।
- इसी प्रकार, दो ब्लैकलिस्टेड[25] बोलीदाताओं ने अपनी प्रतिबंध अवधि के दौरान निविदाओं में भाग लिया। यद्यपि, उन्हें कोई निविदा आवंटित नहीं की गई थी, फिर भी उनमें से एक ने तकनीकी मूल्यांकन में अर्हता प्राप्त कर ली और उसकी वित्तीय बोली खोल दी गई।

यह निविदा मूल्यांकन समिति के बीच ब्लैकलिस्टिंग के प्रति जागरूकता के अभाव को भी दर्शाता है, क्योंकि पोर्टल पर इस जानकारी की मैपिंग नहीं की गई थी, जिससे बोलीदाता को तकनीकी रूप से पात्र होने का अवसर मिला।

पोर्टल में बोलीदाताओं को ब्लैकलिस्टिंग या ब्लॉक करने का प्रावधान होने के बावजूद, ब्लैकलिस्टिंग में दर्ज बोलीदाताओं की भागीदारी यह दर्शाती है कि ब्लैकलिस्टिंग की स्थिति को अद्यतन करने और संप्रेषित करने में विफलता हुई। इसके परिणामस्वरूप, उन गैर-अनुपालनकारी बोलीदाताओं पर भी अनुबंध आवंटन के लिए विचार किया गया जो इसके पात्र नहीं थे।

(ख) एकल बोली के आधार पर निविदाओं का आवंटन

हरियाणा लोक निर्माण विभाग कोड के पैरा 13.18.1 (जी) के अनुसार, "एकल निविदा पर सामान्यतः तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा करने के लिए विशेष परिस्थितियां न हों। यदि विशेष परिस्थितियां विद्यमान नहीं हैं, तो निविदा को निरस्त कर पुनः आमंत्रित किया जाएगा। यदि पुनः निविदा आमंत्रित करने पर भी परिणाम एकल निविदा ही रहता है, तो उचित औचित्य और कारणों के साथ इसकी स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है।"

[24] (i) मैसर्स मुकेश कुमार कांट्रेक्टर, (ii) द स्वच्छ हरियाणा को-ऑप एल/सी मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड (iii) द रोहिणी को-ऑप एल एंड सी सोसाइटी लिमिटेड (iv) संदीप कुमार ठेकेदार।

[25] (i) ग्रामीण विकास ट्रस्ट (ii) रेडिकल क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड।

डेटा विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि 6,895 निविदाओं के मामलों में (पुनः आमंत्रित निविदाओं को छोड़कर) एकल वित्तीय बोलियां खोली गई, और ये निविदाएं उसी एकल बोलीदाता को आवंटित कर दी गई।

इसके अतिरिक्त, 26 निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों में से, पांच[26] में 16 नमूना[27] जांच के लिए चयनित निविदाओं की संवीक्षा करने पर यह पाया गया कि ₹ 2.62 करोड़ मूल्य की नौ निविदाएं एकल निविदा के आधार पर आवंटित की गई थी, जबकि एकल बोली पर निविदा आवंटित करने के कारणों को रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि प्रणाली में एकल बोली के आधार पर निविदा आवंटित करने के विशिष्ट कारणों को दर्ज करने की कार्यक्षमता विद्यमान नहीं थी। परिणामस्वरूप, प्रणाली इस सीमा तक त्रुटिपूर्ण थी कि एकल बोली पर निविदा आवंटित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्रणाली के माध्यम से नहीं लिया जा रहा था।

निविदा आमंत्रण प्राधिकरण, राज्य चुनाव आयोग ने (अप्रैल 2024) उल्लेख किया कि समय की कमी के कारण पुन: निविदा व्यवहार्य नहीं थी। हालांकि, एकल बोली के आधार पर अनुबंध देने के विशिष्ट कारणों को दर्ज करने हेतु प्रणाली में कार्यक्षमता के अभाव पर निविदा आमंत्रण प्राधिकरण ने कोई टिप्पणी नहीं की थी।

(ग) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग-1, अंबाला में पांच निविदाएं आवंटित की गई थी, जो उनके विरुद्ध प्राप्त न्यूनतम बोली मूल्य से अधिक मूल्य पर थी। इनमें से चार निविदाओं के मामले में डेटा प्रविष्टि त्रुटि को कारण बताया गया, जबकि एक निविदा[28] न्यूनतम बोली मूल्य की तुलना में उच्च कीमत पर प्रदान की गई। लेखापरीक्षा विश्लेषण से यह तथ्य सामने आया कि एल1 बोलीदाता के तकनीकी रूप से पात्र होने के बावजूद उसकी वित्तीय बोली पर विचार नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 29.42 लाख की एल1 राशि के विरुद्ध ₹ 31.75 लाख पर कार्य आवंटित किया गया।

(घ) हरियाणा वन विकास निगम, कुरुक्षेत्र में तीन निविदाएं[29] उनके विरुद्ध प्राप्त न्यूनतम बोली मूल्य से अधिक मूल्य पर आवंटित की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.39 लाख की उच्च दर पर बोली स्वीकार की गई। लेखापरीक्षा विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि यह अनियमितता गलत तकनीकी/वित्तीय मूल्यांकन के कारण हुई, जो कि मैन्युअल रूप से किया गया था।

इस प्रकार, वित्तीय मूल्यांकन की ऑफलाइन प्रोसेसिंग ने ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल की उपयोगिता को समाप्त कर दिया।

---

26 (i) हरियाणा वन विकास निगम, कुरुक्षेत्र (ii) हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मंडल, पंचकुला (iii) नगर निगम, गुरुग्राम (iv) नगर निगम, करनाल (v) राज्य चुनाव आयोग

27 (i) 2020_HBC_123043_1 (ii) 2019_HBC_102655_1 (iii) 2020_HBC_139465_1 (iv) 2020_HBC_138414_1 (v) 2022_HBC_221651_2 (vi) 2019_HRY_109637_1 (vii) 2019_HRY_109638_1 (viii) 2022_HRY_203416_1 (ix) 2020_HRY_153868_1 (x) 2022_HRY_247624_1 (xi) 2023_HRY_254557_1 (xii) 2021_HRY_164864_1 (xiii) 2021_HRY_165454_1 (xiv) 2022_HRY_206002_1 (xv) 2021_HRY_165083_1 (xvi) 2022_HRY_245617_1

28 2021_HRY_ 181953_1

29 (i) 2022_HBC_216732_1, (ii) 2022_HBC_226226_1, (iii) 2021_HBC_173993_6

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने एग्जिट मीटिंग में बताया (जून 2025) कि निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों द्वारा विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि, उक्त उत्तर अभी भी प्रतीक्षित था (दिसंबर 2025)।

1.8.4.3 डेटाबेस में बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत बोली मूल्यों की अनुपलब्धता

डेटा विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि पोर्टल कुछ निविदाओं को पढ़ने में असमर्थ था; जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

(i) 9,174 निविदाओं[30] के वित्तीय पैकेट खोले गए और उनकी बोलियों को वित्तीय रूप से डिक्रिप्ट किया गया, किंतु बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत बिलों की मात्रा (बी.ओ.क्यू.) की फाइलों को प्रणाली द्वारा पढ़ा नहीं जा सका और उनके वित्तीय बोली मूल्य डेटाबेस में उपलब्ध नहीं थे। इस कारण, प्रणाली इन मामलों में तुलनात्मक बिलों की मात्रा सृजित नहीं कर सकी और परिणामस्वरूप, बिलों की मात्रा को मैन्युअल रूप से तैयार किया गया। अतः, लेखापरीक्षा इन मामलों में वित्तीय मूल्यांकन की विश्वसनीयता और सटीकता सुनिश्चित नहीं कर सकी।

121 निविदाओं की नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रणाली, बोलीदाताओं द्वारा अपलोड किए गए बिलों की मात्रा को पढ़ने में असमर्थ थी, क्योंकि निविदा सृजन के दौरान निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों ने बिलों की मात्रा को निर्धारित बिलों की मात्रा सेक्शन के बजाय 'अतिरिक्त दस्तावेजों' के अंतर्गत या अपेक्षित प्रारूप/टेम्पलेट के स्थान पर पीडीएफ/गैर-मानक टेम्पलेट में अपलोड किया था। उदाहरणत:, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, डबवाली में प्रणाली ने तुलनात्मक विवरण की गणना सही तरीके से नहीं की और इसे मैन्युअल रूप से तैयार करना पड़ा। आगे, संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि बिलों की मात्रा में कुछ मदें पुराने सामान की बिक्री से संबंधित थी, जिन्हें प्रणाली द्वारा घटाने के बजाय जोड़ दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप कुल राशि बढ़ाकर दर्शायी गई। बिलों की मात्रा टेम्पलेट में इस कार्यात्मकता को सुधारना अपेक्षित था।

(ii) 7,539 निविदाओं के अंतर्गत 15,677 बोलियां वित्तीय रूप से खोली गई थी, किंतु उनके बोली मूल्य डेटाबेस में अनुपलब्ध थे, जबकि, उन्हीं 7,539 निविदाओं के भीतर 15,971 वित्तीय रूप से खोली गई बोलियों के मूल्य डेटाबेस में उपलब्ध थे। यह इंगित करता है कि प्रणाली ने कुछ बोलियों को सफलतापूर्वक पढ़ा लेकिन यह दूसरों को पढ़ने में विफल रही।

उपर्युक्त वर्णित 16,713[31] निविदाओं में, जिन बोलीदाताओं के बोली मूल्य डेटाबेस में दर्ज नहीं हो सके थे, उन्हें प्रणाली द्वारा सृजित किए गए तुलनात्मक विवरण में शामिल नहीं किया गया। इसलिए, या तो प्रणाली द्वारा तुलनात्मक विवरण सृजित ही नहीं किए गए, या फिर सृजित किए गए विवरणों में उन सभी बोलीदाताओं की दरें विद्यमान नहीं थी जिनकी वित्तीय बोलियां खोली गई थी। यह विश्वसनीय और निष्पक्ष वित्तीय तुलनात्मक विवरण उत्पन्न करने के लिए प्रणाली की कार्यक्षमता को कमजोर करता है।

प्रणाली में बिलों की मात्रा को सत्यापित करने की कार्यात्मकता होनी चाहिए और निविदा सृजन के समय बिलों की मात्रा को अतिरिक्त दस्तावेजों के अंतर्गत अपलोड करने से रोकने के लिए प्रणाली में एक फीचर जोड़ा जा सकता था।

---

30 दर अनुबंध या पैनल में शामिल करने से संबंधित 717 निविदाओं को छोड़कर।

31 9,174 निविदाएं बिलों की मात्रा फाइलें अपठनीय थी + 7,539 निविदाएं जिनमें बोली मूल्य अनुपलब्ध थे।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और बताया (मई 2025) कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से मांगा गया उत्तर अभी प्रतीक्षित था।

1.8.4.4 मूल्यांकन सारांश को अनिवार्य रूप से अपलोड करने में विसंगति

डेटा विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि संबंधित निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों द्वारा ₹ 2.07 करोड़ मूल्य के 85 मामलों का अनिवार्य तकनीकी मूल्यांकन सारांश और ₹ 47.36 करोड़ मूल्य की 57 निविदाओं का वित्तीय मूल्यांकन सारांश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया था। इसके बावजूद, प्रणाली ने उन्हें निविदा के अगले चरण 'अनुबंध आवंटन' पर जाने की अनुमति दे दी। पिछले चरण से संबंधित दस्तावेजों को अपलोड किए बिना निविदा के अगले चरण की प्रक्रिया का आगे बढ़ना प्रणाली नियंत्रण की कमजोरी को दर्शाता है। परिणामस्वरूप, खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता का उद्देश्य भी प्रभावित हुआ।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने एग्जिट मीटिंग (जून 2025) में इस अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को वर्तमान में लागू नियंत्रणों की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए।

1.8.4.5 वित्तीय बोलियां आमंत्रित करने में अस्पष्टता, जिसके कारण बोलीदाताओं को अस्वीकृत किया गया

महाप्रबंधक, हरियाणा वन विकास निगम, कुरुक्षेत्र के कार्यालय में अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि मद-वार दरें प्रस्तुत करने के लिए विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना में वित्तीय बोली का एक प्रोफार्मा दो कॉलम अर्थात् मदों के नाम और दरें में संलग्न किया गया था। हालांकि, निर्देश अपलोड करते समय बोलीदाताओं को पोर्टल पर ही बिलों की मात्रा शीट भरने के निर्देश प्रभावी रूप से नहीं दिए गए।

चूंकि इस संबंध में कोई स्पष्टता नहीं थी, इसलिए दो निविदाओं के मामलों में ज्ञात हुआ कि, एक बोलीदाता ने इस प्रोफार्मा में वित्तीय दरें प्रस्तुत की और इसे तकनीकी पैकेट के साथ संलग्न कर दिया, क्योंकि बोलीदाताओं को तकनीकी पात्रता के अनुपालन के लिए विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना में अपेक्षित सभी विवरण भरने थे और प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने थे। परिणामस्वरूप, तकनीकी मूल्यांकन के समय ही उसकी वित्तीय कोट्स उजागर हुई, जिससे बोलीदाता को अयोग्य घोषित कर दिया गया।

आगे, इन दो मामलों[32] के अभिलेखों की विस्तृत जांच से यह ज्ञात हुआ कि एक मामले में निविदा निरस्त कर दी गई और एक मामले में पुन: आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया, जबकि अन्य मामले में, बोलीदाता को अस्वीकृत कर दिया गया और हरियाणा वन विकास निगम ने पुनः निविदा की प्रक्रिया नहीं अपनाई।

लक्षित प्रशिक्षण लागू किया जाना चाहिए था ताकि अस्पष्टताओं को दूर किया जा सके, प्रतिस्पर्धा में बाधा डालने से बचा जा सके और अनावश्यक अयोग्यताओं को कम किया जा सके।

हरियाणा वन विकास निगम ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया (सितंबर 2024) और भविष्य में अनुपालन का आश्वासन दिया।

[32] (i) 2022_HBC_212235_2, और (ii) 2022_HBC_216732_1

1.8.4.6 समान बोलियों की स्थिति में एल1 बोलीदाता का निर्धारण न करना

डेटा विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि पोर्टल में उन मामलों में एल-1 बोलीदाता निर्धारित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं था जहां 2 से लेकर 35 तक कई बोलीदाताओं ने समान दरें उद्धृत की थी और प्रणाली इन सभी बोलीदाताओं को एल-1 के रूप में दर्शाती है और आगे के निर्णय के लिए मैन्युअल हस्तक्षेप अपेक्षित होता है।

आगे यह पाया गया कि 1,335 निविदाओं (मूल्य ₹ 695.07 करोड़) में कई बोलीदाताओं द्वारा समान दरें उद्धृत की गई थी, जिनमें से 848 निविदाएं (मूल्य ₹ 499.95 करोड़) आवंटित की गई, 89 निविदाएं (मूल्य ₹ 72.13 करोड़) निरस्त/पुनः आमंत्रित की गई, जबकि शेष 398 निविदाओं (मूल्य ₹ 122.99 करोड़) का विवरण पोर्टल पर अद्यतन नहीं किया गया था और उपलब्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त, इन 1,335 निविदाओं में से 196 मामलों (मूल्य ₹ 30.50 करोड़) में बोलीदाताओं के आई.पी. एड्रेस भी समान पाए गए।

समान बोलियों के मामलों में एल-1 बोलीदाता को निर्धारित करने के प्रावधान के अभाव के कारण मैन्युअल हस्तक्षेप बढ़ता है, जिससे प्रक्रिया में विलंब, अक्षमता और संभावित पक्षपात की संभावना बनी रहती है। चूंकि प्रणाली को ऑनलाइन वार्ता द्वारा तय दरें प्राप्त करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, इसलिए समान बोलियों के लिए एल-1 का निर्णय करने में व्यक्तिपरकता का जोखिम बढ़ गया क्योंकि यह प्रक्रिया मैन्युअल रूप से निष्पादित की गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि निविदा दस्तावेजों में समान एल-1 प्राप्त होने की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में कोई व्यावसायिक नियम शामिल नहीं किए गए थे। इसके कारण निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों द्वारा निर्णय लेने में विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग किया गया, जिससे निविदा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता प्रभावित हुई।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने उत्तर दिया (दिसंबर 2024) कि टाई ब्रेकर मॉड्यूल राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र पोर्टल की सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली में उपलब्ध था और इसे नोडल/कार्यान्वयन एजेंसी के अनुरोध के आधार पर राज्य पोर्टल के लिए सक्षम किया जा सकता है। आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया (जून 2025) और बताया कि उसने हरियाणा राज्य के लिए मॉड्यूल को सक्षम करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से अनुरोध किया था (मई 2025)।

1.8.4.7 अभ्यावेदन के लिए अपर्याप्त समय

शिकायत निवारण निर्देशों (2016) के अनुसार, सूचना प्राप्त होने के बाद बोलीदाताओं को तकनीकी मूल्यांकन के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए पांच दिन का समय दिया जाना चाहिए, और अगले पांच दिनों के भीतर अंतिम निर्णय लिया जाना चाहिए। वित्तीय बोलियां इस 10 दिवसीय शिकायत अवधि के बाद ही खोली जानी चाहिए।

डेटा विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि 15,222 निविदाओं की वित्तीय बोलियां पांच दिनों की अवधि समाप्त होने से पहले ही खोल दी गई थी, जबकि उनमें से एक या अधिक बोलियां तकनीकी रूप से निरस्त कर दी गई थी। इन मामलों में, तकनीकी बोलियां खुलने के तीन मिनट से लेकर पांच दिनों के भीतर ही वित्तीय बोलियां खोल दी गई थी। 26 निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों की नमूना जांच में पाया गया कि 10 निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों में, बोलीदाताओं को 32 मामलों में तकनीकी अस्वीकृति हेतु प्रतिवाद करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया था ***(परिशिष्ट 1.3)***।

दस्तावेजों के स्व-सत्यापन न करने अथवा उनके अपठनीय होने के कारण पांच बोलीदाताओं को अपात्र घोषित कर दिया गया, जबकि चार बोलीदाताओं को गलत आधार पर निरस्त कर दिया गया। इस उचित तत्परता की कमी ने निविदा प्रक्रिया में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बाधित किया।

तकनीकी और वित्तीय बोलियां खोलने के बीच निर्धारित समय-सीमा से संबंधित नियंत्रणों को प्रणाली में मैप नहीं किया गया था, जिसके कारण बोलीदाताओं को उचित समय दिए बिना ही इन निविदाओं की वित्तीय बोलियां खोल दी गई। इसके अतिरिक्त, प्रणाली के माध्यम से शिकायत निवारण की कार्यक्षमता भी उपलब्ध नहीं थी।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने बताया (मई 2025) कि उसने इस संबंध में विभागों को सामान्य निर्देश जारी (मई 2025) कर दिए थे।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि अभ्यावेदन के लिए समय-सीमा निर्धारित करने वाले नियम पहले से ही अस्तित्व में थे, और प्रणाली में उनकी मैपिंग सुनिश्चित की जानी अपेक्षित थी।

1.9 निविदा प्रक्रिया में मिलीभगतपूर्ण बोली एवं गुटबंदी

निविदा प्रक्रिया में मिलीभगतपूर्ण बोली और बोली में हेरफेर के संकेत देने वाले उदाहरण पाए गए, जिससे निविदा प्रक्रिया की निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हुई। यह पाया गया कि एक ही आई.पी. एड्रेस और खरीद संस्था के कंप्यूटरों से, बहुत ही कम समय के अंतराल के भीतर कई बोलियां प्रस्तुत की गई, जो संभावित हेरफेर या पर्याप्त प्रणाली नियंत्रण की कमी की ओर संकेत करती है।

डेटा के विश्लेषण और नमूना जांच किए गए मामलों की संवीक्षा जांच से बोली लगाने के ऐसे कई पैटर्न सामने आए, जो बोली में हेरफेर और गुटबंदी का संकेत देते हैं, जैसे कि खरीद संस्था के कंप्यूटर से बोली जमा करना, एक ही आई.पी. एड्रेस से अलग-अलग बोलीदाताओं द्वारा निविदा के लिए बोली लगाना और बयाना राशि जमा प्रपत्रों के नंबरों का क्रमिक होना। इसके अतिरिक्त, कुल 1,51,562 प्रकाशित/समाप्त हो चुकी निविदाओं में से 78,014 मामलों (52 प्रतिशत) में मिलीभगतपूर्ण बोली का कम से कम एक पैटर्न देखा गया, जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट 1.1 में दर्शाया गया है:

चार्ट 1.1: मिलीभगत के संकेत वाली निविदाएं

(एक ही आईपी, मोबाइल, ई-मेल, पैन, जीएसटीआईएन, सरकारी आईपी, फीस भुगतान क्रम संख्या से प्राप्त बोलियां)

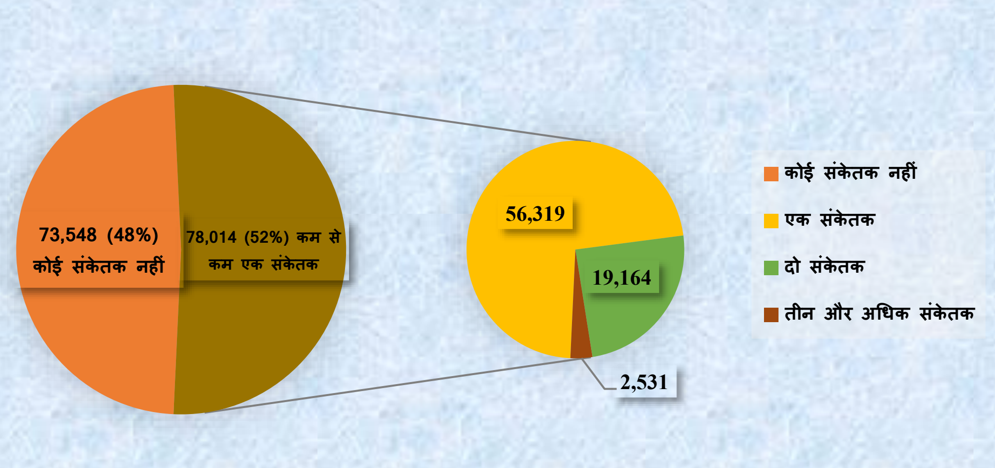

निम्नलिखित कमियां पाई गई:

1.9.1 आई.पी. एड्रेस से बोली प्रस्तुत करने के असंगत पैटर्न पाए गए

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने (अक्तूबर 2017 और अप्रैल 2021 में) निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों को निविदा प्रक्रिया में फर्मों द्वारा मिलीभगत/बोली में हेरफेर के चेतावनी संकेतों और उनके विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई के बारे में सूचित किया था; एक ही आई.पी. एड्रेस से बोलियां प्राप्त होना मिलीभगत/बोली में हेरफेर के चेतावनी संकेतों में से एक था। ऐसी स्थिति देखे जाने पर, विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना में किए गए प्रावधानों के अनुसार संबंधित फर्म/फर्मों के विरुद्ध नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जैसे कि बयाना राशि की जब्ती/फर्मों को ब्लैकलिस्ट करना आदि। ऐसे मामलों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

- लेखापरीक्षा द्वारा 1,51,562 निविदाओं का विश्लेषण किया गया और यह पाया गया कि एक ही निविदा के अंतर्गत कई बोलियां या सभी बोलियां एक ही आई.पी. एड्रेस से प्रस्तुत की गई थी, जिसका विवरण ***तालिका 1.3*** में नीचे दिया गया है:

तालिका 1.3: कई बोलियों का विश्लेषण

निविदाओं की कुल संख्या	1,51,562	
	एक ही आई.पी. एड्रेस से कई बोलियां	**एक ही आई.पी. एड्रेस से प्रस्तुत की गई कुल बोलियां**
एक ही आई.पी. एड्रेस से प्राप्त बोलियों वाली निविदाओं की संख्या	47,660	17,260
उन निविदाओं की प्रतिशतता जिनमें बोलियां एक ही आई.पी. एड्रेस से प्राप्त हुई	31%	11%
एक ही आई.पी. एड्रेस से बोलियों की संख्या की सीमा	2 से 21	2 से 6
आवंटित निविदाओं की संख्या	27,303	10,037
उस बोलीदाता को आवंटित निविदाओं की संख्या जिसने एक ही आई.पी. एड्रेस से बोली प्रस्तुत की थी	19,142 **(मूल्य ₹ 6,492.85 करोड़)**	10,037 **(मूल्य ₹ 1,678.83 करोड़)**

आगे, विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि 17,260 निविदाओं में से 10,037 निविदाओं के लिए सभी बोलियां दो मिनट से लेकर 15 दिनों के समय अंतराल के भीतर एक ही आई.पी. एड्रेस से प्रस्तुत की गई थी और 10,037 निविदाओं में से 4,698 (47 प्रतिशत) मामलों में, सभी बोलियां 30 मिनट के समय अंतराल के भीतर एक ही आई.पी. एड्रेस से प्रस्तुत की गई थी।

चयनित इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, छः निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों[33] में मिलीभगत के 10 संदिग्ध मामले पाए गए, जिनका विवरण ***परिशिष्ट 1.4*** में दिया गया है।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने इस मामले को स्वीकार किया और बताया (मई 2025) कि यह बोलीदाताओं द्वारा इंटरनेट कैफे से बोलियां प्रस्तुत करने के कारण और बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में उनकी जानकारी के अभाव के कारण हुआ था। इसके अतिरिक्त, विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से अनुरोध किया था कि वह निविदाओं के तकनीकी दस्तावेज डाउनलोड करते समय सभी भाग लेने वाले बोलीदाताओं के आई.पी. एड्रेस उपलब्ध कराए।

[33] 1. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंडल II, हिसार, 2. हरियाणा वन विकास निगम, कुरुक्षेत्र 3. नगर निगम, करनाल, 4. भू-जल अन्वेषण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रेवाड़ी 5. नगर निगम, फरीदाबाद और 6. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नारनौल।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तकनीकी दस्तावेज डाउनलोड करते समय आई.पी. एड्रेस का विवरण निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों को दिखाई दे रहा था। एग्जिट मीटिंग (जून 2025) में, आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ इस संभावना को तलाशने पर सहमति व्यक्त की थी कि निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों के लॉगिन करने पर समान बिंदुओं वाली निविदाओं के लिए एक पॉप-अप/अलर्ट विंडो तंत्र लागू किया जाए, जो मिलीभगतपूर्ण बोली का संकेत दे सके।

1.9.2 विभागीय उपयोगकर्ता के इंटरनेट प्रोटोकॉल (आई.पी.) एड्रेस से बोलियां प्रस्तुत करना

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 45,720 निविदाओं के लिए 68,390 बोलियां उसी आई.पी. एड्रेस से प्रस्तुत की गई थी, जिससे बोली प्रस्तुत करने की अवधि के दौरान सरकारी विभाग के उपयोगकर्ताओं (कर्मचारियों) ने लॉगिन किया था और प्रत्येक आई.पी. एड्रेस से प्रस्तुत ऐसी बोलियों की संख्या एक से लेकर 20 तक थी। इसके अतिरिक्त, 14,473 निविदाओं में 21,166 बोलियां उसी निविदा आमंत्रण प्राधिकरण के आई.पी. एड्रेस से प्रस्तुत की गई थी, जिससे वे निविदाएं संबंधित थी।

बोलीदाताओं को विभाग की प्रणालियों तक पहुंच प्रदान करना आचरण नियमावली का उल्लंघन है और इससे डेटा सुरक्षा से समझौता होता है, जिसके लिए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने बताया (मई 2025) कि उसने सभी विभागों को यह निर्देश जारी कर दिए थे (मई 2025) कि कोई भी बोलीदाता समान/विभागीय आई.पी. एड्रेस से अपनी बोलियां प्रस्तुत नहीं करेगा।

1.9.3 एक ही मोबाइल नंबर, ई-मेल, वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या और पैन से कई बोलियां

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि निविदाओं के विरुद्ध एक ही मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या और पैन के साथ कई बोलियां प्रस्तुत की गई थी, जैसे कि अनुवर्ती ***तालिका 1.4*** में चर्चा की गई है:

तालिका 1.4: एक ही मोबाइल नंबर/ई-मेल से बोलियां प्रस्तुत करने संबंधी विवरण

	एक ही मोबाइल नंबर से कई बोलियां		एक ही ई-मेल आई.डी. से कई बोलियां		एक ही मोबाइल नंबर और ई-मेल आई.डी. से कई बोलियां	
	एक ही मोबाइल नंबर वाले बोलीदाताओं से एक से अधिक बोलियां	सभी बोलियां एक ही मोबाइल नंबर से	एक ही ई-मेल आईडी से एक से अधिक बोलियां	सभी बोलियां एक ही ई-मेल आईडी से	एक ही मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी से एक से अधिक बोलियां	सभी बोलियां एक ही ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर से
निविदाओं की संख्या	3,893	861	2,304	619	720	124
एक निविदा में बोलियों की सीमा	2 से 10	2 से 6	2 से 11	2 से 5	2 से 10	2 से 3

- लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि तीन बोलीदाताओं के डिमांड ड्राफ्ट नंबर क्रमिक थे।
- 10 निविदाओं में मिलीभगत के ऐसे संकेतक पाए गए जैसे कि विभिन्न बोलीदाताओं द्वारा जमा किए गए दस्तावेज़ों का एक ही तिथि पर एक ही नोटरी द्वारा सत्यापन, वित्तीय अभिलेखों का एक ही चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सत्यापन, और दस्तावेजों का एक ही लिखावट में भरा होना आदि।

- आठ निविदाओं में नौ बोलीदाताओं द्वारा एक ही वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या का उपयोग करके कई उपयोगकर्ता आई.डी. सृजित की गई और कई बोलियां प्रस्तुत की गई, तथा प्रति निविदा बोलियों की संख्या दो से आठ तक थी। इसके अतिरिक्त, कुल आठ निविदाओं में से तीन निविदाएं उसी बोलीदाता को आवंटित की गई जिसने कई बोलियां प्रस्तुत की थी।
- इसी प्रकार, 228 निविदाओं के लिए एक ही पैन वाले उपयोगकर्ताओं द्वारा दो से आठ बोलियां जमा की गई, जिनमें से 95 निविदाएं आवंटित की गई। इसके अतिरिक्त, इन 95 में से 72 निविदाएं उसी बोलीदाता को आवंटित की गई जिसने एक ही पैन का उपयोग कर कई बोलियां प्रस्तुत की थी।

₹ 442.20 करोड़ मूल्य की 57 निविदाओं की नमूना जांच के दौरान, दो से आठ बोलीदाताओं के मोबाइल नंबर या ई-मेल समान पाए गए, जो बोलीदाताओं के बीच आपसी संबंध को दर्शाते हैं। ₹ 4.11 करोड़ मूल्य की 18 निविदाओं में बोलीदाताओं के पते एक ही थे, जबकि ₹ 220.69 करोड़ मूल्य की 10 निविदाओं में बोलीदाताओं के पते समान थे। ₹ 269.43 करोड़ मूल्य की 17 निविदाओं में बोलीदाताओं के बीच आपसी संबंध (जैसे पिता-पुत्र, माता-पुत्र, एक ही व्यक्ति आदि) पाए गए। 11 निविदाओं की नमूना जांच के दौरान, जहां एक ही निविदा में एक से अधिक बोलीदाताओं का पैन एक ही था, यह पाया गया कि आठ निविदाओं में बोलीदाताओं के नाम या पते भी एक ही थे।

चार निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों[34] ने (दिसंबर 2023 से सितंबर 2024 के दौरान) लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया।

इस प्रकार, एक निविदा के लिए उपयोगकर्ताओं द्वारा एक ही मोबाइल नंबर और/या ई-मेल आई.डी. से कई बोलियां प्रस्तुत करना, और अन्य संकेतक मिलीभगतपूर्ण बोली की संभावना को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त, वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या/पैन के लिए सत्यापन नियंत्रणों की अनुपस्थिति के कारण एक ही वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या/पैन के साथ एक से अधिक उपयोगकर्ता पंजीकृत हो सके और कई बोलियां प्रस्तुत करने की अनुमति मिली। हालांकि, प्रणाली ने इस संबंध में कोई अलर्ट प्रदान नहीं किया।

विक्रेताओं के एक से अधिक पंजीकरण के संबंध में यह अभ्युक्ति, 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए हरियाणा सरकार की सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों (गैर-पीएसयू) पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुच्छेद 3.9.5.2 में भी रेखांकित किया गया था, जिस पर नोडल विभाग ने आश्वासन दिया था कि निकट भविष्य में इस कार्यक्षमता को प्रणाली में शामिल कर लिया जाएगा। समान कमियों की पुनरावृत्ति मिलीभगत वाली बोली को रोकने के लिए महत्वपूर्ण नियंत्रण कमियों को सुधारने के प्रति संस्थागत प्रतिबद्धता की कमी को दर्शाती है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने उत्तर दिया (दिसंबर 2024) कि एक ही मोबाइल नंबर या ई-मेल के साथ कई लॉगिन खाते बनाना एक व्यावसायिक आवश्यकता थी, क्योंकि उपयोगकर्ता एक ही कंपनी के अलग-अलग स्थानों से हो सकते हैं या

---

[34] (i) हरियाणा वन विकास निगम, कुरुक्षेत्र, (ii) मुख्य अभियंता (सामग्री प्रबंधन), उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड पंचकुला, (iii) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (भू-जल अन्वेषण), रेवाड़ी और (iv) लोक निर्माण विभाग (परियोजना मंडल-1), सिरसा।

विभिन्न विभागों से हो सकते हैं जो अलग-अलग निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों की निविदाओं में भाग ले रहे हों।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह पाया गया कि पांच निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों[35] की 11 निविदाओं में, एक ही मोबाइल नंबर/ई-मेल एड्रेस के साथ पंजीकृत बोलीदाताओं ने एक ही निविदा के लिए बोलियां प्रस्तुत की थी, जबकि वे एक ही कंपनी के उपयोगकर्ता नहीं थे। इसके अतिरिक्त, निविदा खुलने के समय प्रणाली संबंधित निविदा आमंत्रण प्राधिकरण को इस संबंध में कोई अलर्ट प्रदान नहीं करती है।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने बताया (मई 2025) कि उसने सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए थे (मई 2025) कि एक ही बोलीदाता अलग-अलग लॉगिन आई.डी. का उपयोग करके निविदा में भाग न ले और इसकी बोलीदाता के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान इसकी जांच की जाए।

हालांकि, डुप्लिकेट भागीदारी की पहचान करने और उन्हें प्रतिबंधित करने के लिए एक प्रणाली-आधारित नियंत्रण अनिवार्य था, ताकि बोली प्रक्रिया में निरंतरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।

1.9.4 बयाना राशि फीस के भुगतान विवरण से मिलीभगत बोली के संकेत

बयाना राशि का ऑफलाइन भुगतान जून 2020 तक स्वीकार किया जाता था, जब तक कि पोर्टल में बयाना राशि जमा करने की ऑनलाइन सुविधा नहीं जोड़ी गई थी। ऑफलाइन भुगतान चेक, डिमांड ड्राफ्ट या लघु बचत के रूप में हो सकता था, और बोली प्रस्तुत करते समय ऑफलाइन भुगतान का विवरण, जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट/चेक/लघु बचत संख्या और उन्हें जारी करने की तारीख, पोर्टल पर मैन्युअल रूप से भरी जाती थी।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 6,490 निविदाओं के लिए दो से 35 बोलीदाताओं ने एक ही निविदा के अंतर्गत एक ही तिथि पर जारी किए गए और एक-दूसरे के अत्यंत निकट की क्रम संख्या वाले चेक/डिमांड ड्राफ्ट/लघु बचत प्रस्तुत किए थे। इसके अतिरिक्त, 3,017 निविदाओं में अलग-अलग बोलीदाताओं द्वारा एक ही निविदा के लिए एक ही तिथि पर जारी किए गए क्रमिक चेक/डिमांड ड्राफ्ट/लघु बचत संख्या प्रस्तुत किए गए थे। इन मामलों में, प्रणाली को बोली खोलने वाले को बोली के सत्यापन के समय सावधानी के लिए चेतावनी अपेक्षित थी, लेकिन प्रणाली में ऐसे किसी तंत्र के अभाव के कारण ऐसी कोई चेतावनी प्राप्त नहीं हुई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन 6,490 निविदाओं में से 4,230 निविदाओं के लिए बोलियां एक ही आई.पी. एड्रेस से प्रस्तुत की गई थी। इसके अतिरिक्त 1,660 निविदाओं में प्रत्येक निविदा में प्रस्तुत की गई बोलियां एक ही आई.पी. एड्रेस से प्रस्तुत की गई थी; इसके अलावा, एक बोली में सभी बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए चेक/डिमांड ड्राफ्ट/लघु बचत के क्रम संख्या का अंतर एक से नौ की सीमा के भीतर था और वे एक ही बैंक द्वारा एक ही तिथि पर जारी किए गए थे।

---

[35] (i) हरियाणा वन विकास निगम, कुरुक्षेत्र, (ii) मुख्य अभियंता (सामग्री प्रबंधन), उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, पंचकुला, (iii) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (भू-जल अन्वेषण), रेवाड़ी और (iv) लोक निर्माण विभाग (प्रान्तीय मंडल-1), सिरसा (v) नगर निगम, करनाल।

यह दर्शाता है कि बोलीदाताओं ने मिलीभगतपूर्ण तरीके से निविदा के लिए बोलियां प्रस्तुत की और प्रतिस्पर्धा को भंग किया। हालांकि, किसी भी मामले में प्रणाली ने बोली में हेरफेर/गुटबंदी की संभावना से बचने के लिए बोलियों के सत्यापन के दौरान बोली खोलने वाले को सावधानी बरतने के लिए संकेत नही दिया।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने बताया (मई 2025) कि दिसंबर 2019 से फीस के सभी लेनदेन ऑनलाइन मोड में किए जा रहे थे। तथापि, तथ्य यह है कि इंगित किए गए मामले दिसंबर 2019 से पूर्व की अवधि से संबंधित हैं, जब ऑफलाइन भुगतान की अनुमति थी। इसके अतिरिक्त, मिलीभगतपूर्ण बोली के संदिग्ध मामलों में प्रणाली द्वारा अलर्ट सृजित न करने के मामले का अभी समाधान नहीं हुआ।

इस प्रकार, उपर्युक्त वर्णित बोली पैटर्न खरीद इकाई और बोलीदाताओं के बीच मिलीभगत की ओर संकेत करते हैं। यह निविदाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन में शामिल कार्मिकों की विफलता को भी दर्शाता है, जो सहभागिता बढ़ाने, लागत कम करने और पारदर्शिता में सुधार लाने के सरकार के प्रयासों को बाधित करता है।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाए गए पैटर्न यह दर्शाते हैं कि प्रणाली एक ही क्रेडेंशियल्स के साथ अलग-अलग उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण को रोकने में विफल रही। इसके अलावा, बोली खोलने के दौरान राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र प्रणाली द्वारा मिलीभगतपूर्ण बोली के संकेतकों जैसे एक ही आई.पी. एड्रेस से बोली, फीस भुगतान विवरण आदि का मिलान नहीं किया गया, जिससे निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों को संभावित मिलीभगत का सुझाव मिल सके।

1.10 डेटा की गुणवत्ता और प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता

महत्वपूर्ण डेटा विश्वसनीयता और प्रबंधन सूचना प्रणाली की कमियों के कारण प्रणाली की प्रभावशीलता कम हो गई थी। देखे गए मुख्य मामलों में निविदा चरणों का अद्यतन न होना, मूल्यांकन सारांश अपलोड न करना, उपयोगकर्ता डेटा और प्रोफाइल प्रबंधन में विसंगतियां, तथा पोर्टल पर आवंटन मूल्य और निविदा स्थिति आदि में विसंगतियां शामिल थी।

ई-प्रोक्योरमेंट में सूचनापूर्ण निर्णय लेने के लिए सटीक और विश्वसनीय डेटा अत्यंत महत्वपूर्ण है। हितधारकों द्वारा खरीद निष्पादन की निगरानी के लिए डेटा की गुणवत्ता और प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्ट की विश्वसनीयता आवश्यक है। यह सेक्शन ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली में डेटा की गुणवत्ता और प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पन्न जानकारी सटीक, पूर्ण और प्रभावी खरीद निर्णयों में सहायक है।

1.10.1 स्थिति को अद्यतित करने के लिए पोर्टल का उपयोग

पोर्टल पर निविदा प्रक्रिया छः क्रमिक चरणों[36] के माध्यम से प्रगति करती है और निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों के लिए पोर्टल पर निविदा के प्रत्येक चरण को अद्यतित करना अपेक्षित था। सफल बोलीदाता को अनुबंध आवंटन (ए.ओ.सी) पोर्टल के पूर्ण और प्रभावी उपयोग के प्रमुख संकेतकों में से एक था।

---

[36] (i) 'बोली खोली जाए,' (ii) 'बोली खुली_1,' (iii) 'तकनीकी रूप से मूल्यांकित,' (iv) 'बोली खुली_2,' (v) 'वित्तीय रूप से मूल्यांकित,' और (vi) 'अनुबंध का आवंटन'।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि पोर्टल पर 2,46,314 निविदाओं में से केवल 82,923 (33.67 प्रतिशत) निविदाएं ही अनुबंध आवंटन के चरण तक पहुंची। छः अलग-अलग चरणों के माध्यम से निविदाओं का विवरण नीचे दिए गए चार्ट 1.2 में दर्शाया गया है:

चार्ट 1.2: पोर्टल पर प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में निविदाओं का विवरण
(कुल निविदाओं की प्रतिशतता)

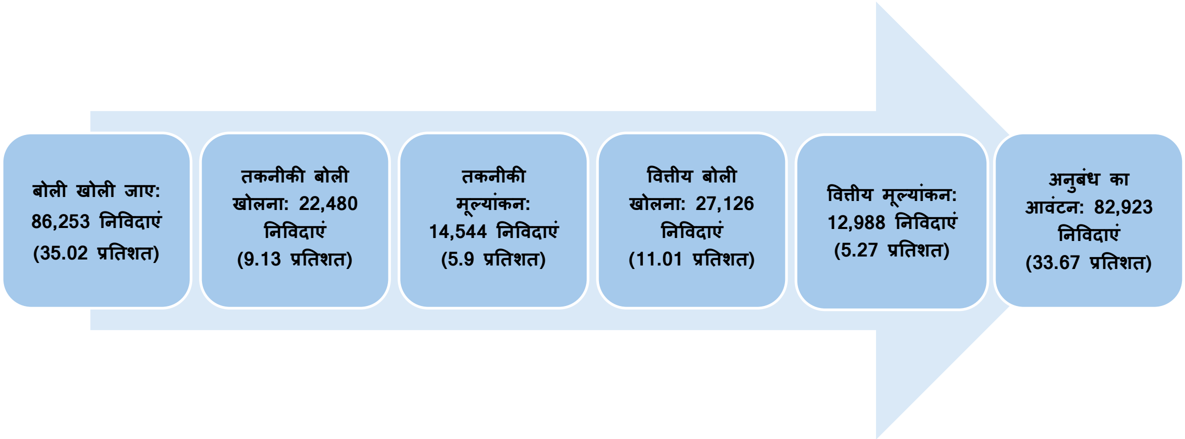

जैसा कि उपर्युक्त दिए गए फ्लो चार्ट में दर्शाया गया है, महत्वपूर्ण संख्या में निविदाएं विभिन्न चरणों में अपूर्ण रही। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि निविदा आमंत्रण प्राधिकरण ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल को अद्यतित करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप पोर्टल के डेटा और निविदाओं की वास्तविक स्थिति के बीच विसंगतियां पाई गई। 331 नमूना जांच निविदाओं की संवीक्षा से यह ज्ञात हुआ कि 41 निविदाओं के मामले में पोर्टल पर अद्यतन की कार्रवाई नहीं की गई थी।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोली दस्तावेजों को डाउनलोड करने और प्रणाली द्वारा तुलनात्मक बोली मूल्य विवरणियां जनरेट करने के बाद, निविदाओं को मैन्युअल रूप से संसाधित किया गया, और संबंधित चरणों को पोर्टल पर अद्यतित नहीं किया गया, जिससे पोर्टल अपनाने के उद्देश्य को अर्थात् खरीद प्रक्रिया के सभी चरणों के संचालन के लिए एक ऑनलाइन समाधान प्रदान करना विफल हो गया।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और बताया कि (मई 2025) कि उसने सभी विभागों को 15 दिनों के भीतर निविदाओं के विभिन्न चरणों के पूरा होने के संबंध में अपने सक्षम प्राधिकारियों के आदेशों को पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश जारी कर दिए थे (मई 2025)।

निविदा स्थिति को अद्यतित न करने से संबंधित कमियों पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

i) प्रकाशित श्रेणी में लंबित निविदाएं (प्रगति के अधीन)

डेटा विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि 2,46,314 निविदाओं में से 98,035 (39.80 प्रतिशत) निविदाएं चार से 61 महीनों[37] की अवधि से प्रगति श्रेणी के अधीन थी, जो यह दर्शाता है कि संबंधित विभाग/इकाई द्वारा इन निविदाओं की पूर्ण जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई

[37] वर्तमान निविदाओं को बाहर रखने के लिए, केवल उन्हीं निविदाओं पर विचार किया गया जिनमें बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 01 जनवरी 2023 से पहले थी। इसमें निविदा को अंतिम रूप देने के लिए चार महीने का उचित समय दिया गया (03 मई 2023 तक, अर्थात वह तिथि जब तक का डेटा डंप प्राप्त किया गया था)।

थी। इसके परिणामस्वरूप, इन निविदाओं की वास्तविक स्थिति का पोर्टल से पता नहीं लगाया जा सका, जिससे निविदा प्रक्रिया की पारदर्शिता प्रभावित हुई। इसके अतिरिक्त, भाग लेने वाले बोलीदाताओं की ₹ 84.92 करोड़ की बयाना राशि, जिसकी स्थिति पोर्टल पर अद्यतित नहीं हुई थी, पूल खाते में ही पड़ी रही और न तो विभाग के खाते में अंतरित हुई और न ही संबंधित बोलीदाताओं को वापस की गई (जैसा कि **अनुच्छेद 1.11.4** में चर्चा की गई)।

चयनित 18 निविदा आमंत्रण निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों की 42 निविदाओं ***(परिशिष्ट 1.5)*** की नमूना जांच से यह पता चला कि 41 निविदाओं को भौतिक फाइलों में तो अंतिम रूप दे दिया गया था, परंतु पोर्टल पर वे अभी भी 'प्रकाशित' दर्शायी जा रही थी।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने एक्जिट मीटिंग (जून 2025) में इस अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया।

ii) ***प्रकाशित निविदाओं की स्थिति का अद्यतन***

हरियाणा सरकार और 18 अन्य राज्य सरकारों, जिन्होंने 2018-23 के दौरान 10,000 से अधिक निविदाएं प्रकाशित की थीं, उनके द्वारा ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर प्रकाशित निविदाओं और उनके अनुबंध के आवंटन की स्थिति के अद्यतन का एक तुलनात्मक विश्लेषण फरवरी 2025 तक ई-प्रोक्योरमेंट डैशबोर्ड पर उपलब्ध डेटा का उपयोग करके किया गया। तुलना के परिणाम नीचे दिए गए चार्ट 1.3 में दर्शाए गए हैं:

चार्ट 1.3: आवंटित निविदाओं की प्रतिशतता का राज्य-वार तुलनात्मक विवरण

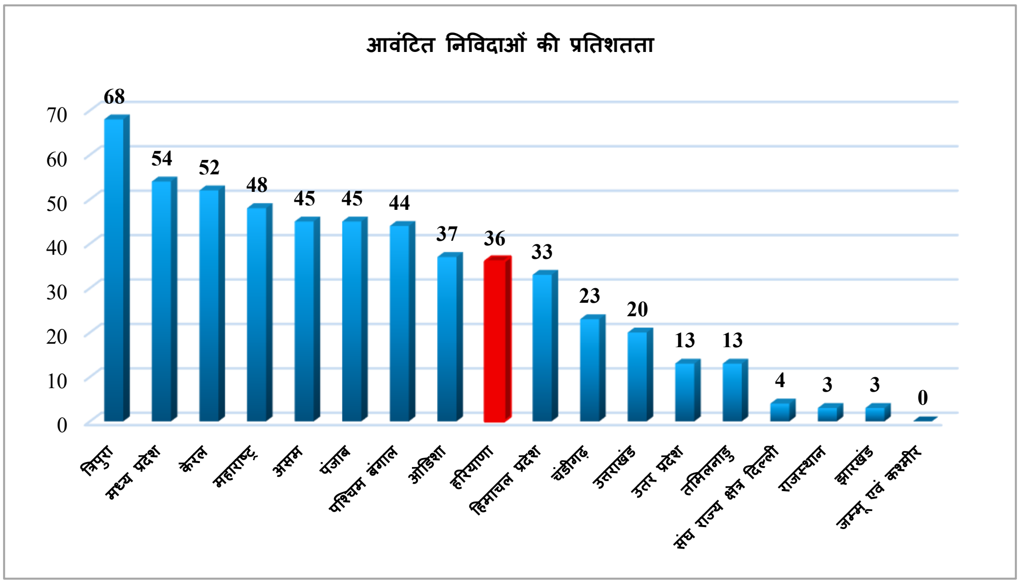

उपर्युक्त में यह देखा जा सकता है कि 18 राज्यों में से हरियाणा नौवें स्थान पर रहा क्योंकि इसने ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर प्रकाशित कुल निविदाओं में से केवल 36.30 प्रतिशत के ही अनुबंध आवंटन अद्यतित किए थे, जबकि इस प्रणाली को लागू हुए 15 वर्ष बीत चुके थे।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और (मई 2025) सूचित किया कि वह निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों को खरीद प्रणाली में दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए ई-प्रोक्योरमेंट हेतु कार्यशालाएं एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने जैसे आवश्यक कदम उठाकर राज्य की रैंकिंग में सुधार करने का प्रयास करेगा।

iii) दस्तावेजों को अपलोड न करना

निविदा प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ाने और असफल बोलीदाताओं को उनके प्रस्ताव अस्वीकार किए जाने के कारणों से अवगत कराने के उद्देश्य से, निविदा के छः चरणों के सापेक्ष निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों द्वारा पोर्टल पर पांच दस्तावेजों[38] को अपलोड किया जाना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि निविदा आमंत्रण प्राधिकरण निविदाओं के लिए अपेक्षित दस्तावेजों को अपलोड करने में विफल रहे, जिसका विवरण ***तालिका 1.5*** में दिया गया है:

तालिका 1.5: दस्तावेजों को अपलोड न किए जाने के विवरण को दर्शाने वाला ब्यौरा

निविदा का प्रकार[39]	शीर्षक	उन निविदाओं की संख्या जिनमें पैकेट खोले गए	उन निविदाओं की संख्या जिनके लिए ओपनिंग दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए	निविदाओं की संख्या जिनके लिए मूल्यांकन सारांश अपलोड नहीं किया गया
एक से अधिक पैकेट	तकनीकी	1,55,420	62,232 (40 प्रतिशत)	21,127 (14 प्रतिशत)
	वित्तीय	1,31,071	55,413 (42 प्रतिशत)	38,156 (29 प्रतिशत)
एकल पैकेट	तकनीकी	10,411	4,002 (38 प्रतिशत)	7,144 (68 प्रतिशत)
	वित्तीय			7,420 (71 प्रतिशत)

331 परीक्षण-जांच निविदा फाइलों की संवीक्षा में यह भी पाया गया कि निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों ने 11 प्रतिशत से 72 प्रतिशत निविदाओं के मामलों में या तो पोर्टल पर कोई दस्तावेज अपलोड नहीं किया था या अप्रासंगिक दस्तावेज अपलोड किए थे, जैसा कि ***तालिका 1.6*** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.6: उन मामलों का विवरण जिनमें निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों द्वारा कोई दस्तावेज अपलोड नहीं किया गया या अप्रासंगिक दस्तावेज अपलोड किए गए

विवरण/चरण	तकनीकी निविदा खोलने का सारांश	तकनीकी मूल्यांकन का सारांश	वित्तीय निविदा खोलने का सारांश	वित्तीय मूल्यांकन का सारांश	अनुबंध आवंटन दस्तावेज
क. उन निविदाओं की कुल संख्या जिनमें सारांश दस्तावेज अपलोड किए जाने थे	325	317	293	240	200
ख. उन निविदाओं की संख्या जिनमें अप्रासंगिक दस्तावेज अपलोड किए गए या कोई दस्तावेज अपलोड नहीं किया गया	233	220	33	158	92
क की तुलना में ख का प्रतिशत	**72**	**69**	**11**	**66**	**46**

पोर्टल पर आवश्यक या प्रासंगिक दस्तावेज़ अपलोड करने में विफलता ने खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बाधित किया, क्योंकि हितधारक निविदा की प्रगति की निगरानी करने या बोलियों की अस्वीकृति/निविदा के आवंटन के औचित्य का पता लगाने में असमर्थ थे।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने एग्जिट मीटिंग (जून 2025) में इस अभ्युक्ति को स्वीकार किया।

---

38 (i) तकनीकी निविदा खोलना, (ii) तकनीकी मूल्यांकन, (iii) वित्तीय निविदा खोलना, (iv) वित्तीय मूल्यांकन और (v) अनुबंध का आवंटन।

39 एकल पैकेट निविदा में एक ही पैकेट में सभी दस्तावेज शामिल होते हैं ताकि उनका एक साथ मूल्यांकन किया जा सके, जबकि बहु-पैकेट निविदा में तकनीकी और वित्तीय बोलियों को अलग-अलग रखा जाता है, जिसमें मूल्य पर विचार करने से पहले तकनीकी योग्यताओं का मूल्यांकन किया जाता है।

1.10.2 प्रणाली द्वारा पोर्टल पर निविदा के चरण का अद्यतन न किया जाना

पोर्टल पर एक निविदा छः चरणों[40] के माध्यम से प्रगति करती है। प्रत्येक चरण क्रमिक रूप से तब अद्यतित होता है जब विभाग बोलियां खोलता है, तकनीकी एवं वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन करता है और आवंटन को अंतिम रूप देता है। निविदा आवंटन के विवरण अपलोड करने के बाद, इसका अंतिम चरण "अनुबंध आवंटन" के रूप में अद्यतित हो जाता है। डेटा विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि प्रणाली द्वारा निविदा के चरणों को अद्यतित नहीं किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

- ऐसी 10,453 निविदाएं थीं जिन्हें खोल दिया गया था, लेकिन पोर्टल पर उनकी स्थिति अभी भी 'खोला जाए' के रूप में ही प्रदर्शित हो रही थी।
- बहु-पैकेट वाली 8,500 निविदाओं के वित्तीय पैकेट खोल दिए गए थे, परंतु पोर्टल पर इन निविदाओं का चरण 'बोली खुली_2' के स्थान पर 'तकनीकी रूप से मूल्यांकित' प्रदर्शित हो रहा था।

इस प्रकार, इन मामलों में प्रणाली द्वारा निविदाओं के सही चरण को अद्यतित नहीं किया गया, जिससे उपयोगकर्ताओं को निविदा में खोले गए पैकेटों के बारे में गलत जानकारी मिली। इसके परिणामस्वरूप, बोलीदाताओं द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ फ्रंट एंड पर उपलब्ध नहीं हो सके और बिलों की मात्रा परिणाम जेनरेट न होने के कारण अन्य बोलीदाताओं के लिए सत्यापन हेतु इसकी उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकी। इन दस्तावेजों का अभाव प्रणाली की पारदर्शिता और प्रभावशीलता को कमजोर करता है। चयनित निविदाओं की नमूना जांच के दौरान, तीन निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों की तीन निविदाओं[41] में भी इसी प्रकार की कमियां पाई गईं।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने एग्जिट मीटिंग (जून 2025) में इस अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया।

1.10.3 निविदाओं की प्रोसेसिंग में अत्यधिक विलंब

निविदा प्रोसेसिंग के समय में कमी लाना ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली के मुख्य उद्देश्यों में से एक था। इसके अतिरिक्त, दक्षता सुनिश्चित करने के लिए निविदाओं को बोली की वैधता अवधि के भीतर अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और पोर्टल पर उनकी स्थिति को अद्यतित किया जाना चाहिए। हालांकि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 98,035 निविदाओं की प्रोसेसिंग में लगे वास्तविक समय का सत्यापन नहीं किया जा सका, क्योंकि पोर्टल पर उनका अद्यतन लंबित था।

82,923 निविदाओं के डेटा विश्लेषण से, जिनमें पोर्टल पर स्थिति अद्यतन की गई थी, यह पाया गया कि निविदा प्रोसेसिंग में लगने वाला समय 56 माह तक था, जिसका विवरण ***तालिका 1.7*** में दिया गया है:

---

[40] (i) 'बोली खोली जाए,' (ii) 'बोली खुली_1,' (iii) 'तकनीकी रूप से मूल्यांकित,' (iv) 'बोली खुली_2,' (v) 'वित्तीय रूप से मूल्यांकित,' और (vi) 'अनुबंध का आवंटन'।

[41] 2023_HRY_270198_1 (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (भू-जल अन्वेषण), रेवाड़ी), 2021_HBC_177125_1 (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, मंडल III, फरीदाबाद) और 2022_HRY_241402_1 (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग I, अंबाला)।

तालिका 1.7: निविदाओं की प्रोसेसिंग में लिया गया समय

क्र.सं.	लिया गया समय (निविदा खोलने से अनुबंध आवंटन तक)	निविदाओं की संख्या
1	4 महीने तक	66,712
2	4 से 12 महीने	13,348
3	12 महीने से दो वर्ष	2,373
4	दो वर्ष से अधिक	490
कुल		**82,923**

इसके अतिरिक्त, 11 निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों में 33 नमूना जांच की गई निविदाओं ***(परिशिष्ट 1.6)*** की संवीक्षा में यह पाया गया कि 16 निविदाएं (48.48 प्रतिशत) उनकी बोली की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद आवंटित की गई और 17 निविदाएं उनकी बोली की वैधता अवधि के भीतर आवंटित की गई थी, परंतु उनके आवंटन का विवरण बोली वैधता समाप्त होने के पश्चात पोर्टल पर अपलोड किया गया।

आगे, लेखापरीक्षा में पाया गया कि पोर्टल पर बोली वैधता विस्तार से संबंधित कार्यक्षमता उपलब्ध नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप यह गतिविधि मैन्युअल रूप से की गई। इसके अतिरिक्त, ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली में निविदा प्रक्रिया में होने वाले अत्यधिक विलंब के मामलों को उजागर करने के लिए फ्लैगिंग तंत्र का अभाव था।

आगे, डेटा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 25,152 निविदाएं (आवंटित निविदाओं का 30 प्रतिशत) प्रारंभिक बोली वैधता समाप्त होने के बाद आवंटित की गई। इन विलंबों के कारण बयाना राशि विभाग के पास अवरुद्ध रही, जिसके परिणामस्वरूप बोलीदाताओं का मोहभंग हुआ और प्रतिस्पर्धा में कमी आई, अंततः इसने सार्वजनिक खरीद की दक्षता और प्रभावशीलता को प्रभावित किया, क्योंकि एल-1 बोलीदाता द्वारा बोली वैधता बढ़ाने से इनकार करने के कारण 158 निविदाओं को या तो निरस्त करना पड़ा या अन्य बोलीदाताओं को आवंटित करना पड़ा। इन 158 निविदाओं में से तीन निविदाओं[42] की नमूना जांच की गई और यह पाया गया कि दो मामलों में बोलीदाता ने वैधता बढ़ाने से इनकार कर दिया था तथा एक मामले में बोली वैधता अवधि समाप्त होने के कारण निविदा को निरस्त कर दिया गया था।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने बताया (मई और जून 2025) कि सभी निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों के लिए निविदा के विभिन्न चरणों (तकनीकी निविदा खोलना/ तकनीकी मूल्यांकन/ वित्तीय निविदा खोलना/ वित्तीय मूल्यांकन/ अनुबंध का आवंटन/ निरस्तीकरण या पुनः निविदा आदि) के पूर्ण होने की जानकारी 15 दिनों के भीतर अपलोड करना अनिवार्य बनाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, और यह आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ पोर्टल पर समय-सीमा के भीतर निविदा के चरणों को पूरा करने के बाद अपलोड करने का प्रावधान करने की संभावना तलाशी जाएगी। हालांकि, उत्तर में उन उपायों का उल्लेख नहीं किया गया है जो बोली वैधता अवधि के भीतर निविदाओं को अंतिम रूप देना सुनिश्चित करने के लिए किए जाने हैं; जिनसे व्यापार नियमों की मैपिंग करके, बोली वैधता अवधि के भीतर निविदाओं को अंतिम रूप देने हेतु अलर्ट जारी करके और प्रणाली में बोली विस्तार के प्रावधान को शामिल करके सुनिश्चित किया जा सकता था।

---

[42] (i) 2020_HRY_ 118625_1, (ii) 2021_HRY_ 173858_1 एवं (iii) 2020_HRY_ 149475_1

1.10.4 आवंटित उच्च मूल्य के अनुबंधों से संबंधित सूचना का प्रसार

हरियाणा सरकार ने (अगस्त 2021 में) अपने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और प्राधिकरणों को ₹ पांच करोड़ से अधिक की सभी निविदाओं को निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों और आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय की वेबसाइटों पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया था। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 13,385.97 करोड़ मूल्य की 562 निविदाएं (प्रत्येक ₹ पांच करोड़ से अधिक) वेबसाइटों पर प्रकाशित नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप अपर्याप्त प्रचार-प्रसार हुआ और सरकारी निर्देशों का गैर-अनुपालन हुआ। फील्ड लेखापरीक्षा के दौरान, छः निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों[43] के मामलों में ₹ पांच करोड़ से अधिक मूल्य की निविदाओं के विवरण को निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों और आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय की वेबसाइट पर दर्ज न किए जाने की अनियमितता पाई गई। इन छः निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों में से दो[44] ने भविष्य में अनुपालन हेतु इस अभ्युक्ति को नोट कर लिया। शेष चार प्राधिकरणों से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2025)।

1.10.5 उपयोगकर्ता डेटा और प्रोफाइल प्रबंधन में विसंगतियां एवं अनियमितताएं

अवरुद्ध उपयोगकर्ताओं के डेटा विश्लेषण से प्रणाली में कई विसंगतियां उजागर हुई, जिनका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

- डेटाबेस की एक तालिका में जहां 566 अवरुद्ध उपयोगकर्ताओं का उल्लेख था, वहीं दूसरी तालिका में ऐसे 826 उपयोगकर्ताओं को सूचीबद्ध किया गया था, जो 260 अवरुद्ध उपयोगकर्ताओं के अंतर को दर्शाता है।
- डेटाबेस में 'किसके द्वारा अवरुद्ध', 'अवरुद्ध करने का कारण', 'किसके द्वारा अनब्लॉक किया गया' और 'अनब्लॉक करने का कारण' से संबंधित फील्ड क्रमशः 642, 727, 510 और 663 अभिलेखों में रिक्त पाए गए।
- *'gep_user'* एवं *'gep_user_block_history'* तालिकाओं में 33 अवरुद्ध उपयोगकर्ताओं की स्थिति आपस में मेल नहीं खाती थी, जो वर्तमान उपयोगकर्ता स्थिति में विसंगतियों को दर्शाती हैं।

ये विसंगतियां डेटा की प्रामाणिकता, डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रणों के अभाव को दर्शाती है।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और बताया (मई 2025) कि उसने अवरुद्ध उपयोगकर्ताओं के डेटा को एक समान तरीके से प्रबंधित करना सुनिश्चित करने हेतु इस मामले के समाधान के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से अनुरोध किया था (मई 2025)। हालांकि, इस पर अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित थी।

---

[43] 1. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, मंडी डबवाली, सिरसा; 2. लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय मंडल संख्या 1, सिरसा; 3. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल संख्या 1, अंबाला; 4. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल संख्या 2, हिसार; 5. नगर निगम, गुरुग्राम; और 6. नगर निगम, करनाल।

[44] 1. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, मंडी डबवाली, सिरसा; और 2. लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय मंडल संख्या 1, सिरसा।

- प्रणाली में सेवानिवृत्ति की तिथि दर्ज नहीं की जा रही थी, जिससे सेवानिवृत्त उपयोगकर्ताओं को सक्रिय रहने की अनुमति मिली, इसके परिणामस्वरूप खरीद प्रक्रिया में अनधिकृत पहुंच, प्रणाली नियंत्रण में कमियां और पारदर्शिता संबंधी समस्याएं उत्पन्न हुई। पोर्टल पर 58 वर्ष से अधिक आयु के 812 विभागीय उपयोगकर्ता सक्रिय पाए गए और 101 उपयोगकर्ता तो पोर्टल पर पंजीकरण के समय ही 58 वर्ष की आयु सीमा पार कर चुके थे, जिनकी आयु 58 वर्ष से लेकर 71 वर्ष से अधिक तक थी। ऐसे 92 उपयोगकर्ताओं ने 3,240 निविदाएं बनाई और 170 ऐसे उपयोगकर्ताओं को 12,199 निविदाएं खोलने के लिए नामित किया गया था।
- 26 निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों की नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि 14 निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों[45] में 38 उपयोगकर्ता सेवानिवृत्ति की आयु पार कर चुके थे और अब सेवा में नहीं थे, फिर भी उनके खाते प्रणाली में सक्रिय बने हुए थे। इसके अतिरिक्त, सेवानिवृत्ति के पश्चात इन खातों का उपयोग करके निविदाएं बनाई गई और इन उपयोगकर्ताओं को निविदा खोलने के लिए भी नामित किया गया था, जो प्रणाली में नियंत्रण और निगरानी की कमियों को दर्शाता है।

यह दर्शाता है कि आयु संबंधी फील्ड के लिए प्रणाली में अपेक्षित नियंत्रण विद्यमान नहीं था और इन उपयोगकर्ताओं को सेवानिवृत्ति की आयु (58 वर्ष) प्राप्त करने पर विभागों द्वारा निष्क्रिय नहीं किया गया था, जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा अनधिकृत उपयोग के संभावित जोखिम उत्पन्न करता है।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने (जून 2025 में) इस लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया था।

1.10.6 प्रतिस्पर्धा का अपर्याप्त स्तर

ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक, अधिक प्रतिस्पर्धी बोली को बढ़ावा देना था। 2,46,314 निविदाओं के डेटा विश्लेषण से पता चला कि प्राप्त बोलियों की संख्या शून्य से लेकर 256 तक थी, जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट 1.4 में दर्शाया गया है:

[45] 1. महानिदेशक राज्य परिवहन हरियाणा, चंडीगढ़; 2. हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड; 3. कार्यकारी अभियंता, मंडल-I, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, फरीदाबाद; 4. कार्यकारी अभियंता, मंडल-III, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, फरीदाबाद; 5. कार्यकारी अभियंता, मंडल-V, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरुग्राम; 6. कार्यकारी अभियंता, विद्युत मंडल, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला; 7. नगर परिषद, चरखी दादरी; 8. नगर निगम, गुरुग्राम; 9. नगर निगम, सोनीपत; 10. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल संख्या 1, अंबाला 11. भू-जल अन्वेषण जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, रेवाड़ी; 12. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल संख्या 2, हिसार; 13. लोक निर्माण विभाग, यांत्रिक मंडल, हिसार; और 14. राज्य चुनाव आयुक्त हरियाणा, पंचकुला।

चार्ट 1.4: प्रत्येक निविदा के लिए प्राप्त बोलियों की संख्या

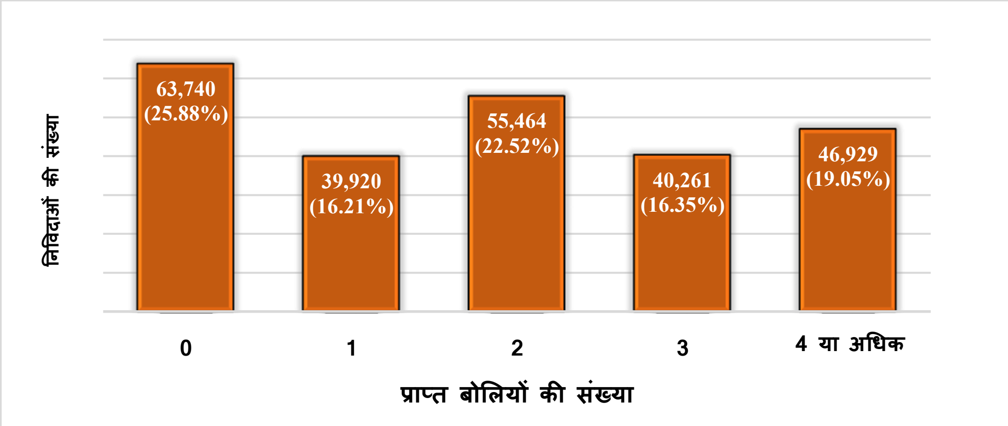

ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के डेटा के विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि वैध बोलियां प्राप्त करने वाली 1,82,574 निविदाओं में से 95,384 (52 प्रतिशत) निविदाओं में केवल एक या दो बोलियां प्राप्त हुई, जो राज्य की निविदा प्रक्रिया में बोलीदाताओं की खराब भागीदारी और कम प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है।

पोर्टल की प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान प्रति निविदा प्राप्त बोलियों की औसत संख्या के मामले में हरियाणा 28 राज्यों में 24वें स्थान पर रहा। इन 28 राज्यों में औसत बोलियां 1.66 से 6.03 प्रति निविदा के बीच रही। हरियाणा में प्रति निविदा औसत बोलियां 1.86 थी, जो कि 28 राज्यों के कुल औसत (2.77) से कम थी।

"निरस्त" या "पुनः आमंत्रित" की गई निविदाओं का अनुपात ई-प्रोक्योरमेंट के उपयोग की प्रभावशीलता को दर्शाने वाले मापदंडों में से एक है। डेटा विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि कुल 2,46,314 निविदाओं में से 58,736[46] (24.85 प्रतिशत) निविदाएं निरस्त की गई या पुनः निविदा निकाली गई। वर्ष 2018-23 के दौरान निरस्त/पुनः निविदा वाली निविदाओं के प्रतिशत में निरंतर वृद्धि हुई थी जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट 1.5 में दर्शाया गया है:

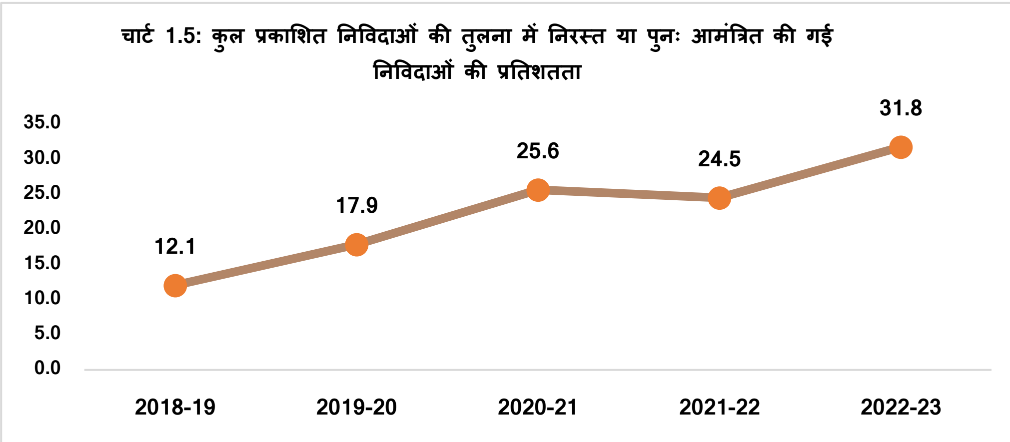

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने बताया (मई 2025) कि उसने विभागों को निर्देश जारी किए थे कि निविदाएं बोली लगाने की तिथि आरंभ होने से सात दिन पहले पब्लिक डोमेन में प्रकाशित

46 कुल 27,724 निविदाओं के मामले में कोई भी बोली प्राप्त नहीं हुई तथा 13,957 निविदाओं के मामले में केवल एक ही बोली प्राप्त हुई।

की जाएं और बोली प्रस्तुत करने के लिए 30 दिनों/14 दिनों का समय दिया जाए, ताकि अधिकतम पात्र बोलीदाता निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकें।

यह उत्तर आश्वस्त करने वाला नहीं है, क्योंकि निष्पक्ष भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बोली शुरू होने की तिथि से काफी पहले पब्लिक डोमेन में निविदाएं प्रकाशित करने के प्रावधान पहले से ही आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय के खरीद मैनुअल में शामिल थे।

1.10.7 आवंटित मूल्य और निविदा स्थिति से संबंधित डेटा विसंगतियां और प्रणालीगत कमियां

एक बोली निविदा प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरती है, जिसमें डेटाबेस नवीनतम स्थिति को दर्ज करता है। वित्तीय पैकेट खोलने और स्वीकार किए जाने के बाद, बोलियां अनुबंध के आवंटन चरण में चली जाती हैं, जहां आवंटित होने पर उन्हें "स्वीकृत-अनुबंध आवंटन" या अस्वीकृत होने पर "अस्वीकृत-अनुबंध आवंटन" के रूप में चिह्नित किया जाता है। वास्तव में, आवंटित मूल्य केवल स्वीकृत बोलियों के लिए ही दर्ज किया जाना चाहिए। हालांकि, डेटा विश्लेषण से कई विसंगतियां ज्ञात हुई:

- 39 बोलियां जिन्हें "अस्वीकृत-अनुबंध आवंटन" के रूप में चिह्नित किया गया था, उनमें "आवंटित मूल्य" शामिल था, और "स्वीकृत-वित्त" स्थिति वाली छः बोलियां अनुबंध आवंटन अभिलेख में आवंटित मूल्य के साथ दर्शायी गई थी, जो डेटा रिकॉर्डिंग में संभावित त्रुटियों को दर्शाता है।
- 62 निविदाएं आवंटित की जा चुकी थी, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति 'प्रकाशित' ही दर्ज थी। इसके अतिरिक्त, इनमें से सात निविदाओं के लिए आवंटित मूल्य भी दर्ज किया गया था। यह दर्शाता है कि प्रणाली द्वारा निविदा की स्थिति को अद्यतित नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप डेटा में विसंगतियां उत्पन्न हुई।
- डेटाबेस की विभिन्न तालिकाओं के मिलान पर यह पाया गया कि 82,923 अनुबंध आवंटन में से 31,402 (38 प्रतिशत) मामलों में दर्ज किया गया आवंटन मूल्य अनुबंध राशि से भिन्न था, जो डेटा में विसंगतियों को दर्शाता है। 26 निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों की नमूना जांच के दौरान, चार निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों[47] से संबंधित 20 ऐसे मामले पाए गए जहां निविदा आमंत्रण प्राधिकरण द्वारा त्रुटिपूर्ण डेटा प्रविष्टि के कारण आवंटन मूल्य और अनुबंध मूल्य का मिलान नहीं हो रहा था। यह इन दोनों फील्ड के संबंध में, प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण की कमी को इंगित करता है, जिसका समाधान किया जाना अपेक्षित था।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और बताया (मई 2025) कि उसने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से प्रणाली में सुधार करने का अनुरोध किया था तथा इन समस्याओं के समाधान के लिए विभागों को सामान्य निर्देश भी जारी किए। हालांकि, अंतिम सुधारात्मक कार्रवाइयां प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2025)।

---

[47] 1. महानिदेशक राज्य परिवहन, हरियाणा, चंडीगढ़ 2. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, हरियाणा, पंचकुला 3. हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड; और 4. कार्यकारी अभियंता, विद्युत मंडल, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला।

1.10.8 अनुबंध डेटा में कमियां

डेटा विश्लेषण से कई ऐसी कमियां ज्ञात हुई, जिनके कारण अनुबंध डेटा में विसंगतियां उत्पन्न हुई, जिनका विवरण नीचे दिया गया है, यह स्थिति निर्णय संबंधी जोखिम पैदा कर सकती है, क्योंकि त्रुटिपूर्ण डेटा के आधार पर लिए गए निर्णय दोषपूर्ण हो सकते हैं। कुल 2,33,316 अनुबंधों में से 8,071 अनुबंधों का निविदा मूल्य गलत तरीके से शून्य दर्ज किया गया, जबकि इस तरह का मूल्य केवल दर और सूचीबद्ध अनुबंधों के लिए ही लागू होता है।

- इसी प्रकार, वित्तीय अभिलेखों में विसंगतियों के परिणामस्वरूप, दर और सूचीबद्ध अनुबंधों को छोड़कर, 111 निविदाओं में आवंटित मूल्य को त्रुटिपूर्ण रूप से शून्य, 739 निविदाओं में एक, और 3,127 निविदाओं में दो से 1,000 के मध्य दर्ज किया गया था।
- 12,651 निविदाओं को वस्तुओं, सेवाओं या कार्यों की श्रेणी के अंतर्गत गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था।
- 306 'दर अनुबंध' और 157 सूचीबद्ध निविदाओं को 'निविदा' के रूप में दर्ज किया गया था, जबकि इसके लिए 'दर अनुबंध' या 'सूचीबद्धीकरण' की अलग श्रेणी उपलब्ध थी।
- 3,886 मामलों में बोलीदाताओं द्वारा अनिवार्य तकनीकी/वित्तीय बोली दस्तावेजों को अपलोड करने की तिथि, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पश्चात् की पाई गई, जिनमें से 1,115 मामलों में वास्तव में अनुबंध प्रदान कर दिए गए थे।

इन कमियों के परिणामस्वरूप प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्टिंग गलत हुई और रिकॉर्ड/दस्तावेजों को समय पर अपलोड नहीं किया गया, जो आंतरिक या आवश्यक नियंत्रणों की कमी को उजागर करता है।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने अवगत कराया (मई 2025) कि उसने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से पोर्टल पर नई सुविधाओं के संबंध में उपयोगकर्ताओं के लिए मासिक सत्र आयोजित करने का अनुरोध (मई 2025) किया था।

1.10.9 निविदा दस्तावेजों तक सीमित सार्वजनिक पहुंच

पोर्टल, पब्लिक को निविदा की स्थिति देखने और विभिन्न रिपोर्टों तक पहुंचने की अनुमति देता है, जिसमें प्रारंभिक सारांश, मूल्यांकन सारांश, बिलों की मात्रा तुलनात्मक चार्ट, और अनुबंध आवंटन विवरण शामिल हैं, जो पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। हालांकि, कार्य के दायरे और विस्तृत विवरण वाले निविदा दस्तावेज केवल प्रकाशन की तिथि से लेकर दस्तावेज डाउनलोड/बिक्री की अंतिम तिथि तक ही देखने और डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध थे।

यह प्रतिबंध, पब्लिक और इच्छुक बोलीदाताओं को परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखने अथवा निविदा विनिर्देशों के साथ परिणामों की तुलना करने से रोकता है। चूंकि ये दस्तावेज एक बार प्रकाशित होने के बाद गैर-संवेदनशील हो जाते हैं, अतः इनकी पहुंच को सीमित करना पोर्टल के पारदर्शिता के मूल उद्देश्य को विफल करता है। एक पूर्णतः पारदर्शी प्रणाली को ऐसी गैर-संवेदनशील जानकारी तक पब्लिक की अप्रतिबंधित पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और सूचित किया (मई 2025) कि उसने निविदा दस्तावेजों तक स्थायी पहुंच सक्षम करने के लिए पोर्टल में संशोधन हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से अनुरोध किया था (मई 2025)।

1.11 प्रणाली में वित्तीय नियमों से संबंधित अनुपालन

फीस एवं बयाना राशि के संबंध में वित्तीय नियमों का गैर-अनुपालन पाया गया क्योंकि राशियों को सही से अंतरित/समायोजित नहीं किया गया था, गलत तरीके से वापस कर दिया गया था या वापस नहीं किया गया था अथवा फीस की कम या अधिक वसूली, गैर-समाधान और सरकार को वस्तु एवं सेवा कर नहीं लगाने / प्रेषित नहीं करने के संबंध में भी मामले पाए गए।

लेखापरीक्षा जांच में ई-प्रोक्योरमेंट से संबंधित वित्तीय लेनदेन में महत्वपूर्ण अनियमितताएं और विसंगतियां ज्ञात हुई। विशेष रूप से, लेखापरीक्षा ने पूल खातों के गैर-समाधान, वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में अनियमितताओं, और बोलीदाताओं को राशियों की वापसी में विसंगतियों को नोट किया। ये चूक प्रभावी आंतरिक नियंत्रणों और निरीक्षण की कमी को दर्शाते हैं, जिससे संभावित वित्तीय नुकसान और ई-प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया की विश्वसनीयता कमजोर हो सकती है, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

1.11.1 पूल खाते का गैर-समाधान

निम्नलिखित फ्लोचार्ट (चार्ट 1.6) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र पोर्टल की सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली के माध्यम से सभी प्रकार के भुगतान प्राप्त करने और प्रेषित करने वाले बैंकिंग पोर्टल के सिंक्रनाइज को दर्शाता है।

चार्ट 1.6: बैंकिंग पोर्टल का सिंक्रनाइजेशन

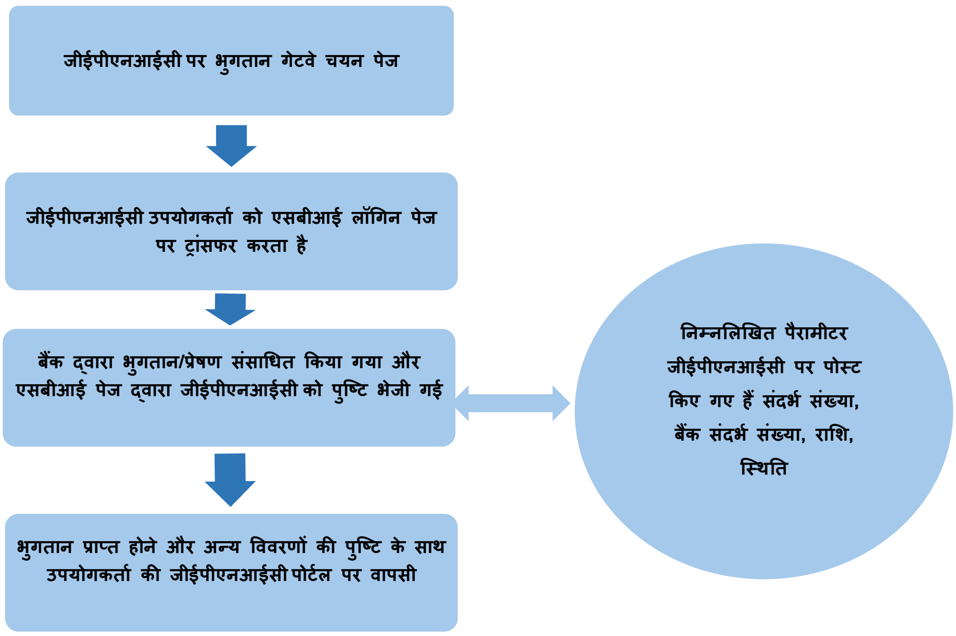

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय और पूल खाते का रखरखाव करने वाले नोडल बैंक के बीच हुए करार के अनुसार, नोडल बैंक द्वारा समाधान उद्देश्य के लिए आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय को एक निर्दिष्ट प्रारूप में लेनदेन की मासिक रिपोर्ट प्रदान की जानी थी। हालांकि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि ऐसी रिपोर्ट न तो नोडल बैंक द्वारा प्रदान की गई और न ही आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय द्वारा मांगी गई। इसके अलावा, आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय द्वारा पूल खाते का मैन्युअल समाधान नहीं किया गया था। जनवरी 2019 से अगस्त 2022 के दौरान बैंक विवरण की पोर्टल डेटा के साथ तुलना से पता चला कि बैंक के अनुसार कुल निकासी और

पोर्टल के अनुसार कुल निकासी के बीच का अंतर कुल ₹ 127.45 करोड़[48] था। इसी तरह, बैंक के अनुसार कुल जमा और पोर्टल के अनुसार कुल जमा के बीच का अंतर कुल ₹ 41.54 करोड़[49] था। वर्ष 2019-23 के दौरान ₹ 22.46 करोड़ की ब्याज राशि पूल खाते में जमा की गई थी, जिसे सरकारी खाते में अंतरित किया जाना अनिवार्य था। हालांकि, यह राशि सरकारी खाते में भेजने के बजाय पूल खाते में ही पड़ी रही।

इसके अतिरिक्त, बैंक द्वारा प्रदान किए गए पूल खाते के लेन-देन डेटा के विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि कुछ लेन-देन रिफंड प्रक्रिया के दौरान, राशि को सीधे लक्षित खाते में भेजने के बजाय पहले नौ मध्यवर्ती खातों में अंतरित किया गया था। अतः, लेखापरीक्षा द्वारा इन अंतरणों की वैधता सुनिश्चित नहीं की जा सकी, क्योंकि निधियों का प्रेषण सीधे लाभार्थी के खाते में न करके मध्यवर्ती खातों के माध्यम से किया गया था।

इसके अतिरिक्त, पोर्टल द्वारा क्रमशः ₹ 83.39 करोड़ की रिफंड फीस और ₹ 6.73 करोड़ के निपटान की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन ये लेन-देन विफल हो गए या बैंक से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। इस प्रकार, प्रणाली उन लेन-देन की अंतिम स्थिति बताने में विफल रही जिनमें कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी। पूल खाते से बोलीदाताओं को ₹ 83.39 करोड़ का रिफंड अभी भी लंबित था, और इन मामलों के लंबित रहने की अवधि एक माह से 30 माह (मई 2023 तक) के मध्य थी।

पोर्टल पर पूल खाते के मिलान के लिए किसी तंत्र के अभाव और आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय द्वारा ऑफलाइन माध्यम से भी इसका मिलान न किए जाने के कारण, निकासी में ₹ 127.45 करोड़ और जमा में ₹ 41.54 करोड़ का अस्पष्ट अंतर पाया गया। इस प्रकार के मिलान के अभाव में, यदि कोई अनधिकृत/अनपेक्षित निकासी हुई है, तो उसका पता नहीं चल पाएगा, जो संगठन अर्थात आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय में कमजोर आंतरिक नियंत्रण को दर्शाता है।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने एग्जिट मीटिंग (जून 2025) में इस अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया।

1.11.2 ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त सेवा फीस का मिलान न किया जाना

बोलीदाताओं से फीस (निविदा दस्तावेज फीस, ई-सेवा फीस, और बयाना राशि) स्वीकार करने के लिए फरवरी 2019 में प्रणाली में ऑनलाइन भुगतान का प्रावधान जोड़ा गया था, और सभी निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों को दिसंबर 2019 तक ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के साथ सिंक्रनाइज किया जाना था। ऑनलाइन भुगतान के साथ निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों के सिंक्रनाइज होने तक, ऑफलाइन माध्यम से ₹ 6.53 करोड़[50] की सेवा फीस प्राप्त की गई थी, परंतु इस राशि का न तो मिलान किया गया और न ही इसे ई-गवर्नेंस हेतु सूचना प्रौद्योगिकी पहल की सोसायटी निधि (आई.टी. सोसायटी) को अंतरित किया गया। इसके परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा द्वारा इन अंतरणों की सटीकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

---

48 ₹ 3,361.51 करोड़ (बैंक) - ₹ 3,234.06 करोड़ (पोर्टल)

49 ₹ 3,619.16 करोड़ (बैंक) - ₹ 3,577.62 करोड़ (पोर्टल)

50 सभी भुगतानों जैसे बयाना राशि, निविदा फीस एवं सेवा फीस में से, केवल सेवा फीस को सूचना प्रौद्योगिकी पहल की सोसायटी निधि में जमा किया जाना था।

नगर निगम, सोनीपत में दो निविदाओं[51] की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि ऑफलाइन माध्यम से ₹ 33,040[52] की सेवा फीस प्राप्त की गई थी (अगस्त, सितंबर 2019), लेकिन इसे सूचना प्रौद्योगिकी सोसायटी के खाते में क्रेडिट नहीं किया गया था।

इस प्रकार, ₹ 6.53 करोड़ की निधियों का मिलान और अंतरण न किए जाने के परिणामस्वरूप निधि प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी हुई।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने इस लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (जून 2025) और सूचित किया कि उसने सूचना प्रौद्योगिकी सोसायटी से आवश्यक कार्रवाई करने तथा उसके द्वारा प्राप्त ऑफलाइन फीस के संबंध में अपेक्षित जानकारी प्रदान करने का अनुरोध किया था (मई 2025)।

1.11.3 वस्तु एवं सेवा कर के उद्ग्रहण, संग्रहण और प्रेषण से संबंधित अनियमितताएं

निविदा दस्तावेज की बिक्री और ई-सेवाओं को सेवाओं की आपूर्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ये 18 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं। लेखापरीक्षा के दौरान वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अनुपालन से संबंधित पाई गई अनियमितताओं का विवरण नीचे दिया गया है:

- वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 31 के तहत अनिवार्य होने के बावजूद, पोर्टल में कर इनवॉइस जनरेट करने का कोई प्रावधान नहीं है, जो कि वैधानिक उल्लंघन की श्रेणी में आता है।
- ई-सेवा फीस पर बोलीदाताओं से ₹ 6.68 करोड़[53] की वस्तु एवं सेवा कर राशि संगृहीत की गई थी, फिर भी वस्तु एवं सेवा कर राशि को सरकार को आगे प्रेषण करने से संबंधित रिकॉर्ड लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके अभाव में यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि राशि सरकार के पास जमा की गई थी या नहीं।
- पोर्टल पर ₹ 79.34 करोड़ की निविदा दस्तावेज फीस राशि संगृहीत की गई थी, लेकिन इसमें वस्तु एवं सेवा कर घटक के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं थी। इस प्रकार, निविदा दस्तावेज फीस को वस्तु एवं सेवा कर सहित मानते हुए, ₹ 12.1 करोड़ की वस्तु एवं सेवा कर राशि सरकार को भुगतान की जानी थी। हालांकि, सरकार को वस्तु एवं सेवा कर के अग्रेषण प्रेषण से संबंधित कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

चूंकि, आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय/निविदा आमंत्रण प्राधिकरण द्वारा वस्तु एवं सेवा कर प्रेषण से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए, इसलिए उपर्युक्त बताई गई संभावित कर चोरी के जोखिम को नकारा नहीं जा सका।

चूंकि प्रणाली में वस्तु एवं सेवा कर संग्रह और प्रेषण को दर्ज करने और उसकी निगरानी करने के लिए आवश्यक प्रावधानों का अभाव है, यह सांविधिक आवश्यकताओं के अनुपालन को

51 2019_HRY_93283_1, 2019_HRY_100900_1

52 1180 x 28 बोलीदाता।

53 ₹ 6.68 करोड़ (3,71,125 बोलियां * ₹ 180 प्रति बोली वस्तु एवं सेवा कर, जिसकी गणना ₹ 1,000 प्रोसेसिंग फीस के 18% के रूप में की गई) [3,31,030 बोलियां जहां बयाना राशि विभागों को अंतरित कर दी गई थी + 40,095 ऑफलाइन बयाना राशि बोलियां] ।

कमजोर करती है और कर अपवंचन एवं उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली वित्तीय देनदारियों के जोखिम को बढ़ाती है।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने एग्जिट मीटिंग (जून 2025) में इस लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया।

1.11.4 पोर्टल के अद्यतित न होने के कारण निधियों का अवरोधन

प्रत्येक बोलीदाता को बोली प्रस्तुत करने के साथ बयाना राशि प्रस्तुत करना अपेक्षित है, जो बोली की अस्वीकृति (तकनीकी/वित्तीय) की जानकारी पोर्टल पर पोस्ट होने के बाद असफल बोलीदाता को वापस कर दी जाती है। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों द्वारा पोर्टल को अद्यतित न किए जाने के कारण, ₹ 84.92 करोड़ की निधियां पूल खाते में ही पड़ी रही। इसका विवरण निम्नानुसार है:

- निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों द्वारा 1,059 निविदाओं का प्रारंभिक सारांश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, 1,671 बोलीदाताओं की ₹ 13.17 करोड़ की बयाना राशि पूल खाते में ही पड़ी रही।
- निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों द्वारा पोर्टल पर 8,378 निविदाओं की स्थिति को अस्वीकृत या चयनित बोलीदाताओं को दर्शाने हेतु अद्यतित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, 13,105 बोलीदाताओं की ₹ 71.75 करोड़ की बयाना राशि भी पूल खाते में ही पड़ी रही। लोक निर्माण विभाग (मैकेनिकल मंडल), हिसार और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (भू-जल अन्वेषण), रेवाड़ी ने (सितंबर-अक्तूबर 2024) इस अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और बयाना राशि को समायोजित कर दिया; जबकि लोक निर्माण विभाग (प्रांतीय मंडल-1), सिरसा ने (अगस्त 2024) यह बताया कि बयाना राशि पूल खाते में नहीं पड़ी थी। हालांकि, लेखापरीक्षा ने सत्यापित किया कि बयाना राशि अभी भी पूल खाते में ही उपलब्ध थी।
- 2,027 निविदाओं की स्थिति पोर्टल पर "खोले जाने हेतु" दर्शायी गई थी। परिणामस्वरूप, इन निविदाओं में 3,585 बोलीदाताओं की ₹ 87.85 लाख की कुल निविदा दस्तावेज फीस और ई-सेवा फीस की राशि पांच से 46 महीनों की अवधि के लिए पूल खाते में ही पड़ी रही।
- पोर्टल द्वारा 57 अमान्य बोलियों[54] के लिए ₹ 20.03 लाख की बयाना राशि का रिफंड शुरू नहीं किया गया था। इसके कारणों को भी पोर्टल पर दर्ज नहीं किया गया था।
- 2,32,140 असफल बोलीदाताओं में से 1,95,483 बोलीदाताओं की बयाना राशि निविदा खुलने के 90 दिनों के भीतर रिफंड कर दी गई थी, जबकि शेष 36,657 बोलीदाताओं की ₹ 520.26 करोड़ की बयाना राशि 90 दिनों से लेकर दो वर्ष से अधिक की अवधि के पश्चात रिफंड की गई।
- 24,324 सफल बोलीदाताओं की ₹ 249.24 करोड़ की बयाना राशि संबंधित विभागों को 90 दिनों से अधिक की देरी से अंतरित की गई।

[54] जहां उचित दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए थे, अंतिम प्रस्तुतिकरण निष्पादित नहीं किया गया था, इत्यादि।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि विलंब का मुख्य कारण निविदाओं का मैनुअल मूल्यांकन था, जिसके कारण पोर्टल पर संबंधित विवरणों को अद्यतन करने में विलंब हुआ। इस प्रकार, प्रणाली-जनरेटेड वर्कफ्लो के बजाय मैनुअल प्रक्रियाओं पर निर्भरता के कारण चरण-वार अद्यतनीकरण में देरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप बयाना राशि के विलंबित/गैर-रिफंड के कारण निधियों का अवरोधन हुआ।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने (मई 2025) बताया कि उसने तकनीकी निविदा खोलने/ तकनीकी मूल्यांकन/वित्तीय निविदा खोलने/वित्तीय मूल्यांकन/अनुबंध आवंटन/निरस्तीकरण और पुनः निविदा आदि को अपलोड करने के संबंध में सभी विभागों को निर्देश जारी (मई 2025) कर दिए थे।

यह उत्तर मैनुअल प्रक्रिया पर निर्भरता के संबंध में लेखापरीक्षा की उस मुख्य टिप्पणी का समाधान नहीं करता है, जिसके कारण निधियों को अंतरित नहीं किया जा सका।

1.11.5 बयाना राशि, निविदा दस्तावेज फीस और ई-सेवा फीस का प्रबंधन

निविदा दस्तावेजों के अनुसार, बोलीदाताओं को बोली प्रस्तुत करने के समय निविदा फीस, ई-सेवा फीस, और बयाना राशि का भुगतान करना अपेक्षित था।

बयाना राशि अस्वीकृत बोलीदाताओं को रिफंड की जानी थी, जबकि निविदा दस्तावेज फीस और ई-सेवा फीस गैर-रिफंड योग्य थी। निविदा फीस और ई-सेवा फीस को निविदा खुलने और पोर्टल पर प्रारंभिक सारांश अपलोड होने के बाद क्रमशः निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों/विभाग के बैंक खाते और ई-गवर्नेंस खाते (आई.टी. सोसाइटी) के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पहल की सोसायटी निधि में अंतरित किया जाना था। हरियाणा सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र पोर्टल की सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली पोर्टल के लिए ऑनबोर्डेड बैंक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया (जनवरी 2019) और शुरुआत में सभी फीस के अस्थायी अवरोधन के लिए एक पूल खाते के रूप में बचत खाता खोला गया।

किसी भी स्तर के मूल्यांकन में बोलीदाता की अस्वीकृति की स्थिति अद्यतित होते ही उसे बयाना राशि रिफंड करने की प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ हो जाती है। वहीं, जिन सफल बोलीदाताओं को निविदा आवंटित की जाती है, उनकी बयाना राशि पोर्टल पर अनुबंध आवंटन के विवरण का अद्यतन होते ही संबंधित विभाग/निविदा आमंत्रण प्राधिकरण के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।

लेखापरीक्षा में बयाना राशि, निविदा दस्तावेज फीस और ई-सेवा फीस के प्रबंधन से संबंधित कई अनियमितताएं पाई गई, जिनका विस्तृत विवरण अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिया गया है:

1.11.5.1 त्रुटिपूर्ण रिफंड के कारण हुई हानि

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि पोर्टल में नियंत्रणों के लागू न होने के कारण 51,250 बोलीदाताओं के ₹ 19.71 करोड़[55] की गैर-वापसी योग्य निविदा दस्तावेज फीस/ई-सेवा फीस को पोर्टल द्वारा रिफंड कर दिया गया था, जिसका विस्तृत विवरण ***तालिका 1.8*** में दिया गया है:

55 कुल ₹ 20.17 करोड़ के जारी किए गए रिफंड में से ₹ 0.46 करोड़ का रिफंड निष्फल रहा और 2 मई 2023 तक पूल खाते में ही लंबित रहा।

तालिका 1.8: निविदा/ई-सेवा फीस के रिफंड को दर्शाने वाला विवरण

रिफंड का प्रकार	निविदाओं की संख्या	बोलियों की संख्या	रिफंड की गई राशि (₹ करोड़ में)	विफल राशि (₹ करोड़ में)	कारण/उत्तरदायित्व
निविदा खोले बिना	11,354	17,429	5.59	0.09	प्रणाली में बिना खोले निरस्त की गई निविदाओं के मामले में रिफंड को रोकने की कोई कार्यक्षमता नहीं थी।
निविदा खोलने के बाद	7,618	20,599	8.85	0.13	निविदा खुलने के बाद निरस्त या पुनः निविदा की गई निविदाओं के मामले में बोलीदाताओं को रिफंड रोकने के लिए प्रणाली में कोई कार्यक्षमता उपलब्ध नहीं थी।
अमान्य बोलियों के लिए	11,252	13,222	5.27	0.23	अमान्य बोलियों के मामले में रिफंड को प्रतिबंधित करने के लिए प्रणाली में कोई कार्यक्षमता नहीं थी।
कुल	**30,224**	**51,250**	**19.71**	**0.46**	

प्रणाली में यह सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित नियंत्रण नहीं थे कि निविदा फीस/ई-सेवा फीस को रोककर रखा जाए और उन्हें रिफंड न किया जाए। इस प्रकार, पोर्टल में नियंत्रणों के गैर-प्रवर्तन या लेनदेन के गलत बिंदु पर नियंत्रण निर्धारित करने के कारण ₹ 19.71 करोड़ की हानि हुई, बावजूद इसके कि आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने जनवरी 2020 से जून 2020 के बीच राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से ऐसे नियंत्रणों को लागू करने के लिए तीन बार अनुरोध किया था।

एग्जिट मीटिंग (जून 2025) में आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने इस लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया।

1.11.5.2 ई-सेवा फीस की अवसूली/कम वसूली/अधिक वसूली

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने (जून 2019) राज्य सरकार के अंतर्गत सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, संघों और रजिस्ट्रारों को पोर्टल के संचालन और रखरखाव की लागत को पूरा करने के लिए प्रत्येक बोलीदाता से भागीदारी हेतु ₹ 1,000 ई-सेवा फीस वसूलने का निर्देश दिया था। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि पोर्टल में इसके अनुरूप प्रावधान शामिल नहीं किए गए थे और निविदा आमंत्रण प्राधिकरण भी 1,707 निविदाओं में 4,456 बोलीदाताओं से ई-सेवा फीस वसूलने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 52.58 लाख की गैर-वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, 121 निविदाओं में निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों ने ₹ 11 से ₹ 750 के बीच ई-सेवा फीस दर्ज की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.98 लाख की कम प्राप्ति हुई।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों ने 532 बोलीदाताओं से ₹ 1,188 से ₹ 11,800 के बीच ई-सेवा फीस वसूली, जो कि ₹ 1,180[56] की निर्धारित फीस से अधिक थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.63 लाख की अधिक सेवा फीस वसूली गई। ई-सेवा फीस की अवसूली/कम वसूली/अधिक वसूली पोर्टल में व्यावसायिक नियमों की गैर-मैपिंग को दर्शाता है।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और बताया (मई 2025) कि उसने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को ई-सेवा फीस ₹ 1,000 निर्धारित करने

56 फीस: ₹ 1,000 + वस्तु एवं सेवा कर: ₹ 180 (₹ 1,000 का 18 प्रतिशत)।

के लिए निर्देशित किया था (मई 2025), ताकि भविष्य में कोई भी निविदा निर्धारित फीस के बिना प्रकाशित न हो सके।

1.11.5.3 प्रभारित निविदा दस्तावेज फीस में विसंगतियां

विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार, राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के रूप में पंजीकृत फर्मों को छोड़कर अन्य सभी बोलीदाताओं से निविदा दस्तावेज फीस प्रभारित की जानी थी। इसके अतिरिक्त, उन बोलीदाताओं से कोई निविदा फीस प्रभारित नहीं की जानी थी, जिन्होंने एकल निविदा प्राप्त होने या एकल बोलीदाता के पात्र होने के कारण निविदा के पुन: आमंत्रण पर फिर से अपनी निविदा प्रस्तुत की हो।

डेटा विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि निविदा फीस से संबंधित व्यावसायिक नियमों को पोर्टल में मैप नहीं किया गया था और बोलीदाता/निविदा के प्रकार पर ध्यान दिए बिना, 2,536 निविदाओं में निविदा दस्तावेज फीस ₹ शून्य, 289 निविदाओं में ₹ एक तथा 19 निविदाओं में ₹ दो से ₹ 10 के बीच निर्धारित की गई थी। इसके अतिरिक्त, एक निविदा[57] के मामले में ₹ 24.50 लाख (निविदा मूल्य का दो प्रतिशत) की निविदा फीस निर्धारित की गई थी, जो कि अत्यधिक थी।

इस प्रकार, अपेक्षित व्यावसायिक नियमों की मैपिंग न होने के कारण, 2,845 निविदाओं में गलत फीस प्रभारित की गई और एक निविदा में बोलीदाताओं से ₹ 24.50 लाख की फीस अनुचित रूप से मांगी गई। यह भी उल्लेखनीय है कि आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय, हरियाणा सरकार के दिनांक 27 अक्तूबर 2016 के आदेश के तहत अपनी परिकल्पित भूमिका के अनुसार सॉफ्टवेयर में परिवर्तन हेतु औपचारिक अनुरोध करने में विफल रहा।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने एग्जिट मीटिंग (जून 2025) में इस लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया।

1.11.5.4 बयाना राशि/निविदा फीस की गणना हेतु कार्यक्षमता का अभाव

जब बोलीदाता किसी निविदा में भाग लेते हैं, तो उनसे अपनी पात्रता के अनुसार निविदा फीस और बयाना राशि का भुगतान करना अपेक्षित होता है, परंतु प्रणाली, छूट पात्रता के आधार पर निविदा फीस या बयाना राशि की गणना नहीं करती है।

डेटा विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि 590 निविदाओं में 701 बोलीदाताओं को कम या शून्य निविदा फीस/बयाना राशि प्रस्तुत करने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया था। चार निविदाओं[58] में पांच बोलीदाताओं[59] की नमूनों जांच की गई और पाया गया कि उनकी बोलियां अपर्याप्त फीस के कारण निरस्त कर दी गई थीं, जबकि इस फीस की गणना प्रणाली द्वारा की जानी चाहिए थी।

---

[57] निविदा संख्या 2020_HRY_153037_10

[58] (i) 2022_HRY_214471_1, (ii) 2022_HRY_226761_1, (iii) 2022_HBC_238147_1 एवं (iv) 2021_HBC_199740_1

[59] (i) मैसर्स ए बी कंस्ट्रक्शंस, (ii) मैसर्स श्याम सुंदर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, (iii) डायनेमिक एज सॉल्यूशन, (iv) जुपिटर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम सिस्टम्स और (v) एस एंड एम इंडस्ट्रियल वॉल्व्स लिमिटेड।

इसके अतिरिक्त, चयनित इकाइयों की लेखापरीक्षा से यह ज्ञात हुआ कि निविदा मूल्य के आधार पर फीस गणना के नियमों की मैपिंग न होने के कारण चार इकाइयों[60] ने निविदा दस्तावेज फीस के रूप में ₹ 6.38 लाख की अल्प-वसूली की, जो अनुपालन में चूक और राजस्व की हानि को दर्शाता है।

यह पाया गया कि हरियाणा सरकार ने निविदा फीस और बयाना राशि के भुगतान के संबंध में हरियाणा में स्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, खादी ग्रामोद्योग और श्रम एवं निर्माण समितियों को छूट प्रदान करने के निर्देश जारी किए थे। इसके अतिरिक्त, हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एच.ई.डब्ल्यू.पी.) पर पंजीकृत बोलीदाता भी बयाना राशि में छूट के पात्र थे, बशर्ते वे अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों। हालांकि, प्रणाली में निविदा राशि और निविदा फीस के व्यावसायिक नियमों को मैप नहीं किया गया था, क्योंकि यह छूट की पात्रता के आधार पर बोलीदाताओं के लिए बयाना राशि और निविदा फीस की गणना नहीं करती थी और बोलीदाताओं के पास पात्रता न होने पर भी छूट का दावा करने का विवेकाधिकार था।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और बताया (मई 2025) कि इस मामले को उच्च स्तर के साथ-साथ राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र प्राधिकारियों के समक्ष भी उठाया जाएगा।

1.11.6 बयाना राशि की अनियमित जब्ती या प्रतिधारण

हरियाणा लोक निर्माण विभाग कोड के पैरा 13.8.2 के अनुसार यदि बोलीदाता बोली की वैधता अवधि के दौरान अपनी बोली वापस लेता है, स्वीकृति पत्र जारी होने के बाद अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, या निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो बोलीदाता की बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी। हालांकि, अभिलेखों के नमूना जांच से यह ज्ञात हुआ कि निम्नलिखित मामलों में हरियाणा लोक निर्माण विभाग कोड के उक्त प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया था:

(i) पांच बोलीदाताओं[61] ने निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों से उनकी बोली पर विचार न करने का अनुरोध किया था। हालांकि, निविदा खुलने के बाद बोलियों को वापस लेने की प्रविष्टि करने हेतु पोर्टल पर व्यवस्थित प्रक्रिया के अभाव के कारण, उनकी ₹ 1.98 लाख की बयाना राशि रिफंड कर दी गई ***(परिशिष्ट 1.7)***। हरियाणा वन विकास निगम, कुरुक्षेत्र ने (सितंबर 2024) इस अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और ₹ 20,000 की बयाना राशि की वसूली कर ली गई।

(ii) लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), प्रांतीय मंडल रेवाड़ी में 17 निविदाएं ***(परिशिष्ट 1.8)*** पोर्टल पर एक साथ एल1 और एल2 बोलीदाताओं को आवंटित दर्शायी गई थी, और इस प्रकार विभाग द्वारा दोनों बोलीदाताओं की बयाना राशि को प्रतिधारित कर लिया गया था। हालांकि, भौतिक फाइलों की संवीक्षा करने पर यह पाया गया कि निविदाएं केवल

---

[60] (i) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अंबाला मंडल-1 (₹ 3.01 लाख), (ii) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, मंडल-2 हिसार (₹ 14,000), (iii) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, मंडी डबवाली (₹ 55,000) और (iv) नगर निगम करनाल (₹ 2.68 लाख)।

[61] राधा कृष्ण एंटरप्राइजेज (2022_HBC_249732_1), प्रकाश पंप इंजीनियर्स (2021_HRY_172826_1), श्री संदीप कुमार कांट्रेक्टर (2022_HRY_221420_1 और 2022_HRY_221422_1), सुदेश कोऑपरेटिव लेबर कंस्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड, सोनीपत (2023_HRY_252639) और कलतर सिंह (2020_HRY_142688_1)

एल1 बोलीदाता को आवंटित की गई थी। अतः, एल2 बोलीदाताओं की ₹ 35.27 लाख की बयाना राशि रिफंड की जानी थी, लेकिन उसे प्रतिधारित कर लिया गया। लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), प्रांतीय मंडल रेवाड़ी ने बताया (जुलाई 2025) कि एल2 की बयाना राशि निविदा दस्तावेजों की आवश्यकता के अनुसार प्रतिधारित की गई थी, ताकि एल1 द्वारा कार्य शुरू करने में विफल रहने की स्थिति में एल2 को वार्ता के लिए बुलाया जा सके। विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि निविदा दस्तावेजों में यह निर्धारित किया गया था कि असफल बोलीदाताओं की बयाना राशि 45 दिनों के भीतर वापस कर दी जानी चाहिए।

प्रणाली द्वारा बोलीदाताओं द्वारा बोलियां वापस लेने, निविदाएं आवंटित करने और प्रणाली के माध्यम से अनुबंध आवंटन जारी करने की प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं की गई और ये गतिविधियां राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र पोर्टल की सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली के बाहर की गई, जिसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त चूक हुई। इससे ई-निविदा प्रणाली में विश्वसनीयता कम होती है और प्रतिस्पर्धा हतोत्साहित होती है।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने बताया (मई 2025) कि बोलीदाताओं की बयाना राशि जब्त करने का प्रावधान पोर्टल पर उपलब्ध है और यह भी बताया कि 17 निविदाओं की जांच का मामला लोक निर्माण विभाग के साथ उठाया गया है। हालांकि, एग्जिट मीटिंग (जून 2025) के दौरान यह बताया गया कि यह मामला निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों से संबंधित था।

यह उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय, नोडल एजेंसी होने के नाते, इस तरह की कमियों को रोकने के लिए पोर्टल के भीतर आरंभ से अंत की पूरी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी था। इसके अतिरिक्त, निविदा आमंत्रण प्राधिकरण (लोक निर्माण विभाग) से उत्तर की प्रतीक्षा थी (दिसंबर 2025)।

1.11.7 बोलीदाताओं को वापस की गई राशि में विसंगतियां

प्रणाली में, प्राप्ति और रिफंड के लेनदेन को सत्यापित करने के लिए आवश्यक नियंत्रणों का अभाव है, जिसके परिणामस्वरूप असंगत और अनधिकृत रिफंड हुआ। ये कमियां कमजोर वित्तीय नियंत्रण की ओर संकेत करती हैं और राजस्व लीकेज एवं गलत रिपोर्टिंग के जोखिम को बढ़ाती हैं। डेटा विश्लेषण से बोलीदाताओं द्वारा प्रेषित राशियों और भुगतान की गई फीस में विसंगतियां पाई गई, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

- 36 बोलियों में, जहां निविदा दस्तावेज/ई-सेवा फीस के रूप में केवल ₹ 0.42 लाख प्राप्त हुए थे, ₹ 18.12 लाख के अतिरिक्त प्रेषण के साथ ₹ 18.54 लाख प्रेषित/रिफंड दर्शाए गए, इसके अलावा, 10 मामलों में ₹ 15,140 के निविदा दस्तावेज/ई-सेवा फीस और पांच मामलों में ₹ 3.36 लाख की बयाना राशि पूल खाते में जमा नहीं हुई थी, फिर भी ये राशियां बोलीदाताओं को वापस कर दी गई।

₹ 21.63 लाख की पहचानी गई अनियमितताएं, सुसंगत लेनदेन और संबंधित अलर्ट सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली में प्रोसेसिंग नियंत्रणों के अभाव के कारण संभावित राजस्व लीकेज और कुप्रबंधन का संकेत देती हैं।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने बताया (मई 2025) कि उसने बैंक से जानकारी मांगी है जो कि प्रतीक्षित थी (दिसंबर 2025)।

1.12 सुरक्षा एवं जोखिम प्रबंधन

लेखापरीक्षा के दौरान प्रणाली में उपयोगकर्ता गतिविधियों से संबंधित कमियां पाई गई, क्योंकि लॉग अपूर्ण थे, बिना लॉगिन के कार्य किए गए थे और लॉगिन का समय क्रम निरंतर नहीं था, जिससे डेटा की विश्वसनीयता के संबंध में चिंताएं उत्पन्न होती हैं। इसके अतिरिक्त, भूमिका सृजन और कर्तव्यों के पृथक्करण में विसंगतियां पाई गई और एक निश्चित पासवर्ड नीति का भी अभाव पाया गया।

1.12.1 दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर की अनुपस्थिति या उनका अनधिकृत उपयोग

प्रमाणन प्राधिकारियों द्वारा जारी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डी.एस.सी.), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करते हैं। इस अधिनियम की धारा 5 डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता प्रदान करती है और उक्त अधिनियम की धारा 66सी के अनुसार, किसी अन्य व्यक्ति के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का उपयोग करना अवैध है। ई-टेंडरिंग पोर्टल पर, विभागों और बोलीदाताओं दोनों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का उपयोग करना अनिवार्य है।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि बोलीदाताओं द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों और विभाग द्वारा अपलोड किए गए विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना एवं शुद्धिपत्र में डिजिटल हस्ताक्षर अंकित नहीं थे, जिसकी अनुपस्थिति में दस्तावेजों की प्रामाणिकता स्थापित नहीं हो सकती थी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने उत्तर दिया (दिसंबर 2024) कि हस्ताक्षरित फाइलें सर्वर पर संग्रहीत थी। यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि हस्ताक्षरित दस्तावेजों की प्रामाणिकता की लेखापरीक्षा में स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी, सिवाय डेटाबेस के माध्यम से, जिसने पारदर्शिता और सत्यापन की सुगमता को सीमित कर दिया। लेखापरीक्षा में 'डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र' के उपयोग से संबंधित कई विसंगतियां पाई गई, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

(i) डेटा विश्लेषण से पता चला कि 49 निविदाओं में से 16 उपयोगकर्ताओं ने समाप्त हो चुके डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र वाले दस्तावेज़ अपलोड किए, जो दर्शाता है कि इस फील्ड के लिए सत्यापन नियंत्रणों को सख्ती से लागू नहीं किया गया था। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने उत्तर दिया (दिसंबर 2024) कि यह समस्या संभवतः एक उपयोगकर्ता द्वारा एक ही टोकन में दो प्रमाणपत्र इम्पोर्ट करने के कारण उत्पन्न हुई होगी, जिसमें प्रणाली प्रमाणपत्रों से एलियास नेम के आधार पर डेटा प्राप्त कर रही थी और आश्वासन दिया कि इस समस्या को भविष्य के रिलीज में हल कर दिया जाएगा।

(ii) पोर्टल पर दर्ज 138 विभागीय उपयोगकर्ता उन डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों पर अंकित नामों से भिन्न थे, जो इन उपयोगकर्ताओं के साथ मैप किए गए थे। इन उपयोगकर्ताओं को बोली खोलने के लिए 6,181 निविदाओं में नामित किया गया था। यह दर्शाता है कि प्रणाली में उपयोगकर्ता के नाम और डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र में दिए गए नाम के मिलान हेतु सत्यापन नियंत्रण का अभाव था। इन मामलों में, इन उपयोगकर्ताओं द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी, जिससे डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के उपयोग का मूल उद्देश्य ही विफल हो गया।

चयनित निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण-I फरीदाबाद में, 395 निविदाओं में बोली खोलने के लिए नामित एक उपयोगकर्ता (S*r*e*t S*n*h) ने किसी अन्य व्यक्ति (S*r*s* R*t*i) के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का उपयोग किया, जो आई.डी. की गलत मैपिंग के कारण हुआ। इसके अतिरिक्त, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अंबाला में, उपयोगकर्ता (B*l*n*e* S*n*h) की आई.डी. (62,729) कर्मचारी के पिता के नाम पर गलत तरीके से बनाई गई थी। इसी प्रकार की विसंगतियां लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सडकें) सर्कल रेवाड़ी, कार्यकारी अभियंता (विद्युत मंडल) पंचकूला, और कार्यकारी अभियंता मंडल-3 फरीदाबाद के कार्यालयों में भी पाई गई।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने स्वीकार किया (मई 2025) कि समस्या के समाधान के लिए प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है और आगे बताया कि उसने डेटा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर/इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से अनुरोध (मई 2025) किया था। हालांकि, अपेक्षित सत्यापन नियंत्रण लागू करके इस समस्या को ठीक किए जाने की वर्तमान स्थिति अभी प्रतीक्षित थी।

चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र युक्त दस्तावेज ही कानूनी रूप से स्वीकार्य हैं, अतः दस्तावेजों पर इसे अंकित न करना कानूनी जटिलताओं का कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त, निविदा के नियमों और शर्तों के संबंध में विवाद की स्थिति में, समाधान तब तक संभव नहीं है जब तक कि बोलीदाता स्वयं उन दस्तावेजों की प्रामाणिकता को स्वीकार न कर ले।

1.12.2 उपयोगकर्ताओं की भूमिकाओं से संबंधित अनधिकृत कार्य और डेटा विश्वसनीयता

प्रत्येक उपयोगकर्ता को प्रणाली के पहुंच नियंत्रण फ्रेमवर्क के भीतर एक विशिष्ट भूमिका के साथ मैप किया जाना अपेक्षित है। हालांकि, डेटा विश्लेषण में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:

- प्रणाली में 16 भूमिकाएं उपलब्ध थी, जबकि डेटाबेस में अनुक्रमिक आई.डी. 17 तक थी क्योंकि तालिका में आई.डी. संख्या 15 गायब थी।
- सात उपयोगकर्ताओं को कोई भूमिका नहीं सौंपी गई थी, जिनमें से पांच विभागीय उपयोगकर्ता और दो बोलीदाता थे।
- एक उपयोगकर्ता ने कोई भूमिका निर्दिष्ट किए बिना 27 निविदाओं के पैकेटों को एक्सेस किया और डिक्रिप्ट किया। तीन उपयोगकर्ताओं ने अपेक्षित भूमिकाओं के बिना आठ निविदाएं प्रकाशित की। एक उपयोगकर्ता ने निविदाएं आवंटन के लिए अपेक्षित भूमिका न होने के बावजूद प्रणाली पर एक निविदा आवंटित की थी। यह दर्शाता है कि उपयोगकर्ताओं ने अपेक्षित प्राधिकार के बिना कार्रवाई की।
- भूमिका आवंटन के 9,204 मामलों में उपयोगकर्ता विवरण अनुपलब्ध थे, जो बोलीदाताओं से संबंधित थे। इस पहचान संबंधी जानकारी के बिना, उपयोगकर्ता एट्रिब्यूशन को सत्यापित नहीं किया जा सका, जिससे डेटा की सत्यनिष्ठा प्रभावित हुई।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने एग्जिट मीटिंग (जून 2025) में इस अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया।

1.12.3 पासवर्ड नीति का अभाव

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पासवर्ड नीति की धारा 3.1.1.2 के अनुसार, सभी उपयोगकर्ता-स्तर के पासवर्ड कम से कम हर तीन महीने में एक बार बदले जाने चाहिए।

डेटा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 79,775 उपयोगकर्ताओं में से 75,892 ने 90 दिनों के बाद अपने पासवर्ड बदले। इसके अतिरिक्त, इनमें से 31,218 उपयोगकर्ताओं ने पासवर्ड बदलने के लिए प्रेरित किए बिना 90 दिनों के बाद प्रणाली में लॉग इन किया, चूंकि प्रणाली में इस कार्यक्षमता का अभाव था। विशेष रूप से, एक उपयोगकर्ता 11 वर्षों से एक ही पासवर्ड का उपयोग कर रहा है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दिशानिर्देशों के विरुद्ध है, जिससे अनधिकृत पहुंच का जोखिम उत्पन्न होता है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने उत्तर दिया (दिसंबर 2024) कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र पोर्टल की सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली में नियमित अंतराल पर पासवर्ड परिवर्तन लागू करने का प्रावधान है। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि डेटा विश्लेषण ने इस दावे का खंडन किया।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और बताया (मई 2025) कि उसने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार पोर्टल में पासवर्ड के लिए आवश्यक नियंत्रण लागू करने का अनुरोध (मई 2025) किया था।

1.12.4 कर्तव्यों का गैर-पृथक्करण

अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन 27001 नियंत्रण 10.1.3 के अनुसार, जैसा कि मानकीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन (एस.टी.क्यू.सी.) निदेशालय द्वारा जारी ई-प्रोक्योरमेंट प्रणालियों की गुणवत्ता आवश्यकताओं के अनुपालन हेतु दिशानिर्देशों की धारा 2.3 में संदर्भित है, संगठन की संपत्तियों के अनधिकृत या अनैच्छिक संशोधन या दुरुपयोग के जोखिम को कम करने के लिए कर्तव्यों और उत्तरदायित्व के क्षेत्रों को पृथक किया जाना चाहिए।

डेटा विश्लेषण से पता चला कि 6,373 विभागीय उपयोगकर्ताओं को एक से अधिक भूमिकाएं सौंपी गई थी, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

सौंपी गई भूमिकाओं की संख्या	शून्य	1	2	3	4	5	6	7	8
उपयोगकर्ताओं की संख्या	5	46	68	17	19	161	4,957	1,095	56

एक ही उपयोगकर्ता को अलग-अलग और महत्वपूर्ण प्रकृति की कई भूमिकाएं सौंपना, कर्तव्यों के पृथक्करण के लिए मानकीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन में निर्धारित नियमों के उल्लंघन में था। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि निविदा मूल्यांकन और निविदा स्वीकृति जैसी प्रमुख भूमिकाएं एक ही उपयोगकर्ता को या ऐसे उपयोगकर्ताओं को सौंपी गई थीं जिनके पास कोई प्रशासनिक प्राधिकार नहीं था या सीमित प्रशासनिक प्राधिकार[62] थे।

[62] लिपिक, मुख्य लिपिक, लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार, कनिष्ठ अभियंता, फार्मासिस्ट, स्टेनो टाइपिस्ट, वन रक्षक, चपरासी आदि; और नोडल अधिकारी की भूमिकाएं भी उन उपयोगकर्ताओं को सौंपी गई थी जिनके पदनाम लिपिक, लेखाकार, कनिष्ठ अभियंता आदि थे।

एक ही उपयोगकर्ता को कई भूमिकाएं सौंपना और सीमित प्रशासनिक प्राधिकार वाले व्यक्तियों को महत्वपूर्ण भूमिकाएं देना, भूमिका मैपिंग और उत्तरदायित्व के उद्देश्य को विफल करता है। इसके अलावा, प्रणाली में शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार भूमिकाएं सौंपने की कार्यक्षमता मौजूद नहीं है।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने बताया (मई 2025) कि भूमिकाएं केवल विभागों/ निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों द्वारा भरे गए फॉर्मों के अनुसार सौंपी गई थीं, जिसमें आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय/राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की कोई भूमिका नहीं थी।

यह उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उचित निर्देशों और कर्तव्यों के पृथक्करण के माध्यम से पोर्टल का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।

1.12.5 बिना लॉगिन के किए गए कार्य और फाइल हैश विश्वसनीयता में विसंगतियां

डेटा विश्लेषण ने उपयोगकर्ता गतिविधि लॉगिंग और दस्तावेज अपलोड के दौरान डेटा विश्वसनीयता से संबंधित गंभीर प्रणालीगत कमजोरियों को उजागर किया:

- यह पाया गया कि 1,686 उपयोगकर्ताओं (विभागीय कर्मियों और बोलीदाताओं दोनों सहित) द्वारा की गई 4,487 कार्रवाइयों[63] के लिए लॉगिन हिस्ट्री टेबल में कोई संगत पत्राचार प्रविष्टि नहीं थी, लॉगिन रिकॉर्ड का यह अभाव प्रणाली के लेखापरीक्षा ट्रेल की विश्वसनीयता और प्रमाणीकता पर गंभीर चिंता उत्पन्न करता है। उचित लॉगिंग की कमी का अर्थ है कि प्रणाली यह निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं कर सकती कि ये कार्य प्रमाणित उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए थे या संभावित रूप से बिना किसी लॉगिन के, जिससे उत्तरदायित्व और ट्रैसेबिलिटी से समझौता होता है। इस तरह की कमियां प्रणाली की सुरक्षा को कमजोर करती हैं और अनधिकृत गतिविधियों की संभावना को बढ़ाती हैं।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने स्पष्ट किया (दिसंबर 2024) कि ये विसंगतियां पोर्टल की अनुत्तरदायी स्थिति के कारण उत्पन्न हुई, जिसके कारण लॉग रिकॉर्ड, लॉगआउट की प्रकृति और दिन की समाप्ति की प्रक्रियाओं के आधार पर कई तालिकाओं में वितरित हो गया था। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने आश्वासन दिया कि इन लॉगिंग विसंगतियों को दूर करने के लिए एक समाधान की योजना बनाई जा रही है।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और बताया (मई 2025) कि उसने भविष्य में इस तरह की चूक की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रणाली में आवश्यक प्रावधान लागू करने हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से औपचारिक रूप से अनुरोध किया। इन आश्वासनों के बावजूद, अंतिम सुधारात्मक कार्रवाइयां अभी भी प्रतीक्षित थी।

- हैश फंक्शन लेनदेन को सुरक्षित करने और डेटा की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए क्रिप्टोग्राफी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निविदा पोर्टल में, जब बोलीदाता दस्तावेज अपलोड करते हैं, तब प्रणाली अपलोड टाइमस्टैम्प के साथ संयुक्त रूप से प्रत्येक फाइल नाम के लिए एक यूनिक हैश वैल्यू उत्पन्न

[63] निविदा सृजन: 309, निविदा प्रकाशन: 200, शुद्धिपत्र सृजन: 134, शुद्धिपत्र प्रकाशन: 1,587, बोली सृजन: 184, बोली प्रस्तुत करना: 1,216, पैकेट डिक्रिप्शन: 290, और बोली डिक्रिप्शन: 567

करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि फाइल की प्रामाणिकता को सत्यापित किया जा सके और उसे छेड़छाड़ से सुरक्षित रखा जा सके। हालांकि, डेटा विश्लेषण में चिंताजनक विसंगतियां उजागर हुई: 56,239 ऐसे उदाहरण मिले जहां एक ही नाम वाली फाइलों के हैश वैल्यू अलग-अलग थे, और 15 मामले ऐसे थे जहां एक ही तारीख पर अपलोड किए गए दस्तावेजों के हैश मेल नहीं खाते थे। ऐसी विसंगतियां प्रणाली की डेटा विश्वसनीयता में आश्वासन को कम करती हैं, जो यह दर्शाता है कि जिन फाइलों को एक समान माना गया था वे वास्तव में समान नहीं थी, या प्रणाली सुसंगत हैश उत्पन्न करने में विफल रही। यह अपलोड किए गए दस्तावेजों के लिए प्रणाली के भीतर उचित एकीकरण और प्रामाणिकता सत्यापन की कमी को दर्शाता है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने बताया (दिसंबर 2024) कि हैश वैल्यू विशेष रूप से बिलों की मात्रा फाइलों के लिए उत्पन्न की गई थी ताकि बोली प्रस्तुत करने के दौरान अपलोड किए गए डेटा को सत्यापित किया जा सके, और संग्रहीत हैश वैल्यू का मिलान बिलों की मात्रा फाइल की कस्टम प्रॉपर्टीज में शामिल हैश से किया गया था। हालांकि, यह स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं था, क्योंकि हैश वैल्यू में विसंगतियां न केवल बिलों की मात्रा फाइलों में बल्कि बोलीदाताओं द्वारा अपलोड किए गए विभिन्न अन्य दस्तावेजों में भी पाई गई, जो व्यापक प्रणाली विसंगतियों की ओर संकेत करती है।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और बताया (मई 2025) कि उसने इस तरह की विसंगतियों को दूर करने और समान हैश जनरेशन एवं सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में उचित सत्यापन तंत्र लागू करने हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से अनुरोध किया था।

ये मामले निविदा प्रणाली के भीतर उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण ट्रैकिंग और दस्तावेज विश्वसनीयता सत्यापन दोनों में महत्वपूर्ण कमियों को उजागर करते हैं । विश्वसनीय लॉगिन लॉग का अभाव और अपलोड की गई फाइलों के असंगत हैशिंग प्रणाली की पारदर्शिता से समझौता करते हैं, जिससे अनधिकृत पहुंच, डेटा लीकेज, उपयोगकर्ता उत्तरदायित्व को ट्रेस करने में असमर्थता और बोली के साथ छेड़छाड़ हो सकती है।

1.12.6 लॉगिन टाइमस्टैम्प से संबंधित विसंगति

डेटाबेस उपयोगकर्ता के लॉगिन विवरण को रिकॉर्ड करता है और क्रमिक आईडी आवंटित करता है, जिसमें प्रत्येक नए लॉगिन को पिछले लॉगिन की तुलना में एक अंक अधिक की आईडी प्राप्त होनी चाहिए।

डेटा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 39.39 लाख लॉगिन आई.डी. में से 15.66 लाख (40 प्रतिशत) क्रम में नहीं थे, जहां बाद के लॉगिन को कम आई.डी. संख्या (अर्थात, कम अनुक्रम संख्या) प्राप्त हुई थी। यह गलत लॉगिन टाइमस्टैम्प या गैर-अनुक्रमिक लॉगिन आई.डी. जनरेशन की ओर संकेत करता है। ऐसी विसंगतियां सटीक इवेंट ट्रैकिंग में बाधा डालती हैं और डेटा विश्वसनीयता को लेकर चिंता पैदा करती है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने उत्तर दिया (दिसंबर 2024) कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र पोर्टल की सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली प्राइमरी की के लिए डेटाबेस सीक्वेंस जनरेटर का उपयोग करती है। यह अनुक्रम तब भी बढ़ जाता है जब कोई लेनदेन विफल हो जाता है या रोलबैक हो जाता है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एक कम आई.डी. संख्या का लॉगिन टाइमस्टैम्प हमेशा उच्च आई.डी. के टाइमस्टैम्प से पहले का होना चाहिए, जो कि पाई गई विसंगतियों के मामले में नहीं था।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने (जून 2025) लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया था।

1.12.7 ऑटो-लॉगआउट सुविधा का अभाव

ऑटो लॉगआउट सुविधा उपयोगकर्ताओं द्वारा लॉगआउट करना भूल जाने या डिवाइस को असुरक्षित छोड़ देने की स्थिति में अनधिकृत पहुंच को रोककर वेब सुरक्षा को बढ़ाती है।

डेटा विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ है कि पोर्टल पर उपयोगकर्ताओं द्वारा कुल 30.25 लाख लॉगिन किए गए, जिनमें से 2.04 लाख लॉगिन एक से 81 दिनों तक सक्रिय रहे। यह स्थिति ऑटो लॉगआउट सुविधा के अभाव और एक संभावित सुरक्षा जोखिम को दर्शाती है। इतने लंबे समय तक सत्र का सक्रिय रहना न केवल उपयोगकर्ता के डेटा को खतरे में डालता है, बल्कि अनधिकृत की संभावना को भी बढ़ाता है। डेटा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि ऐसे 47 मामले सामने आए जिनमें लॉगआउट समय के बाद का लॉगिन समय दर्ज किया गया। यह विसंगति डेटा विश्वसनीयता पर गंभीर चिंता प्रकट करती है और प्रभावी सत्यापन नियंत्रणों की कमी को दर्शाती है, जिससे प्रणाली की विश्वसनीयता और सुरक्षा प्रभावित होती है। यह स्थिति प्रणाली डिजाइन की खराब स्थिति को भी उजागर करती है।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और बताया (मई 2025) कि उसने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से अपेक्षित सत्यापन लागू करने का अनुरोध (मई 2025) किया था।

1.12.8 विभिन्न तालिकाओं में रो आई.डी. की अनुपलब्धता

पोर्टल के फ्रंट-एंड पर की गई गतिविधियों से डेटा सृजित होता है, जिसे डेटाबेस की विभिन्न तालिकाओं में संग्रहीत किया जाता है। कुछ कॉलम के वैल्यूज प्रणाली द्वारा स्वयं एक क्रम में सृजित किए जाते थे, जिन्हें 'आई.डी./रो आई.डी' कहा जाता था। इन 'रो आई.डी.' का उपयोग प्राइमरी की के रूप में किया गया था, जो डेटाबेस की प्रामाणिकता, कार्यक्षमता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य था। प्रणाली सृजित वैल्यूज (रो आई.डी.) बिना किसी अंतर या मिसिंग प्रविष्टियों के लगातार होनी चाहिए। डेटा की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण था कि इन वैल्यूज में कोई चूक न हो। प्रत्येक सृजित वैल्यू को लेखांकित किया जाना चाहिए और वे क्रमबद्ध पूर्ण होने चाहिए।

डेटा विश्लेषण से 34 महत्वपूर्ण तालिकाओं में रो आई.डी. अनुपलब्ध थी, जिनमें तालिका-वार 1 से 4,53,523 रो का अंतर पाया गया। यह अंतर रिकॉर्ड की अनुपलब्धता या डेटा को हटाए जाने का संकेत देते हैं, जिससे डेटासेट की विश्वसनीयता और पूर्णता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। यह स्थिति प्रबंधन के निर्णयों की विश्वसनीयता और वैधता को प्रभावित कर सकती है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने बताया (दिसंबर 2024) कि रो आई.डी. की अनुपलब्धता नेटवर्क समस्याओं अथवा उपयोगकर्ता द्वारा प्रक्रिया निरस्त करने के कारण अपूर्ण/रोल-बैक/अनिर्णायक लेनदेन के कारण थी। यह उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि इसमें जानबूझकर या अनजाने में किए गए डेटा हेरफेर की संभावना का पूर्ण रूप से समाधान नहीं किया गया था। यदि लेनदेन

वास्तव में अपूर्ण थे या निरस्त कर दिए गए थे, तो उचित लॉगिंग तंत्र द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि ऐसे मामले व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड किए जाएं ताकि रो आई.डी. में कोई अस्पष्टीकृत अंतर न रहे। इसके अतिरिक्त, यदि नेटवर्क की समस्याएं बार-बार लेनदेन को बाधित करती हैं, तो यह डेटा विश्वसनीयता, निरंतरता सुनिश्चित करने और संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रणालीगत सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने स्वीकार किया (मई 2025) कि इस समस्या के समाधान के लिए प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है और सूचित किया कि उसने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से डेटा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित हार्डवेयर/इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का अनुरोध (मई 2025) किया था।

1.12.9 निविदाओं के लिए डेटा लॉग की अनुपलब्धता

प्रत्येक निविदा को चार फील्ड के आधार पर एक विशिष्ट आई.डी. आवंटित की गई थी: वर्ष, इकाई का प्रकार, निविदा क्रम संख्या, और प्रकाशन अनुक्रम उदाहरणतः, वर्ष 2022 में एक निगम (एच.बी.सी.) द्वारा क्रम संख्या 211548 के साथ फ्लोट की गई और तीसरी बार प्रकाशित निविदा की निविदा आई.डी: 2022_HBC_211548_3 होगी। प्रणाली चौथी फील्ड में एक से शुरू होने वाली एक क्रमिक संख्या आवंटित करती है, जो प्रत्येक पुनः निविदा के साथ बढ़ती जाती है।

डेटा विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि डेटाबेस में ऐसी कई निविदाएं थी जिनमें एक ही तिथि पर प्रकाशित होने और पुनः निविदा न होने के बावजूद केवल चौथी फील्ड में अंतर था। इसके अतिरिक्त, 154 निविदाएं अनुपलब्ध पाई गई, जहां उच्च क्रमिक संख्याएं तो विद्यमान थी, लेकिन उनसे पहले की संख्याएं डेटाबेस में अनुपलब्ध थी।

इस प्रकार, डेटा विश्वसनीयता और निरंतरता सुनिश्चित करने और संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रणालीगत सुधार की आवश्यकता है।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और बताया (मई 2025) कि इस समस्या के समाधान के लिए प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है, जिसके लिए उसने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से डेटा की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक हार्डवेयर/इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का अनुरोध (मई 2025) किया था।

1.13 पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई

लोक लेखा समिति ने राज्य सरकार को ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा में उठाए गए मामलों/बिंदुओं (31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए हरियाणा सरकार की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्र (नॉन-पीएसयू) प्रतिवेदन का पैरा 3) की जांच के लिए 90 दिनों के भीतर एक समिति गठित करने का निर्देश दिया था, हालांकि, समिति ने यह अवलोकन किया (दिसंबर 2022) कि इसकी सिफारिशों का पूर्ण अनुपालन अभी भी किया जाना लंबित था। तत्पश्चात, हरियाणा सरकार ने एक समिति का गठन किया (दिसंबर 2022), जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की (अगस्त 2023)। इस रिपोर्ट में समिति की सिफारिशों पर उचित कार्रवाई करने और सितंबर 2023 तक अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट सरकार को भेजने का निर्देश दिया गया था। यह मामला अभी भी विचाराधीन था और अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा थी (मई 2025)।

आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय ने अपने उत्तर (मई 2025) में बताया कि सभी संबंधित विभागों, बोर्डों और निगमों से समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। आगे, बताया गया था कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित रिपोर्ट अक्तूबर 2023 में सचिव, हरियाणा विधानसभा को प्रस्तुत कर दी गई थी, और भविष्य की कोई भी कार्रवाई सरकार के आदेशों के अनुसार की जाएगी। उपर्युक्त क्रमवार विवरण यह दर्शाता है कि सात वर्ष बीत जाने और लोक लेखा समिति एवं सरकार के निर्देशों के बावजूद, ई-प्रोक्योरमेंट पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा पर उक्त रिपोर्ट का कोई ठोस अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में निरंतर गंभीर कमियां बनी रही।

1.14 निष्कर्ष

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ करार का गैर-निष्पादन न होने, परियोजना प्रबंधन इकाई के अप्रभावी कामकाज, महत्वपूर्ण कार्यों/मॉड्यूल की अनुपस्थिति, अपर्याप्त निगरानी, और उपयोगकर्ताओं को अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण प्रणाली का कार्यान्वयन दोषपूर्ण था, क्योंकि कुछ गतिविधियां या तो की ही नहीं गई या ऑफलाइन की गई, जिससे ई-प्रोक्योरमेंट के मूल उद्देश्य विफल हो गए।

प्रत्येक निविदा पर प्राप्त बोलियों की औसत संख्या के मामले में राज्य 24वें स्थान पर रहा और निविदा की स्थिति को अद्यतित करने के मामले में नौवें स्थान पर रहा। निविदा प्रक्रिया दोषपूर्ण पाई गई क्योंकि इसमें बोलियों के अपर्याप्त प्रचार-प्रसार, बोली प्रस्तुत करने के लिए कम समय देने, निविदा-सह-नीलामी कार्यक्षमता का उपयोग न करने, पुन: आमंत्रित और मूल निविदाओं के बीच लिंकेज के अभाव, तथा निविदा प्रक्रिया के लिए डुप्लिकेट उपयोगकर्ताओं के नामांकन जैसे मामले सामने आए। इसके अतिरिक्त, प्रणाली का डिजाइन कमजोर था क्योंकि समय विस्तार, बोली खुली रखने की अवधि, शिकायत निवारण के लिए दिए गए समय, और शुद्धि-पत्र जारी करने आदि से संबंधित व्यावसायिक नियमों को मैप नहीं किया गया था। प्रणाली में अनियमित प्रथाओं को रोकने के लिए नियंत्रणों का भी अभाव था, जैसे कि कम अवधि के लिए निविदाओं का विस्तार, अलग-अलग तिथियों पर बोलियों का डिक्रिप्शन और बोलियों को क्रम के बाहर खोलना।

मिलीभगत वाली बोली और बोली हेराफेरी के संकेत देने वाले मामले पाए गए, जिससे निविदा प्रक्रिया की निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हुई। एक ही आई.पी. एड्रेस और खरीद संस्था के कंप्यूटरों से बहुत कम समय के अंतर के भीतर कई बोलियां प्रस्तुत की गई पाई गई, जो संभावित हेरफेर या पर्याप्त प्रणाली नियंत्रण के आभाव को दर्शाता है।

ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली की प्रभावशीलता, प्रमुख विशेषताओं के अल्प-उपयोग और डेटा विसंगतियों के कारण बाधित हुई। प्रमुख मामलों में निविदा-सह-नीलामी कार्यक्षमता का उपयोग न होना, पुन: आमंत्रित और मूल निविदाओं के बीच लिंकेज का अभाव, निविदा प्रोसेसिंग में विलंब, पोर्टल का अद्यतन न करने के कारण निधियों का अवरोधन, और आवंटन विवरण की गलत रिकॉर्डिंग शामिल थी।

डेटा विश्वसनीयता और प्रबंधन सूचना प्रणाली में गंभीर कमियों के कारण प्रणाली की प्रभावशीलता प्रभावित हुई। देखे गए प्रमुख मामलों में निविदा चरणों का अद्यतन न किया जाना, मूल्यांकन सारांशों को अपलोड न करना, उपयोगकर्ता डेटा और प्रोफाइल प्रबंधन में विसंगतियां, और पोर्टल पर आवंटन मूल्य एवं निविदा स्थिति में असंगतता आदि शामिल थे।

फीस और बयाना राशि के संबंध में वित्तीय नियमों के अनुपालन के मामले देखे गए, क्योंकि राशियों को ठीक से अंतरित/समायोजित नहीं किया गया था, या त्रुटिपूर्ण रूप से वापस कर दिया गया था या वापस ही नहीं किया गया था। फीस को कम या अधिक प्रभारित करना, गैर-समाधान और वस्तु एवं सेवा कर प्रभारित न करना/सरकार को प्रेषित न करने के संबंध में भी मामले सामने आए।

उपयोगकर्ता गतिविधियों से जुड़ी भेद्यता के प्रति प्रणाली में कमियां थी, क्योंकि लेखापरीक्षा में अपूर्ण लॉग, बिना लॉगिन के किए गए कार्य और गैर-अनुक्रमिक लॉगिन टाइमस्टैम्प पाए गए, जिससे डेटा की विश्वसनीयता पर चिंताएं पैदा हुई। भूमिका सृजन, कर्तव्यों के पृथक्करण और निर्धारित पासवर्ड नीति के अभाव में भी विसंगतियां पाई गई।

इस प्रकार, इन अनियमितताओं ने बोलीदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने, लागत कम करने और खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयासों में अवरोध उत्पन्न किया।

1.15 सिफारिशें

लेखापरीक्षा यह सिफारिश करती है कि राज्य सरकार निम्नलिखित पर विचार करे:

1. *राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ एक औपचारिक करार का निष्पादन करना और साथ ही परियोजना प्रबंधन इकाई को सुदृढ़ बनाना।*
2. *खरीद की संपूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से कवर करने के लिए पोर्टल में मांग प्रबंधन, कैटलॉग प्रबंधन और अनुबंध प्रबंधन मॉड्यूल को शामिल करना।*
3. *निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों को निविदा के चरणों का समय पर अद्यतन करने और पोर्टल पर संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए निर्देशित किया जाए। पोर्टल के कुशल उपयोग के लिए उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा सकता है।*
4. *पूल खाते का समय-समय पर मिलान करना और बोलीदाताओं के विफल लेनदेन/लंबित फीस के निपटान की निगरानी करना।*
5. *पोर्टल में शिकायत निवारण, प्रणाली के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन, चर्चा द्वारा तय करना, बोली वैधता विस्तार, समान दरें प्राप्त होने पर एल-1 का निर्णय लेने, प्रणाली के माध्यम से अनुबंध आवंटन, निविदा/बोली के मूल्यांकन के दौरान संभावित मिलीभगत, गुटबंदी या बोली के हेरफेर के लिए रियल-टाइम अलर्ट जनरेट करना।*
6. *अपूर्ण लॉग, अमान्य डेटा, फील्ड के लिए नियंत्रणों के अभाव से संबंधित मामलों के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा की गई कार्रवाई की निगरानी करना और प्रणाली में व्यावसायिक नियमों की मैपिंग सुनिश्चित करना।*
7. *पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित की गई अनियमितताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करना।*

अध्याय 2

आबकारी विभाग में लाइसेंस प्रबंधन, शराब उत्पादन एवं वितरण प्रणाली की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा

अध्याय 2

आबकारी विभाग में लाइसेंस प्रबंधन, शराब उत्पादन एवं वितरण प्रणाली की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा

2.1 प्रस्तावना

आबकारी एवं कराधान विभाग मादक शराब[1] के आयात, निर्यात, परिवहन, निर्माण, बिक्री और अधिकार को विनियमित करता है। यह शराब की कीमतों को भी नियंत्रित करता है और शराब पर आबकारी शुल्क उद्ग्रहण करता है। आबकारी राजस्व राज्य सरकार के राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत है। वर्ष 2022-23 के दौरान आबकारी राजस्व में हरियाणा सरकार के स्व-कर राजस्व का 15.36 प्रतिशत शामिल था। आबकारी राजस्व मुख्य रूप से विभिन्न दुकानों के लाइसेंस प्रदान करने के लिए फीस, आबकारी शुल्क, बोतलबंदी फीस, निर्यात/आयात शुल्क आदि तथा अवैध शराब की जब्ती के लिए जुर्माने से प्राप्त होता है।

हरियाणा शराब लाइसेंस नियम, 1970 (एच.एल.एल. नियम) भारत में निर्मित विदेशी शराब (आई.एम.एफ.एल.)/देसी शराब (सी.एल.) बेचने वाली खुदरा और थोक दुकानों की प्रदानगी के लिए लाइसेंस प्रक्रिया तथा आरक्षित मूल्य और लाइसेंस फीस नियतन निर्धारित करने के लिए सरकार को एक आबकारी नीति तैयार करने का अधिकार देते हैं। वर्ष 2016-17 से 2022-23 की राज्य आबकारी नीतियों को कई प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया था जैसे कि एकाधिकारवादी उत्पादक संघों (कार्टेलस) को तोड़ना, नये, सीमित संसाधन वाले व्यापारियों के प्रवेश को सुगम बनाकर व्यापार को व्यापक बनाना, खुदरा दुकानों को आबंटित करने के लिए एक पारदर्शी प्रणाली स्थापित करना, लीकेज और चोरी को रोकना, राजस्व का समायोजन, वैध एवं जिम्मेदारीपूर्वक शराब को बढ़ावा देना और उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता वाली शराब उपलब्ध कराना। इस नीति का उद्देश्य चार मुख्य हितधारकों: राज्य सरकार, डिस्टिलरों एवं ब्रुअर्स, थोक एवं खुदरा लाइसेंसधारकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है।

2.2 संगठनात्मक संरचना

अपर मुख्य सचिव (ए.सी.एस.)/प्रधान सचिव (पी.एस.), हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग सरकार के स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख हैं तथा आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) विभागाध्यक्ष हैं। आबकारी एवं कराधान आयुक्त को मुख्यालय में क्लेक्टर (आबकारी) द्वारा तथा जिला स्तर के क्षेत्रीय कार्यालयों में राज्य आबकारी अधिनियमों/नियमों के समुचित प्रशासन के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (आबकारी) {डी.ई.टी.सी. (आबकारी)}, आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ई.टी.ओ.)/सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ए.ई.टी.ओ.), निरीक्षकों एवं अन्य सहायक स्टॉफ द्वारा सहयोग दिया जाता है।

---

1 मादक शराब का अर्थ है स्पिरिट, वाइन, बीयर, साइडर और कोई भी किण्वित, आसुत या आसवित शराब जिसमें अल्कोहल की मात्रा 1.2 प्रतिशत से अधिक हो।

2.3 सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की पृष्ठभूमि

अप्रैल 2012 में, विभाग ने आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा में वाणिज्यिक कर ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन हेतु एक सिस्टम इंटीग्रेटर (एस.आई.) के चयन के लिए एक निविदा दस्तावेज प्रकाशित किया। इस प्रणाली की परिकल्पना मूल्य वर्धित कर (वैट), आबकारी, विलासिता कर, मनोरंजन कर और यात्री एवं माल कर (पी.जी.टी.) से जुड़े हितधारकों को सहयोग देने के लिए की गई थी।

विभाग ने अपने निविदा दस्तावेज में अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी विंगों की प्रक्रियाओं को स्वचालित करने की परिकल्पना की थी। इस दस्तावेज में प्रत्येक परिकल्पित मॉड्यूल के लिए कार्यात्मक आवश्यकताओं को भी शामिल किया गया था। विभाग में विद्यमान प्रक्रियाओं और प्रणालियों को परिभाषित करने तथा एप्लीकेशनों में प्रक्रिया प्रवाह और एप्लीकेशनों के बीच संपर्कों सहित संशोधित व्यावसायिक प्रक्रियाओं का प्रस्ताव/सुझाव देने के लिए विभाग ने एक बाह्य एजेंसी (मेसर्स अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी) को "वर्तमान प्रक्रिया एवं कार्यविधि दस्तावेज" और "प्रस्तावित प्रक्रिया एवं कार्यविधि दस्तावेज" तैयार करने के लिए नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने प्रणाली आवश्यकता विनिर्देश (एस.आर.एस.) दस्तावेज भी तैयार किया था, जिसमें समाधान के लिए विकसित किए जाने वाले मॉड्यूलों के प्रक्रिया मैप और प्रक्रिया विवरण के साथ कार्यगत आवश्यकताओं का विवरण दिया गया था।

विभाग ने अनुपालन में सुधार, संग्रहण में प्रभावशीलता, कुशल सेवा वितरण, हितधारकों के लिए अनुपालन की सरलता और कम लागत, परिचालनों में पारदर्शिता, आकलन एवं निर्णयों के लिए विवेकाधीन दृष्टिकोण में कमी और मितव्ययी (इकॉनामिक) एवं बाजार प्रवृत्तियों के अनुरूप नीतियों के निर्माण के घोषित उद्देश्यों के साथ हरियाणा ई-वाणिज्यिक कर (एच-ई.सी.टी.) एप्लिकेशन सॉल्यूशन स्थापित करने के लिए जनवरी 2014 में मेसर्स विप्रो लिमिटेड (एस.आई.) का चयन किया। आबकारी विंग के कार्यों के संबंध में, विभाग ने अपने अनुरोध प्रस्ताव (आर.एफ.पी.) दस्तावेज में इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न मॉड्यूल जैसे पंजीकरण, लाइसेंस प्रबंधन, परमिट एवं पास प्रबंधन, भुगतान, करदाता खाता-बही, रिफंड, विनिर्माण इकाइयों का विनियमन, बकाया एवं वसूली, आपत्ति एवं अपील, अभिलेख प्रबंधन, आंतरिक लेखापरीक्षा, निगरानी एवं निरीक्षण, मेलिंग समाधान, दस्तावेज प्रबंधन, आदि को लागू करने की परिकल्पना की है। सिस्टम इंटीग्रेटर (एस.आई.) को ₹ 104.86 करोड़ का भुगतान किया गया और अगस्त 2018 में प्रणाली को चालू घोषित किया गया।

2.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

आबकारी विभाग में लाइसेंस प्रबंधन, शराब उत्पादन और वितरण प्रणाली की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या:

1. विभाग द्वारा कार्यान्वित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के लाइसेंस प्रबंधन, शराब उत्पादन और वितरण मॉड्यूल आबकारी अधिनियम, आबकारी नीतियों, प्रासंगिक नियमों और प्रणाली आवश्यकता विनिर्देश के प्रावधानों का अनुपालन करते हैं;

2. इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट नियंत्रण सहित एप्लिकेशन नियंत्रण प्रणाली में पर्याप्त रूप से अंतर्निहित थे; तथा

3. सुदृढ़ व्यापार निरंतरता योजना (बी.सी.पी.), आपदा वसूली योजना (डी.आर.पी.) और सूचना प्रणाली सुरक्षा विद्यमान थी।

2.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा में 2015-16 से 2022-23 नीति वर्ष की अवधि को शामिल किया गया और प्रणाली में विद्यमान इनपुट, आउटपुट और प्रक्रिया नियंत्रण की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए कंप्यूटर सहायतित लेखापरीक्षा तकनीकों (सीएएटीएस-आइडिया, टेबल्यू) का उपयोग करके दिसंबर 2015 से जून 2023 तक के डेटा का विश्लेषण किया गया। लेखापरीक्षा जांच में एच-ईसीटी के विभिन्न मॉड्यूलों के माध्यम से कार्यान्वित लाइसेंसिंग, शराब उत्पादन और शराब वितरण कार्यप्रवाह के स्वचालन से संबंधित कार्यक्षमताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। भुगतान विवरण को सत्यापित करने के लिए खजाना और लेखा विभाग, हरियाणा की ई-जीआरएएस प्रणाली में उपलब्ध प्राप्ति डेटा का उपयोग भी किया गया था। प्रधान सचिव, आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा सरकार के साथ 25 मई 2023 को एंट्री कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मानदंडों और कार्यक्षेत्र एवं पद्धति पर चर्चा की गई। लेखापरीक्षा में लाइसेंस प्रबंधन, शराब उत्पादन और शराब वितरण प्रणाली के लिए डिज़ाइन किए गए मॉड्यूल के यूजर स्क्रीन इंटरफेस की जांच करने के लिए पूर्वाभ्यास किया गया था, ताकि प्रस्तावित प्रक्रिया एवं कार्यविधि दस्तावेज, एसआरएस दस्तावेज़ और कार्यात्मक आवश्यकता विनिर्देशों में परिकल्पित कार्यक्षमताओं का आकलन किया जा सके। डेटा विश्लेषण के माध्यम से निष्कर्षों की पुष्टि करने और गैर-स्वचालित कार्यक्षमताओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए नौ[2] जिलों का चयन किया गया। मई 2023 और अगस्त 2024 के मध्य लेखापरीक्षा की गई।

प्रधान सचिव, आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा सरकार के साथ 06 मार्च 2025 को एग्जिट कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तरों (मई 2025) को प्रतिवेदन में यथोचित रूप से शामिल कर लिया गया है।

2.6 लेखापरीक्षा मानदंड

सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा निम्नलिखित अधिनियमों, नियमों और निर्देशों के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के संदर्भ में आयोजित की गई थी:

- पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (हरियाणा राज्य में यथा लागू)
- पंजाब डिस्टिलरीज नियम, 1932 (हरियाणा राज्य में यथा लागू)
- पंजाब आबकारी शराब परिभाषा नियम, 1954 (हरियाणा राज्य में यथा लागू)

[2] उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त: अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (पश्चिम), हिसार, जगाधरी (डिस्टिलरी सहित), करनाल, पानीपत (डिस्टिलरी सहित) और सोनीपत।

- पंजाब ब्रुअरीज नियम, 1956 (हरियाणा राज्य में यथा लागू)
- पंजाब आबकारी बांडेड वेयरहाउस नियम, 1957 (हरियाणा राज्य में यथा लागू)
- हरियाणा शराब लाइसेंस नियम, 1970
- हरियाणा रेस्तरां (शराब का उपभोग) नियम, 1988
- 2016-17 से 2022-23 की राज्य आबकारी नीतियां
- कार्यात्मक आवश्यकता विनिर्देश/प्रणाली आवश्यकता विनिर्देश दस्तावेज और अच्छी सूचना प्रौद्योगिकी प्रथाएं।
- सॉफ्टवेयर डेवलपर/कार्यान्वयन एजेंसी को जारी किए गए उपयोगकर्ता मैनुअल, अनुबंध, कार्य आदेश और अन्य निर्देश।

2.7 आभारोक्ति एवं बाधाएं

लेखापरीक्षा, आबकारी एवं कराधान विभाग, विकास दल और क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा को आवश्यक सूचना और अभिलेख उपलब्ध कराने तथा लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उत्तर प्रस्तुत करने में दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करती है। तथापि, लेखापरीक्षा को कुछ बाधाओं का भी सामना करना पड़ा क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के कार्यान्वयन के दौरान विकास प्रक्रिया, कार्यान्वयन प्रक्रिया और परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया के दस्तावेजीकरण में प्रणाली डिजाइन दस्तावेज (एस.डी.डी.), डेटा डिक्शनरी, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम (ई.आर. डायग्राम) तथा उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यू.ए.टी.) मामले शामिल थे, और प्रणाली तक पहुंच के अधिकार उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

लेखापरीक्षा उपलब्धियां

लेखापरीक्षा परिणामों का विवरण निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत दिया गया है:

- लाइसेंस प्रबंधन
- शराब उत्पादन
- शराब वितरण
- अन्य सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण मामले

2.8 लाइसेंस प्रबंधन

विभाग ने अपने अनुरोध प्रस्ताव दस्तावेज में, विभाग द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के लाइसेंसों के लिए ऑनलाइन मोड में लाइसेंसिंग प्रक्रिया को स्वचालित करने की परिकल्पना की थी। यह भी परिकल्पना की गई थी कि लाइसेंसों के नवीनीकरण और निरस्तीकरण/सरेंडर की प्रक्रिया भी स्वचालित प्रणाली के माध्यम से की जाएगी। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, इस प्रणाली से प्रत्येक स्तर पर लाइसेंस आवेदन को ट्रैक करने की भी अपेक्षा की गई थी।

लाइसेंस प्रबंधन मॉड्यूल से संबंधित लेखापरीक्षा उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

2.8.1 लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन की प्रोसेसिंग हेतु कार्यात्मकता का अभाव

हरियाणा शराब लाइसेंस (एच.एल.एल.) नियम के प्रावधानों के अंतर्गत, विभाग मादक द्रव्यों के विनिर्माण और व्यापार के लिए डिस्टिलरी, ब्रुअरीज, वाइनरी, बॉटलिंग प्लांट, बार और थोक/खुदरा शराब विक्रेताओं को विभिन्न लाइसेंस जारी करता है। स्वचालन पहल के एक भाग के रूप में, प्रणाली आवश्यकता विनिर्देश दस्तावेज में सिस्टम इंटीग्रेटर ने नए लाइसेंस प्रदान करने के साथ-साथ उनके नवीनीकरण के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया के स्वचालन हेतु प्रस्तावित प्रणाली में व्यवस्थित किए जाने वाले प्रक्रिया प्रवाह को तैयार किया जाना था।

प्रणाली में अंतर्निहित कार्यक्षमताओं का आकलन करने के लिए विभागीय उपयोगकर्ताओं के साथ पूर्वाभ्यास के दौरान, यह देखा गया था कि खुदरा विक्रेताओं को लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया प्रत्येक नीति वर्ष के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से की जा रही थी। हालांकि, डिस्टिलरी, ब्रुअरीज, वाइनरी, बॉटलर्स, बार और थोक लाइसेंसधारकों के मामले में, लाइसेंस प्रदान करने और नवीनीकरण की प्रक्रिया मैन्युअल रूप से की जाती थी। इसके बाद, लाइसेंस का विवरण सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में दर्ज किया जाता था।

प्रणाली में सभी प्रकार के लाइसेंसों को संसाधित करने के लिए शुरू से अंत तक कार्यक्षमता के अभाव में, लाइसेंसिंग प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए कार्यों के लिए निर्धारित फीस के भुगतान सहित नए लाइसेंस की मंजूरी/नवीनीकरण तक के ट्रेल्स की समीक्षा/निगरानी नहीं की जा सकती है और कम्प्यूटरीकरण परियोजना के उद्देश्यों में से एक के रूप में सेवा वितरण दक्षता में सुधार की सीमा का आकलन किया जाना संभव नहीं था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (मई 2025) यह बताया कि अगले नीति वर्ष से सभी प्रकार के लाइसेंसों को ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने का प्रयास किया जाएगा।

2.8.2 सहभागिता फीस/अर्नेस्ट मनी डिपाजिट को सरकारी खाते में जमा करने हेतु कार्यात्मकता का अभाव

अनुरोध प्रस्ताव दस्तावेज में शामिल भुगतान मॉड्यूल के लिए कार्यात्मक आवश्यकता से पता चला कि सिस्टम को ऑनलाइन पोर्टल के साथ-साथ क्लाइंट निष्पादन योग्य उपयोगिता के माध्यम से चालान जनरेट करने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

शराब की दुकानों के लिए बोली प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

- **विक्रेता पंजीकरण:** आवेदक विभाग के पास पंजीकरण करवाते हैं।
- **भुगतान प्रस्तुतीकरण:** अनुमोदन के बाद, आवेदक सहभागिता फीस और अर्नेस्ट मनी डिपाजिट (ई.एम.डी.) के लिए डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) का विवरण अपलोड करते हैं, जिसके बाद प्रणाली एक पावती तैयार करती है।
- **सत्यापन और बोली:** आबकारी प्राधिकारी डिमांड ड्राफ्टों का सत्यापन करता है और आवेदन को अनुमोदन देता है, जिससे बोली में भाग लेने की अनुमति मिल जाती है।

- **रिफंड और छूट:** धन प्रेषकों को वापस किए गए अप्रयुक्त डिमांड ड्राफ्ट को डेटाबेस में “Y” के रूप में चिह्नित किया जाता है और सफल बोलीदाताओं से प्राप्त डिमांड ड्राफ्ट को ट्रेजरी में भेज दिया जाता है।

फ्रंट-एंड प्रक्रिया के पूर्वाभ्यास और डेटा के विश्लेषण से पता चला कि सहभागिता फीस और अर्नेस्ट मनी डिपाजिट को ट्रेजरी में प्रेषण करने के लिए ट्रेजरी चालान बनाने की कार्यत्मकता प्रणाली में अंतर्निहित नहीं थी। विभागीय एप्लिकेशन को अनदेखा करते हुए, सीधे ई-ग्रास पोर्टल से चालान बनाकर राशि को ट्रेजरी में प्रेषित कर दिया गया था। इन चालानों से संबंधित लीगेसी डेटा भी प्रणाली में दर्ज नहीं किया गया था। इस प्रक्रिया प्रवाह में अंतर के कारण, ट्रेजरी में सहभागिता फीस और बयाना राशि जमा के प्रेषण की समयबद्धता और पूर्णता का मिलान नहीं किया जा सका।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (मई 2025) कि मैन्युअल त्रुटियों की संभावना को न्यूनतम करने के लिए उपयुक्त कार्यत्मकता को शामिल करने के लिए प्रणाली को संशोधित किया जाएगा।

2.8.3 बार लाइसेंसों के लिए संपूर्ण विवरण कैप्चर करने में त्रुटिपूर्ण डिजाइन

वार्षिक आबकारी नीति के पैरा 9.8.3 और 9.8.8 में होटलों की स्टार रेटिंग के आधार पर एल-4/5 (बार) लाइसेंसधारकों के लिए निर्धारित फीस की दरें प्रदान की गई हैं। नीति, अतिरिक्त फीस के भुगतान के अधीन होटलों, पब और बार के लिए अतिरिक्त बिंदुओं के संचालन की भी अनुमति देती है। नीति, बार और पब के लिए बिक्री के घंटों को भी निर्दिष्ट करती है, जिसमें अतिरिक्त फीस के भुगतान पर परिचालन घंटों का विस्तार करने की सुविधा होती है।

डेटाबेस की जांच और आवेदन प्रक्रियाओं के गहन अध्ययन से यह पता चला कि प्रणाली को बार लाइसेंस जारी करने के लिए होटलों की स्टार रेटिंग को कैप्चर करने के लिए तैयार नहीं किया गया था। इसमें बार के लिए अतिरिक्त परिचालन बिंदुओं, परिचालन समय और विस्तारित परिचालन घंटों के विवरण दर्ज करने के लिए कार्यक्षमता का भी अभाव था। परिणामस्वरूप, प्रणाली न तो होटल रेटिंग, अतिरिक्त बिंदुओं या विस्तारित परिचालन घंटों के आधार पर लागू लाइसेंस फीस को मान्य कर सकती है, न ही यह देय राशि और किए गए वास्तविक भुगतान के बीच विसंगतियों को इंगित कर सकती है। फील्ड इकाइयों के दौरे के दौरान, यह देखा गया कि लाइसेंस फीस का रिकॉर्ड रखने के लिए मैन्युअल रजिस्टरों का रखरखाव/प्रयोग किया जा रहा था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (मई 2025) कि बार लाइसेंसधारकों के बारे में अन्य महत्वपूर्ण विवरणों को प्राप्त करने के लिए प्रणाली में कार्यक्षमता का अभाव है और आश्वासन दिया कि नए सिस्टम इंटीग्रेटर से सभी आबकारी प्रक्रियाओं का पूर्ण स्वचालन किया जाएगा।

2.8.4 ब्लैकलिस्ट किए गए विक्रेताओं के लिए रिपोजिटरी बनाने की उपयोगिता का अभाव

वार्षिक आबकारी नीतियां राज्य के खजाने की रक्षा के लिए बनाई गई हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शराब लाइसेंस के आवेदकों पर आबकारी विभाग के अधिकार

क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत बकाया राशि न हो। इसके अतिरिक्त, इन नीतियों में यह प्रावधान है कि सफल बोलीदाता जो प्रतिभूति के रूप में आबंटन के दिन बोली राशि का प्रारंभिक पांच प्रतिशत जमा करने में विफल रहते हैं, उनकी बोलियां निरस्त कर दी जाएंगी और बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी। ऐसे बोलीदाता को पांच वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट में डाला जाएगा। यह प्रणाली आवेदकों की किसी भी ब्लैकलिस्ट स्थिति या दोषसिद्धि सहित साख का दस्तावेजीकरण करेगी।

सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन में उपलब्ध डेटाबेस और कार्यक्षमता की जांच से पता चला कि ब्लैकलिस्ट किए गए या कर चूककर्ता विक्रेताओं का विवरण कैप्चर करने के लिए कोई समर्पित डेटाबेस तालिका नहीं थी।

ब्लैकलिस्ट किए गए विक्रेताओं के केंद्रीकृत रिपोजिटरी के अभाव में बोली प्रक्रिया में चूककर्ताओं के शामिल होने का जोखिम बढ़ जाता है, जिससे संभावित रूप से राजस्व हानि और आबकारी नीतियों का उल्लंघन हो सकता है।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (मई 2025) कि सिस्टम इंटीग्रेटर को उचित कार्यक्षमता प्रदान करने के लिए कहा गया है।

2.8.5 नवीकरणीय लाइसेंस के लिए ऐतिहासिक सूचना

हरियाणा शराब लाइसेंस नियम के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक नीति वर्ष के लिए विभाग द्वारा दो प्रकार के लाइसेंस जारी किए जाते हैं (i) नवीकरणीय[3] (ii) नए।

डेटाबेस में अनुरक्षित लाइसेंसधारकों के मास्टर डेटा की जांच से पता चला कि लाइसेंस वैधता तिथि प्रत्येक नवीनीकरण के बाद अद्यतन की जाती है, लेकिन प्रणाली में पूर्ववर्ती नीति वर्षों के लाइसेंस विवरण के बारे में ऐतिहासिक सूचना सुरक्षित नहीं रखी गई थी।

इस प्रकार, ऐतिहासिक सूचना के अभाव में यह निर्धारित करना संभव नहीं है कि पिछले नीति वर्षों में लाइसेंस कब और किसके द्वारा नवीनीकृत किए गए थे। यह भी स्पष्ट नहीं था कि वैधता अवधि के भीतर लाइसेंसों का नवीनीकरण किया गया था या नहीं, क्या इसमें कोई देरी हुई थी या क्या अंतरिम अवधि में लाइसेंस प्राप्त/जारी किए गए थे।

विभाग ने बताया (मई 2025) कि ऐतिहासिक जानकारी को प्रणाली के बाहर रखा जा रहा था, तथापि, नए सिस्टम इंटीग्रेटर को ऐतिहासिक जानकारी को बनाए रखने के लिए प्रणाली में प्रावधानों को शामिल करने का निर्देश दिया गया है।

2.8.6 खुदरा लाइसेंसधारकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को कैप्चर करने और प्रोसेस करने की कार्यक्षमता का अभाव

"वर्तमान प्रक्रिया एवं कार्यविधि दस्तावेज" में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, प्रत्येक सफल आबंटी को निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिसमें नोटरी पब्लिक या राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित फोटो सहित पहचान का वैध प्रमाण, पैन कार्ड की फोटोकॉपी,

[3] खुदरा और थोक विक्रेताओं के अलावा अन्य सभी लाइसेंस।

विभाग के किसी भी अधिनियम के अंतर्गत भुगतान में कोई चूक न करने का शपथ पत्र, दो सॉल्वेंट व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित दो सेट जमानत बांड (फॉर्म एम-75) शामिल हैं। यह जमानत बांड गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर होने चाहिए और जिन जमानतदारों को सॉल्वेंसी आबंटित वेंड की लाइसेंस फीस के बराबर हो, उनके पासपोर्ट आकार के फोटो भी संलग्न होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, तहसीलदार द्वारा प्रमाणित सॉल्वेंसी प्रमाण-पत्र जिसमें यह उल्लेख हो कि लाइसेंसधारक की अचल संपत्ति आबकारी विभाग की अनुमति के बिना हस्तांतरित या बेची नहीं जा सकती। लाइसेंसधारक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का लाइसेंस प्रदान करने से पहले आबकारी प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाएगा। इन दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने या झूठे हलफनामे देने पर लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।

विस्तृत अध्ययन से पता चला कि लाइसेंस जारी करने से पहले दस्तावेज अपलोड करने और सत्यापन करने की कोई कार्यक्षमता प्रणाली में अंतर्निहित नहीं थी। इन दस्तावेज़ों के रखरखाव और उनके सत्यापन की पूरी प्रक्रिया मैन्युअल रूप से की जा रही थी।

प्रणाली में प्रासंगिक कार्यक्षमता के अभाव में, त्रुटिपूर्ण दस्तावेजीकरण पर न तो रोक लगाई जा सकती है और न ही जिला स्तर पर आबकारी प्राधिकारियों द्वारा की जाने वाली दस्तावेज जांच प्रक्रिया की सत्यता की जांच उच्च प्राधिकारियों द्वारा की जा सकती है ताकि लाइसेंसधारक द्वारा भुगतान में किसी भी चूक के मामले में राज्य के खजाने की सुरक्षा की जा सके।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (मई 2025) कि सफल आबंटियों द्वारा अन्य दस्तावेज जमा करने की सुविधा प्रणाली में उपलब्ध नहीं थी। हालांकि, भविष्य में सभी आबकारी प्रक्रियाओं को पूर्ण रूप से स्वचालित करने के लक्ष्य के साथ विभाग द्वारा नए सिस्टम इंटीग्रेटर की नियुक्ति की गई है।

2.8.7 प्रणाली में वेंड/सब-वेंड के भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) निर्देशांक की अनुपलब्धता

वर्ष 2018-19 से 2022-23 के लिए राज्य आबकारी नीति, जैसा कि पैरा 1.2.1, 1.2.2, 1.3.6 और 9.5.2.3 में उल्लिखित है, शराब की दुकानों की स्थापना के लिए निम्नलिखित प्रावधान निर्धारित करती है:

(i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल/कॉलेज/मुख्य बस स्टैंड और पूजा स्थल के मुख्य द्वार से 150 मीटर से कम दूरी पर कोई भी वेंड/सब-वेंड स्थापित नहीं किया जा सकता है।

(ii) उस दुकान को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा (क) जो राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग से दिखाई देती हो या प्रत्यक्ष रूप से पहुंच योग्य हो या (ख) जो नगर निगम सीमा से बाहर आने वाले क्षेत्रों में राजमार्ग के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच.)/राज्य राजमार्ग (एस.एच.)/सर्विस लेन के बाहरी किनारे से 500 मीटर की दूरी के भीतर स्थित हो।

(iii) ग्रामीण क्षेत्र के मामले में सब-वेंड और किसी अन्य लाइसेंसधारक के वेंड/सब-वेंड के बीच न्यूनतम 2.5 किलोमीटर की दूरी होगी।

(iv) किसी भी एल-1बीएफ दुकान[4] को किसी भी सीमा शुल्क बांडेड वेयरहाउस से 10 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नीति में यह भी प्रावधान है कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) अपने जिले में स्थित सभी एल-2/एल-14ए[5] दुकानों, उप-दुकानों और टैवर्न के भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) निर्देशांकों को आबकारी नीतियों के उपर्युक्त प्रावधानों के पालन की निगरानी के लिए विभाग के वेब पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

डेटा की जांच से पता चला कि दुकानों/उप-दुकानों/टैवर्न के स्थान के संबंध में भौगोलिक सूचना प्रणाली निर्देशांकों के बारे में सूचना डेटाबेस के लाइसेंसधारक या जोन मास्टर टेबल में उपलब्ध नहीं थी। गहन अध्ययन के दौरान भी इसकी पुष्टि हुई कि दुकानों/उप-दुकानों के स्थान को रिकॉर्ड करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली निर्देशांकों को कैप्चर करने के लिए एप्लिकेशन में कोई कार्यक्षमता उपलब्ध नहीं थी।

इस प्रकार, स्थान संबंधी डेटा की अनुपलब्धता न्यूनतम दूरी के मानदंडों के प्रवर्तन में बाधा डालती है, जिससे नीति का अनुपालन न होने का जोखिम पैदा होता है।

विभाग ने बताया (मई 2025) कि इस प्रावधान को नई प्रणाली में लागू किया जाएगा।

2.8.8 अमान्य/रिक्त स्थाई खाता संख्या को कैप्चर करना

"प्रस्तावित प्रक्रिया एवं कार्यविधि दस्तावेज" के पैरा 1.2.1 में लाइसेंसधारकों के लिए प्रणाली में स्थायी खाता संख्या (पैन) को शामिल करना अनिवार्य किया गया है। दुकानों के स्वामित्व की पहचान के लिए पैन को शामिल करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। शराब की बिक्री और वितरण को विनियमित करने के लिए आबकारी विभाग की लाइसेंस प्रबंधन प्रणाली महत्वपूर्ण है।

लाइसेंसधारकों के आंकड़ों की संवीक्षा से पता चला कि एप्लिकेशन के क्रियान्वयन (अप्रैल 2015) के बाद से विभाग द्वारा 20,731 लाइसेंस प्रदान किए गए थे। तथापि, आबकारी लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय और उसे प्रदान करते समय प्रणाली में अनिवार्य रूप से पैन विवरण प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त इनपुट नियंत्रण विद्यमान नहीं थे। आंकड़ों के विश्लेषण से यह भी पता चला कि प्रदान किए गए 6,646 लाइसेंसों के मामले में, प्रणाली ने या तो पैन कॉलम को रिक्त छोड़ने या 10 अल्फ़ान्यूमेरिक वर्णों की मानक लंबाई न होने वाले पैन नंबर दर्ज करने की अनुमति दी थी। आबकारी विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली लाइसेंसधारकों के वैध पैन नंबर दर्ज करना सुनिश्चित करने में निरंतर विफल रही।

पैन एक विशिष्ट पहचानकर्ता पर अपर्याप्त इनपुट नियंत्रण, कर चूककर्ता संस्थाओं की पहचान करने और उन्हें बोली प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने की विभाग की क्षमता को सीमित करता है।

4 एल-1बीएफ: आयातित विदेशी शराब के व्यापार के लिए थोक लाइसेंस।

5 एल-14ए: देसी शराब की खुदरा दुकान और एल-2: भारत में निर्मित विदेशी शराब की खुदरा दुकान।

विभाग ने बताया (मई 2025) कि नीति वर्ष 2023-24 से पैन से संबंधित फील्ड पर वैधता जांच को शामिल कर लिया गया था। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि डेटाबेस में नीति वर्ष 2023-24 में भी लाइसेंसधारक द्वारा रिक्त/अमान्य पैन के साथ लेन-देन मौजूद था।

2.8.9 अस्थायी लाइसेंस (एल-12ए) प्रदान करना

हरियाणा शराब लाइसेंस नियमावली के नियम 24 में प्रावधान है कि एल-12ए लाइसेंस प्रदान करने के लिए निम्नलिखित श्रेणियां लागू होंगी:

1. बैंक्वेट हॉल, फार्महाउस, सामुदायिक केंद्र, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सार्वजनिक पार्क/स्थल, समारोह, मिलन समारोह और विवाह पार्टियां आयोजित करने वाली धर्मशालाएं।
2. होटलों, रेस्तरां और क्लबों द्वारा किसी विशेष दिन पर समारोह आयोजित करने के लिए अस्थायी आधार पर अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर के बाहर शराब परोसना।
3. किसी व्यक्ति को एक दिन के लिए निजी स्थान पर शराब परोसने की अनुमति।

अस्थायी लाइसेंसों के डेटा विश्लेषण के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई थीं:

2.8.9.1 सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत समय-सीमा का पालन न करना

सेवा का अधिकार (आर.टी.एस.) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, विभाग के वेब-पोर्टल पर आवेदन प्राप्त होने के 30 कार्यदिवसों के भीतर अस्थायी लाइसेंस प्रदान किया जाना था।

दिसंबर 2015 से जुलाई 2023 की अवधि से संबंधित अस्थायी लाइसेंस डेटा के विश्लेषण के दौरान, सक्षम प्राधिकारी द्वारा 17,157 अस्थायी लाइसेंस स्वीकृत/अस्वीकृत किए गए, जिनमें से 619 लाइसेंस अनुमत समय-सीमा के बाद स्वीकृत/अस्वीकृत किए गए। देरी एक से 1,599[6] दिनों तक की थी। इस प्रणाली में उक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा का पालन/निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यक्षमता नहीं थी।

इसके अतिरिक्त, अस्थायी लाइसेंस आवेदनों के विश्लेषण से पता चला कि मार्च 2023 तक पोर्टल पर प्राप्त 46,414 आवेदनों में से 5,452 आवेदन जून 2023 तक निपटान हेतु लंबित थे। इन आवेदनों की लंबित अवधि 91 से 2,760 दिनों के बीच थी। इन मामलों में, खजाने में ₹ 3.74 करोड़ की फीस जमा की गई थी।

इस एस्केलेशन मैट्रिक्स कार्यक्षमता के अभाव के कारण अस्थायी लाइसेंस का समय पर निपटान नहीं हो पाया, जिससे परियोजना का कुशल सेवा प्रदाय का उद्देश्य प्रभावित हुआ।

विभाग ने बताया (मई 2025) कि ऐसे आवेदनों के लंबित रहने के संबंध में आबकारी अधिकारियों को सूचित करने के लिए कोई तंत्र नहीं है, तथापि, नए सिस्टम इंटीग्रेटर को प्रणाली में वांछित संशोधन करने के निर्देश दिए गए हैं और विलंबित आवेदनों से निपटने के लिए ऐसे मामलों में एस्केलेशन मैट्रिक्स को शामिल करने की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा।

[6] शनिवार, रविवार और राज्य की छुट्टियों को छोड़कर।

2.8.9.2 वैधता जांच का विद्यमान न होना

2020-21 से 2022-23 के लिए आबकारी नीतियों के अनुसार, सभी वाणिज्यिक स्थलों अर्थात बैंक्वेट हॉल और पार्टी हॉल/लॉन वाले होटलों को निर्धारित पंजीकरण फीस का भुगतान करके आबकारी विभाग के पास अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना चाहिए।

एल-12ए लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए विभाग की वेबसाइट के विश्लेषण से पता चला कि स्थल श्रेणी को "वाणिज्यिक" के रूप में चुनने पर पंजीकृत वाणिज्यिक स्थलों की ड्रॉप-डाउन सूची आवेदक के चयन के लिए सामने आ जाती है। इस सूची में "अन्य" विकल्प भी शामिल है, जो आवेदक को चयन के अनुसार स्थल का पता दर्ज करने की अनुमति देता है।

दिसंबर 2015 से जुलाई 2023 तक के डेटा के विश्लेषण से पता चला कि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा पोर्टल पर 10,522 अस्थायी लाइसेंस (एल-12ए) अनुमोदित किए गए थे, इनमें से 8,010 लाइसेंसों के लिए, किसी विशिष्ट स्थल के नाम के बजाय स्थल श्रेणी "अन्य" का चयन किया गया था, जिससे प्रणाली के लिए यह पहचान करना असंभव हो गया कि इन कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए वाणिज्यिक स्थल को कोई लाइसेंस जारी किया गया था या नहीं। किसी विशिष्ट स्थल के नाम और लाइसेंस संख्या के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि वह विशेष वाणिज्यिक स्थल विभाग के पास पंजीकृत था। शेष 2,512 लाइसेंस जो 86 स्थलों के लिए अनुमोदित किए गए थे, उनमें से 69 स्थलों के पास वैध पंजीकरण नहीं थे, फिर भी इन स्थलों पर आयोजित समारोहों के लिए 2,149 अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए थे।

इस प्रकार, प्रणाली में पर्याप्त वैधता जांच के अभाव के कारण, अपंजीकृत वाणिज्यिक स्थलों पर शराब परोसने के लिए अस्थायी लाइसेंस प्रदान करने पर आबकारी नीति प्रावधानों के अनुसार प्रतिबंध नहीं लगाया जा सका।

(ii) अस्थायी लाइसेंसों से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण से यह भी पता चला है कि दिसंबर 2015 और जून 2023 के मध्य प्राप्त 46,414 परमिट अनुरोधों में से 1,787 में, निर्धारित कार्यक्रम के बाद अनुमोदन/अस्वीकृति दी गई थी। कार्यक्रम के बाद आवेदनों को स्वीकृत या अस्वीकृत करना, शराब की अनधिकृत सेवा के संभावित जोखिम को इंगित करता है।

(iii) निर्धारित प्रक्रिया प्रवाह के साथ अस्थायी लाइसेंस डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 23 लंबित/अस्वीकृत लेनदेन में लाइसेंस नंबर सौंपा गया था जो सिस्टम में पर्याप्त सत्यापन जांच की अनुपस्थिति को दर्शाता है।

विभाग ने बताया (मई 2025) कि कार्यालयों या निजी स्थानों जैसे स्थानों पर समारोह आयोजित करने के लिए "अन्य" विकल्प उपलब्ध है, जो स्व-स्वामित्व वाले नहीं हैं और ऐसे स्थानों को पंजीकृत करना अपेक्षित नहीं था, हालांकि, उच्च श्रेणी अर्थात् वाणिज्यिक स्थलों की फीस वसूल की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि निजी तौर पर समारोह आयोजित करने के मामले में, आवेदक के पास “वाणिज्यिक स्थल” के बजाय “निजी स्थल” श्रेणी का चयन करने का विकल्प था। यह अपेक्षित है कि "वाणिज्यिक स्थल" श्रेणी के अंतर्गत केवल वाणिज्यिक स्थलों की सूची उपलब्ध होनी चाहिए ताकि प्रणाली द्वारा ऐसे स्थलों के

पंजीकरण का सत्यापन किया जा सके। हालांकि, विभाग ने आश्वासन दिया है कि इसे सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम के बाद आवेदनों पर की गई कार्रवाई के मामले में, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (मई 2025) कि ऐसे आवेदनों के समय पर निपटान के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं (मार्च 2025)। इसके अतिरिक्त, सिस्टम इंटीग्रेटर को कार्यक्षमता में सुधार करने और लंबित अस्वीकृत आवेदन के लिए लाइसेंस नंबर सौंपने का भी निर्देश दिया गया था, विभाग ने बताया कि सिस्टम इंटीग्रेटर को इस तकनीकी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

2.8.10 मास्टर टेबल में उपयोगकर्ताओं के साख विवरण न होना

निर्धारित प्रक्रिया प्रवाह के अनुसार, आवेदक साइन अप प्रक्रिया के समय प्रदान किए गए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ आबकारी पोर्टल पर लॉग इन करता है और डी.डी. के विवरण के साथ अपेक्षित विवरण भरता है। आवेदक को संबंधित डी.ई.टी.सी. को आवेदन प्रस्तुत करने से पहले सहभागिता फीस और बयाना राशि जमा (ई.एम.डी.) का भुगतान करना होगा। डी.ई.टी.सी. द्वारा आवेदन प्रक्रिया को स्वीकृति मिलने के बाद, आवेदक निविदा आवेदन जमा करने के लिए पात्र हो जाता है। निविदा जमा करने के दिन, आवेदक सिस्टम में लॉग-इन करता है और बोली विवरण प्रस्तुत करने के बाद निविदा आवेदन जमा करता है। शराब की दुकानों की बोली प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति के लिए विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है।

डेटा की जांच से पता चला कि बोली प्रक्रिया में भाग लेने वाले एक व्यक्ति का आवश्यक विवरण मास्टर टेबल में नहीं था। मास्टर टेबल में उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल का अनुपस्थित होना एक गंभीर मामला है क्योंकि यह बैकएंड से कार्रवाई का कोई निशान छोड़े बिना अभिलेख को हटाए जाने के कारण भी संभव हो सकता है और पोर्टल पर पंजीकरण के बिना उपयोगकर्ता के बोली प्रक्रिया में सफल होने का जोखिम पैदा होता है।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (मई 2025) कि उक्त उपयोगकर्ता ने बोली प्रक्रिया में भाग लिया था, हालांकि, उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल्स अनुपस्थित होने के कारण प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

2.9 शराब उत्पादन

राज्य में शराब उत्पादन को पंजाब आबकारी अधिनियम 1914, पंजाब डिस्टिलरी नियम 1932, पंजाब ब्रेवरीज नियम 1956, वार्षिक आबकारी नीतियों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी संशोधनों/निर्देशों में निहित प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाता है।

पंजाब डिस्टिलरी नियम, 1932 में निहित प्रावधानों के अनुसार, विनिर्माण इकाई (एम.यू.) में तैनात आबकारी स्टाफ अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण इकाइयों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं।

शराब उत्पादन से संबंधित लेखापरीक्षा उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

2.9.1 शराब उत्पादन प्रक्रिया का स्वचालन न होना

आबकारी निरीक्षक (ई.आई.) शराब उत्पादन, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई.एन.ए.) की माप, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को सम्मिश्रण वैट्स[7] में स्थानांतरित करने, बोतलबंद करने के प्रयोजनों के लिए निर्मित शराब को होल्डिंग टैंकों में स्थानांतरित करने और विनिर्माण इकाइयों (एम.यू.) में टिकटों के साथ टैग किए गए आबकारी ताले के साथ भंडारण इकाइयों को सुरक्षित करने की देखरेख करता है।

अप्रैल 2022 में जारी विभागीय निर्देशों के अनुसार, सभी डिस्टिलरियों/बॉटलिंग प्लांटों को स्टिल्स और स्पिरिट रिसीवर्स के बीच तथा स्पिरिट स्टोरेज टैंकों, ब्लेंडिंग वैट और लोडिंग पॉइंट के बीच पाइपलाइनों पर मास फ्लो मीटर स्थापित करने थे, ताकि ऐसी पाइपलाइन से गुजरने वाले स्पिरिट के मास फ्लो को सटीक रूप से मापा जा सके। लाइसेंसधारक को मास फ्लो मीटर की रीडिंग रिकॉर्ड करने के लिए एक इन्फोटेक सिस्टम लगाना था, जो विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली को रीडिंग भेज सके, ताकि डिस्टिलरी के इंचार्ज अधिकारी द्वारा रखे जाने वाले फॉर्म डी-30 में रजिस्टर तैयार किया जा सके। विभाग ने अपने प्रस्तावित प्रक्रिया एवं कार्यविधि दस्तावेज में डी-13बी, डी-14ए और डी-9 रजिस्टर तैयार करने को स्वचालित करने के लिए सिस्टम में दिन-प्रतिदिन की प्रविष्टियों को कैप्चर करने की योजना बनाई, ताकि बॉटलिंग के लिए जारी की गई स्पिरिट, भरी गई बोतलों और उनमें भरी गई मात्रा, और बर्बादी के अलावा शेष बची स्पिरिट की मात्रा का हिसाब रखा जा सके; स्टॉक में रखी गई, जारी की गई और बची हुई बोतलबंद स्पिरिट का दिन-प्रतिदिन का कुल हिसाब; और इंस्पेक्टर की डायरी जिसमें बर्तनों में स्पिरिट, लगाए गए/हटाए गए ताले, और तालों पर उपयोग किए गए टिकट की क्रम संख्या की जानकारी हो। उत्पादन की मात्रा, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में किसी भी असामान्य विचलन का पता लगाने और जानकारी के साथ छेड़छाड़ को रोकने के लिए विस्तृत ऑडिट ट्रेल बनाए रखने की भी परिकल्पना की गई थी। वैट लॉक खोलने और बंद करने से संबंधित जानकारी के डिजिटलीकरण से डिस्टिलरी के परिचालन घंटों की निगरानी करने में भी मदद मिलेगी।

दो विनिर्माण इकाइयों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि वैट लॉक संचालन और बॉटलिंग गतिविधियों (आरंभिक शेष, उत्पादन, बिक्री और अंतिम शेष) के विवरण सहित शराब उत्पादन प्रक्रिया को मैन्युअल रूप से बनाए रखा गया था क्योंकि इन कार्यक्षमताओं को विभाग द्वारा स्वचालित नहीं किया गया था।

इस प्रकार, स्वचालन की कमी के कारण, मैन्युअल प्रक्रिया में एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल की उपयोग की गई मात्रा, उत्पादित शराब और उत्पादन चक्र के विभिन्न चरणों में रिपोर्ट किए गए वेस्टेज में गलतियों और हेरफेर की संभावना बनी रही, जिससे दक्षता बढ़ाने के लिए पूरी तरह से एकीकृत डिजिटल प्रणाली की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया।

---

[7] "वैट्स" से तात्पर्य एक बड़े, खुले मुंह वाले बर्तन से है, जैसे कि एक बड़ा टैंक या टब, जिसका उपयोग तरल पदार्थों को रखने, मिश्रण करने और कभी-कभी किण्वन के लिए किया जाता है, विशेष रूप से व्हिस्की जैसे स्पिरिट के उत्पादन में।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (मई 2025) कि तकनीकी कारणों से डिस्टिलरी मॉड्यूल को सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जा सका, तथापि, प्रक्रियाओं का पूर्ण स्वचालन सुनिश्चित करने के लिए अब नए विक्रेता का चयन किया गया है।

2.9.2 एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल की आपूर्ति के लिए परमिट/पास जारी करने का स्वचालन न होना

एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल के वैध और नियंत्रित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, हरियाणा आबकारी विभाग यह अनिवार्य करता है कि एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल के उत्पादन, वितरण और व्यापार में शामिल व्यक्तियों और उद्यमों को उचित परमिट प्राप्त करना होगा।

डिस्टिलरियों के लिए प्रक्रिया प्रवाह के गहन अध्ययन के दौरान (हरियाणा ऑर्गेनिक्स डिस्टिलरी, समालखा में किया गया) यह पाया गया था कि बॉटलिंग प्लांटों, डिस्टिलरियों और राज्य के बाहर एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल की आवागमन के लिए परमिट को सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से विनियमित नहीं किया जा रहा था। 2016-17 और 2020-21 के बीच की अवधि के लिए डेटाबेस में पाई गई 16 जांच प्रविष्टियों से स्पष्ट है कि एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल की आवक आपूर्ति के लिए आबकारी परमिट और जावक आपूर्ति के लिए पास मैन्युअल रूप से तैयार और जारी किए गए थे, यद्यपि परमिट आवेदनों के लिए एक ऑनलाइन प्रावधान उपलब्ध था।

बिक्री चालानों की नमूना-जांच से पता चला कि मेसर्स हरियाणा ऑर्गेनिक्स, समालखा ने वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान देसी शराब/भारत में निर्मित विदेशी शराब के विनिर्माण के लिए राज्य में 7,28,32,195 प्रूफ लीटर[8] एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल बेचा था लेकिन इस मात्रा के लिए परमिट और पास प्रणाली के बाहर मैन्युअल रूप से जारी किए गए थे।

इस प्रकार, प्रणाली के बाहर बड़ी मात्रा में एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल के लिए परमिट और पास को मैन्युअल रूप से जारी करने से स्वचालित नियंत्रण और लेखापरीक्षा ट्रेल की कमी के कारण अनधिकृत विचलन, गलत रिपोर्टिंग और संभावित राजस्व हानि का जोखिम बढ़ जाता है।

2.9.3 शराब की रासायनिक जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए कार्यक्षमता का गैर-स्वचालन

हरियाणा ई-वाणिज्य कर (एच.-ई.सी.टी.) सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली लागू अधिनियमों और नियमों के तहत आबकारी विभाग के कार्यों को स्वचालित करने के लिए लागू की गई थी। पंजाब डिस्टिलरी नियमावली (हरियाणा राज्य में यथा लागू) के नियम 17 के अनुसार, डिस्टिलरी को यह सुनिश्चित करने के लिए कि शराब मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है, स्पिरिट उत्पादन में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों के नमूने लेने की अनुमति देना अपेक्षित है। हरियाणा राज्य में, विनिर्माण इकाइयों से शराब के प्रेषण से पहले, प्रत्येक बैच के नमूनों को गुणवत्ता परीक्षण के लिए रासायनिक परीक्षक के पास भेजा जाता है। सिस्टम डेटा और प्रविष्टि फॉर्म की जांच से पता चला कि सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन में परीक्षण के लिए

[8] मेसर्स यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के बॉटलिंग प्लांट को एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल का 2,11,03,003 बल्क लीटर (2,11,03,003*1.68=3,54,53,045 प्रूफ लीटर) और विभिन्न डिस्टिलरियों को 2,22,49,494 बल्क लीटर (2,22,49,494*1.68=3,73,79,150 प्रूफ लीटर)।

भेजे गए नमूनों के विवरण और रासायनिक परीक्षक से प्राप्त परिणामों को कैप्चर करने के लिए डिजाइन का अभाव था।

एप्लीकेशन में इस सूचना के अभाव में, प्रणाली में पर्याप्त वैधता जांच लागू नहीं की जा सकी, जिससे उन बैचों के संबंध में पास (प्रेषण के लिए) की स्वीकृति को रोका जा सके, जिनके लिए या तो रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी या जहां रासायनिक परीक्षण के परिणाम निर्दिष्ट मापदंडों के अनुरूप नहीं थे।

मेसर्स हरियाणा डिस्टिलरी लिमिटेड, यमुनानगर और हरियाणा ऑर्गेनिक्स, समालखा के 2016-17 से 2022-23 की अवधि के अभिलेखों की जांच से पता चला कि 44 बैचों में, रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले शराब भेजी गई थी। इन मामलों में प्रेषण पास जारी होने के एक से 581 दिन बाद रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। रासायनिक परीक्षण परिणामों को कैप्चर करने के लिए प्रणाली में कार्यक्षमता के अभाव में, आंतरिक/बाहरी रासायनिक विश्लेषण के परिणाम प्राप्त होने तक पास जारी करने को प्रतिबंधित करने के लिए आवश्यक वैधता जांच लागू नहीं की जा सकी।

विभाग ने बताया (मई 2025) कि पंजाब डिस्टिलरी नियमावली के अनुसार, रासायनिक जांच के लिए प्रत्येक बैच से नमूना लेना अनिवार्य नहीं है। तथापि, प्रत्येक बैच से लिए गए नमूनों की डिस्टिलरियों द्वारा आंतरिक रूप से जांच की जाती है और अतिरिक्त जांच के रूप में कार्यरत सरकारी परीक्षक द्वारा जांच की जाती है, जिसमें सामान्यतः देरी हो जाती है। हालांकि, विभाग ने आश्वासन दिया कि नए सॉफ़्टवेयर में इस समस्या का समाधान किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग का डिस्टिलरी द्वारा किए गए आंतरिक परीक्षण पर निर्भर रहना तथा सरकारी परीक्षक द्वारा विलंबित सत्यापन नियामक नियंत्रण में चूक को इंगित करता है तथा निर्माता को अपने उत्पाद को स्वयं प्रमाणित करने की अनुमति देने से हितों का टकराव होता है और गुणवत्ता जांच की विश्वसनीयता को कमजोर करता है।

2.9.4 आपूर्ति के लिए अनुमोदित शराब के स्टॉक के साथ मैपिंग हेतु होलोग्राम सीरियल को कैप्चर करने के लिए कार्यक्षमता का अभाव

नकली शराब को रोकने, प्रामाणिकता सुनिश्चित करने और अवैध बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए शराब की बोतलों पर सुरक्षा लेबल (होलोग्राम) लगाना अनिवार्य है। प्रत्येक होलोग्राम में सीरियल नंबर, पैक का टाइप और शराब के टाइप जैसी जानकारी होती है।

इसके अतिरिक्त, अवैध शराब की आपूर्ति के जोखिम को कम करने के लिए, विभागीय प्रवर्तन टीमों और पुलिस स्टाफ को शराब की आवाजाही के दौरान आबकारी शुल्क पास की जांच करके शराब की आवाजाही की निगरानी करने का कार्य सौंपा गया था। पूर्वाभ्यास और डेटाबेस के विश्लेषण के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि बॉटलिंग के बाद, होलोग्राम-लगी बोतलों को आबकारी प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, लेकिन सिस्टम में होलोग्राम सीरियल नंबर और आबकारी पास के साथ उनकी मैपिंग को कैप्चर करने के लिए कार्यक्षमता का अभाव है। परिणामस्वरूप, फॉर्म एल-34 ट्रांजिट में स्टॉक के होलोग्राम विवरण

को रिकॉर्ड नहीं करता है। नियामक नियंत्रण को बेहतर बनाने, अवैध गतिविधियों को रोकने और प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए, एक ऐसी प्रणाली को डिजाइन और लागू करना महत्वपूर्ण है जो आबकारी पास के साथ होलोग्राम ट्रैकिंग को एकीकृत करे, जिससे पारगमन के दौरान शराब की प्रामाणिकता का वास्तविक समय सत्यापन हो सके।

विभाग ने बताया (मई 2025) कि पास पर होलोग्राम विवरण दर्ज करना संभव नहीं था और क्यूआर/बार कोड-आधारित ट्रैक और ट्रेस सिस्टम के कार्यान्वयन का संदर्भ दिया था।

हालांकि, तथ्य यह है कि होलोग्राम अभी भी उपयोग में हैं और आबकारी पासों पर होलोग्राम के विवरण का न होना प्रवर्तन स्टाफ के लिए शराब की आपूर्ति की वास्तविकता को प्रभावी ढंग से सत्यापित करना कठिन/शराब के अवैध डायवर्जन/नकली उत्पादों के प्रचलन का जोखिम बना रहता है।

2.9.5 एल-1बीएफ लाइसेंसधारकों द्वारा होलोग्राम जारी करने और उपयोग की प्रक्रिया का स्वचालित न किया जाना

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), अंबाला द्वारा अनुरक्षित मैनुअल अभिलेखों के विश्लेषण से पता चला कि नीति वर्ष 2022-23 के दौरान एल-1बीएफ लाइसेंसधारकों को 44,70,082 होलोग्राम जारी किए गए थे और डेटा के अनुसार, लाइसेंसधारक ने शराब की 19,87,869 बोतलों की आपूर्ति की थी, जिससे 24,82,213 बिना उपयोग किए गए होलोग्राम बच गए थे, तथापि अभिलेखों में ऐसी कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी।

आयातित विदेशी शराब (आई.एफ.एल.) होलोग्राम में स्वचालन की कमी के कारण जारी किए गए और उपयोग किए गए होलोग्राम के बीच अंतर आ गया और उपयोग न किए गए होलोग्राम को ट्रैक करना मुश्किल हो गया, जिससे गलत रिपोर्टिंग और डायवर्जन का खतरा पैदा हो गया। विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (मई 2025) कि होलोग्राम जारी करने और उनके उपयोग की प्रक्रिया स्वचालित नहीं थी और इसे मैन्युअल रूप से बनाए रखा जा रहा था।

2.9.6 शराब की बोतलबंदी, प्रेषण और निर्यात

हरियाणा सरकार द्वारा जारी वार्षिक आबकारी नीतियों में डिस्टिलरियों द्वारा भारत में निर्मित विदेशी शराब की बोतलबंदी, बोतलबंदी संयंत्रों द्वारा अपने स्वयं के ब्रांड की बोतलबंदी तथा ब्रुअरियों द्वारा बीयर की बोतलबंदी के लिए बोतलबंदी फीस की दरें निर्धारित की जाती हैं। इसी प्रकार, वार्षिक आबकारी नीतियों में राज्य में स्थित विनिर्माण इकाइयों द्वारा राज्य के बाहर निर्यात किए जाने वाले शराब के स्टॉक पर लगाए जाने वाले निर्यात शुल्क की दरें भी निर्धारित की जाती हैं।

शराब की बोतलबंदी के बाद, लाइसेंसधारक शराब के बैचों को विनिर्माण इकाइयों में तैनात आबकारी प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदन के लिए आबकारी पोर्टल पर प्रस्तुत करता है। ट्रांजेक्शन के अंतिम प्रस्तुतीकरण से पहले, प्रणाली देय बोतलबंदी फीस के मूल्य की गणना करके उसे डेटाबेस की स्टॉक तालिका में संग्रहीत करती है और संबंधित लाइसेंसधारक के उपलब्ध कोष से देयता को समायोजित करने के लिए भुगतान तालिका में एक समानांतर प्रविष्टि भी दर्ज करती है।

बोतलबंदी डेटा की जांच के दौरान पाई गई लेखापरीक्षा टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

(क) बोतलबंदी फीस की कम गणना/वसूली

विकास दल ने सूचित किया कि आबकारी प्राधिकारियों के अनुमोदन के लिए बोतलबंद शराब के बैच जमा करने के दौरान सिस्टम बोतलबंदी फीस की गणना करता है और इसे सिस्टम में दर्ज करता है तथा लाइसेंसधारक के उपलब्ध कॉर्पस से देय राशि को समायोजित करने के लिए एक संबंधित प्रविष्टि बनाई जाती है।

वर्ष 2016-17 से 2022-23 की अवधि के डेटा के विश्लेषण से पता चला कि प्रणाली ने 591 तैयार माल ट्रांजेक्शन के विरुद्ध बोतलबंद शराब के 37,25,330 प्रूफ लीटर (पी.एल.)/बल्क लीटर (बी.एल.) के लिए देय बोतलबंदी फीस के कारण ₹ 4.14 करोड़ की आबकारी शुल्क राशि की गणना की थी, जबकि अनुमोदित स्टॉक के लिए निर्धारित दरें ₹ 5 करोड़ देय थी, जिसके परिणामस्वरूप प्रणाली द्वारा ₹ 0.86 करोड़ की कम गणना हुई।

इसके साथ ही, अनुमोदित स्टॉक के विवरण वाली तालिका में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह पाया गया कि भारत में निर्मित विदेशी शराब और बीयर के लिए 69,385 तैयार माल ट्रांजेक्शन को आबकारी प्राधिकारियों द्वारा आबकारी पोर्टल पर अनुमोदित किया गया था। संबंधित तालिका में दर्ज देय बोतलबंदी फीस का विश्लेषण लाइसेंसधारकों के उपलब्ध कोष से वास्तविक रूप से समायोजित किए गए मूल्यों के साथ किया गया और 133 ट्रांजेक्शन के लिए देय बोतलबंदी फीस और वास्तविक रूप से समायोजित की गई फीस में भिन्नता देखी गई। इन ट्रांजेक्शन में, ₹ 2.48 करोड़ की बोतलबंदी फीस की देयता के रूप में गणना की गई थी, तथापि, लाइसेंसधारकों के पास उपलब्ध कोष से समायोजित करने के लिए ₹ 0.07 करोड़ की देयता दर्ज की गई थी। इस प्रकार, पर्याप्त प्रक्रिया नियंत्रण के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 2.41 करोड़ की बोतलबंदी फीस की कम वसूली हुई।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (मई 2025) कि ₹ 40.12 लाख पहले ही वसूल/समायोजित किए जा चुके थे। इसके अतिरिक्त, बोतलबंदी फीस की कम वसूली के संबंध में ₹ 2.41 करोड़ में से ₹ 7.32 लाख की राशि वसूल/समायोजित की जा चुकी थी।

(ख) देशी शराब को पैट बोतलों में पैक करके आबकारी नीति का अननुपालन

अच्छी सूचना प्रौद्योगिकी प्रथाओं के अनुसार, यह अपेक्षा की जाती थी कि सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशनों में अंतर्निहित नियंत्रण होने चाहिए जो स्वचालित रूप से जांच करें कि डेटा इनपुट सही और वैध है।

नीति वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए आबकारी नीति के पैरा 2.13.11 के अनुसार, 50 डिग्री प्रूफ[9] की देसी स्पिरिट की बोतलबंदी के लिए उपयोग की जाने वाली बोतलें 'पक्के कांच' (कांच की बोतलें) से बनी होनी चाहिए या पूरी तरह से स्वचालित मशीनों पर निर्मित पैट बोतलें होनी चाहिए। तथापि, 65 डिग्री प्रूफ़ की देसी शराब, जैसे मेट्रो लिकर और

9 अल्कोहल प्रूफ़ किसी पेय पदार्थ में अल्कोहल की मात्रा का माप है। यह आमतौर पर मात्रा के हिसाब से अल्कोहल की प्रतिशतता से दोगुना होता है।

75 डिग्री प्रूफ़ की भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट के लिए केवल 'पक्के कांच' की बोतलों की ही अनुमति थी।

डेटा के विश्लेषण से पता चला कि विनिर्माण इकाइयों द्वारा बोतलबंद और आबकारी अधिकारियों द्वारा अनुमोदित शराब के 14 बैच, जिनमें 65 डिग्री प्रूफ क्षमता वाली 42,120 प्रूफ लीटर देसी शराब थी, को कांच की बोतलों के उपयोग को अनिवार्य बनाने वाले उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पैट बोतलों में बोतलबंद किया गया था। इन बैचों में 180 मिलीलीटर, 375 मिलीलीटर और 750 मिलीलीटर के पैक शामिल थे, जिनकी कुल मात्रा 7,200 पेटियां शराब थी।

यह इंगित करता है कि 50 डिग्री से अधिक क्षमता वाली देसी शराब के लिए पैट बोतलों के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए आबकारी नीति के दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त जांच प्रणाली में शामिल नहीं की गई थी।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (मई 2025) कि सिस्टम इंटीग्रेटर को प्रणाली में पर्याप्त सत्यापन जांच प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

(ग) बोतलबंदी अपव्यय की अनुमति

पंजाब डिस्टिलरी नियमावली का नियम 101, देसी शराब और भारत में निर्मित विदेशी शराब दोनों के बोतलबंदी परिचालनों के लिए 1.5 प्रतिशत के अपव्यय की अनुमति प्रदान करता है। मासिक अपव्यय गणना से डिस्टिलरियों को एक महीने में कम अपव्यय की तुलना में दूसरे महीने में अधिक अपव्यय की भरपाई करने की अनुमति मिलती है। इसके अतिरिक्त, नियम 101(4) में प्रावधान है कि शुल्क विशेष प्रकार की स्पिरिट पर लागू दर पर लिया जाएगा।

बोतलबंद शराब और अपव्यय दावों के तिथिवार विवरण वाली तालिका के डेटा के विश्लेषण से पता चला कि वर्ष 2015-16 से 2022-23 के दौरान, आबकारी प्राधिकारियों द्वारा अनुमेय सीमा से अधिक 91.17 लाख प्रूफ लीटर/बल्क लीटर के अतिरिक्त अपव्यय को अनुमोदित किया गया था। निर्धारित दरों के अनुसार, अनुमत अत्यधिक अपव्यय पर ₹ 42.19 करोड़ का आबकारी शुल्क लगाया जाना था। इसके अतिरिक्त, भुगतान विवरण तालिका की संवीक्षा से पता चला कि भारत में निर्मित विदेशी शराब, देसी शराब और बीयर के लिए अनुमत अतिरिक्त अपव्यय ***(परिशिष्ट 2.1)*** के कारण कोई भुगतान ट्रांजेक्शन नहीं पाया गया था।

आबकारी कार्यालय (जगाधरी में डिस्टिलरी) में रखे गए डी-13बी रजिस्टरों की जांच से पता चला कि मैन्युअल रजिस्टरों में दर्ज किए गए बोतलबंदी अपव्यय की मात्रा सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में कैप्चर नहीं की जा रही थी।

इस प्रकार, प्रणाली में पर्याप्त सत्यापन जांच के अभाव में, स्वीकार्य सीमा से अधिक बोतलबंद अपव्यय की अनुमति को न तो प्रणाली द्वारा प्रतिबंधित किया गया और न ही प्रणाली द्वारा अत्यधिक अपव्यय पर आबकारी शुल्क लगाया गया।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (मई 2025) कि नए सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा विकसित किए जा रहे नए सॉफ्टवेयर में अतिरिक्त अपव्यय पर आबकारी शुल्क लगाने की

कार्यक्षमता पर विचार किया जाएगा और आश्वासन दिया कि पहले से अनुमत अतिरिक्त अपव्यय के लिए देय आबकारी शुल्क की वसूली की जाएगी।

(घ) निर्धारित समय के बाद शराब के डिस्पैच के लिए आबकारी पास की मंजूरी

पंजाब डिस्टिलरी नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुसार, सरकार राज्य में स्थित डिस्टिलरियों/ब्रुअरीज/बॉटलिंग प्लांटों से शराब के डिस्पैच के लिए समय निर्धारण हेतु निर्देश जारी करती है। नीति वर्ष 2021-22 तक के लिए उक्त समय सुबह 09:00 बजे से शाम 17:00 बजे तक और 2022-23 से आगे के लिए सुबह 09:00 बजे से शाम 19:00 बजे तक निर्धारित किया गया था।

नीति वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक के पास विवरणों के विश्लेषण के दौरान, यह पाया गया था कि कुल शराब का 610,93,922 प्रूफ लीटर (584,51,041 प्रूफ लीटर अंत:राज्यीय और 26,42,881 प्रूफ लीटर अंतर्राज्यीय) 30,719 पास (जिनमें 29,902 अंत:राज्यीय और 817 अंतर्राज्यीय पास शामिल हैं) के माध्यम से निर्धारित प्रेषण समय से परे भेजा गया था। इसी प्रकार ब्रुअरीज और बॉटलिंग प्लांटों के मामले में, यह पाया गया था कि इस शराब का 7,82,89,819 बल्क लीटर (3,94,57,174 बल्क लीटर अंत:राज्यीय और 3,88,32,645 बल्क लीटर अंतर्राज्यीय) से संबंधित 10,189 पास (जिनमें 5,458 अंत:राज्यीय और 4,731 अंतर्राज्यीय पास शामिल हैं) के माध्यम से निर्धारित समय से परे भेजा गया था। इन पासों को आबकारी प्राधिकारियों द्वारा अनुमत प्रेषण घंटों के बाद अनुमोदित किया गया था।

मेसर्स हरियाणा ऑर्गेनिक्स, समालखा, पानीपत में अनुरक्षित गेट पास रजिस्टर में 2020-21 और 2023-24 के बीच की अवधि के लिए की गई 833 प्रविष्टियों की नमूना-जांच से पुष्टि हुई कि 153 मामलों में, शराब की आपूर्ति के लिए डिस्पैच अनुमेय समय के बाद किए गए थे। डेटा विश्लेषण से यह भी पता चला कि इन ट्रांजेक्शन में पास की वैधता के लिए टाईम स्टैम्प या प्राप्तकर्ता लाइसेंसधारक द्वारा शराब की आपूर्ति प्राप्त करने की तारीख एवं समय का विवरण कैप्चर नहीं किया गया था।

अनुमत घंटों से परे पासों की स्वीकृति को प्रतिबंधित करने के लिए प्रणाली नियंत्रण की अनुपस्थिति और टाईम स्टैम्प अभिलेख की कमी से अनधिकृत शराब की आवाजाही, संभावित विचलन, राजस्व रिसाव और जवाबदेही के बिना आबकारी पासों के दुरुपयोग का जोखिम बढ़ जाता है। इस प्रकार, प्रणाली में प्रक्रिया नियंत्रण की अनुपस्थिति के कारण, अनुमेय घंटों से परे पास के अनुमोदन को प्रणाली द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जा सका।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (मई 2025) कि प्रणाली में कोई प्रक्रिया नियंत्रण मौजूद नहीं था और इसने यह सुनिश्चित किया था कि निर्धारित समय के बाद कोई भी डिस्पैच नहीं किया जाएगा।

(ङ) बोतलबंद शराब के लिए मिसिंग स्टॉक रजिस्टर प्रविष्टियां

विकास दल के साथ विचार-विमर्श से पता चला कि शराब की बोतलों के तैयार माल के स्टॉक के बैच नंबर, ब्रांड और पैक प्रकार के अनुसार विवरण डिस्टिलरियों द्वारा "स्टॉक रजिस्टर" तालिका में कैप्चर किया जाता है और डिस्टिलरी में नियुक्त आबकारी प्राधिकारियों के पास

उनके अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। अनुमोदन मिलने पर, शराब की बोतलों को पेटियों में पैक करके भेज दिया जाता है। तालिका में प्रत्येक ट्रांजेक्शन की पहचान "स्टॉक रजिस्टर आई.डी." कॉलम में संग्रहीत स्वचालित अनुक्रमिक संख्यात्मक मानों द्वारा की जाती है। इस कॉलम के विश्लेषण से पता चला कि वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक 90[10] ट्रांजेक्शन मिसिंग थे।

मिसिंग ट्रांजेक्शन से अनधिकृत विलोपन या परिवर्तन की संभावना बढ़ जाती है और इससे शराब के दुरुपयोग तथा राजस्व की हानि का जोखिम भी बढ़ जाता है।

विभाग ने बताया (मई 2025) कि किसी भी ट्रांजेक्शन को प्रस्तुत करने में विफलता की स्थिति में, विफल ट्रांजेक्शन को दी गई आई.डी. का पुन: उपयोग नहीं किया गया और अगले प्रयास के लिए नई आई.डी. तैयार की गई, जिसके परिणामस्वरूप अंतराल उत्पन्न हुए। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विफल ट्रांजेक्शन के लिए लेखापरीक्षा ट्रेल का अभाव और आई.डी. में अंतराल, प्रणाली नियंत्रण की कमी को इंगित करता है और डेटा विश्वसनीयता पर चिंता उत्पन्न करता है।

(च) बैच विवरण सूचना पर नियंत्रण का अभाव

विनिर्माण इकाई में प्रक्रिया प्रवाह के प्रदर्शन के दौरान, यह देखा गया था कि सम्मिश्रण वैट में तैयार शराब को एक अलग बैच नंबर दिया जाता है और उसमें से बोतलबंद शराब को आबकारी प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। बोतलबंद शराब का विवरण स्टॉक तालिका में दर्ज किया जाता है। स्टॉक अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, बैच संख्याओं का विवरण पास के विवरण को रखने के लिए तैयार की गई तालिका में दर्ज किया जाता है। दोनों तालिकाओं की जानकारी आबकारी प्राधिकारियों को यह निगरानी करने में सहायता करती है कि डिस्टलरी से भेजी गई शराब की बैच-वार मात्रा आबकारी कर्मचारियों द्वारा अनुमोदित मात्रा से मेल खाती है।

पास विवरण और स्टॉक रजिस्टर तालिकाओं में उपलब्ध डेटा/सूचना के विश्लेषण से पता चला कि यह प्रणाली एक ही ट्रांजेक्शन में एक समग्र मात्रा के लिए कई बैच संख्याओं को कैप्चर करने की अनुमति देती है, जो विसंगतियों की पुष्टि के लिए अपर्याप्त इनपुट नियंत्रण की कमी को दर्शाती है। इन नियंत्रणों के अभाव में, एक बैच में वास्तव में उत्पादित शराब के संदर्भ में विक्रेताओं को शराब की अधिक/कम आपूर्ति का जोखिम पैदा होता है।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (मई 2025) कि डिस्टलरी से पास के माध्यम से जारी शराब के बैचवार मात्रात्मक विवरण को कैप्चर करने के लिए कोई तंत्र नहीं था, तथापि, यह उपयोगिता बनाई जाएगी।

(छ) निर्यात शुल्क की कम गणना

विकास दल ने निर्यात खेप की प्रोसेसिंग के लिए तैयार किए गए डेटा प्रवाह का वर्णन करते हुए बताया कि प्रणाली स्वयं ही मास्टर तालिका में दर्ज निर्यात शुल्क दरों के आधार पर देय

[10] 2015-16: 29, 2016-17: 34, 2017-18: 19 और 2018-19: 8

निर्यात शुल्क की गणना करता है। शराब की मात्रा के आधार पर गणना किए गए इस निर्यात शुल्क को लाइसेंसधारक के बही-खाते में उपलब्ध कॉर्पस धन से समायोजित किया जाना था।

डेटा के विश्लेषण से पता चला कि नीति वर्ष 2015 से अब तक 3,862.08 लाख प्रूफ लीटर (पी.एल.)/बल्क लीटर (बी.एल.) शराब के निर्यात के लिए 64,303 पास स्वीकृत किए गए थे।

भुगतान विवरण तालिका में उपलब्ध "देय राशि" सूचना के साथ इन पास ट्रांजेक्शन के विरुद्ध देय निर्यात शुल्क के विश्लेषण से पता चला कि देश के भीतर अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शराब निर्यात करने के लिए बनाए गए 858 ट्रांजेक्शन के मामले में, ₹ 55.29 लाख का निर्यात शुल्क देय था, हालांकि, डेटाबेस में उपलब्ध भुगतान जानकारी के अनुसार, निर्यात शुल्क के कारण संबंधित लाइसेंसधारकों के कॉर्पस धन से ₹ 33.03 लाख की राशि काट ली गई। निर्यात शुल्क की गणना पर पर्याप्त प्रक्रिया नियंत्रण के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 22.26 लाख के निर्यात शुल्क की कम वसूली हुई।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (मई 2025) कि ₹ 1.03 लाख की राशि पहले ही वसूल की जा चुकी थी तथा शेष मामलों की जांच की जाएगी।

2.10 शराब वितरण

हरियाणा राज्य में शराब की आवागमन पंजाब शराब परमिट और पास नियम, 1932 के प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित होती है। "परमिट (फॉर्म एल-32)" का अर्थ गंतव्य जिले के कलेक्टर या इस निमित्त अधिकृत अधिकारी द्वारा शराब के आयात और परिवहन के लिए जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र है, लेकिन यह अधिकृत व्यक्ति को जारी करने के स्थान से शराब को हटाने का अधिकार नहीं देता है। इस शब्द का प्रयोग खुदरा बिक्री की सीमा से अधिक शराब रखने के परमिट के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा, "पास (फॉर्म एल-34)" वह दस्तावेज है जो वास्तव में शराब को हटाने का अधिकार देता है।

अनुरोध प्रस्ताव के अनुसार, शराब के हस्तांतरण के लिए गंतव्य आबकारी कार्यालय द्वारा जारी परमिट और स्रोत आबकारी कार्यालय से पास की आवश्यकता होती है, दोनों का आवेदन ई-भुगतान के साथ डिजिटल फाइलिंग के माध्यम से किया जाता है। यह प्रणाली कोटा निगरानी के लिए परमिट और पास को जोड़ती है, विभिन्न प्रकार के आबकारी शुल्कों के उपयोग और संग्रहण पर नजर रखती है।

शराब वितरण मॉड्यूल से संबंधित लेखापरीक्षा उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

2.10.1 ऐतिहासिक एक्स-डिस्टलरी मूल्य की मिसिंग सूचना

राज्य सरकार प्रत्येक नीति वर्ष में, राज्य में स्थित न होने वाली विनिर्माण इकाइयों या विनिर्माण इकाइयों के थोक लाइसेंसधारकों द्वारा आपूर्ति की गई देसी शराब तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब के विभिन्न ब्रांडों के लिए एक्स-डिस्टलरी मूल्य तय करती है। शराब की बिक्री पर देय आबकारी शुल्क निर्धारित एक्स-डिस्टलरी मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अच्छी सूचना प्रौद्योगिकी प्रथाओं के अनुसार, प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिए अद्यतन ऐतिहासिक सूचना, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में अनुरक्षित की जाएगी।

ब्रांड मास्टर टेबल में अनुरक्षित सूचना के डेटा विश्लेषण से पता चला कि पिछले नीति वर्ष के एक्स-डिस्टिलरी मूल्य को चालू वर्ष के लिए निर्धारित एक्स-डिस्टिलरी मूल्य द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तथापि, भारत में निर्मित विदेशी शराब के विभिन्न प्रकार के ब्रांडों के लिए प्रभारित आबकारी शुल्क की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए पिछले वर्षों के लिए निर्धारित एक्स-डिस्टिलरी मूल्य के लिए डेटाबेस में कोई ऐतिहासिक सूचना नहीं पाई गई थी।

ऑडिट ट्रेल के बिना ऐतिहासिक एक्स-डिस्टिलरी मूल्यों की अनधिकृत रूप से ओवरराइटिंग के परिणामस्वरूप गलत आबकारी शुल्क प्रभार लग सकता है, जिससे राजस्व की हानि हो सकती है और एक्स-डिस्टिलरी मूल्य की गणना/भुगतान की सटीकता के सत्यापन में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (मई 2025) कि पिछले वर्षों के लिए एक्स-डिस्टिलरी मूल्य की ऐतिहासिक जानकारी को रखा नहीं जा रहा था और प्रत्येक नीति वर्ष के लिए एक्स-डिस्टिलरी मूल्य के बारे में ऐतिहासिक जानकारी रखने के लिए मौजूदा प्रणाली को उन्नत करने का प्रयास किया जाएगा।

2.10.2 अतिरिक्त आबकारी शुल्क की कम गणना

वर्ष 2016-17 से 2022-23 की आबकारी नीति के पैराग्राफ 3.4.1 के अनुसार, खुदरा दुकानों के लाइसेंसधारक (एल-14ए और एल-2), शराब की दुकानों की नीलामी की सूचना प्रकाशित होने से पहले जारी आबकारी व्यवस्था में निर्धारित वार्षिक मूल कोटे के 50 प्रतिशत तक शराब का अतिरिक्त कोटा उठाने के हकदार हैं। खुदरा लाइसेंसधारकों के मूल कोटे को त्रैमासिक कोटा स्लैब में विभाजित किया गया था और किसी तिमाही में मूल कोटा सीमा से अधिक उठाई गई शराब की किसी भी मात्रा को अतिरिक्त कोटा कहा जाता था। खुदरा लाइसेंसधारकों को देशी शराब और भारत में निर्मित विदेशी शराब के निर्धारित कोटे से अधिक उठाई गई शराब की मात्रा पर निर्धारित दरों के अनुसार अतिरिक्त आबकारी शुल्क का भुगतान करना पड़ता था।

एप्लिकेशन के फ्रंट-एंड में अंतर्निहित कार्यक्षमताओं के पूर्वाभ्यास के दौरान, यह देखा गया था कि लाइसेंसधारक को "मूल कोटा" या "अतिरिक्त कोटा" श्रेणी के अंतर्गत अनुरोधित शराब आपूर्ति का चयन करने के लिए एक रेडियो बटन विकल्प उपलब्ध कराया गया था। यदि शराब की मात्रा मूल कोटा सीमा से अधिक हो जाती है, तो प्रणाली में अतिरिक्त कोटा श्रेणी के अंतर्गत आने वाली शराब की मात्रा पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क लगाने का निर्धारण करने की क्षमता होनी चाहिए।

2016-17 से 2022-23 की अवधि के डेटा विश्लेषण से पता चला कि देसी शराब के 125 रिटेल लाइसेंसधारकों ने अपने तिमाही मूल कोटे से परे 2,555,137 प्रूफ लीटर उठाया, जिससे ₹ 11.31 करोड़ का अतिरिक्त आबकारी शुल्क लगा, लेकिन केवल ₹ 6.36 करोड़ का भुगतान दर्ज किया गया था। इसी प्रकार, भारत में निर्मित विदेशी शराब के 243 लाइसेंसधारकों ने अपने कोटे से परे 55,27,254 प्रूफ लीटर उठाया, जिस पर ₹ 29.70 करोड़ देय था, लेकिन केवल ₹ 24.28 करोड़ उद्गृहीत किया गया था।

इस प्रकार, प्रणाली में पर्याप्त प्रक्रिया नियंत्रण के अभाव और लाइसेंसधारकों को शराब आपूर्ति को मूल कोटा या अतिरिक्त कोटा के रूप में स्वयं वर्गीकृत करने की अनुमति देने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त आबकारी शुल्क की कम वसूली एवं अधिरोपण हुआ, जिससे ₹ 10.37 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

विभाग ने बताया (मई 2025) कि लाइसेंसधारकों द्वारा उठाए गए अतिरिक्त कोटे पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क लगाया गया था, जैसा कि प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्ट में बताया गया है।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्रणाली में मूल कोटे से अधिक उठाई गई शराब को "अतिरिक्त कोटा" के रूप में स्वतः निर्धारित करने की कार्यक्षमता का अभाव था। विभाग ने आगे बताया कि 2023 और उसके बाद से डेटा की विश्वसनीयता को लागू करने के लिए डेटाबेस स्तर की जांच लागू की गई थी। हालांकि, विभाग द्वारा लेखापरीक्षा में इसकी पुष्टि के लिए कोई उपयोगकर्ता स्वीकृति जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

2.10.3 परमिटों में अनुमोदित मात्रा से अधिक मात्रा के लिए पास का अनुमोदन

शराब की आवाजाही प्रक्रिया के अनुसार, एक लाइसेंसधारक को परमिट आवेदन जमा करने से पहले लागू आबकारी शुल्क का भुगतान करना होगा। प्रत्येक परमिट की वैधता निश्चित होती है, जिसके भीतर अनुमोदित शराब की खरीद की जानी होती है। यदि आपूर्ति पूरी तरह से नहीं उठाई जाती है, तो लाइसेंसधारक अनुमोदित मात्रा प्राप्त होने तक कई बार परमिट के पुनर्वैधीकरण की मांग कर सकता है। पुनर्वैधीकृत परमिट के लिए कोई अतिरिक्त आबकारी शुल्क की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि भुगतान मूल आवेदन के साथ ही कर दिया जाता है।

डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 2,414 परमिटों में, मूल परमिट में अनुमोदित शराब की मात्रा (62,09,589 प्रूफ लीटर/बल्क लीटर शराब) लाइसेंसधारकों द्वारा मूल/पुनर्वैधित परमिटों के विरुद्ध जारी पास के माध्यम से वास्तव में उठाई गई मात्रा (1,18,97,399 प्रूफ लीटर/बल्क लीटर शराब) से कम थी। मूल/पुनर्वैधित परमिटों के विरुद्ध शराब की समग्र आपूर्ति को प्रतिबंधित करने के लिए प्रणाली में पर्याप्त वैधता जांच के अभाव के परिणामस्वरूप 56,87,810 प्रूफ लीटर शराब की अधिक आपूर्ति हुई।

इसके परिणामस्वरूप इन 2,414 परमिटों में से 789 के संबंध में ₹ 6.93 करोड़ के आबकारी शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

विभाग ने बताया (मई 2025) कि इंगित किए गए लेन-देन की रैंडम जांच की गई थी और किसी भी मामले में परमिट में उल्लिखित मात्रा से अधिक शराब की आपूर्ति नहीं देखी गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि सभी मामलों में, आबकारी पास के माध्यम से उठाई गई मात्रा परमिट में स्वीकृत मात्रा से अधिक थी। इसके अतिरिक्त, विभाग ने अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया।

2.10.4 उपलब्ध मात्रा से अधिक निर्गम आपूर्ति

हरियाणा राज्य में, एल-1बी और एल-1बी1 लाइसेंस राज्य में स्थित विनिर्माण इकाइयों को क्रमशः भारत में निर्मित विदेशी शराब और बीयर/वाइन के थोक व्यापार के लिए जारी किए जाते हैं, और एल-1एबी लाइसेंस, कम बिक्री वाले प्रतिष्ठित ब्रांडों या गैर-डिस्टिलरों के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठित ब्रांडों को जारी किए गए थोक व्यापार के लिए प्रदान किया जाता है, जिनके पास भारत में कोई डिस्टिलरी लाइसेंस नहीं है। इन लाइसेंसों का वार्षिक नवीनीकरण किया जाता था और नीति वर्ष के अंत में स्टॉक शेष को अगले नीति वर्ष में ले जाया जाता था।

जून 2023 तक की अवधि के लिए उपर्युक्त प्रकार के लाइसेंसधारकों द्वारा प्राप्त और आपूर्ति की गई शराब की मात्रा के संबंध में सूचना के विश्लेषण के दौरान, ऐसे मामले सामने आए जिनमें 21 लाइसेंसधारकों द्वारा आपूर्ति की गई शराब की मात्रा उनके पास उपलब्ध शराब के स्टॉक से अधिक थी, जिसके परिणामस्वरूप नीति वर्ष के अंत में उनके बही-खातों में मात्रा का शेष ऋणात्मक हो गया।

इस प्रकार, पर्याप्त प्रकियात्मक जांच के अभाव के कारण, प्रणाली आपूर्ति की मात्रा को उस सीमा तक सीमित नहीं कर सकी, जहां तक लाइसेंसधारक के पास शराब का स्टॉक उपलब्ध था। इन नियंत्रणों के अभाव में आबकारी शुल्क का भुगतान किए बिना शराब की आपूर्ति हो सकती है और सरकारी खजाने को राजस्व की हानि हो सकती है।

विभाग ने बताया (मई 2025) कि यह समस्या तकनीकी खराबी के कारण उत्पन्न हुई थी। इसके अतिरिक्त, यह बताया गया कि वर्तमान प्रणाली में लाइसेंसधारक के उपलब्ध स्टॉक के आधार पर आपूर्ति को सीमित करने के तंत्र का अभाव है, हालांकि, इस प्रणाली को अद्यतन किया जाएगा।

2.10.5 आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई मात्रा और लाइसेंसधारक द्वारा स्टॉक में ली गई मात्रा के मध्य भिन्नता

पास से संबंधित विवरण वाली डेटा तालिका, आपूर्तिकर्ता लाइसेंसधारक द्वारा आपूर्ति की गई शराब की मात्रा और प्राप्तकर्ता लाइसेंसधारक द्वारा स्टॉक में प्राप्त शराब की मात्रा को दर्शाती है। लाइसेंसधारक द्वारा प्राप्त कोटा उसके द्वारा स्टॉक में रखी गई शराब के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

पास विवरण के विश्लेषण से पता चला कि 2,793 पास ट्रांजेक्शनों में आपूर्तिकर्ता लाइसेंसधारक द्वारा आपूर्ति की जाने वाली शराब की मात्रा, प्राप्तकर्ता लाइसेंसधारक द्वारा उसके स्टॉक में दावा की गई शराब की मात्रा के अनुरूप नहीं थी, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

- 2,731 पास में, आपूर्तिकर्ताओं ने 71,49,522 प्रूफ लीटर/बल्क लीटर शराब की सूचना दी, लेकिन प्राप्तकर्ताओं ने केवल 31,89,609 प्रूफ लीटर/बल्क लीटर शराब दर्ज की, जिसके परिणामस्वरूप 39,59,913 प्रूफ लीटर/बल्क लीटर शराब की कम सूचना दर्ज की गई।

- 62 पास में, आपूर्तिकर्ताओं ने 33,780 प्रूफ लीटर/बल्क लीटर शराब की सूचना दी, जबकि प्राप्तकर्ताओं ने 1,15,074 प्रूफ लीटर/बल्क लीटर शराब दर्ज की, जिसके परिणामस्वरूप 81,294 प्रूफ लीटर/बल्क लीटर शराब का अतिरिक्त क्रेडिट हुआ।

इस प्रकार, पर्याप्त प्रक्रियात्मक नियंत्रण के अभाव में, प्रणाली ने उन ट्रांजेक्शनों को भी प्रतिबंधित नहीं किया जहां आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता लाइसेंसधारकों द्वारा बताई गई शराब की मात्रा में विसंगति थी। इस विसंगति के कारण स्टॉक की गलत रिपोर्टिंग, प्रबंधन सूचना प्रणाली में गलत विवरण और राजस्व हानि के साथ-साथ अनधिकृत डायवर्जन और स्टॉक में गलत वृद्धि का संभावित जोखिम हो सकता है।

विभाग ने बताया (मई 2025) कि प्राप्त माल के भौतिक सत्यापन के बाद ही स्टॉक को अद्यतन किया जाता था और इसे सुधार/संशोधित नहीं किया जा सकता। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि आपूर्ति की गई मात्रा और प्राप्तकर्ता लाइसेंसधारी द्वारा स्टॉक में ली गई मात्रा में अंतर था।

2.10.6 शराब वितरण के लिए परमिट का निर्माण और प्रबंधन

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, लाइसेंसधारक, आबकारी शुल्क का भुगतान करने के बाद, गंतव्य आबकारी प्राधिकारियों को अपना परमिट अनुरोध ऑनलाइन प्रस्तुत करता है। स्वीकृत परमिट अनुरोध के आधार पर, प्राप्तकर्ता, स्रोत आबकारी प्राधिकारियों को पास अनुरोध के लिए आवेदन करता है और पास अनुरोध के अनुमोदन के बाद, शराब को प्राप्तकर्ता लाइसेंसधारक तक पहुंचाने के लिए अधिकृत किया जाता है।

परमिट ट्रांजेक्शनों से संबंधित लेखापरीक्षा उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

2.10.6.1 मिसिंग परमिट ट्रांजेक्शन

परमिट ट्रांजेक्शनों को संग्रहीत करने के लिए डिज़ाइन की गई डेटा तालिका, परमिट अनुरोध के सृजन से लेकर परमिट अनुरोध के अनुमोदन/अस्वीकृति तक की जानकारी दर्ज करती है। तालिका में प्रत्येक ट्रांजेक्शन को एक सिस्टम द्वारा उत्पन्न अनुक्रमिक संख्या प्रदान की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डेटा पूर्ण है। आबकारी कर जैसे आबकारी शुल्क, परमिट शुल्क, अतिरिक्त आबकारी शुल्क आदि, इस तालिका में दर्ज लेनदेन के आधार पर लगाए जाते हैं।

अप्रैल 2016 से मई 2023 की अवधि के लिए परमिट लेनदेन तालिका में प्रणाली द्वारा उत्पन्न अनुक्रमिक संख्या वाले कॉलम में उपलब्ध मानों के विश्लेषण से पता चला कि 89,285 ट्रांजेक्शन मिसिंग थे। तथापि, इन मिसिंग परमिट ट्रांजेक्शनों के बारे में सूचना डेटाबेस में उपलब्ध नहीं थी।

मिसिंग ट्रांजेक्शनों से अनधिकृत विलोपन या परिवर्तन तथा ट्रांजेक्शन लॉगिंग पर कमजोर नियंत्रण की चिंता उत्पन्न होती है, तथा अनधिकृत शराब के दुरुपयोग के जोखिम से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

विभाग ने बताया (मई 2025) कि किसी भी परमिट आवेदन को प्रस्तुत करने में विफलता के मामले में, असफल आवेदन को सौंपी गई आई.डी. को निरस्त कर दिया जाता है और अगले प्रयास के लिए नई आई.डी. बनाई जाती है, जिससे अंतराल उत्पन्न होता है, हालांकि, नई

प्रणाली में यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे कि सभी सफल और असफल परमिट आवेदन प्रयासों को डेटाबेस में उचित रूप से लॉग किया जाए।

विभाग को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए सभी मामलों की जांच करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी अनियमितताओं की पहचान की जा सके और राजस्व की सुरक्षा तथा शराब के स्टॉक पर नियंत्रण के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

2.10.6.2 परमिट आवेदनों को अंतिम रूप देने में लगने वाला समय

विभाग ने अपने अनुरोध प्रस्ताव दस्तावेज में विभागीय उपयोगकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करके विभागीय हितधारकों के लिए सेवा वितरण दक्षता में सुधार लाने का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम (आर.टी.एस.ए.) के अंतर्गत परमिट प्रदान करने के लिए तीन कार्यदिवसों की समय-सीमा अधिसूचित (दिसंबर 2020) की है।

(i) डेटा की जांच से पता चला कि परमिट विवरण डेटा तालिका में 28,18,519 ट्रांजेक्शन दर्ज किए गए, जिनमें से 26,69,137 ट्रांजेक्शन प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किए गए। स्वीकृत/अस्वीकृत ट्रांजेक्शनों के विश्लेषण से पता चला कि नीति वर्ष 2016-17 और 2022-23 के बीच उपयोगकर्ताओं द्वारा 19,11,297 नियमित परमिट बनाए गए। इसके अतिरिक्त, इन परमिटों के विश्लेषण से पता चला कि 18,85,767 परमिट उनके निर्माण के सात दिनों के भीतर या तो स्वीकृत या अस्वीकृत कर दिए गए। हालांकि, शेष 25,530 परमिटों को स्वीकृत/अस्वीकृत करने में आठ से 1,522 दिनों का समय लगा।

(ii) परमिट लेनदेन डेटा के विश्लेषण से पता चला कि लाइसेंसधारकों द्वारा प्रस्तुत 74,833 परमिट रद्द करने के अनुरोधों में से, जनवरी 2016 और मई 2023 के बीच आरंभ किए गए 221 अनुरोध जुलाई 2023 तक लंबित थे।

(iii) इसी प्रकार, दिसंबर 2015 से मार्च 2023 के बीच प्राप्त 2,060 परमिट आवेदन जुलाई 2023 तक के निर्णय के लिए लंबित थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुरोध प्रस्ताव दस्तावेज में परिकल्पित सेवा वितरण दक्षता में सुधार के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर अंतिम रूप नहीं दिए गए परमिट आवेदनों से निपटने के लिए प्रणाली में कोई एस्केलेशन मैट्रिक्स उपलब्ध नहीं थी।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (मई 2025) कि विद्यमान प्रणाली में स्वचालित एस्केलेशन तंत्र की अनुपस्थिति इस देरी का कारण बनी। हालांकि, नई प्रणाली में स्वचालन और वास्तविक समय निगरानी के माध्यम से इस समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान किया जाएगा।

2.10.6.3 परमिटों को प्रदान की गई परिवर्तनीय वैधता अवधि

प्रत्येक प्रकार के परमिट को दी जाने वाली वैधता के विवरण वाली मास्टर डेटा तालिका के विश्लेषण से पता चला कि अंतर-जिला और अंतःजिला परमिट के लिए क्रमशः 7 से 15 दिन और 3 से 15 दिन की अधिकतम वैधता निर्धारित की गई थी। हालांकि, आयात परमिट के लिए कोई वैधता निर्धारित नहीं की गई थी। परमिट लेनदेन के विश्लेषण से पता चला कि

नीति वर्ष 2015-16 से 2022-23 के दौरान स्वीकृत परमिट को दी गई अधिकतम वैधता क्रमशः 62 से 741 दिन, 56 से 378 दिन और 40 से 62 दिन के बीच थी, जबकि मास्टर तालिका में 15 दिनों की अधिकतम वैधता दी गई थी, जैसा कि ***परिशिष्ट 2.2*** में विस्तृत रूप से बताया गया है।

परमिट की वैधता निर्धारित करने के लिए पर्याप्त इनपुट सत्यापन नियंत्रण के अभाव के परिणामस्वरूप मास्टर तालिका में दी गई अवधि के मान से परे वैधता निर्धारित की गई।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (मई 2025) कि वर्तमान कार्यप्रवाह में प्रणाली द्वारा लागू वैधता जांचों के अभाव के कारण परमिटों को परिवर्तनशील वैधता प्रदान की गई थी। हालांकि, अब यह सुनिश्चित करने के लिए वैधता तंत्र लागू किया गया है कि परमिट वैधता आबकारी नीतियों के प्रावधानों के अनुरूप हो। यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उत्तर के समर्थन में उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

2.10.6.4 निरस्त किए गए परमिटों के विरुद्ध पास जारी करना

परमिट प्रक्रिया प्रवाह के अनुसार, किसी लाइसेंसधारक द्वारा प्रस्तुत परमिट अनुरोध को आबकारी निरीक्षक (ई.आई.) या सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी (ए.ई.टी.ओ.) द्वारा अनुमोदन से पहले अस्वीकार किया जा सकता है। यह प्रणाली लाइसेंसधारक को सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी द्वारा पहले से अनुमोदित परमिट को निरस्त करने का अनुरोध प्रस्तुत करने की सुविधा भी प्रदान करती है। अनुमोदन से पहले अस्वीकृत परमिट अनुरोधों तथा लाइसेंसधारक द्वारा किए गए निरस्तीकरण अनुरोध के विरुद्ध निरस्त किए गए परमिट अनुरोधों के लिए डेटाबेस में अलग-अलग कोड निर्दिष्ट किए गए थे।

जुलाई 2023 तक उपलब्ध डेटा के विश्लेषण से पता चला कि आबकारी लाइसेंसधारकों द्वारा विभागीय पोर्टल पर 28,19,000 परमिट ट्रांजेक्शन अनुरोध प्रस्तुत किए गए थे। इन परमिटों के विश्लेषण से यह भी पता चला कि आबकारी प्राधिकारियों द्वारा 74,478 ट्रांजेक्शनों को अस्वीकृत/निरस्त कर दिया गया था।

इसके अतिरिक्त, स्वीकृत पास ट्रांजेक्शनों के साथ इन अस्वीकृत/निरस्त किए गए परमिटों के विश्लेषण से पता चला कि 4,37,402 प्रूफ लीटर (पी.एल.)/बल्क लीटर (बी.एल.) शराब की आपूर्ति के लिए 310 अस्वीकृत/निरस्त किए गए परमिट ट्रांजेक्शनों के विरुद्ध पास जारी किए गए थे, जिनमें से 296 ट्रांजेक्शनों में, पास जारी होने के बाद परमिट अस्वीकृत/निरस्त किए गए थे और शेष 14 ट्रांजेक्शनों में, अस्वीकृत/निरस्त किए गए परमिटों के विरुद्ध पास जारी किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 33.19 लाख के आबकारी शुल्क का अनुदग्रहण हुआ।

अस्वीकृत/निरस्त किए गए परमिटों के विरुद्ध पास जारी करने के कारण आबकारी शुल्क का उद्ग्रहण नहीं होता है, जिससे विभाग को राजस्व हानि होती है तथा शराब की आवाजाही की निगरानी में बाधा उत्पन्न होती है।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (मई 2025) कि वैधता नियंत्रण के अभाव के कारण, पास जारी करने के बाद इन स्वीकृत परमिटों को निरस्त कर दिया गया था और बकाया राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

2.10.6.5 परमिट से संबंधित ट्रांजेक्शन निर्धारित प्रक्रिया प्रवाह के अनुरूप नहीं हैं

डेटा के विश्लेषण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित परमिट ट्रांजेक्शन निर्धारित प्रक्रिया प्रवाह के अनुरूप नहीं थे:-

(i) निर्धारित प्रक्रिया प्रवाह के अनुसार, प्रत्येक अनुरोध को उसके अनुमोदन उपरांत परमिट नंबर प्रदान किया जाता है। 464 अस्वीकृत परमिट ट्रांजेक्शनों के मामले में, परमिट नंबर प्रदान किया गया। विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (मई 2025) कि अब अस्वीकृति की स्थिति में परमिट नंबर उत्पन्न होने से रोकने के लिए सभी आवश्यक जांच लागू कर दी गई हैं। तथापि, विभाग ने अपने उत्तर के समर्थन में उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।

(ii) सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की विकास प्रक्रिया के दौरान यह परिकल्पना की गई थी कि परमिट और पास नंबरों की विशिष्टता सुनिश्चित की जाएगी।

- डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 30 लेनदेन में विभिन्न लाइसेंसधारकों को एक ही परमिट नंबर दिया गया था।
- इसी प्रकार परमिट अनुरोधों के लिए आबंटित नौ पावती नंबरों के लिए 18 अलग-अलग परमिट नंबर आबंटित किए गए थे।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (मई 2025) कि ये समस्याएं कुछ तकनीकी त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई थी और अब इन समस्याओं को रोकने के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा सभी आवश्यक नियंत्रण लागू कर दिए गए हैं। तथापि, विभाग ने अपने दावे के समर्थन में उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।

(iii) डेटाबेस में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 641 परमिट उनके सृजन से पहले ही जारी कर दिए गए थे। विभाग ने बताया (मई 2025) कि ये समस्याएं कुछ तकनीकी त्रुटि के कारण हुई।

(iv) संबंधित लाइसेंसों की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद 51 लाइसेंसधारकों के पक्ष में 75 परमिट स्वीकृत किए गए। विभाग ने बताया (मई 2025) कि ये समस्याएं कुछ तकनीकी त्रुटि के कारण उत्पन्न हुई और इन समस्याओं को रोकने के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा अब सभी आवश्यक जांच लागू कर दी गई हैं। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उत्तर के समर्थन में उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यू.ए.टी.) रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

(v) 1,648 ट्रांजेक्शनों[11] में, स्वीकृत पासों की वैधता अवधि संबंधित नीति वर्ष की वैधता अवधि से अधिक थी। विभाग ने बताया (मई 2025) कि ये समस्याएं कुछ तकनीकी त्रुटियों के कारण हुई।

---

[11] पास की संख्या: 2016-17: 72; 2017-18: 1,380; 2018-19: 47; 2019-20: 1; 2020-21: 125; 2021-22: 2; और 2022-23: 21.

2.10.7 पास आवेदन

2.10.7.1 थोक विक्रेताओं को टूट-फूट की अस्वीकार्य कटौती

आबकारी नीति 2022 के पैरा संख्या 12.5ए के अनुसार, विभिन्न प्रकार की शराब के थोक विक्रेताओं को भंडारण एवं परिवहन के दौरान होने वाली हानि के लिए वार्षिक आबकारी नीतियों में निर्धारित मानदंडों की सीमा तक टूट-फूट की कटौती दी जाएगी। तथापि, नीति वर्ष 2016 और 2021 के मध्य, नीतियों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

नीति वर्ष 2016 से 2022 के लिए पास तालिका के डेटा के विश्लेषण से पता चला कि शराब की बोतलों के टूटने का दावा करने वाले लाइसेंसधारकों द्वारा प्रस्तुत पास अनुरोधों को प्रणाली में कटौती दी गई थी। इन मामलों में, विभिन्न प्रकार के लाइसेंसधारकों को 1,09,61,428 प्रूफ लीटर/बल्क लीटर मात्रा की शराब के लिए टूट-फूट की कटौती दी गई, जैसा कि नीचे बताया गया है:

वर्ष	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	योग
योग	6,71,601	10,59,948	9,40,892	11,80,310	45,03,158	25,88,373	17,146	1,09,61,428

इस प्रकार, प्रणाली में पर्याप्त वैधता नियंत्रण के अभाव में, अस्वीकार्य टूट-फूट की कटौती को प्रतिबंधित नहीं किया जा सका। थोक लाइसेंसधारकों द्वारा शराब की कमी को टूट-फूट के रूप में गलत वर्गीकृत करके कम रिपोर्टिंग और शराब के अपवर्जन का जोखिम बना रहता है।

विभाग ने बताया (मई 2025) कि पंजाब शराब परमिट और पास नियम 1932 के नियम 16 (iii) और 16 (iv) के अनुसार टूट-फूट स्वीकार्य थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि नियम 16 (iii) के अनुसार, लकड़ी या धातु के बर्तनों में ले जाई जाने वाली स्पिरिट के लिए अपव्यय की अनुमति निर्धारित थी और नियम 16 (iv) के अनुसार, बोतलबंद स्पिरिट के लिए अपव्यय का कोई पैमाना निर्धारित नहीं था। सभी उल्लिखित मामले बोतलबंद स्पिरिट की टूट-फूट से संबंधित थे, जिसका प्रावधान विद्यमान नियमों में नहीं था।

2.10.7.2 शराब का स्टॉक अद्यतित नहीं किया गया

पास तालिका के डेटा के विश्लेषण से पता चला कि देसी शराब/भारत में निर्मित विदेशी शराब के थोक लाइसेंसधारकों द्वारा प्राप्त 194,12,484 प्रूफ लीटर/बल्क लीटर शराब का स्टॉक उनके लेखों में अद्यतन नहीं किया गया था। यह मात्रा 2016 से 2022 तक नीति के वर्षों के दौरान 4,551 पास के माध्यम से जारी की गई थी। 4,551 पास में से 3,327 पास में स्टॉक अद्यतन का लंबित समय, पास जारी करने की तिथि से संबंधित आबकारी नीति वर्ष की समाप्ति तक 11 और 337 दिनों के मध्य था।

थोक लाइसेंसधारकों द्वारा शराब के स्टॉक को अद्यतन न करने के कारण, प्राप्त और उपलब्ध वास्तविक स्टॉक सटीक रूप से परिलक्षित नहीं हुआ। लाइसेंसधारकों के परिसरों के भौतिक निरीक्षण के दौरान, उनकी निर्मित माल स्टॉक रिपोर्ट से आबकारी प्राधिकारियों को भ्रामक/गलत जानकारी मिली। इसके अतिरिक्त, अद्यतन न किए गए स्टॉक के निपटान की निगरानी आबकारी प्राधिकारियों द्वारा नहीं की जा सकी।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (मई 2025) कि स्टॉक अद्यत करने में असामान्य देरी से बचने के लिए वृद्धि मैट्रिक्स आरंभ करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

2.10.7.3 नीति वर्ष के अंतिम दिन शराब जारी करना

नीति वर्ष 2016-17 से 2022-23 के डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 1,21,41,304 प्रूफ लीटर/बल्क लीटर शराब उठाने के लिए नीति वर्ष के अंतिम दिन खुदरा लाइसेंसधारकों के पक्ष में 6,731 पास अनुमोदित किए गए थे। इन पासों के विश्लेषण से आगे पता चला कि नीति वर्ष के अंतिम दिन 370 लाइसेंसधारकों द्वारा उठाई गई शराब की मात्रा वार्षिक कोटे के 10 प्रतिशत से अधिक थी, जो लाइसेंसधारक के पिछले महीने के कोटे (आठ प्रतिशत) से भी अधिक है। ये अपवाद नीति वर्ष के अंतिम दिन उठाई गई मात्रा और संबंधित नीति वर्ष में थोक लाइसेंसधारकों के पास बिना बिके स्टॉक पर उनके द्वारा अंतरण फीस के भुगतान के अपवंचन की संभावना को इंगित करते हैं।

इन पासों के आगे के विश्लेषण से पता चला कि 6,731 में से 1,289 पास कार्यालयीन कार्य समय के बाद अनुमोदित किए गए थे। 18.00 बजे के बाद अनुमोदित इन पासों की समय-सीमा निम्नानुसार थी:

क्र. सं.	समय अवधि	अनुमोदित पासों की संख्या	पास में अनुमोदित शराब की मात्रा
1	18.00 बजे से 19.59 बजे	808	16,49,997
2	20.00 बजे से 22.00 बजे	353	7,68,153
3	22.00 बजे से 23.00 बजे	52	1,17,106
4	23.00 बजे से 23.59 बजे	76	1,58,240
	18.00 बजे के बाद अनुमोदित कुल पास/शराब	**1,289**	**26,93,496**

आबकारी वर्ष के अंतिम दिन के अंतिम समय में थोक दुकानों से खुदरा दुकानों तक शराब की बड़ी आवाजाही से इसके वास्तविक निपटान को लेकर चिंताएं उत्पन्न होती हैं तथा आगामी नीति वर्ष में अंतरण फीस से बचने के प्रयासों के संभावित जोखिम को इंगित करती है।

विभाग ने बताया (मई 2025) कि आबकारी नीतियों में किसी विशिष्ट क्लॉज और प्रतिबंध के अभाव में, लाइसेंसधारक अंतिम दिन और शाम 6 बजे के बाद भी पास का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र था। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि नीति वर्ष के अंतिम दिन या आधिकारिक कार्य समय के बाद बड़ी संख्या में पास जारी करना प्रक्रियागत स्वामित्व के बारे में गंभीर चिंता पैदा करता है, जो अंतरण फीस से बचने के लिए संभावित दुरुपयोग का संकेत देता है। अंतिम समय में शराब के उठान से इसके परिवहन और बिक्री पर संदेह उत्पन्न होता है, जिससे पारदर्शिता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियंत्रण और वास्तविक समय पर निगरानी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

2.10.7.4 कोविड लॉकडाउन के दौरान जारी किए गए पास

यद्यपि लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें बंद रही, लेकिन डेटा पास तालिका के पास विवरण के विश्लेषण से पता चला कि महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान 923 पास ट्रांजेक्शन वाले 167 पास स्वीकृत किए गए। इनमें शराब की बोतलों की टूट-फूट के कारण स्वीकृत 54 पास शामिल हैं।

कोविड लॉकडाउन के दौरान परमिट/पास की प्रोसेसिंग को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रणाली में समय पर परिवर्तन नहीं किए गए।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (मई 2025) कि संबंधित आबकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को आरोप-पत्र जारी किए गए थे।

2.10.7.5 पास जारी करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रणाली में वैधता जांच का अभाव

हरियाणा आबकारी नीति 2022-23 के पैरा 9.1.3 के अनुसार, नीति वर्ष 2022-23 के लिए एल-1बी की लाइसेंस फीस की संरचना निम्नानुसार की गई थी:

- नए लाइसेंस के लिए ₹ 30 लाख या यदि नीति वर्ष 2021-22 (12 जून 2021 से 11 जून 2022) में एल-1बी से वार्षिक बिक्री 25 लाख प्रूफ लीटर या उससे कम थी।
- ₹ 60 लाख यदि 2021-22 में वार्षिक बिक्री 25 लाख प्रूफ लीटर से अधिक थी, लेकिन 50 लाख प्रूफ लीटर से अधिक नहीं थी।
- ₹ 110 लाख यदि 2021-22 में वार्षिक बिक्री 50 लाख प्रूफ लीटर से अधिक थी, लेकिन 100 लाख प्रूफ लीटर से अधिक नहीं थी।
- ₹ 150 लाख यदि 2021-22 में वार्षिक बिक्री 100 लाख प्रूफ लीटर से अधिक थी।

इसके अतिरिक्त, नीति में यह भी प्रावधान किया गया कि यदि 2022-23 में एल-1बी लाइसेंसधारक की बिक्री निर्धारित सीमा से अधिक हो जाती है, तो उन्हें अगली उच्च श्रेणी के अनुरूप अंतरीय राशि का भुगतान करना होगा।

लाइसेंसधारक विवरण डेटा के विश्लेषण से पता चला कि ए लिमिटेड को 2022-23 के लिए एल-1बी लाइसेंस प्रदान किया गया था। तथापि, भुगतान अभिलेखों में लाइसेंस फीस के भुगतान के विवरण नहीं पाए गए थे। परमिट और पास डेटा की आगे की जांच से पता चला कि लाइसेंसधारक ने आबकारी वर्ष के दौरान भारत में निर्मित विदेशी शराब की 29,47,322 प्रूफ लीटर की बिक्री की और 25 अप्रैल 2023 को 25 लाख प्रूफ लीटर की प्रारंभिक सीमा पार कर ली। इसके परिणामस्वरूप, शराब की आगे की आपूर्ति के लिए लाइसेंसधारक ₹ 30 लाख की अतिरिक्त लाइसेंस फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

जांच करने पर, यह पाया गया था कि लाइसेंसधारक ने अपने लाइसेंस नवीनीकरण आवेदन के साथ 26 मई 2022 को आरंभ में ₹ 30 लाख का भुगतान किया था और बाद में 18 मई 2023 को अतिरिक्त ₹ 30 लाख का भुगतान किया था। तथापि, पास डेटा के विश्लेषण से पता चला कि प्रणाली ने न तो अतिरिक्त लाइसेंस फीस के भुगतान के लिए प्रेरित किया और न ही अतिरिक्त लाइसेंस फीस के भुगतान के बिना 26 अप्रैल 2023 और 17 मई 2023 के मध्य 1,52,842 प्रूफ लीटर शराब के लिए पास जारी करने पर प्रतिबंध लगाया।

वृद्धित भुगतान के लिए स्वचालित संकेतों के अभाव से शराब उठाने के लिए अनुचित प्राधिकार मिलने का जोखिम बढ़ जाता है, जिससे राज्य के खजाने को संभावित राजस्व हानि हो सकती है।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (मई 2025) कि ऐसे मामलों में पास जारी करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई जांच प्रणाली नहीं थी और इसे 2023 से प्रणाली में शामिल कर दिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रणाली में प्रासंगिक जांच को शामिल करते हुए कोई उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यू.ए.टी.) रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी।

2.10.7.6 पास से संबंधित ट्रांजेक्शन निर्धारित प्रक्रिया प्रवाह के अनुरूप नहीं हैं

डेटा के विश्लेषण के दौरान यह पाया गया था कि संसाधित किए गए निम्नलिखित पास ट्रांजेक्शन निर्धारित प्रक्रिया प्रवाह के अनुरूप नहीं थे:-

(i) पास ट्रांजेक्शन डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 31,407 स्वीकृत परमिट अनुरोधों के विरूद्ध समान पास नंबर सृजित/कैप्चर किए गए थे। एक परमिट नंबर के लिए समान पास नंबर की आवृत्ति दो से 987 के बीच थी।

(ii) शराब के अवैध परिवहन की जांच करने और उसे रोकने के लिए पास दस्तावेज पर वाहन नंबर का प्रकाशित होना एक महत्वपूर्ण फील्ड है। डेटा के विश्लेषण से पता चला कि नौ पास ट्रांजेक्शनों में वाहन नंबर कैप्चर नहीं किए गए थे। विभाग ने बताया (मई 2025) कि ये ट्रांजेक्शन कोटा रूपांतरण पास थे और इन मामलों में वाहन नंबर अनिवार्य नहीं थे। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ये पास नियमित पास थे और कोटा रूपांतरण के लिए नहीं थे, जैसा कि विभाग ने दावा किया था। इसके अतिरिक्त, विभाग ने बताया कि 2023 से वाहन नंबर फील्ड में आवश्यक जांच शामिल कर ली गई थी, तथापि, लेखापरीक्षा को कोई उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यू.ए.टी.) रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी।

(iii) पिछले नीति वर्ष में बनाए गए परमिटों के विरुद्ध अगले आबकारी नीति वर्ष में पांच पास स्वीकृत किए गए। विभाग ने बताया (मई 2025) कि प्रणाली की वर्तमान कार्यक्षमता के अनुसार, आबकारी नीति वर्ष के बाद पास या परमिट के अनुमोदन/अस्वीकृति को रोकने के लिए प्रणाली में कोई वैधता जांच मौजूद नहीं थी।

(iv) 16 पास ट्रांजेक्शन के मामले में, पास बनाने के अनुरोध से पहले ही अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था। विभाग ने बताया (मई 2025) कि इन मामलों में अनुमोदन की तिथि उनके सृजन के बाद की थी। तथापि, 2023 से डेटा विश्वसनीयता को लागू करने के लिए प्रणाली में जांच कार्यान्वित कर दी गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि डेटा विश्लेषण से असंगत तथ्य सामने आए, अर्थात पास जारी करने की तिथि पास बनाने की तिथि से पहले की थी।

2.10.8 कार्यक्षमताओं का गैर-स्वचालन/दोषपूर्ण डिजाइन

विभाग ने अपने कार्यक्षेत्र में विभाग पर लागू विभिन्न अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत अपने द्वारा निष्पादित कार्यों को स्वचालित करने की परिकल्पना की है। संगठन के व्यावसायिक नियमों के अनुसार विभिन्न कार्यक्षमताओं को लागू करके विभागीय कार्यों का स्वचालन महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे मैन्युअल हस्तक्षेप कम होता है, जिससे त्रुटियां कम होती हैं और समय की बचत होती है। यह पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में सुधार करते हुए संचालन में निरंतरता, सटीकता और दक्षता सुनिश्चित करता है। स्वचालित प्रक्रियाएं आंतरिक नियंत्रण को भी मजबूत करती हैं, बेहतर निगरानी को सक्षम बनाती हैं और समय पर निर्णय लेने में सहायता करती हैं, जिससे अंततः बेहतर शासन और समग्र संगठनात्मक निष्पादन में सुधार होता है।

गैर-स्वचालन या अपर्याप्त कार्यक्षमताओं के संबंध में लेखापरीक्षा उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

2.10.8.1 स्टॉक अंतरण फीस और अंतरीय आबकारी शुल्क की गणना के लिए कार्यक्षमताओं का अभाव

वार्षिक आबकारी नीतियों के अनुसार, किसी विशेष वर्ष के लिए करार की समाप्ति पर, निवर्तमान लाइसेंसधारी विभिन्न प्रकार की शराब के लिए निर्धारित अंतरण दरों का भुगतान करने के बाद, अपने बचे हुए शराब के स्टॉक को आने वाले लाइसेंसधारकों को हस्तांतरित कर सकते हैं। वार्षिक आबकारी नीतियों में यह भी प्रावधान है कि यदि आगामी नीति वर्षों में आबकारी शुल्क की दरों में वृद्धि की जाती है, तो आबकारी शुल्क दरों में अंतर हस्तांतरित शराब की मात्रा पर भी प्रभारित किया जाएगा।

विभागीय डेटा के विश्लेषण ने दर्शाया कि ये हस्तांतरण प्रणाली में "P0" से शुरू होने वाले परमिट/पास नंबरों के अंतर्गत दर्ज किए गए थे। तथापि, फील्ड अभिलेख से पता चला कि स्टॉक अंतरण फीस और अंतरीय आबकारी शुल्क की गणना मैन्युअल रूप से की गई थी, क्योंकि प्रणाली में ऐसा करने की कोई कार्यक्षमता उपलब्ध नहीं थी।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), फतेहाबाद (2018-19) और गुरुग्राम (पश्चिम) (2022-23) के क्षेत्रीय कार्यालयों में पिछले नीति वर्ष के निवर्तमान लाइसेंसधारकों से नए लाइसेंसधारकों को हस्तांतरित शराब के स्टॉक के भौतिक अभिलेखों की नमूना-जांच से पता चला कि तीन मामलों में, मैन्युअल रूप से गणना की गई आबकारी शुल्क राशि ₹ 48.23 लाख थी, जबकि नीति दरों के अनुसार वास्तव में ₹ 1.30 करोड़ देय थे।

इस प्रकार, हस्तांतरण फीस और अंतरीय आबकारी शुल्क की गणना करने के लिए प्रक्रिया स्वचालन के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 0.82 करोड़ की राशि के देय आबकारी शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (मई 2025) कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), फतेहाबाद के एक मामले में, लाइसेंसधारक की संपत्ति कुर्क कर ली गई थी और बकाया राशि वसूलने के लिए सक्रिय प्रयास जारी थे। एक अन्य मामले में, उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), गुरुग्राम (पश्चिम) ने बताया कि ₹ 52.31 लाख की राशि वसूल की जा चुकी थी।

2.10.8.2 निर्धारित शराब कोटा कम उठाने पर देय पेनल्टी की गणना करने की कार्यक्षमता का अभाव

वार्षिक आबकारी नीतियों में खुदरा लाइसेंसधारकों द्वारा प्रत्येक तिमाही में उठाए जाने वाले कोटे की एक अनुसूची निर्धारित की जाती है। निर्धारित कोटा उठाने में विफल रहने पर संबंधित आबकारी वर्ष की आबकारी नीति में निर्धारित दरों पर पेनल्टी लगाई जाती है। विभाग ने अपने कार्यात्मक आवश्यकता विनिर्देश में यह भी शामिल किया है कि प्रणाली को समय-समय पर बकाया राशि के आधार पर करदाता पर देय ब्याज और पेनल्टी की गणना करनी चाहिए और उसे करदाता की लेखा-बही में दर्ज करना चाहिए।

एल-1बीएफ और एल-2बीएफ[12] लाइसेंसधारकों को दिए गए तिमाही कोटे और उठाए गए शराब के स्टॉक से संबंधित डेटा के विश्लेषण में निम्नलिखित कमियां देखी गई:

12 आयातित विदेशी शराब का खुदरा लाइसेंस।

(क) एल-1बीएफ लाइसेंसधारक द्वारा कम शराब कोटा उठाए जाने पर पेनल्टी का अनुद्ग्रहण

नीति वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए अनुमोदित हरियाणा आबकारी नीति के पैरा 9.5.4 में राज्य के प्रत्येक एल-1बीएफ के लिए आयातित विदेशी शराब (बी.आई.ओ.) के व्हिस्की, बीयर और वाइन सेग्मेंट का 'न्यूनतम कोटा' निर्धारित किया गया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

शराब का प्रकार	2021	2020
	(कोटा, मामलों में)	
व्हिस्की, स्कॉच, रम, वोदका, जिन, ब्रांडी आदि	18,000	10,000
बीयर	4,500	7,000
वाइन, साइडर, लिकर आदि	7,500	3,000

नीतियों के प्रावधानों में यह प्रावधान किया गया था कि यदि लाइसेंसधारक व्हिस्की/वाइन का न्यूनतम निर्धारित कोटा उठाने में विफल रहता है तो प्रति केस ₹ 3,000 तथा बीयर के मामले में प्रति केस ₹ 1,500 की दर से पेनल्टी लगाई जाएगी। नीतियों के प्रावधानों में यह भी प्रावधान था कि लाइसेंसधारक के अनुरोध पर, उठाए गए कोटे के निर्धारण के लिए वाइन और व्हिस्की सेग्मेंट के लिए निर्धारित कोटा को एक साथ जोड़ा जा सकता है।

एल-1बीएफ लाइसेंसधारकों द्वारा उठाए गए शराब के स्टॉक से संबंधित डेटा के विश्लेषण से पता चला कि नीति वर्ष 2020-21 और 2021-22 में चार लाइसेंसधारकों को आयातित विदेशी शराब (बीयर) के 19,462 मामलों का कोटा आबंटित किया गया था, तथापि, इन लाइसेंसधारकों ने निर्धारित कोटे के विरूद्ध केवल 13,426 मामले ही उठाए, जिससे 6,036 मामलों का कोटा कम उठा। इसी प्रकार, नीति वर्ष 2021-22 के दौरान पांच लाइसेंसधारकों ने आयातित विदेशी शराब (व्हिस्की और वाइन) के 37,833 मामलों का कोटा कम उठाया, जिससे 1,17,690 मामलों के न्यूनतम कोटे के विरूद्ध 79,857 मामलों को उठाया। आबकारी नीतियों में निहित पेनल्टी प्रावधानों के अनुसार, निर्धारित कोटा से कम उठान के कारण आयातित विदेशी शराब (व्हिस्की और वाइन) के मामले में ₹ 11.35 करोड़ तथा आयातित विदेशी शराब (बीयर) के मामले में ₹ 0.90 करोड़ की पेनल्टी लगाई जानी थी, जो नहीं लगाई गई थी।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (मई 2025) कि ₹ 0.25 करोड़ की राशि वसूल की जा चुकी थी। इसके अतिरिक्त, ₹ 6.59 करोड़ की वसूली का मामला अदालत में लंबित है और शेष राशि की वसूली के लिए वसूली कार्यवाही शुरू कर दी गई थी। विभाग ने यह भी स्वीकार किया कि आयातित विदेशी शराब के लिए कम कोटा पेनल्टी की गणना की कार्यक्षमता प्रणाली में अंतर्निहित नहीं थी और अब नए सिस्टम इंटीग्रेटर को यह कार्यक्षमता विकसित करने के निर्देश दिए जाएंगे।

(ख) आयातित विदेशी शराब का कोटा कम उठाने पर एल-2बीएफ पर पेनल्टी का अनुद्ग्रहण

आबकारी नीति 2020-21 के अनुसार, विक्रय क्षमता के आधार पर निश्चित मूल्य पर कुछ भारत में निर्मित विदेशी शराब की खुदरा दुकानों के लिए एल-2बीएफ लाइसेंस अनिवार्य थे। इन लाइसेंसधारकों के पास न्यूनतम आयातित विदेशी शराब (बी.आई.ओ.) का कोटा (व्हिस्की, बीयर, वाइन) था और कम कोटा उठाने पर उन पर पेनल्टी लगाई जाती थी, अर्थात

व्हिस्की/वाइन के लिए ₹ 5,000 प्रति केस और बीयर के लिए ₹ 2,000 प्रति केस। वाइन और व्हिस्की के कोटा को बिना किसी अतिरिक्त फीस के आपस में बदला जा सकता था। आबकारी नीति 2022 ने समान पेनल्टी प्रावधानों के साथ प्रति एल-2बीएफ के लिए कुल आयातित विदेशी शराब (बी.आई.ओ.) का कोटा निर्धारित किया।

डेटा विश्लेषण से पता चला कि 2020-21 और 2021-22 में, 151 जोन के लाइसेंसधारकों ने 42,226 पेटियों के निश्चित कोटा के विरूद्ध आयातित विदेशी शराब व्हिस्की और वाइन की 33,733 पेटियां उठाई थी। इसी प्रकार, आयातित विदेशी शराब बीयर के मामले में 131 जोन के लाइसेंसधारकों ने नीति वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान 17,066 पेटियों के निर्धारित कोटे के विरूद्ध आयातित विदेशी शराब बीयर की 11,373 पेटियां उठाई। परिणामस्वरूप, लाइसेंसधारकों ने आयातित विदेशी शराब (व्हिस्की/वाइन) और आयातित विदेशी शराब बीयर के क्रमशः 8,493 और 5,693 केस कम मात्रा में उठाए थे। आबकारी नीतियों में निहित पेनल्टी प्रावधानों के अनुसार, इन मामलों में ₹ 5.38 करोड़ (₹ 5,000 प्रति मामले की दर से 8,493 मामले और ₹ 2,000 प्रति मामले की दर से 5,693 मामले) की राशि की पेनल्टी उद्ग्राह्य थी।

2022-23 के लिए दो लाइसेंसधारकों ने 36,557 आयातित विदेशी शराब (बी.आई.ओ.) के कोटे के विरूद्ध 34,311 पेटियां उठाई। इन मामलों में ₹ 44.92 लाख (2246 x 2000) की पेनल्टी उद्ग्राह्य थी।

इस प्रकार, एल-2बीएफ लाइसेंसधारकों द्वारा कोटा को कम उठाने के लिए प्रणाली में पेनल्टी की गणना, उद्ग्रहण और वसूली के लिए उचित कार्यक्षमता का प्रावधान न होने के कारण, ₹ 5.83 करोड़ की पेनल्टी उद्गृहीत नहीं की जा सकी।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (मई 2025) कि एल-2बीएफ के लिए कोटा को कम उठाने के लिए पेनल्टी की गणना करने की कार्यक्षमता सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में विकसित और कार्यान्वित की जाएगी। विभाग ने आगे बताया कि ₹ 1.80 लाख की वसूली की जा चुकी थी और लंबित बकाया राशि की वसूली के प्रयास किए जा रहे थे।

2.10.8.3 ब्याज की गणना के लिए कार्यक्षमता का अभाव

अनुरोध प्रस्ताव दस्तावेज में प्रकाशित कार्यात्मक आवश्यकता विनिर्देश में यह आवश्यकता शामिल है कि प्रणाली पेनल्टी नियमों के आधार पर बकाया राशि पर ब्याज की गणना करने में सक्षम होनी चाहिए।

विकास दल द्वारा दर्शाए गए डेटा और कार्यक्षमताओं के विश्लेषण से पता चला कि लाइसेंसधारक फीस के विलंबित भुगतान पर ब्याज की गणना के लिए कार्यक्षमता प्रणाली में शामिल नहीं थी। कार्यक्षमता के अभाव में विभाग इस ब्याज की गणना मैन्युअल रूप से करता है और नीति वर्ष के अंत में देय ब्याज की वसूली/समायोजन करता है। ब्याज गणना की मैन्युअल प्रक्रिया से ब्याज की गलत गणना हो सकती है।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (मई 2025) कि यह परिकल्पना की गई है कि भविष्य में नए सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा सभी आबकारी प्रक्रियाओं को स्वचालित कर दिया जाएगा।

2.10.8.4 अपील प्रक्रिया को स्वचालित करने की कार्यक्षमता का अभाव

प्रणाली आवश्यकता विनिर्देश दस्तावेज के पैरा 2.3 में यह परिकल्पना की गई थी कि लाइसेंसधारकों द्वारा अपनाई जाने वाली अपील प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए विभाग द्वारा विस्तृत प्रक्रिया मानचित्र और प्रक्रिया विवरण विकसित और कार्यान्वित किए जाएंगे।

डेटा की संवीक्षा से पता चला कि लाइसेंसधारकों द्वारा दायर की गई आपत्तियों और अपीलों से संबंधित कोई डेटा डेटाबेस में उपलब्ध नहीं था। अपील मामलों से संबंधित डेटा की अनुपलब्धता, मामलों के अंतिम निपटान में होने वाली अत्यधिक देरी की प्रभावी निगरानी और उसके समाधान में बाधा डालती है।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (मई 2025) कि यह परिकल्पना की गई है कि भविष्य में नए सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा सभी आबकारी प्रक्रियाओं को स्वचालित कर दिया जाएगा।

2.10.8.5 निरीक्षण प्रक्रिया को स्वचालित करने की कार्यक्षमता का अभाव

वार्षिक आबकारी नीतियों में यह प्रावधान है कि विभागीय प्राधिकारी लागू कोडल प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन का पता लगाने और शराब की अवैध बिक्री/कब्जे को रोकने के लिए शराब लाइसेंसधारकों के परिसर का निरीक्षण करेंगे।

प्रणाली में उपलब्ध कार्यक्षमताओं की सीमा का आकलन करने तथा डेटाबेस तालिकाओं के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया था कि प्रणाली आवश्यकता विनिर्देश (एस.आर.एस.) दस्तावेज में परिकल्पित निरीक्षण प्रक्रिया को स्वचालित करने की कार्यक्षमताएं प्रणाली में अंतर्निहित नहीं थी।

निरीक्षण प्रक्रिया के गैर-स्वचालन के प्रभाव निम्नानुसार हैं:

(i) न्यूनतम पेनल्टी का कम उद्ग्रहण

नमूना-जांच की गई क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा अनुरक्षित उल्लंघन[13] मामलों के भौतिक अभिलेख की जांच से पता चला कि पेनल्टी की राशि की गणना प्रधान कार्यालय (एच.ओ.) द्वारा मैन्युअल रूप से की गई थी। पेनल्टी की राशि की गणना को स्वचालित करने के लिए निरीक्षण अधिकारी द्वारा दी गई विस्तृत जानकारी को एकत्रित करने हेतु प्रणाली में कोई कार्यक्षमता अंतर्निहित नहीं थी। नीति वर्ष 2018-19 से 2022-23 के लिए आबकारी प्राधिकारियों द्वारा थोक लाइसेंसधारकों के परिसरों के भौतिक सत्यापन के दौरान पाए गए उल्लंघन के मामलों की जांच से पता चला कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) फतेहाबाद, गुरुग्राम (पूर्व) और पानीपत से संबंधित 13 मामलों में, शराब (देसी शराब और भारत में निर्मित विदेशी शराब) के स्टॉक की कमी के कारण निर्धारित मानदंडों के अनुसार ₹ 19.24 करोड़ की पेनल्टी लगाई जानी थी। तथापि, इन मामलों में केवल ₹ 8.70 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई थी। यह भी देखा गया था कि लाइसेंसधारकों के परिसरों के निरीक्षण के दौरान आयातित विदेशी शराब के अतिरिक्त बीयर, वाइन या पीने के लिए तैयार पेय पदार्थ की बेहिसाब मात्रा पाए जाने के मामले में पेनल्टी की गणना करने के मानदंडों को वार्षिक आबकारी नीतियों में शामिल नहीं किया गया था।

[13] लाइसेंसधारकों के परिसर में आबकारी प्राधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन के दौरान पाए गए आबकारी नीति मानदंडों के उल्लंघन।

इस प्रकार, निरीक्षण और पेनल्टी की गणना प्रक्रिया को स्वचालित करने की कार्यक्षमता के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 10.54 करोड़ की न्यूनतम पेनल्टी का कम उद्ग्रहण हुआ।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (मई 2025) कि निरीक्षण और पेनल्टी की गणना को स्वचालित करने के लिए प्रणाली में ऑनलाइन मॉड्यूल उपलब्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया कि उल्लंघन के मामलों का निर्णय कलेक्टर द्वारा आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 36-सी के अंतर्गत एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के रूप में किया गया था और 2022-23 से पहले की आबकारी नीतियों में पेनल्टी निर्धारित नहीं की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वर्ष 2021-22 से आगे की आबकारी नीति के पैरा संख्या 4.7 और 5.6 में पेनल्टी के मानदंड निर्धारित किए गए थे।

(ii) लंबित उल्लंघन मामले में पेनल्टी का अनुद्ग्रहण

हरियाणा आबकारी नीति 2019-20 के पैरा 4.7 और 5.6 के अनुसार, यदि कोई एल-13/एल-1 लाइसेंसधारक अतिरिक्त आबकारी शुल्क से बचने के लिए शराब की अवैध या गुप्त बिक्री में लिप्त पाया जाता है, तो ऐसे एल-13/एल-1 लाइसेंसधारक के लिए जुर्माना आदि के कारण देय राशि भी उक्त लाइसेंसधारक की खुदरा दुकानों (एल-14ए/एल-2) की प्रतिभूति जमा से वसूलनीय होगी। नीति के पैरा 3.4.1 में प्रावधान है कि देसी शराब के लिए ₹ 23 प्रति प्रूफ लीटर और भारत में निर्मित विदेशी शराब के मामले में ₹ 51 प्रति प्रूफ लीटर की दर से अतिरिक्त आबकारी शुल्क प्रभार्य था।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, फतेहाबाद के अभिलेखों की जांच से पता चला कि कलेक्टर (आबकारी) के निर्देशों के अनुपालन में गठित टीम द्वारा कोविड अवधि के दौरान एल-1 और एल-13 लाइसेंसधारकों के परिसरों का भौतिक सत्यापन किया गया था। इन निरीक्षणों के दौरान पाए गए उल्लंघन के मामलों को पेनल्टी के उद्ग्रहण हेतु कलेक्टर (आबकारी) के पास भेज दिया गया था। अभिलेखों से पता चला कि दो मामलों में पंजाब आबकारी (हरियाणा संशोधन 2020) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पेनल्टी लगाई गई थी। लाइसेंसधारक की निर्मित माल रिपोर्ट के अनुसार, 6 मई 2020 तक देसी शराब, भारत में निर्मित विदेशी शराब और वाइन के लिए क्रमशः 1,62,000 प्रूफ लीटर, 2,307.231 प्रूफ लीटर और 8,078.20 बल्क लीटर का शेष स्टॉक था, लेकिन निरीक्षण दल की रिपोर्ट के अनुसार, एल-1 और एल-13 लाइसेंसधारक के परिसरों में कोई भौतिक स्टॉक उपलब्ध नहीं था। इस उल्लंघन मामले में ₹ 1.92 करोड़ की पेनल्टी शामिल थी, जो उद्गृहीत नहीं की गई, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

क्र. सं.	शराब का प्रकार	कम पाया गया स्टॉक (प्रूफ लीटर में)	प्रति प्रूफ लीटर अतिरिक्त आबकारी शुल्क (₹ में)	उक्त प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम पेनल्टी (अतिरिक्त आबकारी शुल्क का पांच गुना)	उद्ग्राह्य पेनल्टी (₹ में)
	(ए)	(बी)	(सी)	(डी) = {(सी)x5}	(ई)={(बी)x(डी)}
1	भारत में निर्मित विदेशी शराब	2,307.23	51	255	5,88,343
2	देसी शराब	1,62,000	23	115	1,86,30,000
कुल					**1,92,18,343**

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (मई 2025) कि मामला फरवरी 2025 में कलेक्टर (आबकारी) के पास भेज दिया गया था और तदनुसार वसूली की कार्यवाही शुरू की जाएगी।

2.10.8.6 शराबखाने का लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया को कैप्चर करने की कार्यक्षमता का अभाव और अनिवार्य "अनुमत कक्ष" फीस का अनुद्ग्रहण

डेटा की जांच और प्रणाली में उपलब्ध कार्यक्षमताओं के गहन अध्ययन से पता चला कि शहरी और उप-शहरी क्षेत्रों में खुदरा लाइसेंसधारकों को अहाता प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने या आबकारी प्राधिकारियों द्वारा इसकी प्रक्रिया के लिए एप्लिकेशन के फ्रंट एंड पर कोई कार्यक्षमता अंतर्निहित नहीं थी। स्वचालित प्रक्रिया के अभाव में, इन आवेदनों की प्रक्रिया में होने वाली देरी का पता लगाने के लिए विभागीय उपयोगकर्ताओं द्वारा की गई कार्रवाइयों के ट्रेल की निगरानी नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, संबंधित वार्षिक आबकारी नीतियों में निर्धारित दरों के अनुसार लगाई गई और एकत्र की गई लागू फीस की सटीकता का भी आकलन नहीं किया जा सकता है।

वर्ष 2018-19 के लिए हरियाणा आबकारी नीति के पैरा 1.4.3 के अनुसार, शहरी क्षेत्रों के सभी लाइसेंसधारकों को अपने संबंधित क्षेत्रों में दो अनुमत कक्ष तक संचालन के लिए न्यूनतम ₹ चार लाख की सीमा के अधीन, क्षेत्र की लाइसेंस फीस के 0.8 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त लाइसेंस फीस जमा करवानी अपेक्षित थी। इसी प्रकार, उप-शहरी क्षेत्रों के लाइसेंसधारकों को अपने संबंधित क्षेत्रों में एक अनुमत कक्ष तक संचालन के लिए न्यूनतम ₹ दो लाख की सीमा के अधीन, क्षेत्र की लाइसेंस फीस के 0.4 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त लाइसेंस फीस जमा करवानी अपेक्षित थी।

वर्ष 2019-20 के लिए हरियाणा आबकारी नीतियों के पैरा 1.4.3 के अनुसार, शहरी क्षेत्र और उप-शहरी क्षेत्र में अनुमत कक्ष के लिए फीस संरचनाएं निम्नानुसार थी:

क्र. सं.	शहरी क्षेत्रों में अनुमत कक्ष के लिए फीस		उप-शहरी क्षेत्रों में अनुमत कक्ष के लिए फीस		लाइसेंस फीस की प्रकृति
	लाइसेंस फीस (जोन की लाइसेंस फीस प्रतिशतता)	एक जोन में अनुमत कक्ष की अनुमेय संख्या	लाइसेंस फीस (जोन की लाइसेंस फीस प्रतिशतता)	एक जोन में अनुमत कक्ष की अनुमेय संख्या	
1	0.8	2	0.4	1	अनिवार्य
2	1.4	3	0.8	2	वैकल्पिक
3	1.6	6	1.2	3	वैकल्पिक

वर्ष 2018-19 से 2019-20 के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), फतेहाबाद के कार्यालय के अभिलेखों की जांच से पता चला कि सात उप-शहरी क्षेत्रों (2018-19: 4 और 2019-20: 3) से ₹ 19.43 लाख की अनिवार्य अनुमत कक्ष फीस वसूल नहीं की गई थी।

यह इंगित किए जाने पर, उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), फतेहाबाद ने बताया कि सात जोन में से तीन जोन के संबंध में ₹ 7.87 लाख की राशि विभाग द्वारा प्रतिभूति से समायोजित कर ली गई थी तथा ₹ 11.56 लाख की बकाया राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, कार्यक्षमता की उपलब्धता के संबंध में, विभाग ने

बताया (मई 2025) कि वर्ष 2021 में अहाता आवेदनों को प्राप्त करने/लाइसेंस प्रदान करने की कार्यक्षमता को सक्षम कर दिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा इस संबंध में कोई उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

2.10.8.7 शराब के विक्रता से उप-विक्रेता तक आवाजाही का स्वचालन न होना

नीति वर्ष 2015 से विभाग द्वारा प्रकाशित वार्षिक आबकारी नीतियों के अनुसार, उप-विक्रेता के लिए लाइसेंस के आबंटन का प्रावधान है। एप्लिकेशन के फ्रंट एंड पर उपलब्ध डंप डेटा और प्रक्रिया प्रवाह से परमिट और पास तालिकाओं के विश्लेषण के दौरान, यह पाया गया था कि प्रणाली में ऐसी कार्यक्षमता नहीं बनाई गई थी जिससे विक्रेता से उप-विक्रेता तक शराब की आवाजाही के बारे में विवरण प्राप्त किया जा सके, और परिणामस्वरूप प्रणाली में विक्रेता से उप-विक्रेता तक आपूर्ति की गई शराब को ट्रैक करने के लिए कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी।

विक्रेता से उप-विक्रेता तक शराब की आवाजाही के संबंध में किसी भी केंद्रीकृत सूचना के अभाव में शराब की अनधिकृत आवाजाही की किसी भी घटना की प्रभावी निगरानी नहीं की जा सकती।

विभाग ने बताया (मई 2025) कि शराब को विक्रेता से उप-विक्रेता तक ले जाने की कार्यक्षमता विभाग द्वारा विकसित कर ली गई है तथा यह परीक्षण चरण में है।

2.10.8.8 निर्यातित शराब की आपूर्ति और निर्यात सत्यापन प्रमाण-पत्र को ट्रैक करने की कार्यक्षमता का अभाव

निर्यात बिक्री पर आयातक राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा आबकारी शुल्क लगाया जाता है। निर्यातक को आयातक राज्य के आबकारी शुल्क प्राधिकारी से निर्यात सत्यापन प्रमाण-पत्र के रूप में आयातक राज्य में स्टॉक की प्राप्ति के लिए पावती प्राप्त करनी होती है। निर्यात सत्यापन प्रमाण-पत्र को संबंधित निर्यातक इकाई के प्रभारी आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शराब की पूरी मात्रा प्राप्त हुई है।

निर्यात पास के डेटा के विश्लेषण से पता चला कि नीति वर्ष 2016-17 से 2022-23 के दौरान, राज्य के बाहर 3,815.83 लाख प्रूफ लीटर/बल्क लीटर शराब (बीयर, भारत में निर्मित विदेशी शराब, आयातित विदेशी शराब, देसी शराब) के निर्यात के लिए आबकारी प्राधिकारियों द्वारा 60,903 पास अनुमोदित किए गए थे। तथापि, एप्लिकेशन में ऐसी कार्यक्षमता की कमी के कारण प्रणाली में कोई निर्यात सत्यापन प्रमाण-पत्र कैप्चर नहीं किया गया था।

“Received_Flag” कॉलम में दर्ज सूचना के विश्लेषण से पता चला कि 60,903 ट्रांजेक्शनों में से 57,019 में मान “N[14]” दर्ज किया गया था, जो यह दर्शाता है कि 3,815.76 लाख प्रूफ लीटर/बल्क लीटर का स्टॉक (क्योंकि .07 लाख प्रूफ लीटर/बल्क लीटर का स्टॉक ही "Y" के रूप में दर्ज था) या तो आयातक राज्य/लाइसेंसधारक द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था या यह सूचना प्रणाली में अद्यतन नहीं किया गया था। निर्यात सत्यापन प्रमाण-पत्र के अद्यतन के बिना, प्रणाली निर्यात की गई शराब की मात्रा के संदर्भ में उसकी वास्तविक सुपुर्दगी के बारे में आश्वासन प्रदान नहीं कर सकती है। इस अंतर से विसंगतियों, गलत रिपोर्टिंग या स्टॉक के संभावित विचलन की संभावना बढ़ जाती है।

---

[14] डेटा तालिका में मान “Y” प्राप्त निर्यातित शराब को दर्शाता है और मान “N” प्राप्त नहीं हुई निर्यातित शराब को दर्शाता है।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (मई 2025) कि निर्यात सत्यापन प्रमाण-पत्र के सत्यापन की मैन्युअल प्रकृति के कारण, "Received_Flag" कॉलम को अद्यतन नहीं किया गया था। अब विभाग इन प्रविष्टियों को अद्यतन करने का कार्य कर रहा है।

2.10.8.9 शराब स्टॉक हस्तांतरण विवरण के लिए दोषपूर्ण फॉर्म डिजाइन

वार्षिक आबकारी नीतियों में प्रावधान है कि निवर्तमान लाइसेंसधारक निर्धारित स्टॉक हस्तांतरण फीस के भुगतान के अधीन शराब के अपने अप्रयुक्त स्टॉक को आगामी लाइसेंसधारक को हस्तांतरित कर सकता है। खुदरा लाइसेंसधारक अपने शेष स्टॉक को जिले के भीतर हस्तांतरित कर सकता है, तथापि, थोक विक्रेता अपने बचे हुए स्टॉक को जिले के भीतर के साथ-साथ जिले के बाहर भी हस्तांतरित कर सकता है। जिले के भीतर हस्तांतरण के मामले में, लाइसेंसधारक को जिले के भीतर हस्तांतरण पर उद्ग्राह्य स्टॉक हस्तांतरण फीस की तुलना में उच्च दरों पर स्टॉक हस्तांतरण फीस का भुगतान करना अपेक्षित था।

डेटा पास विवरण और परमिट विवरण तालिकाओं की जांच से पता चला कि नीति वर्ष 2018-2023 के दौरान, पिछले नीति वर्षों के निवर्तमान लाइसेंसधारकों से कुल 3,49,89,981 प्रूफ लीटर/बल्क लीटर शराब/बीयर के स्टॉक को स्टॉक हस्तांतरण के रूप में अनुमति दी गई थी।

इन स्टॉक हस्तांतरण ट्रांजेक्शनों में, उन आपूर्तिकर्ताओं के विवरण जिनसे स्टॉक हस्तांतरित किया गया था, डेटाबेस में नहीं पाए गए, क्योंकि हस्तांतरणकर्ता के विवरण को रिकॉर्ड करने के लिए फ्रंट एंड पर कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं था। सिस्टम में आपूर्तिकर्ता के विवरण की कमी के कारण यह सत्यापित करना संभव नहीं था कि क्या संपूर्ण अप्रयुक्त स्टॉक को निवर्तमान लाइसेंसधारकों द्वारा वैध रूप से स्थानांतरित किया गया था।

विभाग ने इस तथ्य को स्वीकार किया (मई 2025) कि निवर्तमान लाइसेंसधारकों का विवरण प्रणाली में दर्ज नहीं किया गया था।

2.11 अन्य सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण मामले

2.11.1 सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में अपूर्ण भुगतान मॉड्यूल

एप्लिकेशन के फ्रंट एंड पर प्रक्रिया प्रवाह और बैक एंड पर डेटा प्रवाह के विवरण के दौरान, विकास टीम द्वारा यह बताया गया था कि आबकारी लाइसेंसधारकों द्वारा किए गए भुगतानों और आबकारी शुल्क, परमिट फीस, आयात फीस, निर्यात फीस आदि के रूप में देय आबकारी शुल्क से संबंधित सभी ट्रांजेक्शन डेटाबेस में भुगतान के विवरण वाली डेटा तालिका में दर्ज किए गए थे। लाइसेंसधारकों द्वारा या तो नामित बैंकों में या ई-भुगतान पद्धति का उपयोग करके किए गए भुगतान को बाद में एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (ए.पी.आई.) के माध्यम से खजाना एवं लेखा विभाग हरियाणा के ई-ग्रास पोर्टल से प्रणाली द्वारा मान्य किया गया था।

अपूर्ण भुगतान मॉड्यूल के संबंध में लेखापरीक्षा उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

(क) मिसिंग भुगतान ट्रांजेक्शन

विकास टीम ने भुगतान विवरण वाली डेटा तालिका संरचना के बारे में डेटा संरचना पर चर्चा के दौरान बताया कि तालिका में प्रत्येक पंक्ति को प्रणाली द्वारा उत्पन्न अनुक्रमिक संख्या द्वारा दर्शाया गया है।

डेटाबेस में अप्रैल 2016 से मई 2023 तक प्राप्त भुगतान विवरण से संबंधित डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह पाया गया था कि 2,61,050 ट्रांजेक्शन मिसिंग थे।

मिसिंग ट्रांजेक्शन से डेटा की विश्वसनीयता कमजोर होती है, जिससे अनधिकृत विलोपन या परिवर्तन और ट्रांजेक्शन लॉगिंग पर कमजोर नियंत्रण की चिंताएं बढ़ जाती हैं। भुगतान ट्रांजेक्शन का अनुपस्थित होना, आबकारी शुल्क की वसूली के बिना परमिट जारी किए जाने के जोखिम को दर्शाता है, जिससे वित्तीय अनियमितताओं और राजस्व के अपवंचन की संभावना बढ़ जाती है।

विभाग ने यह स्वीकार करते हुए कि 10 प्रतिशत ट्रांजेक्शन मिसिंग थे, बताया (मई 2025) कि किसी भी ट्रांजेक्शन को प्रस्तुत करने में विफलता की स्थिति में, विफल ट्रांजेक्शन को आवंटित आई.डी. का पुनः उपयोग नहीं किया जाता है और नई आई.डी. जनरेट की जाती है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विफल ट्रांजेक्शन के लिए ऑडिट ट्रेल का अभाव और आई.डी. में अंतराल, प्रणाली नियंत्रण की कमी को इंगित करता है और डेटा विश्वसनीयता पर चिंता उत्पन्न करता है।

(ख) भुगतान ट्रांजेक्शन की ऐतिहासिक सूचना संशोधित की गई

भुगतान विवरणों की जांच से पता चला कि 22,80,846 भुगतान ट्रांजेक्शन में से 8,76,102 में संशोधित तिथि दर्ज की गई थी। तथापि, मौजूदा सूचना में किए गए परिवर्तनों की प्रकृति के बारे में कोई ऐतिहासिक सूचना डेटाबेस में उपलब्ध नहीं थी।

ऐतिहासिक सूचना के रखरखाव के अभाव में, भुगतान लेनदेन के अनधिकृत एडिटिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

विभाग ने बताया (मई 2025) कि एडिटिंग/संशोधित भुगतान लेनदेन की ऐतिहासिक सूचना का रखरखाव नहीं किया जा रहा था।

(ग) महत्वपूर्ण सूचना रिक्त छोड़ दी गई

(i) भुगतान विवरण (दिसंबर 2015 से जून 2023) के विश्लेषण से पता चला कि ₹ 789.16 करोड़ की भुगतान राशि के लिए 3,621 ट्रांजेक्शनों में ट्रांजेक्शन सृजन तिथि को रिक्त छोड़ दिया गया था।

(ii) खजाने में किए गए भुगतान के विवरण वाली डेटा तालिका में दर्ज 2,81,530 भुगतान ट्रांजेक्शनों में से 64 में भुगतान तिथि के कॉलम को रिक्त छोड़ दिया गया था। इन 64 ट्रांजेक्शनों के माध्यम से लाइसेंसधारकों द्वारा ₹ 4.90 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था। भुगतान तिथि के अभाव में, भुगतान अनुसूची के संदर्भ में किसी भी प्रकार की देरी का पता नहीं लगाया जा सकता है।

पर्याप्त इनपुट सत्यापन नियंत्रणों के अभाव के परिणामस्वरूप भुगतान विवरणों में महत्वपूर्ण डेटा की चूक हुई है, जिससे भुगतान अभिलेख की विश्वसनीयता, पूर्णता और सत्यता कम हो गई है।

विभाग ने बताया (मई 2025) कि कोई राजस्व हानि नहीं हुई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भुगतान तिथि के अभाव में, भुगतान अनुसूची के संदर्भ में किसी भी प्रकार के विलंब का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

(घ) निधियों की उपलब्धता के बिना स्वीकार किए गए ट्रांजेक्शन

यह प्रणाली आबकारी लाइसेंसधारकों को देय आबकारी शुल्क[15] की राशि के समायोजन हेतु विविध शुल्क (कॉर्पस) के रूप में अग्रिम राशि जमा करने की सुविधा प्रदान करती है। आबकारी लाइसेंसधारक द्वारा किया गया कोई भी ट्रांजेक्शन अनुरोध, जिसमें आबकारी शुल्क शामिल हो, प्रणाली में तभी सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया जा सकता है, जब लाइसेंसधारक के कॉर्पस में ऐसे शुल्कों को समायोजित करने के लिए निधियां उपलब्ध हों।

संबंधित लाइसेंसधारकों द्वारा आबकारी शुल्क के कारण कुल राशि और उससे समायोजित बकाया राशि से संबंधित लाइसेंसधारक-वार आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि 939 लाइसेंसधारकों के मामले में, आबकारी शुल्क के रूप में देय राशि (₹ 377.51 करोड़) विविध फीस के रूप में सफलतापूर्वक भुगतान की गई राशि (₹ 338.70 करोड़) से अधिक थी। प्रणाली में पर्याप्त सत्यापन नियंत्रण के अभाव में, इन लाइसेंसधारकों के कॉर्पस में उपलब्ध अग्रिम राशि से अधिक ₹ 38.81 करोड़ के आबकारी शुल्क की वसूली की गई, तथा प्रणाली ने संबंधित ट्रांजेक्शनों को प्रस्तुत करने पर प्रतिबंध नहीं लगाया था।

विभाग ने बताया (मई 2025) कि वर्तमान प्रणाली कॉर्पस में निधियों की उपलब्धता के बिना परमिट अनुरोध प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देती है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने दावा किया कि ₹ 38.81 करोड़ में से ₹ 21.76 करोड़ की राशि वसूल/समाधान कर ली गई है और शेष ₹ 17.05 करोड़ की राशि के संबंध में वसूली की स्थिति को अद्यतन किया जाएगा। तथापि, वसूली राशि के विस्तृत आंकड़ों के अभाव में विभाग का दावा सत्यापन योग्य नहीं है।

(ङ) एक ही चालान का एक से अधिक बार उपयोग

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राज्य के समेकित निधि में किए गए प्रत्येक भुगतान को ई-चालान बनाकर संबंधित जिला ट्रेजरी या साइबर ट्रेजरी में प्रेषित किया जाना है। ई-ग्रास पोर्टल पर बनाए गए ट्रेजरी चालानों को प्रत्येक चालान की विशिष्टता बनाए रखने के लिए एक सरकारी राजस्व नंबर (जी.आर.एन.) प्रदान किया गया।

दिसंबर 2015 से जून 2023 की अवधि के लिए उपलब्ध भुगतान ट्रांजेक्शनों के विश्लेषण से पता चला कि प्रणाली ने 152 भुगतान ट्रांजेक्शनों के लिए 68 चालानों की पुनरावृत्ति (दो से ग्यारह बार के बीच) प्रोसेसिंग को प्रतिबंधित नहीं किया था। इन चालानों के माध्यम से राज्य के खजाने में जमा की गई ₹ 1.25 करोड़ की वास्तविक राशि के विरुद्ध, आबकारी शुल्क के कारण उत्पन्न बकाया राशि को समायोजित करने के लिए, 52 लाइसेंसधारकों के खाते में

---

15 आबकारी शुल्क, परमिट फीस, बॉटलिंग फीस, मूल्यांकन फीस, आयात फीस, निर्यात फीस, अतिरिक्त आबकारी शुल्क, कोविड उपकर, खुदरा परमिट फीस, ब्रांड पंजीकरण फीस, लेबल पंजीकरण फीस आदि।

विविध शुल्क के रूप में ₹ 2.79 करोड़ की राशि जमा की गई। इस प्रकार, सरकारी राजस्व नंबर कॉलम पर पर्याप्त इनपुट सत्यापन जांच के अभाव के कारण, प्रणाली डुप्लिकेट सरकारी राजस्व नंबर की स्वीकृति को प्रतिबंधित नहीं कर सकी, जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंसधारकों को ₹ 1.54 करोड़ का अतिरिक्त क्रेडिट प्राप्त हुआ, जिससे सरकार को राजस्व की हानि हुई।

विभाग ने बताया (मई 2025) कि ₹ 1.54 करोड़ में से ₹ 0.96 करोड़ की वसूली/समाधान किया जा चुका था तथा शेष ₹ 0.58 करोड़ की राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे।

(च) लंबित चालानों के विरुद्ध लाभ प्रदान करना

खजाना एवं लेखा विभाग से प्राप्त ई-ग्रास डेटा के साथ विभागीय डेटाबेस में उपलब्ध भुगतान विवरणों के विश्लेषण से पता चला कि विभागीय डेटाबेस में 121 सरकारी राजस्व नंबर की भुगतान स्थिति को "सफल" के रूप में दर्शाया गया था; जबकि ई-ग्रास डेटाबेस के अनुसार, भुगतान की स्थिति "लंबित" दर्शाई गई थी। इन ट्रांजेक्शनों के आगे के विश्लेषण से पता चला कि 31 लाइसेंसधारकों के खातों में विविध फीस के रूप में ₹ 2.05 करोड़ जमा किए गए थे। विभागीय डेटाबेस में भुगतान स्थिति के इस गलत अद्यतन के कारण इन लाइसेंसधारकों द्वारा देय आबकारी शुल्क के कारण उत्पन्न देयता को समायोजित करने के लिए इस राशि का उपयोग किया गया।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (मई 2025) कि ₹ 2.05 करोड़ की कुल वसूलनीय राशि में से ₹ 1.41 करोड़ वसूल/समायोजित कर लिए गए थे तथा शेष ₹ 0.64 करोड़ की राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे।

(छ) खजाने में जमा की गई राशि से अधिक क्रेडिट की अनुमति

भुगतान डेटा के विश्लेषण (दिसंबर 2015 से जून 2023) से पता चला कि 18 लाइसेंसधारकों के खातों में उनकी आबकारी शुल्क देयताओं को समायोजित करने के लिए 79 चालानों के विरुद्ध ₹ 16.37 करोड़ जमा किए गए थे। तथापि, ई-ग्रास डेटाबेस में दर्ज मूल्यों के साथ इन चालानों के क्रॉस-सत्यापन ने केवल ₹ 4.18 करोड़ का वास्तविक दर्ज मूल्य ही दर्शाया। ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से भुगतान सत्यापन प्रक्रिया में पर्याप्त नियंत्रणों की कमी के परिणामस्वरूप इन लाइसेंसधारकों के खातों में ₹ 12.19 करोड़ का अतिरिक्त क्रेडिट हुआ, जिससे उन्हें अपनी आबकारी शुल्क देयताओं को अनुचित ढंग से समायोजित करने का अवसर मिला।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (मई 2025) कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) पंचकुला में, लाइसेंसधारकों के कॉर्पस में अतिरिक्त राशि जमा की गई थी, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया गया। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि राशि के उपयोग न होने की पुष्टि करने के लिए कोई कॉर्पस रिपोर्ट प्रदान नहीं की गई थी।

इसके अतिरिक्त, उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) पंचकुला के मामले में विभाग का यह दावा गलत था कि कोई अतिरिक्त क्रेडिट नहीं दिया गया था, क्योंकि अस्थायी लाइसेंस फीस के रूप में प्राप्त ₹ 5,000 की फीस के विरुद्ध ₹ 7.08 लाख क्रेडिट किए गए थे। उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), सोनीपत में, एक लाइसेंसधारी के लिए ₹ 2.85 करोड़ का अतिरिक्त क्रेडिट स्वीकार किया गया था, जिसमें से ₹ 1.31 करोड़ वसूल किए गए थे। शेष ₹ 1.54 करोड़ के लिए कोई विवरण नहीं दिया गया था। उप-आबकारी एवं

कराधान आयुक्त (आबकारी), फरीदाबाद में, ₹ 6.56 करोड़ के अतिरिक्त क्रेडिट में से ₹ 3.50 करोड़ प्राप्त होने का दावा किया गया, लेकिन समर्थित दस्तावेजों के अभाव में ₹ 2.30 करोड़ की पुष्टि नहीं हो सकी। विभाग ने आगे बताया कि शेष ₹ 3.06 करोड़ की वसूली के प्रयास भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत प्रक्रियाधीन हैं।

(ज) अन्य लेखा शीर्ष के अंतर्गत जमा की गई राशि के लिए चालानों की स्वीकृति

संघ एवं राज्यों के मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची में सरकार के कार्यों के अनुसार अलग-अलग मुख्य शीर्ष निर्धारित किए गए हैं। मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची के अनुसार, मुख्य शीर्ष "0039-आबकारी शुल्क" विभाग के आबकारी शुल्क विंग की सभी प्राप्तियों के प्रेषण के लिए निर्धारित किया गया है।

प्राप्त जमाओं के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के डेटा और ई-ग्रास पोर्टल पर उपलब्ध संबंधित जानकारी के विश्लेषण से पता चला कि विभाग में लागू की गई प्रणाली ने "0039-आबकारी शुल्क" के अलावा अन्य[16] मुख्य शीर्षों से संबंधित 34 चालान ट्रांजेक्शनों की स्वीकृति को प्रतिबंधित नहीं किया था। इन 34 चालानों के माध्यम से 31 लाइसेंसधारकों के अग्रिम कोष में ₹ 5.22 करोड़ की राशि जमा की गई थी, जिससे लाइसेंसधारकों को आबकारी शुल्क के कारण उत्पन्न अपनी देयताओं को चुकाने में सक्षम बनाया गया। इन चालानों के माध्यम से प्राप्त भुगतान असंबंधित कारणों अर्थात एच.एस.एस.सी. आवेदन फीस, बिक्री कर पर अधिभार, सड़क कर के भुगतान आदि से था। इस प्रकार, अपर्याप्त सत्यापन जांच के कारण, प्रणाली ने "0039-राज्य आबकारी शुल्क" के अलावा अन्य मुख्य शीर्षों के अंतर्गत देय राशि की छूट के लिए चालानों की प्रोसेसिंग को प्रतिबंधित नहीं किया था।

विभाग ने बताया (मई 2025) कि 2023 से प्रणाली में पर्याप्त सत्यापन जांच शामिल कर ली गई हैं ताकि अन्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत जमा किए गए चालानों की स्वीकृति प्रतिबंधित की जा सके। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया कि ₹ 39.41 लाख की वसूली/पुनर्समाधान का सत्यापन किया जा चुका है। तथापि, ₹ 23.28 लाख की वसूली/समायोजन स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि यह राशि पहले ही कॉर्पस सृजन और प्रतिभूति फीस के भुगतान में उपयोग की जा चुकी थी। हालांकि, ₹ 4.59 करोड़ की शेष राशि के बारे में विभागीय उत्तर में कुछ नहीं कहा गया था।

(झ) भुगतान मॉड्यूल का आंशिक उपयोग

2021-22 के भुगतान डेटा के तुलनात्मक विश्लेषण से पता चला कि बजट दस्तावेज में बताई गई वास्तविक प्राप्ति मुख्य शीर्ष 0039-राज्य आबकारी शुल्क के अंतर्गत ₹ 7,933.42 करोड़ थी, जबकि भुगतान डेटा तालिका के अनुसार विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में केवल ₹ 6,915.54 करोड़ दर्ज किए गए थे, जो दर्शाता है कि भुगतान, विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के भुगतान मॉड्यूल के माध्यम से संसाधित होने के बजाय ई-ग्रास पोर्टल से उत्पन्न ट्रेजरी चालानों के माध्यम से सीधे राज्य के खजाने में भेजे गए थे। यह सूचना प्रौद्योगिकी

[16] 0029 - ₹ 1.08 लाख; 0030 - ₹1.02 लाख; 0040 - ₹ 137.60 लाख; 0041 - ₹ 67.88 लाख; 0051 - ₹ 291.20 लाख; 0055 - ₹ 8.10 लाख और चार मामलों में ₹ 15.25 लाख के लिए अमान्य सरकारी राजस्व नंबर का उल्लेख किया गया।

प्रणाली के भुगतान मॉड्यूल के आंशिक उपयोग को दर्शाता है। भुगतान मॉड्यूल के पूर्ण उपयोग के अभाव में देय लाइसेंस राशि का प्रभावी ढंग से मिलान नहीं किया जा सका।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और आश्वासन दिया (मई 2025) कि सभी प्रकार के भुगतानों को दर्ज करने की कार्यक्षमता को नई सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में शामिल किया जाएगा।

2.11.2 क्षमता निर्माण - प्रशिक्षण आवश्यकताओं का अननुपालन

अनुरोध प्रस्ताव (दस्तावेज में शामिल धारा-IV (कार्य का क्षेत्र) के अनुसार, चयनित बोलीदाता को छः प्रकार के उपयोगकर्ता समूहों, (i) कार्यकारी नेतृत्व; (ii) रिकॉर्ड कीपर और उससे वरिष्ठ विभागीय कर्मचारी; (iii) प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण; (iv) रिपोर्टिंग उपयोगकर्ता; (v) प्रशासक और (vi) सभी स्टाफ सदस्यों, को प्रशिक्षण प्रदान करना था। उपयोगकर्ता समूह संख्या 5 के अंतर्गत, विभाग को तकनीकी पहलुओं का प्रबंध करने के लिए कर्मचारियों को नामित करना था।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि करार में निर्दिष्ट अनुसार प्रमुख प्रौद्योगिकी कार्मिकों को आवश्यक प्रशिक्षण/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रदान नहीं किए गए थे। प्रशिक्षण के पर्याप्त अभाव के कारण, विभाग समस्या निवारण के अलावा डेटाबेस, नेटवर्क और सर्वर प्रबंधन के लिए लगातार सिस्टम इंटीग्रेटर पर निर्भर रहा।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया (मई 2025) कि व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। हालांकि, डेटाबेस प्रबंधन, नेटवर्क और सर्वर प्रबंधन, समस्या निवारण आदि जैसे कार्यों को संभालने के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों के बारे में विवरण प्रदान नहीं किया गया।

2.11.3 व्यवसाय निरंतरता योजना, आपदा वसूली योजना और सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा

हरियाणा राज्य में सूचना/साइबर सुरक्षा के मामलों के समाधान के लिए राज्य की शीर्ष सूचना प्रौद्योगिकी समिति द्वारा सूचना सुरक्षा प्रबंधन कार्यालय (आई.एस.एम.ओ.) का गठन किया गया था। सूचना सुरक्षा प्रबंधन कार्यालय ने किसी भी आपदा के मामले में सेवाओं को समय पर फिर से शुरू करने के लिए हरियाणा राज्य में लागू सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों से संबंधित/संभालने वाले संगठन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहीत सूचना के डेटा बैकअप और रिकवरी प्रबंधन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणालियों को निर्धारित करते हुए एक डेटा बैकअप और रिकवरी प्रबंधन नीति प्रकाशित की थी। नीति में यह भी प्रावधान है कि उपलब्ध सूचना की संवेदनशीलता के आधार पर बैकअप आवृत्ति को परिभाषित किया जाना चाहिए, तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सूचना को पुनर्स्थापित किया जा सकता है और पुनर्स्थापना संबंधी बाधाओं की पहचान करने के लिए बैकअप का नियमित रूप से परीक्षण किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में उपलब्ध सूचना की सुरक्षा के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को निर्धारित करने वाली व्यवसाय निरंतरता और आपदा वसूली योजना विभाग द्वारा तैयार नहीं की गई थी। दस्तावेज पुनर्प्राप्ति योजना के अभाव में, महत्वपूर्ण विभागीय डेटा प्रणाली की विफलता या हार्डवेयर की खराबी के दौरान डेटा के नुकसान या भ्रष्टाचार के प्रति संवेदनशील रहता है।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया (मई 2025) कि व्यवसाय निरंतरता - आपदा वसूली ड्रिल तिमाही आधार पर आयोजित की जाती है और सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा प्रस्तुत व्यवसाय निरंतरता योजना का पालन किया जाता है। तथापि, विभाग द्वारा उपर्युक्त नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई व्यवसाय निरंतरता योजना/आपदा वसूली योजना उपलब्ध नहीं कराई गई। व्यवसाय निरंतरता योजना/आपदा वसूली योजना के अंतर्गत किए गए ड्रिल का न तो कोई अभिलेख रखा गया और न ही ऐसे अभ्यासों के दौरान देखी गई किसी भी कमी का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया।

2.11.4 सुरक्षा लेखापरीक्षा/साइबर सुरक्षा

हरियाणा राज्य में सूचना/साइबर सुरक्षा के मामलों के समाधान के लिए, सूचना सुरक्षा प्रबंधन कार्यालय की एप्लीकेशन सुरक्षा लेखापरीक्षा नीति के अनुसार, हरियाणा राज्य डोमेन के भीतर प्रत्येक एप्लीकेशन की सार्वजनिक होस्टिंग से पहले सूचना सुरक्षा प्रबंधन कार्यालय या भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सी.ई.आर.टी.-इन) में सूचीबद्ध सूचना सुरक्षा लेखापरीक्षा संगठन के माध्यम से लेखापरीक्षा की जानी अपेक्षित होगी।

लेखापरीक्षा ने विभाग द्वारा की गई सुरक्षा लेखापरीक्षा का विवरण मांगा। तथापि, लेखापरीक्षा को कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया था।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया (मई 2025) कि एप्लिकेशन के सक्रिय से पहले (2018) व्यापक सुरक्षा लेखापरीक्षा की गई थी। हालांकि, सुरक्षा लेखापरीक्षा रिपोर्ट और सक्रिय होने के बाद से छः वर्षों के दौरान की गई किसी भी अनुवर्ती लेखापरीक्षा की प्रतिलिपि लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

2.12 निष्कर्ष

₹ 104.86 करोड़ की लागत से क्रियान्वित हरियाणा ई-वाणिज्यिक कर प्रणाली सेवा संबंधी कमियों से ग्रस्त थी, जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्षमताओं का प्रावधान न होना, सरकार के वित्तीय हितों को सुरक्षा देने हेतु अपर्याप्त नियंत्रण और गलत रिपोर्टिंग/डायवर्जन आदि के जोखिमों को रोकने के लिए त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग। विभाग सूचना प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन पर उचित पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन करने में विफल रहा। यह प्रणाली राज्य की आबकारी नीतियों और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की आवश्यकताओं द्वारा परिभाषित पारदर्शिता, दक्षता और उत्तरदायित्व के स्थापित उद्देश्यों के साथ पूरी तरह से संरेखित नहीं थी। प्रणाली में सभी प्रकार के लाइसेंसों को संसाधित करने के लिए एंड-टू-एंड कार्यक्षमता के अभाव के कारण, खुदरा दुकानों के अलावा अन्य लाइसेंसों के जारी/नवीनीकृत होने की स्थिति में उपयोगकर्ता की गतिविधियों के संपूर्ण ऑडिट ट्रेल की समीक्षा या निगरानी नहीं की जा सकी। परिणामस्वरूप, कंप्यूटरीकरण परियोजना के तहत परिकल्पित सेवा वितरण दक्षता में सुधार का आकलन नहीं किया जा सका। इस निर्बाध प्रक्रिया को सरकारी खाते में सहभागिता फीस और बयाना राशि जमा के रूप में प्राप्त धन की छूट के लिए तैयार नहीं किया गया था। लाइसेंस प्रदान करने से पहले विभागीय प्राधिकारियों द्वारा समीक्षा के लिए ब्लैक लिस्ट किए गए शराब लाइसेंसधारकों का संग्रह बनाने की सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। शराब की दुकानों की जियो-टैगिंग के अभाव में,

आबकारी नीतियों में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने की क्षमता कम हो जाती है। प्रणाली में विभाग द्वारा जारी सभी प्रकार के शराब लाइसेंसों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए कार्यक्षमता का अभाव है।

शराब उत्पादन प्रक्रिया पर निगरानी रखने तथा निर्दिष्ट प्रयोगशालाओं को भेजे गए शराब के नमूनों के संबंध में रासायनिक परीक्षण परिणामों को दर्ज करने के लिए विभाग द्वारा निर्धारित विभिन्न प्रकार के रजिस्टरों के डिजिटलीकरण की सुविधा के लिए प्रणाली में कार्याक्षमताएं नहीं पाई गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही शराब प्रेषित की गई थी।

स्वचालित कार्यक्षमताओं के अभाव में स्टॉक हस्तांतरण फीस, शराब का कोटा कम उठाने, निरीक्षण/अपील आदि के कारण पेनल्टी की गणना की प्रक्रिया मैन्युअल बनी रही। प्रणाली में आबकारी शुल्कों की गलत गणना जैसे बोतलबंदी फीस, निर्यात शुल्क, अतिरिक्त आबकारी शुल्क आदि के कमजोर अनुपयोग नियंत्रणों के कारण होती है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के राजकोष को वित्तीय हानि हुई। प्रणाली में स्वीकृत समूह-वार शराब स्टॉक के साथ होलोग्राम श्रृंखला की मैपिंग करने की कार्यक्षमता का अभाव था।

ईएनए की निकासी हेतु परमिट/पास के अनुमोदन की प्रक्रिया स्वचालित नहीं थी। अपर्याप्त नियंत्रणों के कारण, संबंधित परमिटों में अनुमोदित मात्रा से अधिक शराब की निकासी और निरस्त किए गए परमिटों के विरुद्ध आबकारी शुल्क पास के अनुमोदन को रोकने में विफलता रही।

भुगतान मॉड्यूल में पर्याप्त सत्यापन नियंत्रणों के अभाव के कारण ट्रेजरी चालानों के लिए एक ही सरकारी राजस्व नंबर को कई बार स्वीकार किया गया, ई-ग्रास पोर्टल पर दर्ज मूल्य से भिन्न मूल्य वाले ट्रेजरी चालानों को स्वीकार किया गया, तथा ई-ग्रास पोर्टल पर लंबित स्थिति वाले चालानों के विरुद्ध क्रेडिट की अनुमति दी गई। महत्वपूर्ण ट्रांजेक्शन तालिकाओं में मिसिंग रिकॉर्ड, ट्रांजेक्शन डेटा में अन्य विसंगतियां और ऐतिहासिक सूचना की कमी प्रणाली की विश्वसनीयता से समझौता करती है। इसी प्रकार, डेटा प्रतिधारण नीति/प्रशिक्षण के किसी भी दस्तावेजीकरण की अनुपस्थिति ने भी डेवलपर पर निर्भरता बढ़ा दी। प्रणाली की विफलताओं या सुरक्षा उल्लंघनों के मामले में विभाग के पास व्यवसाय निरंतरता/आपदा वसूली योजनाएं नहीं थी।

2.13 सिफारिशें

सरकार निम्नलिखित पर विचार करे:

1. *निम्नलिखित कार्यों के लिए कार्यक्षमताएं शुरू करना/पूर्ण स्वचालन लागू करना*

   (i) *विभाग द्वारा जारी की जाने वाली शराब लाइसेंसों की सभी श्रेणियों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया;*

   (ii) *सरकारी खाते में सहभागिता फीस और बयाना राशि का समय पर जमा किया जाना;*

(iii) *एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और शराब से संबंधित अन्य परमिट/पास जारी करने के लिए अनुमोदन कार्यप्रवाह;*

(iv) *कम मात्रा में स्टॉक उठाने, स्टॉक अंतरण फीस, निरीक्षण अपीलों आदि के लिए जुर्माने की गणना करना*

2. *ब्लैकलिस्ट किए गए शराब लाइसेंसधारकों का एक केंद्रीकृत डिजिटल रिपॉजिटरी विकसित करना ताकि लाइसेंस जारी करते समय उस तक रियल-टाइम पहुंच सुनिश्चित हो सके और नीति अनुपालन की निगरानी तथा क्षेत्रीय स्तर पर ट्रैकिंग को बेहतर बनाने के लिए शराब की दुकानों की जियो-टैगिंग शुरू करना।*

3. *अनिवार्य रजिस्टरों के डिजिटल रखरखाव के लिए मॉड्यूल शामिल करना और यह सुनिश्चित करना कि रासायनिक विश्लेषण के परिणाम डिस्पैच की अनुमतियों से जुड़े हों।*

4. *राजस्व की हानि से बचने के लिए उद्ग्रहण गणना (जैसे बोतलबंदी फीस, निर्यात शुल्क) में गलतियां उत्पन्न करने वाली तर्क संबंधी त्रुटियों को दूर करना, ऐतिहासिक अभिलेखों को सुरक्षित रखना और ट्रांजेक्शन डेटा के गायब होने या उसमें बदलाव को रोकने के लिए एक सुदृढ़ लॉगिंग प्रणाली स्थापित करना।*

5. *सिस्टम दस्तावेजों और मैनुअल की तैयारी एवं रखरखाव, जिसमें प्रशिक्षण मैनुअल शामिल हो, और सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा नीति, आपदा प्रबंधन तथा व्यावसायिक निरंतरता योजना तैयार करना।*

6. *विभाग, सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा लागू की गई सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की कमियों से सीखते हुए, किसी भी नई परिकल्पित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में निम्नलिखित बातों पर विचार कर सकता है:-*

(i) उपयोगकर्ता आवश्यकता विनिर्देशों में राज्य आबकारी शुल्क/आबकारी नीतियों से संबंधित सभी सरकारी नियमों एवं विनियमों को शामिल किया जाना चाहिए और उन्हें कार्यात्मक आवश्यकता विनिर्देश के साथ पूरी तरह से मैप किया जाना चाहिए। किसी भी नई प्रणाली को पूर्ण उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण और पूरी तरह से प्रलेखित अनुमोदन प्रक्रियाओं के बाद ही लाइव किया जाना चाहिए।

(ii) विभाग, किसी भी नई सूचना पौद्योगिकी प्रणाली के लिए, विभागीय अधिकारियों की एक कार्यान्वयन-पश्चात समीक्षा समिति का गठन करे ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या सूचना पौद्योगिकी प्रणाली विभागीय व्यावसायिक नियमों द्वारा अनिवार्य सभी कार्यक्षमताओं को पूरी तरह से समाहित करती है। समिति को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी कार्यक्षमताओं के लिए उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण विधिवत रूप से आयोजित किए गए हों और विभाग द्वारा अनुमोदित किए गए हों।

(iii) नई सूचना पौद्योगिकी प्रणाली में किसी भी गंभीर दोष जैसे कि आवश्यक कार्यक्षमताओं का प्रावधान न होना, अपर्याप्त इनपुट/प्रसंस्करण नियंत्रण, अपर्याप्त एम.आई.एस. और डी.एस.एस. क्षमताएं, रेड-फ्लैगिंग/समय पर अलर्ट जनरेशन, अपर्याप्त साइबर सुरक्षा आदि के लिए जवाबदेही लागू करने हेतु सिस्टम इंटीग्रेटर और संबंधित विभाग के अधिकारियों की संयुक्त जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

(आशुतोष शर्मा)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा

चंडीगढ़
दिनांक: 23 जुलाई 2026

प्रतिहस्ताक्षरित

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 05 अगस्त 2026

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.4; पृष्ठ 3)

सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा के दौरान चयनित विभागों और निविदा आमंत्रित करने वाली एजेंसियों की सूची

क्र.सं.	विभाग का नाम	क्र.सं.	चयनित निविदा आमंत्रण एजेंसी का नाम
1	**शहरी स्थानीय निकाय**	1	नगर निगम गुरुग्राम
		2	नगर निगम सोनीपत
		3	नगर निगम करनाल
		4	नगर परिषद चरखी दादरी
2	**लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग**	5	कार्यकारी अभियंता मैकेनिकल हिसार
		6	कार्यकारी अभियंता पीडी रेवाड़ी
		7	अधीक्षण अभियंता रेवाड़ी
		8	कार्यकारी अभियंता पीडी-1 सिरसा
3	**जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी)**	9	रेवाड़ी (जीडब्ल्यूआई) पीएचईडी
		10	मंडी डबवाली पीएचईडी
		11	अंबाला पीएचईडी
		12	हिसार पीएचईडी संख्या 2
4	**उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड**	13	अधीक्षण अभियंता संचालन करनाल सैक्टर 12
		14	एमएम (सामग्री प्रबंधन) सैक्टर 14 पंचकुला
		15	एक्सईएन पी II (एमएम का हिस्सा)
		16	एक्सईएन टीआरडब्ल्यू ट्रांसफर रिपेयर वर्कशॉप अंबाला धूलकोट
5	**हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण**	17	गुरुग्राम मंडल V
		18	मंडल इलेक्ट्रिक पंचकुला
		19	फरीदाबाद मंडल I
		20	फरीदाबाद मंडल III
6	**हरियाणा पुलिस आवास निगम**	21	हरियाणा पुलिस आवास निगम
7	**चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय**	22	जनरल ब्रांच यूएचएसआर
		23	निदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान
8	**हरियाणा परिवहन विभाग**	24	हरियाणा परिवहन
9	**हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड**	25	एचएफडीसीएल, कुरुक्षेत्र
10	**राज्य चुनाव आयोग हरियाणा**	26	राज्य चुनाव आयोग हरियाणा

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.2.4; पृष्ठ 14)

बोली प्रस्तुत करने के लिए दिए गए कम समय को दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	निविदा आमंत्रण एजेंसी का नाम	कार्य मद संदर्भ संख्या	निविदा मूल्य	बोली प्रस्तुत करने की आरंभ तिथि	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	बोली प्रस्तुत करने के लिए दिया गया समय (दिन और घंटों में)
1	एचएफडीसी, कुरुक्षेत्र	2019_HBC_102655_1	32,00,000	07 सितंबर 2019, 18:00	13 सितंबर 2019, 09:00	5 दिन और 15 घंटे
2	एचएफडीसी, कुरुक्षेत्र	2020_HBC_123043_1	50,00,000	09 मार्च 2020, 17:45	16 मार्च 2020, 17:00	6 दिन और 23 घंटे
3	एचएफडीसी, कुरुक्षेत्र	2020_HBC_124966_2	60,00,000	14 मई 2020, 09:10	20 मई 2020, 17:00	6 दिन और 08 घंटे
4	एचएफडीसी, कुरुक्षेत्र	2020_HBC_129445_1	25,00,000	23 मई 2020, 13:10	28 मई 2020, 17:00	5 दिन और 4 घंटे
5	एचएफडीसी, कुरुक्षेत्र	2021_HBC_172898_2	80,00,000	01 जून 2021, 09:10	07 जून 2021, 09:00	6 दिन
6	एचएफडीसी, कुरुक्षेत्र	2021_HBC_172931_2	80,00,000	01 जून 2021, 09:10	07 जून 2021, 09:00	6 दिन
7	एचएफडीसी, कुरुक्षेत्र	2021_HBC_172937_1	80,00,000	26 मई 2021, 09:00	31 मई 2021, 10:30	5 दिन और 2 घंटे
8	एचएफडीसी, कुरुक्षेत्र	2021_HBC_172939_5	19,00,000	19 जुलाई 2021, 18:40	26 जुलाई 2021, 17:00	6 दिन और 22 घंटे
9	एचएफडीसी, कुरुक्षेत्र	2021_HBC_197247_1	5,50,000	24 नवंबर 2021, 15:40	29 नवंबर 2021, 17:00	5 दिन और 01 घंटा
10	एचएफडीसी, कुरुक्षेत्र	2022_HBC_211300_3	25,00,000	22 मार्च 2022, 18:10	28 मार्च 2022, 10:00	5 दिन और 16 घंटे
11	मंडल विद्युत., एचएसवीपी, पंचकुला	2019_HBC_77149_1	3,40,000	06 मार्च 2019, 17:00	13 मार्च 2019, 10:00	6 दिन और 17 घंटे
12	मंडल विद्युत., एचएसवीपी, पंचकुला	2021_HBC_155391_1	31,40,000	06 जनवरी 2021, 17:00	13 जनवरी 2021, 10:00	6 दिन और 17 घंटे
13	मंडल विद्युत., एचएसवीपी, पंचकुला	2021_HBC_155429_1	2,00,000	06 जनवरी 2021, 17:00	13 जनवरी 2021, 10:00	6 दिन और 17 घंटे
14	मंडल विद्युत., एचएसवीपी, पंचकुला	2021_HBC_183368_1	6,18,90,000	13 अगस्त 2021, 11:00	19 अगस्त 2021, 10:00	5 दिन और 23 घंटे
15	मंडल अंबाला, पीएचईडी	2022_HRY_209896_1	19,69,604	28 फरवरी 2022, 17:30	07 मार्च 2022, 15:00	6 दिन और 22 घंटे
16	मंडल अंबाला, पीएचईडी	2022_HRY_226526_1	16,74,659	20 जून 2022, 16:10	27 जून 2022, 15:00	6 दिन और 23 घंटे
17	मंडल अंबाला, पीएचईडी	2022_HRY_229167_1	20,99,870	07 जुलाई 2022, 17:50	14 जुलाई 2022, 15:00	6 दिन और 21 घंटे
18	मंडल अंबाला, पीएचईडी	2023_HRY_255248_1	32,52,822	24 जनवरी 2023, 17:50	31 जनवरी 2023, 15:00	6 दिन और 21 घंटे
19	मंडल अंबाला, पीएचईडी	2023_HRY_263827_1	41,52,568	09 मार्च 2023, 10:20	15 मार्च 2023, 15:00	6 दिन और 05 घंटे
20	मंडल 2, पीएचईडी, हिसार	2021_HRY_180518_1	1,68,28,000	22 जुलाई 2021, 15:00	28 जुलाई 2021, 14:00	5 दिन और 23 घंटे
21	मंडल 2, पीएचईडी, हिसार	2021_HRY_196041_2	1,64,28,000	01 दिसंबर 2021, 18:00	07 दिसंबर 2021, 14:00	5 दिन और 20 घंटे
22	मंडल 2, पीएचईडी, हिसार	2021_HRY_198120_1	2,70,17,000	01 दिसंबर 2021, 18:00	07 दिसंबर 2021, 14:00	5 दिन और 20 घंटे
23	मंडल 2, पीएचईडी, हिसार	2021_HRY_201808_2	2,00,77,000	04 जनवरी 2022, 18:00	10 जनवरी 2022, 14:00	5 दिन और 20 घंटे
24	मंडल 2, पीएचईडी, हिसार	2022_HRY_207066_1	6,22,46,000	08 फरवरी 2022, 18:00	14 फरवरी 2022, 14:00	5 दिन और 20 घंटे
25	मंडल 2, पीएचईडी, हिसार	2022_HRY_207431_1	6,05,72,000	09 फरवरी 2022, 18:00	15 फरवरी 2022, 14:00	5 दिन और 20 घंटे
26	मंडल 2, पीएचईडी, हिसार	2022_HRY_210030_1	4,06,09,384	02 मार्च 2022, 18:00	09 मार्च 2022, 14:00	6 दिन और 20 घंटे
27	मंडल मंडी डबवाली, पीएचईडी	2019_HRY_83392_1	1,16,97,393	29 जून 2019, 15:00	08 जुलाई 2019, 15:00	8 दिन
28	मंडल मंडी डबवाली, पीएचईडी	2019_HRY_85888_1	1,08,09,834	11 जुलाई 2019, 15:15	22 जुलाई 2019, 15:00	11 दिन
29	मंडल मंडी डबवाली, पीएचईडी	2019_HRY_94274_1	3,10,47,235	14 अगस्त 2019, 18:10	26 अगस्त 2019, 15:00	11 दिन और 21 घंटे
30	मंडल मंडी डबवाली, पीएचईडी	2019_HRY_95955_1	1,07,52,341	20 अगस्त 2019, 16:45	30 अगस्त 2019, 15:00	9 दिन और 22 घंटे
31	मंडल मंडी डबवाली, पीएचईडी	2019_HRY_97096_1	1,90,92,237	23 अगस्त 2019, 15:10	02 सितंबर 2019, 15:00	10 दिन
32	मंडल मंडी डबवाली, पीएचईडी	2021_HRY_174914_3	4,26,06,348	02 अगस्त 2021, 17:00	12 अगस्त 2021, 15:00	9 दिन और 22 घंटे
33	मंडल मंडी डबवाली, पीएचईडी	2021_HRY_195008_1	1,43,09,890	10 नवंबर 2021, 15:00	22 नवंबर 2021, 15:00	12 दिन
34	मंडल मंडी डबवाली, पीएचईडी	2022_HRY_215440_3	1,83,57,295	07 मई 2022, 15:00	17 मई 2022, 15:00	10 दिन
35	मंडल मंडी डबवाली, पीएचईडी	2022_HRY_231659_3	61,92,17,403	14 अक्तूबर 2022, 13:00	26 अक्तूबर 2022, 13:00	12 दिन
36	मैकेनिकल डिवीजन, पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), हिसार	2019_HRY_82154_1	6,38,000	25 जून 2019, 10:00	01 जुलाई 2019, 17:00	6 दिन और 07 घंटे
37	मैकेनिकल डिवीजन, पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), हिसार	2020_HRY_147729_1	5,78,000	17 अक्तूबर 2020, 09:00	30 अक्तूबर 2020, 17:00	13 दिन और 08 घंटे
38	मैकेनिकल डिवीजन, पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), हिसार	2021_HRY_160784_2	14,72,000	17 मार्च 2021, 10:00	24 मार्च 2021, 17:00	7 दिन और 07 घंटे

क्र. सं.	निविदा आमंत्रण एजेंसी का नाम	कार्य मद संदर्भ संख्या	निविदा मूल्य	बोली प्रस्तुत करने की आरंभ तिथि	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	बोली प्रस्तुत करने के लिए दिया गया समय (दिन और घंटों में)
39	मैकेनिकल डिवीजन, पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), हिसार	2022_HRY_205542_1	5,19,654	28 जनवरी 2022, 10:00	03 फरवरी 2022, 17:00	6 दिन और 7 घंटे
40	मैकेनिकल डिवीजन, पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), हिसार	2022_HRY_205696_1	40,52,000	28 जनवरी 2022, 12:00	03 फरवरी 2022, 17:00	6 दिन और 05 घंटे
41	मैकेनिकल डिवीजन, पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), हिसार	2022_HRY_211299_1	8,27,000	10 मार्च 2022, 10:00	21 मार्च 2022, 17:00	11 दिन और 07 घंटे
42	मैकेनिकल डिवीजन, पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), हिसार	2022_HRY_216302_1	3,60,000	09 अप्रैल 2022, 10:00	15 अप्रैल 2022, 17:00	6 दिन और 07 घंटे
43	मैकेनिकल डिवीजन, पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), हिसार	2022_HRY_220286_1	4,01,578	10 मई 2022, 10:00	16 मई 2022, 17:00	6 दिन और 07 घंटे
44	मैकेनिकल डिवीजन, पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), हिसार	2022_HRY_233575_1	8,96,015	10 अगस्त 2022, 17:00	16 अगस्त 2022, 17:00	6 दिन
45	नगर परिषद चरखी दादरी	2018_HRY_71474_3	7,80,000	27 अक्तूबर 2018, 17:00	02 नवंबर 2018, 17:00	6 दिन
46	नगर परिषद चरखी दादरी	2018_HRY_71475_10	27,90,000	27 अक्तूबर 2018, 17:00	02 नवंबर 2018, 17:00	6 दिन
47	नगर परिषद चरखी दादरी	2020_HRY_127740_1	5,66,000	06 मई 2020, 14:00	12 मई 2020, 14:00	6 दिन
48	नगर परिषद चरखी दादरी	2022_HRY_242129_1	24,25,334	04 अक्तूबर 2022, 18:00	10 अक्तूबर 2022, 17:00	5 दिन और 23 घंटे
49	नगर निगम गुरुग्राम	2019_HRY_85281_1	33,02,931	08 जुलाई 2019, 09:10	13 जुलाई 2019, 17:00	5 दिन 08 घंटे
50	नगर निगम गुरुग्राम	2019_HRY_94101_1	46,29,504	14 अगस्त 2019, 09:10	19 अगस्त 2019, 12:00	5 दिन और 03 घंटे
51	नगर निगम गुरुग्राम	2021_HRY_181301_1	16,00,00,000	28 जुलाई 2021, 10:55	03 अगस्त 2021, 17:00	6 दिन और 06 घंटे
52	नगर निगम गुरुग्राम	2022_HRY_234618_1	41,30,526	18 अगस्त 2022, 09:00	24 अगस्त 2022, 12:00	6 दिन और 03 घंटे
53	नगर निगम गुरुग्राम	2022_HRY_245412_1	24,78,270	12 नवंबर 2022, 12:00	18 नवंबर 2022, 12:00	6 दिन
54	नगर निगम करनाल	2019_HRY_103931_1	2,39,00,000	12 सितंबर 2019, 17:00	19 सितंबर 2019, 15:00	6 दिन और 22 घंटे
55	नगर निगम करनाल	2020_HRY_138655_2	54,00,000	07 अगस्त 2020, 09:00	13 अगस्त 2020, 17:00	6 दिन और 08 घंटे
56	नगर निगम करनाल	2021_HRY_182028_1	24,62,000	03 अगस्त 2021, 09:00	09 अगस्त 2021, 17:00	6 दिन और 08 घंटे
57	नगर निगम करनाल	2022_HRY_236506_1	10,00,000	27 अगस्त 2022, 15:00	01 सितंबर 2022, 17:00	5 दिन और 02 घंटे

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.4.7; पृष्ठ 27)

निविदाएं जहां बोलीदाताओं को तकनीकी रूप से अस्वीकार कर दिया गया था लेकिन निर्धारित समय से पहले वित्तीय पैकेट खोले गए थे

क्र.सं.	निविदा आमंत्रण एजेंसी का नाम	निविदा आईडी	टिप्पणियां
1	पीएचईडी डिवीजन I अंबाला	2021_HRY_157349_1	विवेकहीन अस्वीकृति
2		2020_HRY_152811_1	विवेकहीन अस्वीकृति
3		2021_HRY_180588_1	विवेकहीन अस्वीकृति
4		2021_HRY_180603_1	विवेकहीन अस्वीकृति
5		2021_HRY_164654_1	सूचीबद्धता दस्तावेज़ की वैधता समाप्त हो चुकी थी।
6		2021_HRY_179986_1	सूचीबद्धता दस्तावेज़ की वैधता समाप्त हो चुकी थी।
7	मैकेनिकल डिवीजन, पीडब्ल्यू (बी एंड आर), हिसार	2021_HRY_160784_2	निर्धारित समय से पहले वित्तीय बोलियां खोलने का कोई औचित्य रिकॉर्ड पर नहीं पाया गया था।
8		2020_HRY_147729_1	
9	पीडी, पीडब्ल्यू (बी एंड आर) रेवाड़ी	2019_HRY_79230_1	निर्धारित समय से पहले वित्तीय बोलियां खोलने का कोई औचित्य रिकॉर्ड पर नहीं पाया गया था।
10		2019_HRY_79189_1	
11		2019_HRY_79230_1	
12		2019_HRY_98921_1	
13		2019_HRY_98958_1	
14	डिवीजन I, एचएसवीपी, फरीदाबाद	2018_HBC_63769_1	निर्धारित समय से पहले वित्तीय बोलियां खोलने का कोई औचित्य रिकॉर्ड पर नहीं पाया गया था।
15		2022_HBC_243941_1	
16		2018_HBC_71857_1	
17	एचएफडीसी, कुरुक्षेत्र	2020_HBC_129445_1	दस्तावेज नोटरी से विधिवत सत्यापित नहीं करवाए गए।
18		2021_HBC_172937_1	ईपीएफ/ईएसआई संख्या स्पष्ट नहीं है।
19		2022_HBC_244523_1	उचित रूप से हस्ताक्षरित और मुहर नहीं लगाई गई। दस्तावेज अपठनीय।
20		2022_HBC_246866_1	दस्तावेज स्व-सत्यापित नहीं हैं।
21	नगर परिषद चरखी दादरी	2018_HRY_68352_1	निर्धारित समय से पहले वित्तीय बोलियां खोलने का कोई औचित्य रिकॉर्ड पर नहीं पाया गया था।
22		2018_HRY_68352_2	
23	नगर निगम गुरुग्राम	2019_HRY_80908_2	निर्धारित समय से पहले वित्तीय बोलियां खोलने का कोई औचित्य रिकॉर्ड पर नहीं पाया गया था।
24		2019_HRY_79739_2	
25		2019_HRY_110256_1	
26		2021_HRY_168726_1	
27	नगर निगम करनाल	2021_HRY_164864_1	निर्धारित समय से पहले वित्तीय बोलियां खोलने का कोई औचित्य रिकॉर्ड पर नहीं पाया गया था।
		2021_HRY_165454_1	
28		2019_HRY_108777_1	शपथपत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।
29		2019_HRY_109638_1	बोलीदाता भागीदारी के लिए पात्र नहीं था। इसलिए, अस्वीकार कर दिया गया।
31	नगर निगम सोनीपत	2021_HRY_179157_3	निर्धारित समय से पहले वित्तीय बोलियां खोलने का कोई औचित्य रिकॉर्ड पर नहीं पाया गया था।
32		2021_HRY_188632_1	

परिशिष्ट 1.4
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.9.1; पृष्ठ 29)
संदिग्ध मिलीभगत दर्शाने वाले मामलों की सूची

क्र. सं.	निविदा आमंत्रण एजेंसी का नाम	निविदाओं की संख्या	अनियमितता का विवरण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	**पीएचईडी, डिवीजन. II, हिसार**	33	केवल इन्हीं दो समान बोलीदाताओं[1] ने 33 निविदाओं में बहुत कम समय के अंतराल पर अपनी बोलियां जमा की।	इन 33 निविदाओं में से 30 निविदाएं, इन दोनों में से किसी एक को आवंटित की गई थी।
2		22	दो बोलीदाताओं[2] ने 22 निविदाओं में बहुत कम समय के अंतराल पर एक ही आईपी एड्रेस से अपनी बोलियां जमा की।	इन 22 निविदाओं में से 15 निविदाएं, इन दोनों में से किसी एक को आवंटित की गई थी।
3	**एचएफडीसी कुरुक्षेत्र**	9	तीन बोलीदाताओं[3] ने 9 निविदाओं में एक ही आईपी एड्रेस से और बहुत कम समय के अंतराल पर भाग लिया।	नौ में से आठ निविदाएं इन्हीं बोलीदाताओं में से एक को आवंटित की गई थी। कुरुक्षेत्र जिले की निविदा एक बोलीदाता को दी गई, जबकि कैथल जिले की निविदा दूसरे बोलीदाता को आवंटित की गई थी।
5	**नगर निगम करनाल**	30	दो बोलीदाताओं[4] ने 30 निविदाओं में एक आईपी एड्रेस से और बहुत कम समय के अंतराल पर भाग लिया, जिनमें से 25 निविदाएं उन्हें आवंटित की गई।	25 में से 16 निविदाएं, इन दोनों में से किसी एक को आवंटित की गई थी।
6		12	दो बोलीदाताओं[5] ने 12 निविदाओं में एक ही आईपी एड्रेस से और बहुत कम समय के अंतराल पर भाग लिया।	इन 12 निविदाओं में से 11 निविदाएं एक ही बोलीदाता, अर्थात द दरबा कलां शीला कोऑपरेटिव एल/सी सोसाइटी लिमिटेड को आवंटित की गई थी, जो यह दर्शाता है कि दूसरे बोलीदाता ने केवल एक सहायक बोलीदाता के रूप में भाग लिया था।
7	**जीडब्ल्यूआई पीएचईडी रेवाड़ी**	32	दो बोलीदाताओं[6] ने 32 निविदाओं में एक ही आईपी एड्रेस से और बहुत कम समय के अंतराल पर भाग लिया।	32 में से 29 निविदाएं इन दो बोलीदाताओं (Bidders) में से ही किसी एक को आवंटित की गई थी। इसके अतिरिक्त, 27 निविदाओं में केवल इन्हीं दो बोलीदाताओं ने भाग लिया था। जिन दरों पर ये निविदाएं आवंटित की गई, वे डीएनआईटी दरों से 69 प्रतिशत तक अधिक थी।
8		17	दो बोलीदाताओं[7] ने एक आईपी एड्रेस से और बहुत कम समय के अंतराल पर 17 निविदाओं में भाग लिया, जिनमें से 12 निविदाएं उन्हें आवंटित की गई।	12 में से तीन निविदाएं इन दोनों में से किसी एक को आवंटित की गई थी। निविदाएं, निविदा अनुमानित मूल्य से 39 प्रतिशत तक अधिक दरों पर आवंटित की गई।
9	**नगर निगम, फरीदाबाद**	202	दो बोलीदाताओं[8] ने 202 निविदाओं में भाग लिया, जिनमें से अधिकांश में एक ही आईपी एड्रेस और बहुत कम समय के अंतराल का उपयोग किया गया। चयनित निविदा फाइलों 2022_HRY_238912_1 और 2022_HRY_239374_1 की नमूना-जांच के दौरान, बोलीदाताओं के दस्तावेजों में कोई अन्य समानता नहीं पाई गई।	202 निविदाओं में से 67 निविदाएं इन्हीं दो बोलीदाताओं को आवंटित की गई थी।
10	**पीएचईडी, नारनौल**	585	दो बोलीदाताओं[9] ने मिलकर 103 निविदाओं (Tenders) में अपनी बोलियां जमा की और उनमें कोई अन्य बोलीदाता शामिल नहीं हुआ। इन सभी मामलों में, बोलीदाता आईडी 26756 ने बोलीदाता आईडी 26780 की तुलना में लगातार ऊँची दरें उद्धृत की थी। संपूर्ण डेटा के विश्लेषण से आगे यह पता चला कि इन दोनों बोलीदाताओं ने पूरे हरियाणा में कुल 585 निविदाओं में एक साथ बोलियां जमा की और 525 निविदाओं में केवल वे ही भागीदार थे। 567 निविदाओं में वित्तीय बोलियां खोली गई, जिनमें से बोलीदाता आईडी 26780 ने 562 निविदाओं में कम दरें उद्धृत की थी, जबकि बोलीदाता आईडी 26756 ने केवल पांच निविदाओं में कम दरें उद्धृत की थी।	इन बोलीदाताओं द्वारा हरियाणा में डाली गई 585 निविदाओं में से, 290 निविदाएं आईडी 26780 को और 04 निविदाएं आईडी 26756 को आवंटित की गई। इसके अतिरिक्त, दोनों बोलीदाताओं की लॉगिन आईडी में उल्लेखनीय समानताएं देखी गई। गोयल कंस्ट्रक्शन कंपनी की लॉगिन आईडी 'jbcc164@gmail.com' थी, जहां संक्षिप्त नाम 'JBCC' जय भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी के संदर्भ का सुझाव देता है। इसके विपरीत, जय भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी की लॉगिन आईडी 'ggoyalkrishan@yahoo.com' थी, जिसमें 'Goyal' कीवर्ड शामिल है।

1 मुरारी लाल और स्पाइडर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी सर्विसेज (पी) लिमिटेड।
2 मुरारी लाल और पवन कुमार ठेकेदार।
3 शर्मा ट्रेडिंग कंपनी पाला राम, महेंद्र ट्रेडिंग कंपनी और वन सहकारी श्रम और निर्माण सोसायटी लिमिटेड डिडवाड़ा।
4 श्री विकास शर्मा और श्री रुद्र मणि शर्मा ठेकेदार।
5 सिरसा बंसिवट कोऑपरेटिव एलसी सोसाइटी लिमिटेड और दरबा कलां शीला कोऑपरेटिव एल/सी सोसाइटी लिमिटेड।
6 धरेश्वर बोरवेल नारनौल और रवि कुमार ठेकेदार।
7 मोती राम और कृंकी खेरली कोऑपरेटिव एल/सी सोसायटी।
8 प्रवीण कुमार ठेकेदार और एमएल इंटरप्राइजिज।
9 जय भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी (बिडर आईडी 26780) और गोयल कंस्ट्रक्शन कंपनी बिडर आईडी 26756

परिशिष्ट 1.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.10.1 (i); पृष्ठ 35)

पोर्टल के अनुसार प्रक्रियाधीन भौतिक फाइलों के अनुसार निविदाओं की स्थिति

क्र.सं.	निविदा आमंत्रण एजेंसी का नाम	निविदा आईडी	एओसी की वास्तविक तिथि/निविदा स्थिति
1	मंडल संख्या 1, पीएचईडी, अंबाला	2022_HRY_246001_1	14 दिसंबर 2022
2		2022_HRY_248347_1	21 दिसंबर 2022
3	जीडब्ल्यूआई, पीएचईडी, रेवाड़ी	2022_HRY_246667_1	15 मई 2023
4	मंडल II, पीएचईडी, हिसार	2021_HRY_177075_1	19 जुलाई 2021
5	मैकेनिकल डिवीजन, पीडब्ल्यू	2019_HRY_82154_1	30 जुलाई 2019
6	(बी एंड आर), हिसार	2021_HRY_160784_2	09 जून 2021
7	पीडब्ल्यू (बी एंड आर), रेवाड़ी सर्कल	2019_HRY_94743_1	17 सितंबर 2019
8	पीडी मंडल, पीडब्ल्यू	2019_HRY_79189_1	29 अगस्त 2019
9	(बी एंड आर), रेवाड़ी	2023_HRY_266086_1	28 अगस्त 2023
10		2019_HRY_93946_1	25 नवंबर 2019
11		2019_HRY_79230_1	02 अगस्त 2019
12		2019_HRY_98921_1	17 सितंबर 2019
13		2019_HRY_98958_1	24 फरवरी 2020
14		2019_HRY_92113_1	14 सितंबर 2019
15	पीडी मंडल, पीडब्ल्यू	2019_HRY_79451_1	02 अगस्त 2019
16	(बी एंड आर), सिरसा	2019_HRY_79454_1	19 अगस्त 2019 (लेखापरीक्षा के दौरान अद्यतन पाई गई)
17	मंडल I, एचएसवीपी, फरीदाबाद	2018_HBC_63769_1	07 जून 2018
18		2018_HBC_67889_1	20 अगस्त 2018
19		2018_HBC_72121_1	12 दिसंबर 2018
20	मंडल V, एचएसवीपी, गुरुग्राम	2019_HBC_92149_1	20 सितंबर 2019
21	मंडल III, एचएसवीपी, फरीदाबाद	2019_HBC_74418_1	14 जून 2019
22		2021_HBC_182409_1	21 सितंबर 2021
23		2022_HBC_243941_1	23 दिसंबर 2022
24	डीएमईआर, पंचकुला	2022_HRY_244763_1	निविदा निरस्त (लेखापरीक्षा के दौरान अद्यतन पाई गई)
25		2022_HRY_244790_1	
26		2021_HRY_171168_1	14 जुलाई 2021
27		2022_HRY_225788_1	28 जुलाई 2022
28		2021_HRY_196877_1	(निविदा को अंतिम रूप नहीं दिया गया है)
29	स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक	2021_HRY_192207_1	18 नवंबर 2021
30	नगर परिषद चरखी दादरी	2019_HRY_76833_1	04 दिसंबर 2019
31		2019_HRY_76580_1	11 सितंबर 2019
32	नगर निगम करनाल	2022_HRY_236510_1	19 अक्तूबर 2022
33	नगर निगम सोनीपत	2019_HRY_93283_1	24 फरवरी 2020
34		2019_HRY_100900_1	07 फरवरी 2020
35	एक्सईएन टीआरडब्ल्यू, धूलकोट यूएचबीवीएन	2019_HBC_89564_1	25 अक्तूबर 2019
36		2020_HBC_129310_1	17 अगस्त 2020
37		2022_HBC_240358_1	23 जनवरी 2023
38	अधीक्षण अभियंता (संचालन), यूएचबीवीएन,	2019_HBC_112955_1	12 मई 2020
39	करनाल	2020_HBC_117338_1	05 मार्च 2020
40		2022_HBC_211548_3	01 अगस्त 2022
41	डीजीएसटी हरियाणा, चंडीगढ़	2020_HRY_153960_1	29 सितंबर 2021
42		2018_HRY_71814_1	14 नवंबर 2022

परिशिष्ट 1.6
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.10.3; पृष्ठ 38)

बोली की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद अनुबंध दिए जाने या पोर्टल पर देरी से जानकारी अपडेट करने को दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	निविदा आमंत्रण एजेंसी का नाम	निविदा आईडी	तक वैध बोली	पोर्टल के अनुसार एओसी/अनुबंध तिथि	भौतिक फाइलों के अनुसार एओसी की वास्तविक तिथि	टिप्पणियां
1	डीएमईआर, पंचकुला	2020_HRY_138302_1	24 नवंबर 2020	25 जून 2021	22 फरवरी 2021	बोली की वैधता के बाद आवंटित किया गया
2		2021_HRY_157241_1	09 मई 2021	18 मई 2021	05 मई 2021	बोली की वैधता के अंदर आवंटित किया गया लेकिन पोर्टल पर देर से अपडेट किया गया
3		2021_HRY_171897_1	15 अगस्त 2021	23 नवंबर 2021	14 जुलाई 2021	
4		2021_HRY_181587_1	14 नवंबर 2021	10 अगस्त 2022	26 अगस्त 2021	
5	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2019_HBC_104064_1	30 दिसंबर 2019	17 मार्च 2020	19 मार्च 2020	बोली की वैधता के बाद आवंटित किया गया
6		2020_HBC_124214_1	20 जुलाई 2020	21 अगस्त 2020	14 सितंबर 2020	
7		2020_HBC_127646_1	17 अगस्त 2020	03 फरवरी 2021	09 फरवरी 2021	
8		2020_HBC_138686_3	05 जनवरी 2021	20 दिसंबर 2022	27 अक्तूबर 2020	बोली की वैधता के अंदर आवंटित किया गया लेकिन पोर्टल पर देर से अपडेट किया गया
9		2021_HBC_157289_1	28 अप्रैल 2021	20 दिसंबर 2022	12 फरवरी 2021	
10	जीडब्ल्यूआई मंडल, पीएचईडी, रेवाड़ी	2022_HRY_250402_1	26 अप्रैल 2023	04 मई 2023	04 मई 2023	बोली की वैधता के बाद आवंटित किया गया
11		2020_HRY_153680_1	07 जनवरी 2021	30 दिसंबर 2021	30 दिसंबर 2021	
12		2023_HRY_255816_1	08 मार्च 2023	13 अप्रैल 2023	12 अप्रैल 2023	
13		2023_HRY_252282_1	11 मार्च 2023	18 मार्च 2023	27 जनवरी 2023	बोली की वैधता के अंदर आवंटित किया गया लेकिन पोर्टल पर देर से अपडेट किया गया
14	विद्युत मंडल, एचएसवीपी, पंचकुला	2020_HBC_123384_1	19 अप्रैल 2020	12 सितंबर 2020	03 जून 2020	बोली की वैधता के बाद आवंटित किया गया
15		2022_HBC_231057_1	08 सितंबर 2022	28 सितंबर 2022	22 सितंबर 2022	
16		2021_HBC_163503_1	25 अप्रैल 2021	11 मई 2021	05 अप्रैल 2021	बोली की वैधता के अंदर आवंटित किया गया लेकिन पोर्टल पर देर से अपडेट किया गया
17		2023_HBC_259415_1	30 मार्च 2023	13 अप्रैल 2023	03 मार्च 2023	
18	मंडल-III, एचएसवीपी, फरीदाबाद	2022_HBC_224771_1	15 सितंबर 2022	24 नवंबर 2022	19 सितंबर 2022	बोली की वैधता के बाद आवंटित किया गया
19	मंडल-I, एचएसवीपी, फरीदाबाद	2021_HBC_195240_1	16 फरवरी 2022	09 सितंबर 2022	15 दिसंबर 2021	बोली की वैधता के अंदर आवंटित किया गया लेकिन पोर्टल पर देर से अपडेट किया गया
20		2022_HBC_220756_1	17 अगस्त 2022	16 नवंबर 2022	16 जून 2022	
21		2022_HBC_224631_1	13 सितंबर 2022	03 अक्तूबर 2022	30 सितंबर 2022	बोली की वैधता के बाद आवंटित किया गया
22	पीडी 1, पीडब्ल्यू (बी एंड आर), सिरसा	2021_HRY_169622_1	15 सितंबर 2021	23 जुलाई 2022	19 अगस्त 2021	बोली की वैधता के अंदर आवंटित किया गया लेकिन पोर्टल पर देर से अपडेट किया गया
23		2021_HRY_170438_1	15 सितंबर 2021	15 फरवरी 2022	19 अगस्त 2021	
24		2020_HRY_141730_2	14 जनवरी 2021	08 जून 2021	17 मई 2021	बोली की वैधता के बाद आवंटित किया गया
25	नगर परिषद, चरखी दादरी	2020_HRY_127740_1	11 जून 2020	02 सितंबर 2020	15 मई 2020	बोली की वैधता के अंदर आवंटित किया गया लेकिन पोर्टल पर देर से अपडेट किया गया
26	नगर निगम करनाल	2022_HRY_245180_1	08 अप्रैल 2023	13 अप्रैल 2023	11 जनवरी 2023	बोली की वैधता के अंदर आवंटित किया गया लेकिन पोर्टल पर देर से अपडेट किया गया
27		2019_HRY_103931_1	16 फरवरी 2020	04 मार्च 2020	21 नवंबर 2019	
28		2022_HRY_236506_1	31 दिसंबर 2022	31 दिसंबर 2022	11 नवंबर 2022	
29	नगर निगम सोनीपत	2020_HRY_124138_1	28 अगस्त 2020	23 जून 2021	23 जून 2021	बोली की वैधता के बाद आवंटित किया गया
30		2019_HRY_99753_1	08 जनवरी 2020	04 अगस्त 2020	04 अगस्त 2020	
31	नगर निगम गुरुग्राम	2019_HRY_99200_1	04 दिसंबर 2019	09 नवंबर 2020	11 सितंबर 2019	बोली की वैधता के अंदर आवंटित किया गया लेकिन पोर्टल पर देर से अपडेट किया गया
32		2019_HRY_110256_1	08 मार्च 2020	31 मई 2019	15 मई 2020	बोली की वैधता के बाद आवंटित किया गया
33		2019_HRY_110257_1	08 मार्च 2020	16 मार्च 2020	16 मार्च 2020	

परिशिष्ट 1.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.11.6; पृष्ठ 51)

उन बोलीदाताओं का विवरण जिन्होंने बोली जमा करने की अंतिम तिथि के बाद अपनी बोलियां वापस ले ली, परंतु उनकी बयाना जमा राशि (ईएमडी) जब्त नहीं की गई

क्र. सं.	निविदा आमंत्रण एजेंसी का नाम	निविदा संख्या	बोलीदाता का नाम	वापस की गई ईएमडी राशि (₹ में)
1	एचएफडीसीएल, कुरुक्षेत्र	2022_HBC_249732_1	राधा कृष्ण एंटरप्राइजेज	20,000
2	नगर निगम, गुरुग्राम	2021_HRY_172826_1	प्रकाश पंप इंजीनियर्स	24,250
3	नगर निगम करनाल	2022_HRY_221420_1, 2022_HRY_221422_1	संदीप कुमार ठेकेदार	1,19,640
4	नगर निगम, सोनीपत	2023_HRY_252639	सुदेश कोऑपरेटिव लेबर कंस्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड, सोनीपत	25,000
5	पीएचईडी, अंबाला	2020_HRY_142688_1	कलातर सिंह	8,962

परिशिष्ट 1.8

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.11.6; पृष्ठ 51)

कई बोलीदाताओं की ईएमडी को बनाए रखने के उदाहरणों को दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	निविदा आमंत्रण एजेंसी का नाम	निविदा आईडी	बोलीदाता का नाम	भुगतान की गई ईएमडी (₹ में)
1	प्रांतीय मंडल, पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), रेवाड़ी	2020_HRY_119294_1	हरि सिंह ठेकेदार	8,827
			एस.एस. इंफ्रास्ट्रक्चर	8,827
2		2020_HRY_119399_1	आर.एस एंटरप्राइजेज	25,000
			सुरेश कुमार यादव, ठेकेदार	25,000
3		2020_HRY_121155_1	दीपे यादव इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर	60,000
			निर्मल एंटरप्राइजेज	60,000
4		2020_HRY_128264_1	हरि सिंह ठेकेदार	10,000
			दीपक कुमार ठेकेदार	10,000
5		2020_HRY_131863_1	द बस्ती राम को-ऑपरेटिव लेबर एंड कंस्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड	7,000
			मेसर्स श्री लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी	14,000
6		2020_HRY_138138_1	सुरेश कुमार यादव, ठेकेदार	30,000
			दीपे यादव इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर	30,000
7		2020_HRY_138341_1	दीपे यादव इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर	97,000
			द बस्ती राम को-ऑपरेटिव लेबर एंड कंस्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड	49,000
8		2020_HRY_138852_1	संदीप यादव, ठेकेदार	45,000
			दीपे यादव इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर	45,000
9		2020_HRY_138854_1	कृष्ण कुमार, ठेकेदार	41,000
			दीपे यादव इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर	41,000
10		2020_HRY_139863_1	प्रीति कंस्ट्रक्शन	5,000
			साहिल	5,000
11		2020_HRY_141254_1	नरेंद्र कुमार ठेकेदार	26,000
			उपेंद्र ठेकेदार	26,000
12		2020_HRY_142259_1	द बस्ती राम को-ऑपरेटिव लेबर एंड कंस्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड	51,000
			सुनील कुमार	1,01,000
13		2020_HRY_146655_1	मेसर्स श्री लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी	18,000
			नरेंद्र कुमार ठेकेदार	18,000
14		2020_HRY_146660_1	मुकेश राज ठेकेदार	32,000
			साहिल	32,000
15		2020_HRY_152538_1	पवन	20,740
			एसडी कंस्ट्रक्शन कंपनी	20,740
16		2021_HRY_156562_1	मुकेश राज ठेकेदार	17,320
			प्रवीण ठेकेदार	17,320
17		2021_HRY_195361_1	विकास हुड्डा	12,65,000
			राजेश	12,65,000
कुल				**35,26,774**

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.9.6 (ग); पृष्ठ 80)

निर्धारित मानदंडों से अधिक अनुमत बोतलबंदी के दौरान नुकसान को दर्शाने वाला वर्ष-वार/लाइसेंसधारक-वार विवरण

नीति वर्ष	लाइसेंस नंबर	शराब का प्रकार	बल्क लीटर में मात्रा	प्रूफ लीटर में मात्रा	अनुमत अपव्यय	अनुमत अपव्यय (प्रतिशत में)	मानदंडों के अनुसार स्वीकार्य अपव्यय	अतिरिक्त अपव्यय की अनुमति
2015-2016	013L1500080	बीयर	5,51,803.20	0.00	76,626.00	12.19	9,426.44	67,199.56
2015-2016	020L1500001	आईएमएफएल	8,14,886.28	6,11,164.71	21,450.00	3.39	9,489.22	11,960.78
2016-2017	011L1500029	आईएमएफएल	17,100.00	12,825.00	1,011.00	7.31	207.54	803.46
2016-2017	011L1500030	आईएमएफएल	4,31,041.68	3,23,281.26	57,780.00	15.16	5,715.92	52,064.08
2016-2017	011L1500031	आईएमएफएल	4,85,200.08	3,63,900.06	31,595.00	7.99	5,932.43	25,662.57
2016-2017	011L1500085	आईएमएफएल	6,885.00	5,163.75	600.00	10.41	86.46	513.54
2016-2017	013L1500080	बीयर	10,44,193.80	0.00	1,84,653.00	15.03	18,432.70	1,66,220.30
2016-2017	020L1500001	आईएमएफएल	32,56,431.12	24,42,323.34	1,03,848.00	4.08	38,192.57	65,655.43
2017-2018	011L1500030	आईएमएफएल	4,54,439.52	3,40,829.64	22,029.00	6.07	5,442.88	16,586.12
2017-2018	011L1500031	आईएमएफएल	8,34,296.76	6,25,722.57	93,338.00	12.98	10,785.91	82,552.09
2017-2018	012L1700246	आईएमएफएल	9,072.00	6,804.00	1,512.00	18.18	124.74	1,387.26
2017-2018	020L1500001	आईएमएफएल	39,53,967.12	29,65,475.34	97,383.00	3.18	45,942.88	51,440.12
2018-2019	011L1500030	आईएमएफएल	18,80,069.40	14,10,052.05	77,040.00	5.18	22,306.38	54,733.62
2018-2019	011L1500031	आईएमएफएल	18,84,626.64	14,13,469.98	87,077.00	5.80	22,508.20	64,568.80
2018-2019	011L1500084	आईएमएफएल	1,05,45,559.80	79,09,169.85	7,56,125.00	8.73	1,29,979.42	6,26,145.58
2018-2019	020L1500001	आईएमएफएल	42,94,185.48	32,20,639.11	1,55,441.00	4.60	50,641.20	1,04,799.80
2019-2020	011L1500030	आईएमएफएल	33,78,854.68	25,33,344.15	59,583.00	2.30	38,893.91	20,689.09
2019-2020	011L1500031	आईएमएफएल	2,66,580.00	1,99,935.00	13,069.00	6.14	3,195.06	9,873.94
2019-2020	011L1500084	आईएमएफएल	99,70,282.44	74,77,711.83	2,04,080.00	2.66	1,15,226.88	88,853.12
2019-2020	020L1500001	आईएमएफएल	24,86,942.28	18,65,206.71	82,111.00	4.22	29,209.77	52,901.23
2019-2020	098L1500002	आईएमएफएल	63.00	47.25	6.00	11.27	0.80	5.20
2020-2021	011L1500030	आईएमएफएल	43,19,663.28	32,38,445.97	83,822.00	2.52	49,834.02	33,987.98
2020-2021	011L1500031	आईएमएफएल	13,65,400.80	10,24,050.60	67,605.00	6.19	16,374.83	51,230.17
2020-2021	011L1500084	आईएमएफएल	1,92,79,495.56	1,44,59,621.67	3,18,657.00	2.16	2,21,674.18	96,982.82
2020-2021	020L1500001	आईएमएफएल	27,64,279.44	20,73,209.58	89,775.00	4.15	32,444.77	57,330.23
2020-2021	400383M8087	आईएमएफएल	432.00	324.00	10.00	2.99	5.01	4.99
2021-2022	011L1500030	आईएमएफएल	55,81,398.84	41,85,278.42	96,424.00	2.25	64,225.54	32,198.46
2021-2022	011L1500031	आईएमएफएल	6,99,887.16	5,24,915.37	22,107.00	4.04	8,205.34	13,901.66
2021-2022	020L1500001	आईएमएफएल	16,97,406.84	12,73,055.13	43,491.00	3.30	19,748.19	23,742.81
2021-2022	023L2104757	आईएमएफएल	3,54,827.52	2,61,450.18	7,210.00	2.68	4,029.90	3,180.10
2021-2022	026L1801286	आईएमएफएल	2,13,761.52	1,60,321.14	7,514.00	4.48	2,517.53	4,996.47
2022-2023	011L1500030	आईएमएफएल	32,05,506.24	24,03,307.61	62,990.00	2.55	36,994.46	25,995.54
2022-2023	011L1500031	आईएमएफएल	2,12,083.56	1,59,058.44	7,820.00	4.69	2,503.18	5,316.82
2022-2023	020L1500001	आईएमएफएल	20,99,028.60	15,74,271.45	59,464.00	3.64	24,506.03	34,957.97
2022-2023	023L2104757	आईएमएफएल	31,65,747.48	22,91,434.52	1,45,624.00	5.98	36,555.88	1,09,068.12
2022-2023	026L1801286	आईएमएफएल	1,49,307.48	1,11,980.61	2,734.00	2.38	1,720.72	1,013.28
2015-2016	011L1500031	सी.एल.	60,19,110.00	30,09,555.00	3,03,070.00	9.15	49,689.38	2,53,381.00
2015-2016	011L1500032	सी.एल.	17,17,218.00	8,58,609.00	74,964.00	8.03	14,003.60	60,960.00
2015-2016	020L1500001	सी.एल.	74,93,328.00	37,46,664.00	1,20,238.00	3.11	58,003.53	62,234.00

नीति वर्ष	लाइसेंस नंबर	शराब का प्रकार	बल्क लीटर में मात्रा	प्रूफ लीटर में मात्रा	अनुमत अपव्यय	अनुमत अपव्यय (प्रतिशत में)	मानदंडों के अनुसार स्वीकार्य अपव्यय	अतिरिक्त अपव्यय की अनुमति
2016-2017	011L1500029	सी.एल.	86,37,660.00	43,18,830.00	1,98,578.00	4.40	67,761.12	1,30,817.00
2016-2017	011L1500030	सी.एल.	1,56,99,447.00	78,49,723.50	2,87,556.00	3.53	1,22,059.19	1,65,497.00
2016-2017	011L1500031	सी.एल.	1,62,72,999.00	81,36,499.50	10,49,068.00	11.42	1,37,783.51	9,11,284.00
2016-2017	011L1500032	सी.एल.	67,02,381.00	33,51,190.50	3,22,155.00	8.77	55,100.18	2,67,055.00
2016-2017	020L1500001	सी.एल.	2,34,34,497.00	1,17,17,248.50	3,44,906.00	2.86	1,80,932.32	1,63,974.00
2017-2018	011L1500029	सी.एल.	89,76,825.00	44,88,412.50	2,22,312.00	4.72	70,660.87	1,51,651.00
2017-2018	011L1500030	सी.एल.	1,38,86,370.00	69,43,185.00	4,57,794.00	6.19	1,11,014.69	3,46,779.00
2017-2018	011L1500031	सी.एल.	1,66,29,066.00	83,14,533.00	3,39,487.00	3.92	1,29,810.30	2,09,677.00
2017-2018	011L1500032	सी.एल.	70,93,944.00	35,46,972.00	91,460.00	2.51	54,576.48	36,884.00
2017-2018	012L1700248	सी.एल.	20,38,050.00	10,19,025.00	47,652.00	4.47	16,000.16	31,652.00
2018-2019	011L1500029	सी.एल.	1,02,68,388.00	51,34,194.00	3,67,831.00	6.69	82,530.38	2,85,301.00
2018-2019	011L1500030	सी.एल.	1,50,53,715.00	75,26,857.50	3,95,786.00	5.00	1,18,839.65	2,76,946.00
2018-2019	011L1500031	सी.एल.	1,56,05,532.00	78,02,766.00	4,25,957.00	5.18	1,23,430.85	3,02,526.00
2018-2019	011L1500032	सी.एल.	74,98,809.00	37,49,404.50	1,76,084.00	4.49	58,882.33	1,17,202.00
2018-2019	011L1801446	सी.एल.	4,40,100.00	2,20,050.00	6,871.00	3.03	3,403.82	3,467.00
2018-2019	012L1700248	सी.एल.	21,43,350.00	10,71,675.00	59,415.00	5.25	16,966.35	42,449.00
2018-2019	023L1801235	सी.एल.	13,74,210.00	6,87,105.00	46,394.00	6.33	11,002.49	35,392.00
2018-2019	028L1700561	सी.एल.	45,48,051.00	22,74,025.50	90,200.00	3.82	35,463.38	54,737.00
2019-2020	011L1500029	सी.एल.	61,47,414.00	30,73,707.00	2,42,348.00	7.31	49,740.83	1,92,607.00
2019-2020	011L1500030	सी.एल.	1,13,43,600.00	56,71,800.00	2,50,073.00	4.22	88,828.10	1,61,245.00
2019-2020	011L1500031	सी.एल.	1,60,77,330.00	80,47,539.90	4,35,922.00	5.14	1,27,251.93	3,08,670.00
2019-2020	011L1500032	सी.एल.	62,75,511.00	31,37,755.50	1,55,163.00	4.71	49,393.78	1,05,769.00
2019-2020	011L1801446	सी.एल.	37,21,545.00	18,61,976.70	44,641.00	2.34	28,599.27	16,042.00
2019-2020	012L1700248	सी.एल.	58,25,988.00	29,12,994.00	1,37,227.00	4.50	45,753.32	91,474.00
2019-2020	020L1500001	सी.एल.	2,06,74,899.00	1,03,37,449.50	1,64,708.00	1.57	1,57,532.36	7,176.00
2019-2020	023L1801235	सी.एल.	17,36,262.00	8,69,649.75	55,157.00	5.96	13,872.10	41,285.00
2020-2021	011L1500029	सी.एल.	58,03,821.00	29,01,910.50	1,24,862.00	4.13	45,401.59	79,460.00
2020-2021	011L1500030	सी.एल.	1,50,15,591.00	75,07,795.50	1,64,629.00	2.15	1,15,086.37	49,543.00
2020-2021	011L1500031	सी.एल.	3,35,97,468.00	1,72,34,183.25	6,72,351.00	3.75	2,68,598.01	4,03,753.00
2020-2021	011L1500032	सी.एल.	1,61,38,872.00	81,09,842.85	2,06,064.00	2.48	1,24,738.60	81,325.00
2020-2021	020L1500001	सी.एल.	4,00,04,811.00	2,00,02,405.50	9,25,146.00	4.42	3,13,913.27	6,11,233.00
2020-2021	023L1609463	सी.एल.	1,60,86,627.00	80,59,504.05	1,59,732.00	1.94	1,23,288.54	36,443.00
2021-2022	011L1500029	सी.एल.	50,14,260.00	25,07,130.00	66,939.00	2.60	38,611.04	28,328.00
2021-2022	011L1500031	सी.एल.	2,89,56,564.00	1,44,78,282.00	3,44,413.00	2.32	2,22,340.43	1,22,073.00
2021-2022	011L1500032	सी.एल.	1,86,94,665.00	93,47,332.50	1,75,539.00	1.84	1,42,843.07	32,696.00
2021-2022	023L1609463	सी.एल.	92,95,326.00	46,47,663.00	3,68,096.00	7.34	75,236.39	2,92,860.00
2022-2023	011L1500029	सी.एल.	51,36,228.00	25,68,114.00	1,36,947.00	5.06	40,575.92	96,371.00
2022-2023	011L1500030	सी.एल.	1,29,56,670.00	64,78,335.00	1,63,407.00	2.46	99,626.13	63,781.00
2022-2023	023L1609463	सी.एल.	1,58,15,196.00	79,07,598.00	4,51,849.00	5.41	1,25,391.71	3,26,457.00
		योग	**57,75,26,404.60**	**31,08,97,283.79**	**1,40,14,595.00**		**48,97,618.23**	**91,16,979.11**

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.10.6.3; पृष्ठ 89)

मास्टर तालिका में निर्धारित वैधता के साथ लाइसेंस का प्रकार

वर्ष	अंत:जिला (3-15 दिन)	अंतरजिला (7-15 दिन)	राज्य के बाहर आयात (निर्धारित नहीं)
	परमिट वैधता की अनुमति (दिनों में)		
2015-16	1-741	1-378	1-57
2016-17	1-384	1-95	1-62
2017-18	1-734	1-78	1-60
2018-19	1-366	1-370	1-58
2019-20	1-65	1-60	1-41
2020-21	1-66	1-56	1-51
2021-22	1-66	1-58	1-41
2022-23	1-62	1-65	1-40

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/haryana/hi